BAPA(N)- 220

सामाजिक कल्याण प्रशासन

SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय-हल्द्वानी
फोन नं. 05946 – 261122, 261123
टॉल फ्री नं.18001804025
ई – मेल info@uou.ac.in
http://uou.ac.in

अध्ययन मंडल

प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे निदेशक- समाज विज्ञान विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	प्रोफेसर अल्का धमेजा, लोक प्रशासन विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली
प्रोफेसर उमा मैदुरी, लोक प्रशासन विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली	प्रोफेसर बी0 अरूण कुमार, लोक प्रशासन विभाग वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान
डॉ0 घनश्याम जोशी (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) लोक प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्री सुमित सिंह (असिस्टेन्ट प्रोफेसर- एसी) लोक प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
श्री शुभांकर शुक्ला (असिस्टेन्ट प्रोफेसर- एसी) लोक प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्री प्रमोद चन्याल (असिस्टेन्ट प्रोफेसर- एसी) लोक प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम संकलन और सम्पादन डॉ0 घनश्याम जोशी(असिस्टेन्ट प्रोफेसर) कार्यक्रम समन्वयक, लोक प्रशासन लोक प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	

इकाई लेखक	**इकाई संख्या**
डॉ0 हेमलमा मिश्रा राजकीय स्नातकोत्तर तहाविद्यालय, रामनगर	1, 2, 3
डॉ0 कमरूद्दीन आलम एम0बी0पी0जी0 हल्द्वानी	16, 17, 18
प्रो0 दुर्गाकान्त चौधरी, राजनीति विज्ञान विभाग एस0बी0एस0 पी0जी0 कालेज, रूद्रपुर	5, 6, 7, 13, 14, 15
डॉ0 घनश्याम जोशी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	4, 8, 9, 10, 11, 12

प्रकाशन वर्ष- 2024

कापीराइट @ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रकाशन- निदेशालय अध्ययन एवं प्रकाशन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी- 263139

अनुक्रम

खण्ड- 1 सामाजिक प्रशासन- परिचय		
1	सामाजिक प्रशासन	1 – 13
2	सामाजिक प्रशासन का विकास	14 – 23
3	सामाजिक कल्याणकारी राज्य और प्रशासन	24 – 32
खण्ड- 2 सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय		
4	सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय	33 – 47
5	सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता मन्त्रालय- संरचना, कार्य, भूमिका	48 – 58
6	महिला एवं शिशु कल्याण विभाग: संरचना, कार्य, भूमिका	59 – 72
7	भारतीय संविधान में समाज कल्याण संबंधी उपबन्धः महिलाओं और अल्पसंख्यकों के विशेष संदर्भ में	73 – 82
खण्ड- 3 समाज कल्याण संबंधी संवैधानिक संस्थाएं		
8	मानव अधिकार और मानव अधिकार आयोग	83 – 97
9	राष्ट्रीय महिला आयोग	98 – 105
10	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	106 – 112
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	113 -120
12	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	121 – 128
खण्ड- 4 राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर समाज कल्याण प्रशासन		
13	राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन	129 – 137
14	सामाजिक कल्याण विभाग- संरचना, कार्य और भूमिका	138 – 147
15	स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन	148 – 158
खण्ड- 5 समाज कल्याण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका		
16	गैर-सरकारी संगठन की विशेषताएं	159 – 170
17	स्वयं सहायता समूह, नागरिक समाज, नागरिक चार्टर, स्वैच्छिक समूह	171 – 186
18	गैर- सरकारी संगठनों की समाज कल्याण में भूमिका	187 -198

इकाई- 1 सामाजिक प्रशासन अर्थ, विशेषताऐं और महत्व

इकाई की संरचना

1.0 प्रस्तावना
1.1 उद्देश्य
1.2 सामाजिक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा
1.3 सामाजिक प्रशासन का महत्व एवं उद्देश्य
1.4 सामाजिक प्रशासन की प्रकृति
1.5 सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र
1.6 सामाजिक प्रशासन के कार्य
    1.6.1 वारहम के अनुसार समाज प्रशासन के कार्य
    1.6.2 लूथर गुलिक के अनुसार समाज प्रशासन के कार्य
1.7 सामाजिक प्रशासन की विशेषताऐं
1.8 अन्य विशेषताऐं
1.9 सारांश
1.10 शब्दावली
1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
1.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
1.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1.0 प्रस्तावना

सामाजिक प्रशासन या सामाजिक कल्याण प्रशासन एक नया समाज विज्ञान है। यह लोक प्रशासन की अपेक्षा एक नवीन शाखा है। इसका सम्बन्ध बेसहारा असहाय व निर्बल लोगों के सामाजिक कार्यों व सेवाओं के समुचित संचालन से है।

सामाजिक प्रशासन, समाज कार्य की द्वितीयक प्रणाली है। इस प्रणाली के अभ्यास का आधार सामान्य रूप से प्रशासन के सिद्धान्तों एवं प्रविधियों पर है। विशेष प्रकार से इसका आधार सार्वजनिक प्रशासन के सिद्धान्तों पर है परन्तु सामाजिक प्रशासन का सम्बन्ध समाज कार्य के उस उद्देश्य से है, जिसका सम्बन्ध मानवीय समस्याओं को सुलझाने और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से है। सामाजिक सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य मनुष्यों की सहायता करना है। यही उद्देश्य समाज कल्याण प्रशासन को सार्वजनिक प्रशासन एवं व्यापारिक प्रशासन से भिन्न करता है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों से सम्बन्धित नहीं है।

1.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- सामाजिक प्रशासन क्या है, इस सम्बन्ध में विस्तार से जान पायेंगे।
- सामाजिक प्रशासन की प्रकृति, सिद्धान्त एवं कार्यों के विषय में जान पायेंगे।
- सामाजिक प्रशासन की विशेषताऐं, महत्व और क्षेत्र का अध्ययन कर पायेंगे।

1.2 सामाजिक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा

प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो स्वयं अपनी जीविका उपार्जित नहीं कर पाते। वे लोग अन्धे, बहरे, लंगड़े, पागल, कमजोर या बीमार होते हैं। ऐसे अनाथ बच्चे, विधवा महिलायें व निराश्रित वृद्ध भी होते हैं। इन वर्गों के लोगों की समस्याओं का समाधान एक ऐसा कार्य होता है, जो आय का साधन नहीं हो सकता। जो संस्था या विभाग इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं वे निःस्वार्थ भाव से प्रेरित होते हैं यही सामाजिक कार्य है तथा इस कार्य को संगठित व सुनियोजित रूप से सम्पन्न करने की सुविधा ही सामाजिक प्रशासन है। इस कार्य को संगठित करने वाली सामाजिक संस्थाऐं या विभाग चिकित्सालय, न्यायालय, विद्यालय आदि हो सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक अभिकरण व सरकारी कल्याणकारी संस्थाओं से सम्बन्धित प्रशासन सामाजिक प्रशासन या समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है। यद्यपि इसकी विधि-प्रविधि, तौर-तरीके आदि लोक प्रशासन जैसे ही होते हैं। पर इन दोनों में एक बुनियादी अन्तर होता है कि इसमें जनतंत्र व मान्यताओं का अधिक से अधिक ध्यान रखते हुए असहाय या बाधित-वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशासन किया जाता है।

सामाजिक प्रशासन को दो दृष्टियों से परिभाषित किया जाता है। निषेधात्मक दृष्टि से सामाजिक प्रशासन समाज के अक्षम व्यक्तियों व परिवारों की सहायता करना है, जबकि सकारात्मक दृष्टि से समाज के सभी व्यक्तियों व परिवारों के कल्याण कार्यों से सम्बन्धित प्रशासन करना है।

सामाजिक प्रशासन को निम्न विद्वानों ने परिभाषित किया है।

जॉन सी0 किडनी के अनुसार ‘‘समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को सामाजिक संस्थाओं में बदलने तथा सामाजिक नीति को मूल्यांकित एवं संशोधित करने में अनुभव प्रयोग की एक प्रक्रिया है।’’

प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के अनुसार ‘‘सामाजिक अभिकरण तथा सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशासन को समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं।’’

आर्थर डनहम के अनुसार ‘‘समाज-कल्याण प्रशासन से हमारा आशय उन सहायक एवं सुविधाजनक क्रिया-कलापों से है, जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य है।’’

फ्रीडलैण्डर के अनुसार ‘‘सामाजिक संस्थाओं का प्रशासन सामाजिक विधान तथा निजी परोपकारी एवं धार्मिक दान के लक्ष्यों की व्यवस्था को सेवाओं की गत्यात्मकता और मानवता के हित में अनुवादित करता है।’’

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक प्रशासन एक सामूहिक प्रक्रिया है। जिसमें सामाजिक नीतियां निहित होती हैं तथा दूसरा कार्यान्वयन प्रदान करने के लक्ष्य से किया जाता है।

1.3 सामाजिक प्रशासन का महत्व और उद्देश्य

सामाजिक प्रशासन के निम्नलिखित महत्व एवं उद्देश्य हैं-

1. **आर्थिक विकास**
   - समस्या समाधान द्वारा लोगों की अकांक्षा एवं कार्य क्षमता में वृद्धि।
   - औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि।
   - आवास एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बनाये रखना।
   - श्रम नियोक्ता से सम्बन्धों को बनाये रखना।
   - रहन-सहन का स्तर प्रदान करना।
   - आय के अपव्यय को रोकता है तथा सबके लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण आदि सेवाओं की वृद्धि।
2. **सामाजिक विकास**
   - आर्थिक विकास समाज में जनशक्ति को विभाजित करने में मदद करता है।
   - विकास के मार्ग में आने वाली सामाजिक कुरीतियों को तोड़ना।
   - पोषाहार, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रोजगार की व्यवस्था करना।
   - राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था का संरक्षण- आपातकाल में आपात प्रबन्ध के द्वारा नागरिक सुरक्षा से सम्बद्ध लोगों की सहायता करता है। जिससे उन लोगों का मानसिक संतुलन ठीक रहता है।

1.4 समाजिक प्रशासन की प्रकृति

समाजिक प्रशासन विज्ञान तथा कला दोनों हैं। एक विज्ञान के रूप में इसके क्रमबद्ध ज्ञान होता है, जिसका उपयोग सेवाओं को अधिक प्रभावी बना देता है। विज्ञान के रूप में इसके निम्न तत्व प्रमुख है- नियोजन, संगठन, कार्मिकों की भर्ती, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन, बजट तथा मूल्यांकन। कला के रूप में समाज कल्याण प्रशासन में अनेक निपुणताओं तथा प्रतिधियों का उपयोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपयुक्त सेवाओं को प्रदान सम्भव होता है।

समाजिक प्रशासन मूलरूप से निम्न क्रियाओं से सम्बन्धित-

1. राज्य के सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी नीति निर्धारित करना जिससे संगठन में कार्यरत जनशक्ति एकीकृत रूप से कार्य कर सके।
2. सेवाओं के प्राभावपूर्ण प्रावधान के लिए संगठनात्मक संरचना की रूपरेखा तैयार करना।
3. संसाधनों, कर्मचारीगण तथा आवश्यक प्रविधियों का प्रबन्ध करना।
4. आवश्यक ज्ञान एवं निपुणताओं से युक्त मानव संसाधन का प्रबन्ध करना।
5. उन क्रिया-कलापों का सम्पादित करवाना जिनसे अधिकतम संतोषजनक ढ़ग से लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।
6. ऐसा वातावरण तैयार करना, जहाँ आपसी मेल-मिलाप तथा प्रगाढ़ता बढ़े एवं कर्मचारी कार्य करने की प्रक्रिया के दौरान में सुख अनुभव करें।
7. किये जाने वाले कार्यों को निरन्तर मूल्यांकन करना।

1.5 सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र

सामाजिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक विकास हेतु लोकतांत्रिक नियोजन में सबकी सहभागिता करना है, ताकि कल्याणकारी समाज की स्थापना की जा सके। इसके लिए समाज कल्याण प्रशासन कुछ प्रमुख समाज कल्याण सेवाऐं प्रदान करनी पड़ती है। जिन सेवाओं को अभिकरणों के माध्यम से समन्वित ढंग से नियोजित, व्यस्थित एवं कार्यान्वित किया जाता है, वे सभी सेवाऐं समाज कल्याण प्रशासन का क्षेत्र निर्धारित करती हैं। ये सेवाऐं निम्नलिखित हैं-

1. **शिक्षा-** इसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यवसायिक, श्रमिक तथा सामाजिक शिक्षा सम्मिलित है। शिक्षा का समन्वय जनशक्ति-नियोजन द्वारा होना चाहिए। शिक्षा मनुष्य में विनियोजित विचार-पद्धति द्वारा अपनायी जाने लगी है। यह प्रशंसनीय प्रगति है। परन्तु शिक्षा में सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक विकास पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है।
2. **स्वास्थ्य सेवाऐं और परिवार नियोजन-** स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सा, निरोध तथा स्वास्थ्यपूर्वक सेवाऐं आती हैं। परिवार नियोजन जन्म दर में विशेष कमी करने के लिए आवश्ययक है। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग अत्यन्त आवश्य क है।
3. **आवास-** निम्न आय-वर्ग के लिए अनुदान ऋण तथा मध्य वर्ग के लिए ऋण की व्यवस्था की गयी है। परन्तु साधन के अभाव के कारण आवास स्थिति में विशेष सुधार की आशा नहीं की जा सकती है। आवास सहकारी समितियों में वृद्धि सामाजिक चेतना के जागरण से ही हो सकती है। राज्य की ओर से भी कम मूल्य के आवास अधिक बनाये जा सकते हैं।
4. **सामाजिक सुरक्षा-** सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक बीमा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इन योजनाओं को स्वीकृत करके अधिक व्यापक बनाया जा सकता है।
5. **सामाजिक रक्षा-** सुधार सेवाओं हेतु विभिन्न गृहों की स्थापनाए जिसमें वयस्क, युवा अपराधियों को प्रोवेशन, पुर्नवास, नारी को नारी निकेतन, शिशु गृह तथा भिक्षु सुधार गृह की स्थापना।
6. **समाज कल्याण-** समाज कल्याण के अन्तोर्गत निम्नर बिन्दु आते हैं- 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की योजनाओं का विस्तार। 2. अन्धे, वधिर व अपाहिज की कल्याण सेवाऐं एवं पुर्नवास। 3. मनोरोगियों में मानवतावादी समाज का प्रचार। 4. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
7. **सामुदायिक विकास-** नगर, टाऊन, ग्रामीण राज्य के सभी स्तरों पर सामुदायिक विकास योजना बनाकर क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। इनमें उन क्षेत्रों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जहाँ सामुदायिक सेवाओं का विकास नहीं हुआ है।
8. **श्रम सम्बन्ध -** नजी तथा राजकीय क्षेत्र के संगठनों तथा नियोजक में मधुर सम्बन्ध बनाना।

कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु जो भी समाज कल्याण सेवाऐं राज्य तथा निजी अभिलेखों द्वारा प्रदान की जाती हैं, उनको नियोजित, व्यवस्थित एवं क्रियान्वित करना समाज कल्याण का अंग बन जाती है।

उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि सामाजिक प्रशासन के उद्देश्य एवं सेवा क्षेत्र ही उसके महत्व को व्याख्यापित करते हैं।

1.6 समाजिक प्रशासन के कार्य

समाजिक प्रशासन ना केवल संस्था के कार्यों को सम्पादित करता है, बल्कि वह संस्थाओं को निरन्तर उन्नति की दिशा में बढ़ाने को प्रयास भी करता है।

1.6.1 वारहम के अनुसार समाज प्रशासन के कार्य

वारहम के विचार से समाज प्रशासन के निम्न कार्य हैं-

1. **संस्था के उद्देश्य को पूरा करना-** समाज प्रशासन संस्था की नीतियों को कार्यान्वित करता है। नीतियों को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा ही कार्यरूप प्रदान किया जा सकता है। वह नीतियों के निर्धारण में भी भाग लेता है, जिससे संस्था के उद्देश्यों तथा नीतियों में एकरूपता बनी रहे।
2. **संस्था की औपचारिक संरचना का निर्माण करना-** समाज प्रशासन का दूसरा कार्य सम्प्रेषण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए औपचारिक संरचना का निर्माण करना होता है, कर्मचारियों क लिए मानदण्ड निर्धारित करना होता है तथा उन्हीं के अनुसार कार्य सम्बन्ध विकसित करना होता है।
3. **सहयोगात्मक प्रयत्नों को प्रोत्साहन प्रदान करना-** प्रशासन का कार्य संस्था में ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिससे कर्मचारी-गण पारम्परिक सहयोग से अपने उत्तरदायित्वों का पूरा कर सकें। यदि कहीं भी संघर्ष के बीज पनपने लगे तो उनको तुरन्त नष्ट कर देना आवश्यक होता है। कर्मचारियों के मनोबल को ऊँचा बनाये रखने के लिए सम्भव प्रयत्न किये जाने आवश्यक है।
4. **संसाधनों की खोज तथा उपयोग करना-** किसी भी संस्था के लिए अर्थ शक्ति तथा मानव शक्ति दोनों आवश्यक होती है। संस्था तभी अपने उत्तरदायित्वों का पूरा कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त धन हो तथा दक्ष कर्मचारी हों। आर्थिक स्रोतों का पता लगाकर उनके समुचित उपयोग करने की व्यवस्था का कार्य प्रशासन होता है। वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य भी उसी का होता है। वह अपनी शक्तियों को हस्तान्तरित भी करता है जिससे दूसरे अधिकारी इस शक्ति का उपयोग कर सके।
5. **अधीक्षण का मूल्यांकन-** प्रशासन संस्था के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता हैं अतः वह इसकी सभी गतिविधियों पर दृष्टि रखता है। वह संस्था की आवश्यकतानुसार सहायता करता है तथा दिशा निर्देश देता है, वह सदैव कार्य प्रगति का लेखा-जोखा रखता है। वह कार्यों का मूल्यांकन निरन्तर करता रहता है।

1.6.2 लूथर गुलिक के अनुसार समाज प्रशासन के कार्य

लूथर गुलिक ने समाज प्रशासन के कार्यों का वर्णन करने के लिए जादुई सूत्र 'पोस्डकार्ब' (POSDCORB) प्रस्तुत किया है जिसका तात्पर्य है नियोजन करना, संगठन करना, कर्मचारी नियुक्ति, निर्देशित करना, समन्वय करना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा बजट तैयार करना।

1. **नियोजन(Planning)-** नियोजन का अर्थ है, भावी लक्षित कार्य की रचना। इसमें वर्तमान दशाओं का मूल्यांकन, समाज की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का पहचान, लघु अथवा दीर्घ अवधि के आधार पर प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य एवं लक्ष्य तथा वांछित साध्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम का चित्रण निहित है।

भारत में योजना आयोग की स्थापना काल से तथा 1951 में नियोजन प्रक्रिया के आरम्भ से समाज कल्याण नीतियों, कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय संयत्र पर यद्यपि आरम्भ में अधिक बल नहीं दिया गया, परन्तु उसके बाद क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में उन्हें उचित वांछित स्थान दिया गया है। नियोजित विकास के गत चार दशकों के दौरान समाज कल्याण को योजना के एक घटक के रूप में महत्व प्राप्त हुआ है, जैसा योजनाओं में परिलक्षित है। उदाहरणतया प्रथम योजना में राज्यों से लोगों का कल्याण हेतु सेवाऐं प्रदान करने के लिए बढ़ती हुई योजना का आह्वान किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज के पीड़ित वर्गों को समाज सेवा प्रदान करने की धीमी गति के कारणों पर ध्यान दिया गया। तीसरी योजना में महिला एवं बाल देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, विकलांग सहायता तथा स्वयं सेवी संगठनों को सहायता अनुदान कर बल दिया गया। चतुर्थ योजना में निराश्रित बच्चों की आवश्यकताओं को बल मिला। पाँचवी योजना में कल्याण एवं विकास सेवाओं के उचित समेकन को लक्ष्य बनाया गया। छठी योजना में समाज कल्याण के आकार-चित्र के अन्दर बाल कल्याण को उच्च प्राथमिकता दी गई सातवीं योजना में समाज कल्याण कार्यक्रमों को इस प्रकार से आकार दिया गया ताकि वे मानव संचालन विकास की दिशा में निर्देशित कार्यक्रमों के पूरक बने। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्याशा है, वर्तमान कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार तथा नये कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जायेगा।

नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित ढ़ग से सम्पादित करने की रूपरेखा तैयार करना होता है। यह रूपरेखा पूर्व उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भविष्य के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। बिना विस्तृत नियोजन के कार्यों को ठीक प्रकार के पूरा करने में कठिनाई आती है। नियोजन का प्रमुख कार्य उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है। इसके पश्चात इन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्धारित करनी होती है। तीसरा कदम इन तरीकों तथा साधनों की व्यवस्था करनी होती है। तदुपरान्त उन तरीकों तथा साधनों की व्यवस्था करनी होती है, जिनके द्वारा नीतियों को कार्यान्वित कर लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कार्य का निरन्तर मूल्यांकन भी करना होता है।

2. **संगठन(Organisation)-** संगठन से तात्पर्य किसी निश्चित उद्देश्यों हेतु मानवी कार्यक्रमों का सचेतन समेकन है। इसमें अन्तनिर्भर अंगों को क्रमबद्ध तौर पर इकट्ठा करके एक एकत्रित समष्टि का रूप दिया जाता है। भूतकाल में समाज कल्याण न्यूनाधिक एक छितरायी एवं तदर्थ राहत क्रिया थी, जिसका प्रशासन किसी व्यापक संगठनात्मक संरचनाओं के बिना किया जाता था। जो कुछ भी कार्य किया जाना होता था उसका प्रबन्ध सरल, तदर्थ अनौपचारिक माध्यम से सामुदायिक एवं लाभ भोक्ताओं के स्तर पर ही हो जाता था। एक अन्य तत्व जो समाज कल्याण की अनौपचारिक एवं असंगठित प्रकृति का कारण बना, वह अशासकीय एवं स्वयंसेवी कार्य पर निर्भरता थी। सरकारी प्रक्रियाएँ जो विशाल संगठनात्मक संरचना तथा भारी नौकरशाही का रूप ले लेती है, से भिन्न अशासकीय क्रिया समाज कल्याण का मुख्य आधार रही जो अपनी प्राकृतिक के कारण अत्याधिक औपचारिक संगठित संयंत्र पर कम आश्रित थी। परन्तु समाज कल्याण कार्यक्रमों के विस्तार तथा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या एवं व्यथित धनराशि की मात्रा के कारण संगठन अपरिहार्य हो गया है।

संगठन, औपचारिक एवं अनौपचारिक हो सकता है। औपचारिक संगठन में सहकारी प्रयासों कही नियोजित प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक भागीदार की निश्चित भूमिका, कर्तव्य एवं कार्य होते हैं। परन्तु कार्यरत

व्यक्तियों में सद्-भावना एवं पारस्परिक विश्वास की भावनाऐं विकसित करने हेतु अनौपचारिक सम्बन्ध समाज कल्याण कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है।

संगठन के अन्तर्गत इसकी प्रभावी क्रियाशीलता के लिए कुछ सिद्धान्तों पर बल दिया जाता है। यह अपने सदस्यों के मध्य कार्य विभाजन करता है। यह विस्तृत प्रक्रियाओं के द्वारा मापक कार्यक्रमों की संस्थापना करता है। यह संचार प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसकी पदोसोपानीय प्रक्रियाऐं होती हैं, जिससे सत्ता एवं दायित्व की रेखाऐं विभिन्न स्तरों के मध्य से शीर्ष तथा नीचे की ओर आती जाती हैं तथा आधार चौड़ा एवं शीर्ष पर एक अकेला अध्यक्ष होता है। इसमें आदेश की एकता होती है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कर्मचारी एक से अधिक तात्कालिक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त नहीं करेगा, ताकि दायित्व स्पष्ट रहे और भ्राँति उत्पन्न ना हो।

समाज कल्याण का स्वरूप संगठन कल्याण मंत्रालय के संगठन में देखा जा सकता है। इसमें मंत्री इसका राजनीतिक अध्यक्ष तथा सचिव प्रशासकीय मुख्य अधिकारी है। विभिन्न स्कीमों के लिए विभिन्न प्रभाग है, केन्द्रीय स्तर पर अधीनस्थ संगठन तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान विकलागों के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग है। राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के स्तरों पर समाज कल्याण विभाग का संगठन किया गया है। तथा केन्द्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर समाज के विभिन्न वर्गों, यथा महिला, बालक, अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु निगमों की स्थापना की जाती है। स्वयंसेवी संगठनों में भारतीय बाल कल्याण परिषद मुख्य संस्था है। कल्याण मंत्रालय कल्याणकारी क्रियाकलापों में मूल एवं मुख्य रूप संलग्न स्वयं सेवी संगठनों को संगठनात्मक सहायता देती है, जिनका क्रियाक्षेत्र उनकी विभिन्न गतिविधियों के समन्वय हेतु केन्द्रीय कार्यालय की माँग करता है। स्थानीय स्तर पर कल्याणकारी सेवाओं का संगठन विदेशों में उसके प्रतिभागों की तुलना में कमजोर है। संगठन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संस्था के कार्यों का सम्पादन संगठन पर ही निर्भर होता है। भूमिकाओं तथा परिस्थितियों का निर्धारण किया जाता है। घटकों के बीच सम्बन्धों को परिभाषित किया जाता है तथा इसी के साथ उत्तरदायित्वों को भी स्पष्ट किया जाता है। संस्था के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर संगठन की रूप रेखा तैयार की जाती है।

3. **कर्मचारियों का चयन(Selection)-** अच्छे संगठन की स्थापना के बाद, प्रशासन की दक्षता एवं गुणतत्ता प्रशासन में सुप्रस्थापित कार्मिकों की उपर्युक्तता से प्रभावित होती है। दुर्बल तौर पर संगठित प्रशासन को भी चलाया जा सकता है, यदि इसका स्टाफ सुप्रशिक्षित बुद्धिमान कल्पनाशील एवं लगनशील हो। दूसरी ओर, एक सुनियोजित संगठन का कार्य असंतोष जनक हो सकता है। इस प्रकार स्टाफ शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार के संगठनों के अनिवार्य अंगभूत आधार हैं- भर्ती, चयन, नियुक्ति, वर्गीकरण, प्रशिक्षण, वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण, उत्प्रेरणा एवं मनोबल, पदोन्नति आधार एवं अनुशासन, सेवानिवृत्ति, संघ एवं समिति बनाने का अधिकार इन सब समस्याओं की उचित देखभाल आवश्यक है, जिससे कि कर्मचारी अपने कार्यों को सच्ची लगन से निष्पादन एवं संगठन का अच्छा चित्र प्रस्तुत कर सकें। संस्था के कर्मचारियों का चयन प्रशासक का एक आवश्यक कार्य होता है, क्योंकि इसी विशेषता पर संस्था के कार्यों का सम्पादन निर्भर होता है। जिस प्रकार के कर्मचारी होते हैं, उसी के अनुसार संस्था सेवायें प्रदान करती है। इस कार्य में निम्नलिखित बिन्दु महत्वपूर्ण होते हैं-

- कर्मचारी चयन, पदोन्नति आदि से सम्बन्धित नीति स्पष्ट होनी चाहिए।
- कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा शीघ्र किया जाना चाहिए।
- निर्णय पर बल दिया जाना चाहिए तथा दबाव के प्रभाव से उसे बदला नहीं जाना चाहिए।
- सभी कर्मचारियों के स्पष्ट कार्य होने चाहिए तथा उसका उत्तरदायित्व निश्चित होना चाहिए।
- कर्मचारियों के सहयोग की भावना विकसित करने के निरन्तर प्रयत्न किये जाने चाहिए।
- सम्प्रेषण द्विमुखी होना चाहिए अर्थात प्रशासन तथा कर्मचारियों की ओर से विचारों का परम्पर आदान-प्रदान होना चाहिए।

4. **निर्देशन(Direction)-** निर्देशन से तात्पर्य है, संगठनों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश एवं दिशा-निर्देश जारी करना तथा बाधाओं को दूर करना। कार्यक्रम के क्रियान्वन से सम्बन्ध निर्देशों में क्रियाविधि नियमों का भी उल्लेख होता है, ताकि निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि संक्षम एवं सुगम ढंग से हो सके। क्रियाविधि नियमों में यह भी वर्णन किया जाता है कि अभिकरण की किसी विशिष्ट गतिविधि से सम्बन्धित किसी प्रार्थना अथवा जाँच-पड़ताल पर किस प्रकार कार्यवाही की जाए। समाज प्रशासन में निर्देश एक विशेष प्रकार का कार्य है, क्योंकि ये लाभ भोक्ताओं को कल्याण सेवाऐं प्रदान करने में संलग्न अधिकारियों को दिशा-निर्देश तथा योग्य प्रार्थियों को कोई लाभ दिये जाने से पूर्व अनुपालित क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्रदान करते है। परन्तु क्रियाविधि की कठोरता से अनुपालन लालफिताशाही को जन्म दे सकता है, जिसमें जरूरतमंद व्यक्तियों को वांछित लाभ प्रदान करने में अनावश्यक देरी तथा परेशानी हो जाती है। समाज प्रशासन के कार्मिकों द्वारा अपने दायित्व पर कोई निर्णय लेने से बचना तथा दायित्व दूसरे पर थोपना व्यक्तियों एवं समुदायों की प्रभावी सेवा को बाधित करने वाला दोष है, जिसके विरूद्ध सुरक्षा की जानी आवश्यक हैं। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों को दिशा-निर्देश देना आवश्यक होता है। निर्देशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- यह देखना है कि कार्य नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप हो रहा है।
- कर्मचारियों की कार्य सम्पादन में सहायता प्रदान करना।
- कर्मचारियों में हीन भावना को समाप्त करना एवं सहयोग की भावना बनाये रखना।
- कार्य का स्तर बनाये रखना।
- कार्यक्रम की कमियों से परिचित होना तथा उसको दूर करने का प्रयास करना।

5. **समन्वय(Co-opiration)-** समन्वय का तात्पर्य एक सामान्य क्रिया, आन्दोलन या दशा को प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न अंगों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना होता है। संस्था में समन्वय के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं- उद्देश्यों तथा क्रियाओं में एकरूपता स्थापित करना तथा किये जाने वाले कार्यों में एकता लाना। लेकिन यह तभी सम्भव है, जब संस्था का प्रत्येक सदस्य सामान्य दृष्टिकोण रखता हो।

प्रत्येक संगठन में कार्य विभाजन एवं विशिष्टकरण होता है। इससे कर्मियों के विभिन्न कर्तव्य नियत कर दिये जाते हैं तथा उनसे प्रत्याशा की जाती है कि वे अपने सहकर्मियों के कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करें। इस

प्रकार प्रत्येक संगठन में कर्मिकों के मध्य समूह भावना से कार्य करने तथा कार्यों के टकराव एवं दोहरेपन को दूर करने का प्रयास किया जाता है। कर्मचारियों में सहयोग एवं टीम वर्क को विश्वस्तरीय करने के इस प्रबन्ध को समन्वय कहते हैं। इसका उद्देश्य सामंजस्य, कार्य की एकता एवं संघर्ष से बचाव को प्राप्त करना है। इसके उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए 'मूने एवं रेले' समन्वय को संगठन का प्रथम सिद्धान्त तथा अन्य सब सिद्धान्तों को इसके अधीन समझते है, क्योंकि यह संगठन के सिद्धान्तों को यौगिक तौर पर प्रकटीकरण करता है। चार्ल्सवर्थ के अनुसार ''समन्वय का अर्थ है, उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई भागों को एक सुव्यवस्थित समग्रता में समेकन।''

न्यूमैन के अनुसार ''समन्वय का अर्थ है, प्रयासों को व्यवस्थित ढंग से मिलाना ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निष्पानदन कार्य की मात्रा तथा समय से ठीक ढंग से निर्देशित किया जा सके।'' समाज कल्याण में समन्वय का केन्द्रीय महत्व है, क्योंकि समाज कल्याण कार्यक्रमों में अनेक मंत्रालय, विभाग एवं अभिकरण कार्यरत है, जिनमें कार्य के टकराव एवं दोहरेपन के दोष पाये जाते हैं, जिससे मानव प्रयास एवं संसाधनों का अपव्यय होता है। इस समय केन्द्रीय स्तर पर कल्याण सेवाओं में कार्यरत छः मंत्रालय हैं तथा कल्याण प्रशासन के क्रियान्वन में विषयों की छिन्न-भिन्नता, अनुदान देने वाले निकायों की बहुलता, संचार में देरी तथा सहयोगी प्रयासों के प्रति विमुखता अधिक दिखाई देती है। स्वयंसेवी संगठन भी कल्याणकारी सेवाओं में कार्यरत है। उनके मध्य तथा उनके एवं सरकारी विभागों के मध्य समन्वय की समस्याऐं जटिल से जटिलतर होती जा रही है। जैसे-जैसे सहायता अनुदानों में उदारता आने के कारण उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही हैं।

विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं स्वयंसेवी संगठनों के मध्य समन्वय को अन्तर-विभागीय एवं विभाग के अन्तर्गत सम्मेलनों, विभिन्न हित समूहों के गैर-सरकारी प्रतिनिधियों को परामर्श हेतु सम्मिलित करके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के समाज कल्याण मंत्रियों तथा विभाग सचिवों का वार्षिक सम्मेलन समाज कल्याण के विविध मामलों और कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन को आश्वस्त करने तथा दोहरेपन से बचने हेतु बुलाता है। संसथागत अथवा संगठनात्मक विधियों तथा अन्तर-विभागीय समितियों एवं समन्वय अधिकारियों, प्रक्रियाओं एवं विधियों के मानकीकरण, कार्यकलापों के विकेन्द्रीकरण आदि के द्वारा भी समन्वय प्राप्त किया जा सकता है। सन् 1953 में स्थापित केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड जिसमें सरकारी अधिकारी तथा गैर-सरकारी सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हैं, को समाज कल्याण कार्यक्रमों में कार्यरत सरकारी संगठनों एवं स्वयंसेवी संगठनों के मध्य उचित समन्वय प्राप्त करने का एक माध्यम बनाया गया है। राज्यीय समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्डों को भी राज्य सरकार एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकलापों के मध्य अन्य कार्य सहित समन्वय लाने तथा दोहरेपन को दूर करने का कार्य सुपुर्द किया गया। परन्तु समन्वय हेतु इन संस्थागत प्रबन्धों के बावजूद भी सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों के क्षेत्राधिकारों के कल्याण कार्यक्रमों में टकराव एवं दोहराव के दोष पाये जाते है। सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकलापों के क्षेत्रों का सुस्पष्ट सीमांकन, कल्याण सेवाओं की समेकित विकास नीति एवं प्रेरक नेतृत्व कल्याणी सम्बन्धी उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति हेतु उचित समन्वय विश्वस्तरीय करने में काफी सहायक होगे।

6. **प्रतिवेदन(Report Writing)-** प्रतिवेदन का अर्थ है, वरिष्ट एवं अधिनस्थ अधिकारियों को गतिविधियों से सूचित रखना तथा निरीक्षण, अनुसंधान एवं अभिलेखों के माध्यम से तत्सम्बन्धी सूचना एकत्रित करना। प्रत्येक समाज कल्याण कार्यक्रम के कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं। संगठन की सोपानात्मक प्रणाली में मुख्य कार्यकारी निचले स्तरों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की नीति, वित्तीय परिव्यय एवं निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समय सीमा से अवगत कराता है। अधीनस्थ कर्मचारी उच्च अधिकारियों को समय-समय पर मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक, लक्ष्यों के सापेक्ष में प्राप्त राशि, एवं सामने आयी समस्याओं, यदि कोई है तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट भेजते हैं। विभिन्न मामलों के समाधान हेतु अभिकरण एवं अन्तर्भिकरण स्तर पर आयोजित सम्मेलनों एवं विचार-विमर्श की सूचना भी भेजी जाती हैं। उच्च अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण उनके कार्यकलापों की जानकारी प्राप्त करने एवं अनियमितताओं को पकड़ने तथा इनको भविष्य में दूर करने हेतु सुझाव देने के लिए समय-समय पर करते हैं। कभी-कभी किसी शिकायत की प्राप्ति पर समाज कल्याण अभिकरणों की गतिविधियों की जाँच-पड़ताल करनी होती है, जिसके निष्कर्षों से सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाता है। कुछ कल्याण संगठन शोधकार्य भी करते हैं, जिसके निष्कर्षों एवं सुझावों को नीतियों एवं कार्यक्रमों में संशोधन अथवा अन्य नये कार्यक्रमों के निर्माण में प्रयोग हेतु प्रतिवेदन कर दिया जाता है।
7. **रिपोटिंग(Reporting)-** सभी समाज कल्याण एजेन्सियां, बिना किसी अपवाद के सम्बन्धित मंत्रालय विभाग को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते है जो राज्य के अध्यक्ष को विधान मण्डल की सूचना हेतु अन्ततः भेज दी जाती हैं। विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों के द्वारा जनता को कल्याण एजेन्सियों के क्रियाकलापों की सूचना मिल जाती है। इस प्रकार रिपोटिंग किसी भी समाज कल्याण प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रतिवेदन के माध्यम से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक निश्चित अवधि में किये गये कार्यों का सांराश लिखा जाता है। एक निश्चित अवधि के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। संस्था के कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने की दृष्टि से प्रतिवेदन का विशेष महत्व है। संस्था में उपलब्ध आलेखों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।
8. **वित्तीय प्रबन्ध(Budgeting)-** वित्तीय प्रबन्ध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा सार्वजनिक अभिकरण की वित्तीय नीति कर निर्माण, विधिकरण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। व्यक्तिवाद के युग में, बजट अनुमानित आय एवं व्यय का साधारण विवरण मात्र था। परन्तु आधुनिक कल्याण राज्य में सरकार के क्रियाकलापों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को आवंटित करती हैं। सरकार अब सकारात्मक कार्यों के द्वारा नागरिकों के सामान्य कल्याण को उत्पन्न करने का एक अभिकरण है। अतएव बजट को अब एक प्रमुख प्रक्रिया समझा जाता है, जिसके द्वारा जन संसाधनों के प्रयोग को नियोजित एवं नियंत्रित किया जाता है। बजट निर्माण वित्तीय प्रबन्ध का एक प्रमुख घटक है, जिसमें विनियोग अधिनियम व्यव का कार्यकारिणी द्वारा निरीक्षण, लेखा एवं रिपोटिंग प्रणाली का नियंत्रण, कोष प्रबन्ध एवं लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं। प्रशासक का कार्य प्रतिवर्ष वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसे अनुमोदित करना होता है। संस्था के लक्ष्यों के अनुरूप ही बजट तैयार किया जाता है। यह संस्था की आय तथा व्यय का कथन होता है।

1.7 सामाजिक प्रशासन की विशेषताऐं

सामाजिक प्रशासन की निम्न विशेषताऐं हैं-

1. **विज्ञान और कला दोनों-** समाजिक प्रशासन, विज्ञान एवं कला दोनों है। एक विज्ञान के रूप में इसमें क्रमबद्ध ज्ञान होता है तथा कला के रूप में सामाजिक प्रशासन में अनेक निपुणताओं व प्रविधियों का प्रयोग होता है।
2. **एक नये विषय के रूप में-** सामाजिक प्रशासन अभी हाल ही में विकसित नया विषय है। यह अभी शैशवावस्था में है। इसकी मान्यताऐं, सिद्धान्त संगठन, कार्यप्रणाली के तरीके, तकनीक व दर्शन अभी तक निश्चित नहीं हो सके हैं।
3. **मानवीय दृष्टिकोण-** सामाजिक प्रशासन मानवीय तत्व पर अधिक जोर देता है। यह लोक प्रशासन की अपेक्षा कम नौकरशाही व अधिक मानवतावादी है। समाज सेवा के अधिकारियों को पर्याप्त नम्रतापूर्ण व्यवहार करना होता है, जिससे असहाय, बीमार, विस्थापित, अपराधी व ऐसे अन्य लोगों को अधिक राहत मिल सके।
4. **निरन्तर एकरूपता की खोज-** सामाजिक प्रशासन जो कार्य सम्पन्न करता है वे किसी सरल व एक रूप संगठन द्वारा सम्पन्न नहीं किये जा सकते। अतः विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग संगठन अपनाये जाते हैं। पर संगठनों की इस विभिन्नरूपता में प्रशासनिक कार्य-कुशलता की दृष्टि से निरन्तर एकरूपता की खोज चलती रहती है।
5. **निजी व सरकारी क्षेत्र का संगम स्थल-** सामाजिक प्रशासन में निजी व सरकारी क्षेत्र दोनों की साझेदारी रहती है। औपचारिक रूप से कल्याणकारी सेवाऐं ऐच्छिक संगठनों द्वारा प्रारम्भ की जाती है। जब उनको सरकारी संगठन द्वारा अपना लिया जाता है तो भी जनसहयोग की प्राप्ति के लिए ऐच्छिक संस्थाओं का महत्व बना रहता है।
6. **सामाजिक पुर्नगठन की** आ**वश्यकता-** सामाजिक प्रशासन की विषय वस्तु मानव जगत है। जिसकी परिस्थितियां, समस्याऐं, आकांक्षाऐं आदि बदलती रहती हैं। अतः समाज कल्याण विभागों का पुर्नगठन होता रहता है।
7. **जनसहयोग की अपेक्षा-** सामाजिक प्रशासन के प्रत्येक कदम पर जनसहयोग की अपेक्षा रहती है। समाज कल्याण की नीतियों व कार्यक्रम तय करते समय सामान्य जनता की इच्छा के अनुरूप निर्णय लिये जाते हैं। जो कार्यक्रम जन इच्छानुसार ना हो वह अप्रजातांत्रिक तो होगा ही, उपयोगी भी नहीं होगा।
8. **निम्न स्तरीय प्रशासन-** इसका सम्बन्ध स्थानीय लोगों की दैनिक जीवन की समस्याओं से हैं। स्थानीय जनता को सम्पूर्ण कल्याण का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। केन्द्र व राज्य स्तरीय अधिकारी केवल इसका निरीक्षण करते हैं।

1.8 अन्य विशेषताऐं

1. सामाजिक प्रशासन में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, चिकित्सा आदि सेवाओं को प्रभावकारी बनाया जाता है।

2. नेतृत्व निर्णय क्षमता, संचार आदि प्रशासकीय प्रक्रिया के अंग हैं।
3. समाजिक प्रशासन में लक्षित समूह को प्रत्यक्ष सेवा बिना भेदभाव के प्रदान की जाती है।
4. समाजिक प्रशासन का केन्द्रीय विषय सामाजिक समस्याऐं हैं।
5. समाजिक प्रशासन सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक कार्यक्रमों का प्रशासन है।

अभ्यास प्रश्न-

1. प्रोफेसर राजाराम शास्त्री का कथन है कि "सामाजिक अभिकरण तथा सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशासन को समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं।" सत्य"/असत्य
2. लूथर गलिक ने समाज प्रशासन के कार्यों का वर्णन करने के लिए 'पोस्डकार्ब' (POSDCORB) सूत्र दिया। सत्य/असत्य
3. क्या सामाजिक प्रशासन कला तथा विज्ञान दोनों है?
4. क्या समाजिक प्रशासन का केन्द्रीय विषय सामाजिक समस्याऐं है?

1.9 सारांश

सामाजिक प्रशासन सामान्य रूप से व्यक्तियों के जीवन को उन्नत करने एवं उनके कुशलता तथा विशिष्ट रूप में निराश्रित, वंचित, अलाभान्वित एवं विशेषाधिकार रहित वर्गों के कष्टों का दूर करने एवं उनकी दशा सुधारने के उद्देश्य से प्रेरित हैं।

समसामायिक परिवेश में समाज कल्याण के विषय को प्रादेशिक, अन्तर्राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर मान्यता भी प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र, संसाधनों के सर्वोत्तम सम्भावित प्रयोग पर बल देता है। इस लक्ष्य की दृष्टि से यह बढ़ती हुई जनसंख्या तथा देहातों से नगरों की ओर प्रवास करने वाले परिवारों की समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक आवास, नगरीय सुविधाओं एवं समाज सेवाओं पर विशेष ध्यान देता है। सामाजिक प्रशासन सामुदायिक विकास, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने, भूमि सुधार कार्यक्रमों तथा युवा समस्याओं, अत्याचार एवं अपराध से प्रभावी तौर पर कार्यवाही करने हेतु सहायता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र अपनी विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों, जैसे- विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ एवं प्रादेशिक आयोगों, जैसे- एशिया एवं पैसेफिक आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के माध्यम से समाज कल्याण प्रशासन, समाज कल्याण नियोजन, युवा, अशक्तों एवं वृद्धों के बारे में नीतियों का अध्ययन करता है।

अतः भले ही सामाजिक प्रशासन का लोक प्रशासन के अंग के रूप में अध्ययन किया जाता है, परन्तु स्वतंत्र विषय का रूप पाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

1.10 शब्दावली

प्रविधियां- तकनीक, अभिकरण- शाखा, लीपिकीय- लेखन सम्बन्धी, अनुरक्षण- देख-भाल या संरक्षण, सम्प्रेषण- संचार, शैशवावस्था- प्रारम्भिक अवस्थाग के बाद का समय

1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य, **2.** सत्य, **3.** हाँ, **4.** हाँ

1.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सोसल वर्क एंड सोसल डब्लपमेन्ट, स्वेता सिंह, रावत पब्लिकेशन।
2. समाज कल्याण प्रशासन एवं विधान(एम0एस0डब्ल्यू0 -08) उ0 मु0 विवि0 हल्द्वानी।
3. लोक प्रशासन,अवस्थी एवं माहेश्वरी, कालेज बुक डिपो।

1.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. सोसल वर्क एण्ड सोसल डब्लपमेन्टम, स्वेता सिंह, रावत पब्लिकेशन।
2. लोक प्रशासन,अवस्थी एवं माहेश्वरी, कालेज बुक डिपो।

1.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. सामाजिक प्रशासन की प्रकृति एवं कार्यों की विस्तार से चर्चा कीजिए।
2. सामाजिक प्रशासन के कार्यों की विस्तार से चर्चा कीजिए।

इकाई- 2 सामाजिक प्रशासन का विकास

इकाई की संरचना

2.0 प्रस्तावना
2.1 उद्देश्य
2.2 सामाजिक प्रशासन: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
    2.2.1 प्राचीन काल
    2.2.2 मध्य काल
    2.2.3 ब्रिटिश काल
        2.2.3.1 ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रशासन
        2.2.3.2 ब्रिटिश ताज द्वारा प्रशासन सम्भालना
2.3 स्वतंत्रता के बाद सामाजिक प्रशासन
2.4 प्रशासन का सामाजिक परिवेश
2.5 सम-सामायिक परिवेश में सामाजिक प्रशासन
    2.5.1 सुशासन
    2.5.2 ई-प्रशासन
2.6 सामाजिक प्रशासन का वर्गीकरण
2.7 सारांश
2.8 शब्दावली
2.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
2.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
2.12 निबन्धात्मक प्रश्न

2.0 प्रस्तावना

सामाजिक प्रशासन उतना ही प्राचीन माना गया है जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ ही सामाजिक प्रशासन की प्रकृति एवं स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन होते रहे हैं। सामाजिक प्रशासन का अध्ययन भी लोक प्रशासन के एक अंग के रूप में ही किया जाता है। हालांकि इसका अध्ययन एक नवीन विषय के अध्ययन के रूप में शामिल किया गया है। किन्तु सामाजिक प्रशासन के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ ही परिवर्तित होता रहा है।

प्राचीन भारत की शासन पद्धति का इतिहास वैदिककाल से आरम्भ होकर सामान्यतः मुगल शासन की स्थापना तक फैला हुआ है। ऐतिहासिक विकास की यात्रा में जहाँ अनेक सामाजिक प्रशासन के संगठन बने और बिगड़े, वहीं इसकी दो विशेषताऐं निरन्तर कायम रही। पहला- सामाजिक प्रशासनिक संगठन की संरचना में प्रारम्भिक इकाई के रूप में ग्राम समाज का महत्व और दूसरा- प्रशासनिक संगठन में केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की

प्रवृत्तियां। अतः यहाँ यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सामाजिक प्रशासन की नींव का आधार ऐतिहासिक सामाजिक प्रशासन ही है।

सामाजिक प्रशासन एवं इसके विविध रूपों जैसे समाज सेवा, समाज सुधार, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रयोग प्रमुख तौर पर 20वीं शताब्दी में हुआ है। परन्तु अपने प्रारम्भिक स्वरूप में यह प्राचीन समाजों में भी उपस्थित थी, क्योंकि आवश्यिकता एवं कठिनाई के समय एक-दूसरे की परस्पर सहायता करने की इच्छा मानव प्रकृति में बसी हुई है।

सामाजिक प्रशासन एक ओर मानव आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बीच और दूसरी ओर सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों के बीच अच्छा सामन्जस्य स्थापित करने के लिए एक नियोचित संस्थात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। सामाजिक प्रशासन सामान्य रूप में व्यक्तियों के जीवन को उन्नत करने एवं उनके कुशलक्षेत्र तथा विशिष्ट रूप में समाज के निराश्रित, वंचित, अलाभान्वित एवं विशेषाधिकार रहित वर्गों के कष्टों को दूर करने एवं उनकी दशा सुधारने हेतु लक्षित है।

वैदिक साहित्य, बौद्ध ग्रन्थ, जैन साहित्य, मनुस्मृति, शुक्रनीति, कौटिल्य आदि की रचनाओं में सामाजिक प्रशासन एवं कार्यों की स्पष्ट झलक प्राप्त होती है।

2.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- सामाजिक प्रशासन क्या है, इससे अवगत हो पायेंगे तथा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में जान पायेंगे।
- सामाजिक प्रशासन का सामाजिक परिवेश और सम-सामायिक परिवेश में सामाजिक प्रशासन क्या है, इससे अवगत हो पायेंगे।

2.2 सामाजिक प्रशासन: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सामाजिक प्रशासन का विकास मानव सभ्यता के साथ-साथ ही समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार ही निरन्तर दृष्टिगत होता रहा है। भारत में लोक कल्याण की परम्परा किसी ना किसी रूप में निरन्तर चली आ रही है। दानशीलता, परोपकारिता, दयालुता एवं उदारता की इसकी परम्परा सारे संसार को ज्ञात है। सेवा भावना जो सामाजिक प्रशासन से निकट से जुड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति एवं समाज का सदैव से मूल आधार रहा है। प्रारम्भिक काल में भारतीय समाज में संयुक्त परिवार एवं समुदाय ऐसे निकाय थे, जो कम भाग्यशाली या कमजोर सदस्यों के प्रति निरन्तर सहायता हेतु प्रेरित थे। परन्तु कालान्तर में भी राज्य व्यवस्था ने भी अपने नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु मान्यता दी।

सिंधु घाटी सभ्यता काल में सामाजिक प्रशासन का निष्कर्ष अधिकांशतः अनुमानों पर आधारित है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहन जोदड़ों और हड़प्पा साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित और सुशासित थी।

2.2.1 प्राचीन काल

भारत में सभी धर्म ग्रन्थों, वेदों, सूत्रों, महाकाव्यों, जातकों स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि समाज एवं प्रजा की सुरक्षा एवं उनके कल्याण को सुनिश्चित करना प्रशासक अथवा राजा का कर्तव्य है। उन्हें अपने समाज तथा लोगों के साथ पिता समान व्यवहार करना चाहिए। मौर्य शासन आधुनिक कल्याणकारी राज्यों के समरूप कल्याणकारी प्रशासन का आदर्श प्रस्तुत करता है। सम्राट अशोक ने राजाज्ञाओं पर अंकित करा रखा था कि सभी मनुष्य उनके बच्चे हैं, जिनका कल्याण एवं सुख इस तथा अन्य संसार में उसे उन्नत करना है। इसी प्रकार उसने अनेक लोकोपकारी सेवाओं की व्यवस्था कर रखी थी। जैसे सिंचाई सुविधाऐं, सड़क निर्माण, रास्तों पर आश्रय प्रदान करने हेतु वृक्षों का रोपण तथा कुओं की खुदाई। उसने जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाओं की भी व्यवस्था कर रखी थी। सड़कों पर कूड़ा, गंदगी एवं लाश फेंकना तथा खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में मिलावट करना कड़ा अपराध था। विपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, अग्नि एवं महामारियों के दौरान राजकोश एवं धनी लोगों पर विशेष करारोपण कर अपनी सामाजिक प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करता था। अनाथों एवं अयोग्यों, निराश्रितों, वृद्धों एवं अशक्तों को खैरात दी जाती थी। जुआ खेलने, नशा करने एवं वेश्यावृत्ति पर कठोर पाबंदियां थी। शिक्षा एवं साहित्य को उचित प्रोत्साहन दिया जाता था।

कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में सामाजिक प्रशासन के उन अवयवों का उल्लेख किया जो उसके प्रशासन की लोक कल्याणकारी राज्य की प्रकृति को स्पष्ट करता है। प्रशासन एवं राज्य स्वयं निर्धनों, गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों, अनाथों, वृद्धों, अशक्तों, निराश्रितों एवं प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता था। यह जानना भी रोचक है कि उसने विवाह-विच्छेद, पृथकीकरण, दूसरी अथवा उत्तरवर्ती शादी के नियमों का निर्माण भी किया था। महिलाओं के सम्मान की रक्षा, अबोध कन्याओं की सुरक्षा तथा वेश्याओं, जुआरियों एवं शराबियों के लिए विनियमों की भी व्यवस्था की थी।

मौर्यकाल के पश्चात गुप्त सम्राटों के युग को सामाजिक प्रशासन के सन्दर्भ में 'स्वर्ण युग' कहा जाता है। इस काल में सामाजिक प्रशासन द्वारा लोकहित के कार्य जैसे अस्पतालों में सबको निःशुल्क औषधि, भोजन एवं अन्य सुविधाऐं प्राप्त थी। हर्ष काल में भिक्षु गृहों, विश्राम गृहों एवं जल स्थानों की राज्य, दानवीर नागरिकों एवं संस्थाओं द्वारा स्थापना हुई। तक्षशिला एवं नालन्दा विश्वविद्यालय जो राज्य द्वारा संरक्षित ज्ञान के सर्वोत्तम केन्द्र थे, जो कि विदेशों से भी विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे।

पुरातन काल के विभिन्न शासकों द्वारा सामाजिक प्रशासन सम्बन्धी सेवाओं की पुष्टि चीनी यात्रियों- फाह्यान, यूवान चित्रांग एवं हयूस्यांग के वृतांतों से होती है।

यह काल सामाजिक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है एवं भविष्य में लोककल्याणकारी प्रशासन को एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

2.2.2 मध्ययुगीन काल

मध्य युगीन काल राजपूतों, सुल्तानों एवं मुगलों के सामाजिक प्रशासन एवं शासन का प्रतिनिधित्व करता है। राजपूत शासकों ने राजकोश को अपनी निजी सम्पत्ति अपनी इच्छाओं एवं तृष्णाओं को पूरा करने में नष्ट कर दिया। इनमें से कुछ एक ने कलाओं एवं साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। बाकि सामाजिक प्रशासन एवं व्यवस्था के स्तर पर असफल ही कहे जा सकते हैं।

अनेक अफगान सुल्तानों ने राजपूतों की भाँति ही व्यवहार किया। किन्तु अलाउद्दीन खिलजी एवं मुहम्मद तुगलक जैसे सुल्तानों ने सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में शिक्षा एवं दानशीलता को प्रोत्साहित एवं उन्नत किया। फिरोजशाह तुगलक एवं शेरशाह सूरी इस युग के ऐसे अपवाद हैं, जिन्होंने सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में जरूरतमंदों एवं बेरोजगारों की सहायता की। निर्धन मुसलमानों की कन्याओं के विवाहों की व्यवस्था की तथा सभी वर्गों के लिए अस्पतालों की स्थापना की।

शेरशाह सूरी को न केवल दक्ष प्रशासकीय एवं सामाजिक न्याय प्रणाली का महानदाता बल्कि सामाजिक व्यवस्था में प्रजा के कल्याण का आदर्श प्रशासक भी कहा गया है। कृषि, सड़क (G.T. Road), पुल आदि का निर्माण जनहित में करवाया। अस्पताल भिक्षु गृहों एवं सुन्दर बाग का निर्माण करवाया जिसके कारण आज भी शेरशाह सूरी को प्रारम्भिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने हेतु उसे आज भी याद किया जाता है।

सभी मुगल शासकों में अकबर का योगदान सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निर्धन माता-पिता को उनकी पुत्रियों के विवाह तथा दहेज के लिए अनुदान देना, अकाल पीड़ित लोगों के मध्य खाद्यानों का वितरण, प्राकृतिक विपदाओं से ग्रस्त लोगों को कर्ज आदि। अकबर सभी धर्मों को सम्मान देते थे। अकबर के उत्तराधिकारी जहाँगीर को सबको सामाजिक न्याय देने का श्रेय जाता है।

मुगल शासन, यद्यपि औरंगजेब जैसे राजाओं के धार्मिक अत्याचारों से भरा हुआ था, फिर भी सामाजिक प्रशासन सेवाओं के प्रति जरूरतमंदों के प्रति चिन्ता को दर्शाते हैं। अतः मुगल शासन को इसका श्रेय अवश्य जाता है।

2.2.3 ब्रिटिश काल

सामाजिक प्रशासन के ब्रिटिश काल को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, पहला- ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रशासन और दूसरा- ब्रिटिश ताज द्वारा प्रशासन संभालना।

2.2.3.1 ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रशासन

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य उसके द्वारा विजित प्रदेशों को संघटित करना, उनका विस्तार करना तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रबन्ध करना था। सामाजिक प्रशासन की ओर इसका ध्यान बहुत कम था। वारेन होस्टिंग ने पहली बार घोषित किया कि सामाजिक प्रशासन एवं जनहित के लिए उन्नत कार्य करना सरकार का दायित्व है। सर चार्ल्स वुड ने स्पष्ट तौर पर घोषित किया कि सामाजिक प्रशासन में लोकशिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। कुछ सामाजिक कार्य, जैसे- सती प्रथा पर प्रतिबन्ध, विधवाओं का पुनः विवाह की अनुमति क्रमश: 1529 एवं 1856 में पारित अधिनियमों द्वारा किये गये।

2.2.3.2 ब्रिटिश ताज द्वारा प्रशासन संभालना

ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा 1857 में ब्रिटिश ताज को शक्ति हस्तांतरण के पश्चात सामाजिक प्रशासन के कार्यों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. **सामाजिक सेवाऐं-** ब्रिटिश सरकार को सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में जनोपयोगी, जैसे- रेल, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, जनस्वास्थ्य एवं आवास आदि का विस्तार करने एवं उनको व्यापक बनाने का श्रेय जाता है। हंटर आयोग ने 1882 में प्रस्तावित किया था कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं उसे

उन्नत किया जाए। प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रायोगिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। निजी उपकरण को सरकारी अनुदान प्रणाली द्वारा उत्प्रेरित किया जाय।

जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'शाही आयोग' 1859 में, जिसे भारतीय सेना की स्वास्थ्य दशाओं का परीक्षण करने हेतु नियुक्त किया गया था, उसने नागरिक जनसंख्या के स्वास्थ्य को सुधारने हेतु भी सिफारिशें की थीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय शिक्षा के प्रशासन एवं व्यवस्थापन हेतु प्रान्तों को स्वायत्ता प्रदान की गयी। परन्तु प्राचीन सरकारों द्वारा सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में किये गये कार्य विशाल देश के लिए अपर्याप्त थे। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सामाजिक प्रशासन की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी।

सामाजिक प्रशासन में आवास सम्बन्धी व्यवस्था पर कोई प्रगति नहीं हुई, फिर भी श्रम जाँच समिति (रेग समिति) ने 1944 में तथा श्रम शाही आयोग ने सिफारिश की थी कि आवास व्यवस्था सरकार, नियोक्ताओं और नगरपालिकाओं का दायित्व होना चाहिए। अतः सामाजिक प्रशासन में आवास सबसे उपक्षित समाज सेवा रही।

2. **समाज सुधार-** ब्रिटिश प्रशासन भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल-विवाह, दहेज प्रथा, महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित रखना, अनुसूचित जातियों का मन्दिर में प्रवेश वर्जित आदि से परिचित थे, इसलिए ब्रिटिश प्रशासन ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु 'शारदा कानून, 1929' आदि का निर्माण किया। यहाँ पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इस काल के दौरान समाज सुधार प्रयासों एवं अधिनियमों पर देसीय समाज सुधारकों (ब्रिटेन में प्राप्त उदार शिक्षा) का प्रभाव था। समाज सुधार संगठनों जैसे- आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इसाई प्रचारकों, ब्रिटेन में कल्याणकारी गतिविधियों के विकास तथा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी के संवेग का अत्यधिक प्रभाव था।
3. **सामाजिक सुरक्षा-** सामाजिक प्रशासन में औद्योगीकरण के आगमन से श्रमिकों के दुर्घटना, मृत्यु, वृद्धायु, बेरोजगारी आदि से जनित अयोग्यता के कारण क्षतिपूर्ति, कार्य समय के नियमन, कार्य करने की संतोषजनक दशा, औद्योगिक सुरक्षा आदि के रूप में सामाजिक प्रशासन एवं व्यवस्था की आवश्यकता को महसुस किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक संगठनों, मजदूर संघ के नेताओं, समाज सुधारकों, प्रगतिशील नियोक्ताओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों ने श्रमिक कल्याण व समुचित सामाजिक सुरक्षा हेतु सामाजिक प्रशासन एवं कानून की व्यवस्था करने को कहा गया। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने श्रम कल्याण हेतु विभिन्न अधिनियम, जैसे- फैक्ट्री कानून 1922, श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून 1923, भारतीय ट्रेड यूनियन 1926 आदि पारित किये।
4. **समाज कल्याण-** ब्रिटिश सरकार ने समाज के लाभान्वित एवं समाज की मूल धारा से दूर, जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों आदि के कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। सिर्फ शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की और यह भी काफी देर बाद 1944 में जब केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। देशी रियासतों जैसे ट्रावनकोर, कोचीन, मैसूर एवं बड़ौदा ने पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु समाज कल्याण उपायों, निःशुल्क शिक्षा-पुस्तकों एवं भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता की व्यवस्था को आरम्भ किया।

ब्रिटिश शासन प्रणाली में सामाजिक प्रशासन अनेक कारकों जैसे- औद्योगिकरण, नगरीकरण, एकल परिवार, प्रदूषण, बेरोजगारी, सामाजिक एवं आर्थिक अन्याय, दो विश्व युद्धों से उत्पन्न विनाश एवं इससे प्रभावित लोग, तीसरे दशक की आर्थिक मन्दी, शक्तिशाली ट्रेड यूनियन आन्दोलन, पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से प्राप्त उदारवाद की भावना, समाज सुधारकों के सतत् प्रयास, उदार प्रजातंत्र की वह मान्यता कि कल्याणवाद ही साम्यवाद के प्रसार को रोक सकेगा आदि से प्रभावित रही।

2.3 स्वतंत्रता के बाद सामाजिक प्रशासन

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय व्यवस्था एवं सामाजिक प्रशासन में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक प्रशासन के प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन हेतु अखिल भारतीय एवं राज्य सेवाओं का विस्तार हुआ तथा प्रशासन के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बढ़े हैं।

स्वतंत्र भारत के राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रशासन की आधारभूमि का स्रोत संवैधानिक सिद्धान्तों में निहित है, जो अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता तथा जाति, लिंग, वर्ग, धर्म आदि के विभेद का निषेध करते हुए समानता प्रदान करने हेतु कृत-संकल्प है। संविधान की प्रस्तावना कल्याणकारी राज्य के सभी तत्वों जैसे- न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व एवं इन सिद्धान्तों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को संरक्षण प्रदान करते हैं, तो वही नीति-निर्देशक तत्व लोककल्याणकारी राज्य हेतु आधार प्रस्तुत करते हैं।

2.4 प्रशासन का सामाजिक परिवेश

एफ0 डब्ल्यू0 रिग्स ने अपनी पुस्तक 'Ecology of Public Administration' में कहा है कि किसी समुदाय का सामाजिक परिवेश उसके संस्थानों, संस्थागत नमूनों, वर्ग जाति सम्बन्धों, ऐतिहासिक वसीयत, परम्पराओं, धर्म, मूल्यों की व्यवस्था, विश्वास, आदर्श जाति पर आधारित होता है। ये समस्त तत्व प्रशासन पर बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं। लोक प्रशासन में मानवीय तत्व का विशेष प्रभाव होता है, इसलिए लोक प्रशासन का मानवीय तत्व समाज विशेष की उपज होता है। विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाऐं और संस्थाऐं लोक-कर्मचारियों के चरित्र की रचना करती हैं। भारत में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि आधारों पर अनेक वर्ग बन जाते हैं। समाज के इन वर्गों को पहचानना तथा उनमें जो वर्ग या जाति पिछड़ी और कमजोर है, उसे विशेष सुविधा देकर समाज की मूल धारा में सम्मानजनक स्थिति तक पहुँचाना प्रशासन का महत्वपूर्ण दायित्व बन जाता है। प्रशासन को केवल कानूनी न्याय के आधार पर ही नहीं चलाया जा सकता है, बल्कि प्रशासन के संचालन हेतु आज सामाजिक न्याय अधिक आवश्यक बन गया है। इसके साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं का लोक प्रशासन की नौकरशाही से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। सामाजिक संस्थाओं का प्रशासन पर निरन्तर दबाब बना रहता है, जिससे प्रशासन सदैव सक्रिय रहता है। दूसरी ओर सामाजिक जागरूकता भी प्रशासन व्यवहार को जनोपयोगी बनाने में सहायता प्रदान करती है। अतः स्पष्ट है कि प्रशासन को सामाजिक परिवेश के अनुसार संचालित करना पड़ता है। समाज प्रशासन के अनुसार नहीं बल्कि प्रशासन समाज के अनुसार संचालित होता है।

भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है। जिसमें विविध सम्प्रदायों के अनुयायी हैं जिनकी विभिन्न भाषा, जाति, धर्म, रहन-सहन व वेशभूषा की अपनी पद्धतियां हैं। इतनी विभिन्नताओं को एक साथ लेकर चलने के लिए हमारी सनातन संस्कृति वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था मुख्य आधार थे। सामाजिक प्रशासन अनेकता में एकता, लोककल्याणकारी योजनाओं के द्वारा सामाजिक असमानता को दूर कर, सशक्त समाज के उद्देश्य से प्रेरित है।

2.5 सम-सामायिक परिवेश में सामाजिक प्रशासन

सम-सामायिक परिवेश में भूमण्डलीकरण के दौर में समाज, शासन एवं प्रशासन के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और सर्वांगीण विकास के लिए एक संवैधानिक ढ़ाँचे की आवश्यकता होती है। मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही शासन के नित नये तरीके खोजे जाते रहे हैं, परन्तु प्रजातंत्र से अच्छा विकल्प आज भी कोई प्रतीत नहीं होता। सम-सामायिक परिवेश में सभ्य समाज या सिविल सोसाइटी की अवधारणा, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक सन्दर्भों में काफी लोकप्रिय हुआ है। सभ्य समाज के निम्नलिखित विशेषताऐं होती हैं-

1. यह एक सामाजिक स्थान या क्षेत्र है, जहाँ तर्क एवं ज्ञान के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं व विकल्प बनाये जाते हैं।
2. यह समाज के सदस्यों को किसी भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के बिना उन्मुक्त रूप से जोड़ता है।
3. यह किसी प्रकार राज्य या शक्ति पर आधारित सत्ता से स्वतंत्र होता है।
4. सभ्य समाज की मूलभूत पहचान यह है कि वह समाज वैधानिकता के दायरे में स्वतंत्रता प्राप्त तथा स्व-संगठित समूहों से परिपूर्ण होता है।

संचार एवं सूचना क्रांति के इस काल में शासन अथवा प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। शासन में सुशासन की अवधारणा एवं प्रशासन में ई-प्रशासन का आरम्भ सम्पूर्ण विश्व में व्यवहारिक रूप से स्थापित हो चुका है।

2.5.1 सुशासन

शासन एक प्रक्रिया है, जबकि सुशासन एक विशेषण युक्त शब्द है जो अपने आप में कुछ मूल्यों को समेटे हुये हैं। सुशासन को प्रजातांत्रिक ढ़ाँचे में दक्ष और प्रभावी प्रशासन से जोड़ा जाता है। यह उद्देश्य जनक तथा विकासोन्मुख प्रशासन के समान है, जो कि जन-सामान्य के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कटिबद्ध है। ऐसा शासन जिससे जन-सामान्य की सुविधाऐं बढ़ सकें, उसके जीवन में सुधार हो सके, उसे विकास व आगे बढ़ने के समान अवसर तथा उचित परिवेश प्राप्त हो सके। भयमुक्त, भेदभाव रहित, उच्च मानवीय मूल्यों के समाज की रचना हो सके, सुशासन कहलायेगा। सुशासन, प्रशासन के उच्चपदीय गुणों को स्थापित करने उसके दुर्गुणों व कुरीतियों को दूर करने का कार्य है। संक्षेप में सुशासन दक्ष, साखयुक्त और वैधानिक प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना करता है, जो कि नागरिक, मित्र, मूल्यों को ध्यान में रखने वाली तथा लोक भागीदारी से परिपूर्ण है।

2.5.2 ई-प्रशासन

शासन और प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग ई-प्रशासन है। ई-प्रशासन एक ऐसी अवधारणा है जो केवल सरकारी तंत्र से ही सम्बन्धित नहीं बल्कि इसमे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा अन्य आयोग भी शामिल हैं। व्यापक अर्थों में किसी भी संगठन में सामाजिक तंत्र के विविध पक्षों को नियंत्रित, विकसित, पोषित एवं समन्वित रखने के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ही ई-प्रशासन है। विश्व बैंक के अनुसार ई-प्रशासन सरकारी अभिकरणों द्वारा सूचना तकनीकों के प्रयोग का सूचक है और यह नागरिकों, व्यापारों एवं अन्य सरकारी अंगों के साथ सम्बन्धों को रूपान्तरित करने की क्षमता रखता है। ई-प्रशासन मूल रूप से स्मार्ट (Smart) शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि सामाजिक प्रशासन की प्रकृति मानव सभ्यता एवं विकास के साथ परिवर्तित हुआ है। हालांकि सामाजिक प्रशासन के माध्यम एवं व्यवस्था समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार भले ही परिवर्तित होते रहें हैं। किन्तु उद्देश्य हमेशा ही सामाजिक उत्थान व लोककल्याण ही रहे हैं।

2.6 समाजिक प्रशासन का वर्गीकरण

भारत में समाज कल्याण का कार्य प्राचीन काल से ही शैक्षिक आधार पर ही होता आया है। मध्य काल में कतिपय शासकों द्वारा जनहित में कुछ कार्य किये जाते थे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया तथा जनहित को शासन का दायित्व स्वीकार किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र व अन्य संगठनों तथा प्रजातांत्रिक देशों ने समाज कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये। वर्तमान में भारत में विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं को उनके प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

1. अन्तर्राष्ट्रीय समाज कल्याण प्रशासन।
2. केन्द्रीय समाज कल्याण प्रशासन।
3. राज्य स्तरीय समाज कल्याण प्रशासन।
4. शासन द्वारा सहायता प्राप्त अनुदान द्वारा समाज कल्याण करने वाली पंजीकृत गैर-सरकारी संस्थाओं का प्रशासन।
5. अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त अनुदान द्वारा समाज कल्याण करने वाली पंजीकृत गैर-सरकारी संस्थाओं का प्रशासन।
6. निजी संस्थाओं के द्वारा किये जाने वाले समाज कल्याण का प्रशासन।
7. स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले समाज कल्याण का प्रशासन।

अभ्यास प्रश्न-

1. किसी व्यवस्था, नियम या विधियों को वैज्ञानिक तरीके से सुचारू रूप से संचालित करना ही प्रशासन है। सत्य/असत्य
2. आर्थर डनहम ने प्रशासन को सुविधाऐं प्रदान करने वाली क्रियाओं से जोड़ा है। सत्य/असत्य।

3. कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में सामाजिक प्रशासन के उन अवयवों का उल्लेख किया जो उसके प्रशासन की लोक कल्याणकारी राज्य की प्रकृति को स्पष्ट करता है। सत्य/असत्य
4. ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा ब्रिटिश ताज को शक्ति हस्तांतरण किस वर्ष किया?
5. सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु किस कानून का निर्माण किया?
6. एफ0 डब्ल्यू0 रिग्स ने अपनी पुस्तक 'Ecology of Public Administration' है। सत्य/असत्य
7. क्या शासन और प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग ई-प्रशासन है?

2.7 सारांश

सामाजिक प्रशासन के विकास के क्रम में उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि इसका आरम्भ दान, परोपकारिता एवं सहभावना से हुआ। सभी धर्मों में उसके भक्तों को आदेश दिया गया था कि अपनी आय का कुछ भाग परोपकारी कार्यों के लिए निकाल कर रखें, जिससे उन्हें दूसरी दुनिया में मोक्ष एवं इस संसार में सुख मिल सके।

समसामायिक युग में विकास की प्रक्रिया और गति ने सामाजिक प्रशासन में कल्याण के आयामों को प्रभावित किया प्रतीत होता है। फलतः जो सामाजिक प्रशासन एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक प्रक्रिया के रूप में चल रहा था। धीरे-धीरे वह अब एक अनौपचारिक पद्धति-अधिकाधिक और स्वैच्छिक के रूप में बदल गया है। हमारा प्रभुता सम्पन्न और प्रजातांत्रिक गणतंत्र अब लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने तथा उसे एक सर्वाभ्युदयवादी देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य से यह आशा की जाती है कि वह असमानताओं, न्यूनाधिकताओं, हानियों और अकल्याण की स्थितियों में रैगुलेशन, वितरण और अनुदान के द्वारा सुधार लाये।

अतः स्पष्ट है कि देश विदेश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां प्रशासन को ना केवल प्रभावित करती हैं, अपितु उसकी कार्य प्रणाली एवं ढ़ाँचे को नया रूप प्रदान करती है। सामाजिक प्रशासन का विकास भी इन्हीं परिस्थितियों से परस्पर क्रिया करते हुए ही विकसित हुआ है।

2.8 शब्दावली

नवीन- नया, निराश्रित- आश्रय या सहारा ना होना, नियोजित- व्यवस्थित, विशेषाधिकार- विशेष या अलग से मिले अधिकार, सामूहिक गत्यात्मकता- सामुहिक या समुह के साथ चलना, जातक स्मृतियां- जन्म की यादें, लोक कल्याणकारी राज्य- समाज के लोगों का हित करने वाला राज्य, जनोपयोगी- लोगों के लिए उपयोगी, प्रोद्योगिकी शिक्षा- तकनीकि शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा- विदेशी शिक्षा, सम-सामयिक परिवेश- वर्तमान समय, कटिबद्ध- अटल या प्रण, ई-प्रशासन- इलेक्ट्रानिक प्रशासन

2.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य, **2.** सत्य, **3.** सत्य, **4.** 1857 में, **5.** 1882 में, **6.** शारदा कानून, **7.** सत्य, **8.** हाँ

2.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. समाज कल्याण प्रशासन और विकास, संजय भट्टाचार्या, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
2. विकास का समाजशास्त्र, शिवबहल सिंह, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

3. समाज कल्यामण प्रशासन एवं विधान(एम0एस0डब्ल्यू0- 08) उ0 मु0 विवि0 हल्द्वानी।

2.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. समाज कल्याण प्रशासन और विकास, संजय भट्टाचार्या, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
2. विकास का समाजशास्त्र, शिवबहल सिंह, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
3. भारतीय प्रशासन, बी0 एम0 शर्मा।

2.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. सामाजिक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विस्तृत विवेचना कीजिए।
2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रगति पर एक लेख लिखिए।

इकाई- 3 समाजिक कल्याणकारी राज्य और प्रशासन

इकाई की संरचना

3.0 प्रस्तावना
3.1 उद्देश्य
3.2 कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति एवं विकास
3.3 कल्याणकारी राज्य- अर्थ एवं परिभाषा
3.4 कल्याणकारी राज्य की विशेषताऐं
3.5 भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में
3.6 प्रशासन
    3.6.1 प्रशासन के कार्य
    3.6.2 प्रशासन के विषय
3.7 समाज कल्याण प्रशासन की प्रक्रिया
    3.7.1 वित्तीय प्रक्रिया
3.8 सारांश
3.9 शब्दावली
3.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
3.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
3.13 निबन्धात्मक प्रश्न

3.0 प्रस्तावना

आधुनिक युग में मनुष्य के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी नाना प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित समाजों में रहे। संगठनात्मक जीवन को नियंत्रित तथा प्रभावपूर्ण रूप से चलाने के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। सरकार समाज के सामूहिक उत्तरदायित्व की पूर्ति का साधन होती है तथा सरकारों का गठन समाज में पाई जाने वाली संस्कृति तथा सभ्यता के विकास की अवस्था के अनुसार ही किया जाता है। उदाहरण के लिए एक आदिवासी समाज में कबीले के मुखिया का शासन होता था, तो वर्तमान औद्योगिक समाजों में प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन होता है। आधुनिक युग में प्रत्येक राज्य अपने को कल्याणकारी राज्य कहलाना चाहता है, क्योंकि व्यक्तियों का हित सामाजिक हित के साथ अनुरूपता की स्थिति में नहीं होता है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए समाज को प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रयास करने पड़ते हैं।

समाज अपनी शासन व्यवस्था को एक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करते हुए इस प्रकार का सामंजस्य लाने का प्रयास करता है। कल्याणकारी राज्य वह राज्य है, जिसमें सरकार का उद्देश्य आन्तरिक तथा वाह्य सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त जनकल्याण के लिए काम करना होता है। एक कल्याणकारी राज्य से इस बात की

अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य द्वारा कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और जनता सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालती है कि वह परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकताग्रस्त विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करें।

3.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- कल्याणकारी राज्य क्या है तथा इसकी उत्पत्ति एवं विकास के विषय में जान पायेंगे।
- कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं और भारत कैसे एक लोक कल्याकणकारी राज्य है, इसके विषय में जान पायेंगे।
- प्रशासन के कार्य और विषय के सम्बन्ध में जान पायेंगे।

3.2 कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति एवं विकास

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक अधिकांश राज्य 'पुलिस राज्य' के रूप में पाये जाते थे। उनका प्रमुख कार्य कानून व व्यवस्था को बनाये रखना था। जनकल्याण के कार्य वे अपनी इच्छा से किया करते थे तथा इस प्रकार के कल्याण कार्यक्रमों के लिए जनता इन राज्यों पर दबाव नहीं डाल सकती थी। जन कल्याण का कार्य मुख्यतः व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा स्वेच्छापूर्वक किया जाता था। आधुनिक राजनीतिक विचारकों में सर्वप्रथम लास्की ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य से हटाकर कल्याणकारी राज्य की ओर आकर्षित किया। किन्तु इसके पहले भी राज्यों ने अनेक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य किये थे। जैसे- इंग्लैण्ड की महारानी एलिजाबेथ का निर्धन कानून, फ्रान्स के सम्राट नेपोलियन तृतीय के वयस्क मताधिकार, श्रमिक संगठनों की मान्यता, वेतन वृद्धि जैसे कल्याण कार्य, जर्मनी के विस्मार्क द्वारा बीमारी, दुर्घटना, वृद्धों और अपाहिजों के लिए की गई बीमे की व्यवस्था इत्यादि। भारतवर्ष में राज्य द्वारा कल्याण कार्यक्रमों के आयोजित किये जाने की अपेक्षा बहुत पुराने समय से की जाती रही है। महाभारत में यह कहा गया है कि ''मुझे राज्य, स्वर्ग अथवा पुनर्जन्म नहीं चाहिए, किन्तु मैं दुःख से पीड़ित प्राणियों की पीड़ा को दूर करना चाहता हूँ'' (उर्सेकर, 1968:5)। याज्ञवल्क्य ने राजाओं को यह आदेश दिया था कि वे प्रजा की रक्षा अपने बच्चों की भाँति करें (उर्सेकर, 1968:5)। कालिदास रचित 'रघुवंश' में किये गये वर्णन के अनुसार राजा जनता के कल्याण के लिये लोगों से कर उसी भावना को ध्यान में रखते हुए वसूलते थे, जैसे कि सूर्य पृथ्वी को वर्षा से लाभान्वित करने के लिए इसकी नमी को लेता है (अध्याय 1, श्लोक 18)। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि राजा द्वारा अनाथों, वृद्धों, अशक्तों, बीमारों और असहायों के भरण-पोषण की व्यवस्था की जानी चाहिए और उसे गर्भवती स्त्रियों एवं नवजात शिशुओं को जीवित रखने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। (शास्त्री, 1929:46) इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्रत्येक अच्छा राजा अपनी प्रजा के कल्याण में अभिरूचि लेता था और समाज भी राजा से ऐसी ही आशा करता था।

हाल के वर्षों में कल्याणकारी राज्य की विचारधारा प्रमुख रूप से औद्योगिक क्रान्ति तथा लोकतंत्रीय आदर्शों के कारण स्पष्ट और व्यापक हुई हैं। समय-समय पर घटित होने वाली घटनाओं तथा सामने आने वाले विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुष्पित एवं पल्लवित किया। उदाहरण के लिए फ्रान्स की क्रान्ति से

स्वतंत्रता, समानता तथा मातृत्व के विचार प्राप्त हुए; बेन्थम तथा उसके शिष्यों के उपयोगितावादी दर्शन से 'अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख' का विचार प्राप्त हुआ; बिस्मार्क तथा बेवरिज से सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा की अवधारणाऐं प्राप्त हुई और फेबियन समाजवादियों से मौलिक उद्योगों तथा आवश्यक सेवाओं के सरकारी स्वामित्व का सिद्धान्त प्राप्त हुआ; टाउनी ने सामाजिक क्रिया के प्रमुख स्रोत के रूप में लालच के परित्याग तथा समानता पर बल दिया; जे0 एम0 कीन्स तथा 'माइनॉरिटीज रिपोर्ट ऑफ दि पुअर लॉ कमीशन' द्वारा व्यापार चक्र को नियंत्रित करने तथा व्यापक बेकारी से बचने के लिए आवश्यक विचार प्राप्त हुए। सिडनी तथा बीट्रिस वेब द्वारा निर्धारण के कारणों पर प्रहार करने की बात कही गयी। लिओनार्ड हाबहाउस से लेकर रिचर्ड टिटमस तक के अनेक विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से सम्बन्धित अपने अनेक विचार प्रदान किए।

3.3 कल्याणकारी राज्य- अर्थ एवं परिभाषा

कल्याणकारी शब्द के साथ राज्य शब्द का जोड़ा जाना इस बात का परिचायक है कि राज्य कल्याण के क्षेत्र में एक सक्रिय भूमिका अदा करता है। अपने स्थूलतम रूप में कल्याणकारी राज्य ऐसे सभी प्रकार्यों को सम्मिलित करता जाता है, जो सैन्य क्रिया को छोड़कर मानव कल्याण की उपलब्धि के लिए समाज में हस्तक्षेप को जन्म देते हैं। अधिक विशिष्ट रूप में इसे उन सरकारी हस्तक्षेपों के रूप में जाना जाता है जो चिकित्सकीय देख-रेख, आवास, शिक्षा, नगद भुगतानों (जैसे जन सहायता अथवा सैनिकों को लाभ) तथा वैयक्तिक समाज सेवाओं (जैसे मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, दिन के समय में देख-रेख और भौतिक पुर्नवास के कार्यक्रम) से सम्बन्धित है। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा निम्न विद्वानों ने व्यक्त की है।

जी0 डी0 एच0 कोल के अनुसार ''एक ऐसे समाज के रूप में की है जिसमें एक आशान्वित न्यूनतम जीवन स्तर एवं अवसर प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो जाते हैं।''

प्रोफेसर हाबमैन के अनुसार ''कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियमित व्यक्तिवाद की दो चरम सीमाओं के मध्य स्थित है। इस प्रकार अपनी अपूर्ण अपूर्णताओं के बावजूद यह एक मानवतावादी एवं प्रगतिशील समाज के लिए प्रतिमान निर्धारित करता है। यह व्यक्तिगत उद्यमों के प्रलोभनों को दूर किए बिना एक न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन देता है और करों के द्वारा आय का एक सीमित पुनर्वितरण करता है, फिर भी अपने नागरिकों में आर्थिक समानता स्थापित करने का दावा नहीं करता है। यह आवश्यकता पड़ने पर सभी लोगों को समुचित सहायता का आश्वासन देता है चाहे वह निर्धनता, बीमारी, वृद्धावस्था, बेकारी अथवा किसी कारण से है।''

निकोलस रेग्स के अनुसार, ''कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य के उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन है।''

टी0 डब्ल्यू0 केण्ट के अनुसार, ''कल्याणकारी राज्य, वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है।''

अतः कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों के प्रजातांत्रिक अधिकारों का संरक्षण करते हुए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर विभिन्न प्रकार की समाज कल्याण समाज सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभावपूर्ण आयोजन का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, ताकि प्रत्येक

व्यक्ति को एक न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन दिया जा सके और विविध प्रकार की मानव निर्मित असमानताओं को दूर किया जा सके।

3.4 कल्याणकारी राज्य की विशेषताऐं

कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताऐं संक्षिप्त में निम्नलिखित हैं-

1. कल्याणकारी राज्य में न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन।
2. कल्याणकारी राज्य समाज में आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहता है।
3. कमजोर वर्गों को अधिकार के रूप में विशेष प्रावधान व सहायता उपलब्ध कराना।
4. शैक्षिक व्यवस्था का उदार एवं स्वतंत्र स्वरूप।
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना का लागू किया जाना।
6. व्यक्तियों को अपने कार्य चयन की स्वतंत्रता।
7. सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों का विकास।
8. व्यापक प्रशासकीय व्यवस्था का होना।
9. मिश्रित अर्थव्यवस्था का होना।
10. प्रत्येक प्रक्रिया के संचालन का लोकतांत्रिक तरीका।

3.5 भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसका आधार भारतीय संविधान है। संविधान की प्रस्तावना ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रति कटिबद्ध है जो संक्षिप्त में इस प्रकार है, ''भारतवर्ष सम्प्रभुता सम्पन्न समाजवादी, पन्थनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है।''

भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है। जिनमें समानता का अधिकार अनुच्छेद- 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद- 19 से 22 तक, शोषण के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद- 25 से 28 तक, संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अनुच्छेद- 29 व 30 तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद- 32 से 35 तक व्याख्यायित है। संविधान में वर्णित राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (अनुच्छेद- 38 से 51 तक) भारतवर्ष को लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं जिनमें कुछ अनुच्छेद के प्रावधान निम्न हैं-

1. अनुच्छेद- 39(9), राज्य समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।
2. अनुच्छेद- 40, ग्राम पंचायतों को संगठित करने की व्यवस्था की गई है।
3. अनुच्छेद- 41, कुछ स्थितियों में नागरिकों को काम, शिक्षा तथा जन सहायता प्रदान करने हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है।
4. अनुच्छेद- 42, काम को न्याय संगत तथा मनोचित दशाओं से युक्त बनाने तथा मातृत्व सहायता प्रदान करने का प्रावधान।
5. अनुच्छेद- 43(अ), उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान।

6. अनुच्छेद- 44, नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता का प्रावधान।
7. अनुच्छेद- 45, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
8. अनुच्छेद- 46, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य दुर्बल-वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था का प्रावधान आदि है।

इन नीति निर्देशक तत्वों में से अभी भी राज्य को बहुत कुछ करना बाकी है, जबकि मौलिक अधिकार बाध्यकारी रूप से प्राप्त है, उनका उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए मात्र निर्देश हैं।

3.6 प्रशासन

कल्याणकारी राज्य में प्रशासन शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। परन्तु वास्तविक रूप में इसका प्रयोग ऐसे क्रियाकलापों जो किसी सामाजिक अभिकरण द्वारा प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक एवं प्रासंगिक है, को सुलभ बनाने एवं समर्थन प्रदान करने के व्यापक अर्थ के रूप में किया जाता है। किसी समाज कल्याण संगठन अथवा राज्य के प्रशासकीय क्रियाकलापों में सभी कुछ नीति निर्माण, अर्थ निर्धारण, नियोजन, कार्यकारी नेतृत्व एवं व्यावसायिक पर्यवेक्षण से लेकर नैतिक क्रियाऐं जैसे- पत्र लिखवाना, रिकॉर्ड एवं लेखों को रखना एवं गृह प्रबन्धन तथा अनुरक्षण सेवाऐं सम्मिलित हैं।

3.6.1 प्रशासन के कार्य

प्रशासन के निम्नलिखित कार्य हैं-

1. **नियोजन-** नियोजन का अर्थ है, भावी लक्षित कार्य की रचना। इसमें वर्तमान दशाओं का मूल्यांकन, समाज की समस्याओं एवं आवश्यकताओं की पहचान, लघु अथवा दीर्घ अवधि के आधार पर प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य एवं लक्ष्य तथा वांछित साक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों का चित्रण निहित है। भारत में योजना आयोग के स्थापना काल से तथा सन् 1951 में नियोजन प्रक्रिया के आरम्भ से समाज कल्याण नीतियों, प्रोग्रामों एवं प्रशासकीय संयंत्र पर यद्यपि आरम्भ में अधिक बल नहीं दिया गया, परन्तु उसके बाद क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में उन्हें उचित वांछित स्थान दिया गया है। नियोजित विकास के गत चार दशकों के दौरान समाज कल्याण को योजना के एक घटक के रूप में महत्व प्राप्त हुआ है, जैसा योजनाओं में परिलक्षित है। उदाहरणतया प्रथम योजना में राज्यों से लोगों के कल्याण हेतु सेवाऐं प्रदान करने के लिए बढ़ती हुई भूमिका का आह्ववाहन किया गया। दूसरी योजना में पीड़ित-वर्गों को समाज सेवा के धीमी गति के कारणों पर तथा तीसरी योजना में महिला एवं बाल देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, विकलांग सहायता, स्वयंसेवी संगठन को सहायता अनुदान आदि पर बल दिया गया।
2. **संगठन-** संगठन से तात्पर्य किसी निश्चित उद्देश्य हेतु मानवीय प्रयासों का सचेतन समेकन है। इसमें आत्मनिर्भर अंगों को क्रमबद्ध तौर पर इकट्ठा करके एक एकीकृत समष्टि का रूप दिया जाता है, जिसके माध्यम से सत्ता, समन्वय एवं नियंत्रण का प्रयोग देय उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। संगठन औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है।

3. **कार्मिक(स्टाफिंग)-** अच्छे संगठन की स्थापना के बाद, प्रशासन की दक्षता एवं गुणवत्ता प्रशासन में सुप्रस्थापित कार्मिकों की उपयुक्तता से प्रभावित होती है। दुर्बल तौर पर संगठित प्रशासन को भी चलाया जा सकता है, यदि इसका स्टाफ सुप्रशिक्षित, बुद्धिमान, कल्पनाशील एवं लगनशील हो। इस प्रकार स्टाफ शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार के संगठनों का अनिवार्य भाग है। भर्ती, चयन, नियुक्ति, वर्गीकरण, प्रशिक्षण, वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण, उत्प्रेरणा एवं मनोबल, पदोन्नति, आचार एवं अनुशासन, सेवानिवृत्ति, संघ एवं समितियाँ बनाने का अधिकार, इन सब समस्याओं की उचित देखभाल आवश्यक है। ताकि कर्मचारी अपने कार्यों का निष्पादन एवं संगठन का अच्छा स्वरूप प्रस्तुत कर सकें।
4. **निर्देशन-** संगठन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश एवं दिशा-निर्देश जारी करना तथा बांधाओं को दूर करना।
5. **समन्वय-** प्रत्येक संगठन में कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण होता है। इससे कार्मिकों के विभिन्न कर्तव्य नियत कर दिये जाते हैं तथा उनसे की जाती है कि वे अपने सहकर्मियों के कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करें। प्रत्येक संगठन में टीम भावना से कार्य करना एवं परस्पर समन्वय पूर्ण वातावरण बनाये रखने का प्रयास किया जाता है।
6. **रिपोर्टिंग-** रिपोर्टिंग का अर्थ है, वरिष्ठ एवं अधीनस्थ अधिकारियों की गतिविधियों से सूचित रखना तथा निरीक्षण, अनुसन्धान एवं अभिलेख के माध्यम से तत्सम्बन्धी सूचना एकत्रित करना। विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों द्वारा जनता को कल्याण एजेंसियों के क्रियाकलापों की सूचना मिल गयी है। इस प्रकार यह प्रशासन का महत्वपूर्ण घटक है।
7. **बजटिंग-** आधुनिक कल्याणकारी राज्य में बजट को एक प्रक्रिया समझा जाता है, जिसके द्वारा जन-संसाधनों के प्रयोग को नियोजित एवं नियंत्रित किया जाता है। बजट निर्माण प्रबन्ध का एक प्रमुख घटक है जिसमें विनियोग अधिनियम, व्यय का कार्यकारिणी द्वारा निरीक्षण, लेखा एवं रिपोर्टिंग प्रणाली का नियंत्रण, कोष प्रबन्ध एवं लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं।

3.6.2 प्रशासन के विषय

प्रशासन अच्छा अथवा बुरा हो सकता है जो उन कार्मिकों की लगनशीलता, योग्यता एवं बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। प्रशासन में प्रमुख महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं- कार्मिकों का चयन, वर्गीकरण एवं प्रबन्ध, निधियों का प्रबन्ध, संचार, रिकार्ड, जन-सम्पर्क, व्यावसायिक सेवाऐं और नियोजन।

3.7 समाज कल्याण प्रशासन की प्रक्रिया

समाज कल्याण प्रशासन प्रक्रिया में प्रक्रिया समान उद्देश्य प्राप्ति के लिए समूह के पारस्परिक प्रयत्नों को सुविधाजनक बनाती है। प्रशासन प्रक्रिया निम्नांकित प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग में लायी जाती है-

1. प्रशासनिक विधि, प्रक्रिया, कार्य की प्रगति और परिणाम का समय-समय पर मूल्यांकन होना चाहिए।
2. संस्था के उद्देश्यों और कार्यक्रमों सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठे करने निर्णय लेने में सहायता करना।
3. उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर आवश्यकताओं का विश्लेषण करना।

4. पूर्वानुमान के आधार पर संस्था के कार्य के लिए बहुत सी वैकल्पिक तकनीकों का प्रक्रियाओं में से एक का चुनाव करना।
5. वैकल्पिक प्रक्रिया के प्रयोग के द्वारा संस्था की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की व्यवस्था करना।
6. संस्था के कार्य के आधार के अनुरूप आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, कार्य बंटवारा आदि की व्यवस्था करवाना।
7. संस्था की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित उपायों, क्रिया विधियों और तकनीकों के निरन्तर प्रयोग की व्यवस्था करना।
8. कार्य विधि के दौरान कार्य को सुदृण बनाने के लिए आकड़ों का संग्रह, अभिलेखन और विश्लेषण करना।
9. सार्वजनिक धनराशि के सदुपयोग हेतु वित्तीय क्रियाविधियों का निर्धारण करना और उनको क्रियान्वित करना।
10. संचार और प्रभावशाली जन-सम्पर्क की व्यवस्था करवाना।
11. समय-समय पर कार्य और प्रयोग में लायी जाने वाली विधियों का मूल्यांकन करना।

3.7.1 वित्तीय प्रक्रिया

यद्यपि संस्था के वित्तीय मामलों का दायित्व प्रबन्ध समिति पर होता है, जो कोषाध्यक्ष के माध्यम से इसे कार्यान्वित करती है, तथापि बजट बनाने की संस्था के मुख्य कार्यपालक को पहल करना चाहिए। यदि संस्था के अनेक अनुभाग अथवा शाखाऐं हों, तो उन सब के अनुमानित व्यय का ब्यौरा प्राप्त करना चाहिए और फिर उसका इकट्ठा विवरण तैयार करना चाहिए। कर्मचारी-वर्ग और कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे कार्यालय में अगामी वर्ष के कार्यक्रमों सम्बन्धी वित्तीय आवश्यकताओं के विषय में सम्पूर्ण टिप्पणी रखते जाऐं। ऐसा करते समय, संस्था के वित्तीय स्त्रोतों की क्षमता और कार्यक्रमों के विस्तार और सुधार के प्रस्तावों को ध्यान में रखना चाहिए।

उपलब्ध सामग्री के आधार पर बजट मसौदे पर कर्मचारियों की बैठक में विचार करने के बाद उसे अंतिम रूप देकर कोषाध्यक्ष के द्वारा प्रबन्ध समिति के सामने पेश किया जाना चाहिए। प्रबन्ध समिति के द्वारा अनुमोदित बजट की सामान्य सभा से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। प्रबन्ध समिति द्वारा बजट उप-समिति बनाई जानी चाहिए, जिसमें वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ लेखा निरीक्षण, लेखाकार तथा मूल्यांकन पद्धति का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए। कोषाध्यक्ष इस समिति का प्रधान और मंत्री इसका मंत्री होना चाहिए।

बजट बनाने से पहले संस्था के आय-व्यय का ब्यौरा मदों के अनुसार बनाना चाहिए। बजट के दो भाग होते हैं- आय और व्यय। बजट निम्नलिखित खण्डों में बनाया जाना चाहिए-

- पिछले वर्ष का अनुमानित आय-व्यय ।
- पिछले वर्ष का वास्तविक आय-व्यय।
- चालू वर्ष का वास्तविक आय-व्यय।
- अगामी वर्ष का अनुमानित आय-व्यय।

बजट के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी तैयार करनी चाहिए, जिसमें पिछले वर्ष से अधिक और कम अनुमानों के कर दिये जाने चाहिए और यह भी बताया जाना चाहिए कि मदों पर अतिरिक्त व्यय के लिए धन कहाँ से प्राप्त किया जाये? यदि कोई नया कार्यक्रम चालू करना हो अथवा वर्तमान कार्यक्रम में सुधार अथवा विस्तार करना हो, तो उसके लिए अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी देनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न-

1. क्या 19वीं शताब्दी के अन्त तक अधिकांश राज्य पुलिस राज्य के रूप में थे?
2. टी0 डब्ल्यू0 केण्ट के अनुसार "कल्याणकारी राज्य, वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है।'' सत्य /असत्य
3. क्या कल्याणकारी राज्य व्यक्तियों को अपने कार्य चयन की स्वतंत्रता प्रदान करता है?
4. भारतीय संविधान एक कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। सत्य/असत्य
5. क्या प्रशासन का प्रबन्ध, निधियों का प्रबन्ध करना है?

3.8 सारांश

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एक नवीन अवधारणा है। आज विश्व के अनेकों राष्ट्र अपने को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। विकसित देशों के संविधान एवं राज्य अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की गारन्टी देते हैं। जबकि विकासशील लोक कल्याणकारी राज्य समाज कल्याण को नागरिकों के मौलिक आवश्यकताओं के पूर्ति के सन्दर्भ में समझने का प्रयास एवं कार्य कर रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अमेरिका सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम जैसे बेरोजगारी के विरूद्ध सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935, ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय बीमा योजना के अधीन बेरोजगारी, बीमारी, चोट, प्रसूति, सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु की दशा में नगद लाभ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कुछ अपवादों को छोड़कर अपने नागरिकों को निःशुल्क सेवा आदि। भारत एक विकासशील देश है और लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण समाज कल्याण हेतु अनेकों कदम उठाये हैं। जैसे श्रम कल्याण हेतु फैक्ट्री कानून 1922, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून 1923 आदि। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधवा पेंशन योजना, अन्य जैसे शिक्षा का मौलिक अधिकार, महिलाओं के प्रति लैंगिक हिंसा हेतु पास्को एक्ट 2012 आदि। उपर्युक्त विवेचना एवं व्याख्या से स्पष्ट है कि लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर एवं न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण हेतु प्रशासन के द्वारा नीति निर्माण, नीति निर्णयन एवं नीति क्रियान्वयन को लोक कल्याणकारी राज्य मान्यता देते हैं।

3.9 शब्दावली

नाना प्रकार- अनेक प्रकार, कल्याणकारी राज्य- लोगों का/जनता का हित करने वाले राज्य, पुलिस राज्य- वो राज्य जो मात्र नियम-कानूनों का पालन करता हो, स्थूलतम रूप- बड़ा या विराट रूप में

3.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. हाँ, **2.** सत्य, **3.** हाँ, **4.** सत्य, **5.** हाँ

3.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. लोक प्रशासन, विष्णु भगवान, एस0 चॉंद पब्लिकेशन।
2. भारत का संविधान, डी0 डी0 बसु।
3. समाज कल्याण प्रशासन एवं विधान(एम0एस0डब्ल्यू0 - 08) उ0 मु0 विवि0 हल्द्वानी।
4. भारत का संविधान, सुभाष कश्यप।

3.12 सहायक/उपयोगी सामग्री सामग्री

1. लोक प्रशासन,विष्णु भगवान, एस0 चॉंद पब्लिकेशन।
2. भारत का संविधान, डी0 डी0 बसु।
3. भारत का संविधान, सुभाष कश्यप।

3.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. कल्याणकारी राज्य का अर्थ, विकास एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
2. भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इस सन्दर्भ का उल्लेख करते हुए विवेचना कीजिए।

इकाई- 4 सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय

इकाई की संरचना

4.0 प्रस्तावना
4.1 उद्देश्य
4.2 सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा
4.3 सामाजिक परिवर्तन की विशेषताऐं
4.4 सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान
4.5 सामाजिक परिवर्तन के प्रकार
4.6 सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका
4.7 सामाजिक न्याय की अवधारणा
4.8 सामाजिक न्याय का सामाजिक कानून से सम्बन्ध
4.9 सामाजिक न्याय एवं नागरिक अधिकार
4.10 सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार
4.11 सामाजिक न्याय और इसके लाभ के विषय
4.12 सारांश
4.13 शब्दावली
4.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
4.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
4.16 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
4.17 निबन्धात्मक प्रश्न

4.0 प्रस्तावना

परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समाज, समूह तथा सामाजिक व्यवस्था में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। मैरिल ने इस सम्बन्ध में कहा है कि मानव सभ्यता का सम्पूर्ण इतिहास सामाजिक परिवर्तन का ही इतिहास है। यह एक वास्तविकता है, कि समाज कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। आदि काल में असभ्य मानव समाज परिवर्तन के कारण ही आज वर्तमान में सभ्य तथा आधुनिक समाज का निर्माण हो पाया है। किसी भी समाज में परिवर्तन या तीव्र गति से होता है या धीमी गति से। परन्तु प्रत्येक समाज में परिवर्तन की प्रवृत्ति निरन्तर चलती रहती है। परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका स्वरूप एवं पद्धतियां समाज की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। सामाजिक परिवर्तन जहाँ एक ओर समाज के विकास एवं प्रगति में अपना विशेष योगदान देता है, वहीं कभी-कभी अनेकों प्रकार की समस्याऐं भी परिलक्षित होने लगती हैं। प्रो0 ग्रीन ने इस सम्बन्ध में कहा है कि ‘‘सामाजिक परिवर्तन समाज में सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि प्रत्येक समाज मे कुछ ना कुछ मात्रा में असन्तुलन बना रहता है।’’

सामाजिक न्याय की बात व्यक्ति के सामाजिक विकास के साथ ही बलवती होती रही है। समाज में वर्गों के विभाजन ने सामाजिक असमानता को जन्म दिया, जिसके चलते समाज में सामाजिक न्याय की मांग होने लगी। सामाजिक न्याय को समाज में पायी जाने वाली ऐसी स्थिति के रुप में देखा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने के लिए अपेक्षित अवसर प्राप्त होते हैं। सामाजिक न्याय के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं और क्षमताओं के आधार पर अपने कार्य सम्पादित करने के अधिकार प्राप्त हाते हैं। समाज में व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्यों के परिणामस्वरुप प्राप्त होने वाले लाभों में उन्हें साम्यपूर्ण हिस्सा प्राप्त हो सके तथा ऐसे व्यक्तियों को जो कार्य करने के योग्य नहीं हैं अथवा कार्य करने के योग्य नहीं बनाये जा सकते, ऐसे व्यक्तियों को भी समाज में एक सम्मानजनक स्तर प्राप्त हो सके। सामाजिक न्याय के अन्तर्गत यह तय किया जाता है।

4.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- सामाजिक परिवर्तन के सामान्य विशेषताओं और प्रकारों के विषय में जान पायेंगे।
- सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख भूमिका को समझ पायेंगे।
- सामाजिक न्याय की अवधारणा जान सकेंगे।
- सामाजिक विधान व सामाजिक न्याय के बीच सम्बन्ध को विस्तृत कर सकेंगे।
- सामाजिक न्याय के लाभों और संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों के विषय में जान पायेंगे।

4.2 सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा

सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाले अनेकों परिवर्तनों को कहा जाता है, जिन्हें हम महसूस करते हैं तथा ये परिवर्तन हमें स्पष्ट दिखलायी देते हैं। संक्षिप्त शब्दों में किसी पूर्व अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में पैदा होने वाले भिन्नता को ही परिवर्तन कहा जाता है।

सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग-अलग परिभाषाऐं दी हैं, जो निम्नांकित हैं-

मैकाइवर तथा पेज के शब्दों में, "समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध केवल सामाजिक सम्बन्धों के अध्ययन से है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते है।"

किग्सले डेविस के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है, जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होते है।"

गिन्सबर्ग के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढ़ाँचे में परिवर्तन होना है। अर्थात समाज के आकार इसके विभिन्न अगों के बीच के सन्तुलन अथवा समाज के संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है।"

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन से है, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण हों, सांस्कृतिक उपकरणों, जनसंख्या के रूप अथवा विभिन्न सिद्धान्तों के कारण हों अथवा एक समूह में अविष्कार या संस्कृति के प्रसार से उत्पन्न हुए हों।"

जेन्सन के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीको में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है।"

एच0 टी0 मजूमदार के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन समाज की क्रिया अथवा लोगों के जीवन में प्राचीन ढंग को विस्थापित अथवा परिवर्तिक करने वाला नवीन शोभाचार अथवा ढंग है।"

मैरिल एवं एल्ड्रज के शब्दों में, "सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि समाज के अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं जो उसके पूर्वजों से भिन्न है।"

एण्डरसन एवं पार्कर के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन में समाजकीय प्रकारों अथवा प्रक्रियाओं की संरचना अथवा क्रिया में परिवर्तन निहित है।"

गर्थ तथा मिल्स के कथनानुसार, "सामाजिक परिवर्तन के द्वारा हम उसे संकेत करते हैं, जो समय के साथ-साथ कार्यों, संस्थाओं अथवा उन व्यवस्थाओं में होता है,जो सामाजिक संरचना एवं उनकी उत्पत्ति, विकास एवं पतन से सम्बन्धित है।"

जी0 के0 अग्रवाल के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र व्यापक है समाज से हमारे सभी व्यवहार किसी ना किसी सामाजिक नियम से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार जब कभी भी सामाजिक नियमों, मूल्यों अथवा सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन के तत्व स्पष्ट होने लगते हैं, तब सामाजिक व्यवस्था का रूप भी बदलने लगता है। परिवर्तन की इस दशा को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि समाज में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का सम्बन्ध मानव समूह के सामाजिक सम्बन्धों एवं सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों से है। सभी समाजशास्त्रीयों का मानना है कि जब सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है तो वह समाज के अन्य पक्षों में भी अपना प्रभाव डालता है। जिससे सामाजिक नियम, मूल्य तथा सामाजिक दशाऐं परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है।

4.3 सामाजिक परिवर्तन की विशेषताऐं

प्रत्येक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है। व्यक्तियों के विचारों एवं व्यवहारों में भिन्नता होने के कारण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इसकी कुछ सामान्य विशेषताओं को निम्नांकित आधार पर समझा जा सकता है-

1. **सार्वभौमिक प्रक्रिया-** सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कोई भी समाज सदैव एक समान या स्थिर नहीं रह सकता है। समय के साथ उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। किसी समाज में परिवर्तन तीव्र गति से होता है तो किसी में धीमी गति से होता है।
2. **सामुदायिक परिवर्तन का गुण-** सामाजिक परिवर्तन किसी एक व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन को नहीं कहा जाता, बल्कि जब सम्पूर्ण समूह के सामाजिक सम्बन्धों, अन्तरक्रियाओं तथा सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों में परिवर्तन होने लगता है, तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। कहने का

आशय यह है कि जब सामुदायिक रूप से परिवर्तन होता है तो वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। जिससे समाज के प्रत्येक भाग में भी परिवर्तन होता है।

3. **निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया-** सामाजिक परिवर्तन एक स्वभाविक प्रक्रिया है जो समाज में निरन्तर चलती रहती है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं में बदलाव के कारण होने वाले परिवर्तन सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन लाते हैं। अतः यह प्रक्रिया किसी भी समाज या समूह में निरन्तर परिवर्तन लाता रहता है।
4. **निश्चित भविष्यवाणी का अभाव-** प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार, मनोवृत्तियां एवं विचार व मूल्य समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं तथा सामाजिक परिवर्तन भी उन्हीं के अनुरूप होते हैं। अतः परिवर्तनशीलता का गुण होने के कारण सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में कोई भी निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।
5. **सामाजिक परिवर्तन समान नहीं होता-** यद्यपि सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन निरन्तर गति से होता रहता है, परन्तु वास्तविक रूप में सामाजिक परिवर्तन की गति प्रत्येक समाज में समान नहीं होती। किसी एक समाज में यदि परिवर्तन तीव्र गति से होता है तो यह आवश्यक नही हैं कि दूसरे समाज में भी परिवर्तन उसी गति से हो।

4.4 समाजिक परिवर्तन के प्रतिमान

मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन के तीन प्रतिमानों का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं-

1. **प्रथम प्रतिमान-** इसके अर्न्तगत हम उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते है जो एकाएक हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे- नवीन आविष्कारों से सम्बन्धित परिवर्तन, ये परिवर्तन एक बार उत्पन्न होने के बाद निरन्तर कुछ ना कुछ परिवर्तन उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि बहुत से दूसरे व्यक्ति उस आविष्कार में सुधार भी करते है। टेलीफोन, वायुयान, रेडियो और इसी प्रकार के बहुत से आविष्कारों का इतिहास यदि देखा जाए तो स्पष्ट हो जायेगा कि इन आविष्कारों के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन केवल आकस्मिक नहीं होता, बल्कि गुणात्मक रूप से यह अनेक नये परिवर्तन उत्पन्न करता रहता है। ये परिवर्तन तब तक होते रहते हैं, जब तक किसी दूसरे और पहले से अच्छे उपकरण का आविष्कार ना हो जाये। लेकिन परिवर्तन की यह श्रृखला किसी ना किसी रूप में निरन्तर बनी रहती है। ऐसे परिवर्तनों को रेखीय परिवर्तन कहा जा सकता है।
2. **द्वितीय प्रतिमान-** परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान वह है,जिसमें कुछ समय तक तो परिवर्तन प्रगति की ओर होता है, लेकिन इसके बाद इसकी दिशा समृद्धि तथा ह्रास, किसी भी ओर मुड़ सकती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आरम्भ में परिवर्तन की रेखा ऊपर की ओर उठेगी, लेकिन कुछ समय बाद इसके ऊपर-नीचे होते रहने के बाद अन्त में नीचे की ओर जाने की भी संभावना हो सकती है। इस प्रकार इसे उतार-चढ़ावदार परिवर्तन कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए- आर्थिक क्रियाओं और जनसंख्या सम्बन्धी परिवर्तन में यही प्रतिमान देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नगरों का पहले विकास होता है फिर ह्रास। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पहले लाभप्रद होता है और फिर

अक्सर ह्रासोन्मुख हो जाता है। आर्थिक क्रियाओं में समृद्धि, स्थिरता और अवसाद की परिस्थितियां सदैव किसी ना किसी तरह उत्पन्न होती रहती हैं। इस प्रकार प्रथम प्रतिमान में कम से कम यह निश्चितता जरूर रहती है कि परिवर्तन एक ही दिशा में होगा, जबकि दूसरे प्रतिमान में इस प्रकार की कोई निश्चितता नहीं होती।

3. **तृतीय प्रतिमान-** परिवर्तन के तृतीय प्रतिमान की प्रकृति दूसरे प्रतिमान से कुछ मिलती-जुलती होती है। अन्तर केवल इतना है कि दूसरे प्रतिमान में प्रगति अथवा ह्रास का तत्व विद्यमान होता है। लेकिन इस तीसरे प्रतिमान में हम प्रगति अथवा ह्रास के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे परिवर्तनों का सम्बन्ध साधारणतया मनोवृत्तियों और विचारों के परिवर्तन से होता है। इस प्रतिमान को यदि रेखा के रूप में प्रस्तुत किया जाये तब इसका रूप एक तरंग अथवा लहर के समान होगा। जैसे- प्राकृतिक परिवर्तन एक निश्चित क्रम में पाये जाते हैं। नक्षत्रों की स्थिति, ऋतुओं के समय और मनुष्य की जीव-रचना में होने वाले परिवर्तन इसी श्रेणी में आते है। जिस प्रकार समुद्र में लहर उठने के समय का ना तो इसका कोई निश्चित स्रोत मालूम किया जा सकता है और ना ही एक निश्चित अन्त। लेकिन फिर भी लहरों का आना-जाना लगभग एक निश्चित क्रम में बना रहता है। उसी प्रकार अनेक विद्वानों ने मानवीय कार्यों, व्यवहारों तथा राजनैतिक क्रियाओं के परिवर्तन को इसी प्रतिमान के आधार पर स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए हम रूढ़िवादी से प्रगतिवादी और पुनः रूढ़िवादी स्तर की ओर बढ़ जाते हैं। फैशन की एक वस्तु छोड़कर दूसरी का प्रचार करते हैं, फिर पुरानी वस्तु ग्रहण कर लेते हैं। स्वतन्त्रता से परिपूर्ण व्यवस्थाओं को अनुचित समझकर सामाजिक नियंत्रण को कठोर कर देने के पक्ष में हो जाते हैं। इस प्रकार ऊपर नीचे होते हुए भी परिवर्तन एक ही क्रम में स्पष्ट होते हुए देखे गये हैं।

4.5 सामाजिक परिवर्तन के प्रकार

जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। समाज के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन अलग-अलग तरह से होता है अतः सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों को निम्नांकित आधार पर समझा जा सकता है।

1. **सामाजिक प्रकार-** किसी भी समाज या समूह के सामाजिक सम्बन्धों या समाज की संरचना में जब परिवर्तन होने लगता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता के आधार पर स्पष्ट किया है। सोरोकिन का मानना है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक तथ्य अथवा सामाजिक मूल्य का संक्रमण होना है। अथवा किसी भी उस वस्तु का संक्रमण होना है जो मनुष्य के प्रयत्न द्वारा निर्मित अथवा संशोधित हो।

   इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब किसी भी समाज में समाज या व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या संरचना में परिवर्तन होने लगता है तथा यह परिवर्तन व्यक्ति के विभिन्न पक्षों को भी परिवर्तित करे तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है।
2. **सांस्कृतिक प्रकार-** किसी भी समाज की संस्कृति उस समाज को व्यवस्थित एवं संगठित रखने में अपना विशेष योगदान देती है। जब संस्कृति में परिवर्तन होने लगता है तो वह समाज के अन्य पक्षों में

भी अपना प्रभाव डालती है। धर्म, नैतिकता, प्रथाऐं, परम्पराऐं, रूढ़ियां, लोकाचार आदि में होने वाले परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह परिवर्तन सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं।

3. **आर्थिक प्रकार-** कार्ल मार्क्स ने आर्थिक प्रकार को सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख आधार माना है। मार्क्स का मानना है कि जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो यह समाज के कई पक्षों को भी परिवर्तित कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में जब आर्थिक पक्ष जैसे- उत्पादन प्रक्रिया, सम्पत्ति का स्वरूप एवं वितरण, व्यवसायगत परिस्थितियां, आर्थिक रूप से स्तरीकरण एवं प्रतिस्पर्द्धा, साथ ही श्रम विभाजन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं।
4. **राजनीतिक प्रकार-** जैसा कि आप जानते हैं कि समाज तभी संगठित रह सकता है, जब उस पर पूर्ण रूप से सत्ता का नियंत्रण होता है। राज्य एक ओर समाज को नियंत्रित रखता है, वहीं सामाजिक विकास कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। राज्य की कई सरकारी तथा गैर-सरकारी कल्याणकारी नीतियां एक ओर समाज को विकसित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कानून एवं दण्ड व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति तथा व्यक्ति के व्यवहार को भी नियंत्रित रखती है।
5. **भौगोलिक प्रकार-** किसी भी समाज को वहाँ की भौगोलिक दशाऐं विशेष रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि व्यक्ति का रहन सहन, खान-पान तथा उसके जीवन स्तर पर वहाँ की भौगोलिक दशाओं का विशेष प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन से समायोजन एवं अनुकूलन करने के लिए व्यक्ति अपने व्यवहार एवं विचारों में भी परिवर्तन लाता है, जिससे सम्पूर्ण समाज एवं समूह में भी परिवर्तन होने लगता है।

4.6 सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका

जैसा कि सर्वविदित है कि किसी भी समाज या समूह में सामाजिक परिवर्तन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन जहाँ एक ओर समाज के विकास एवं प्रगति में अपना विशेष सहयोग देती है, वहीं दूसरी ओर विघटन तथा असन्तुलन की स्थिति भी उत्पन्न करती है। अतः सामाजिक परिवर्तन को उपयोगी तथा प्रभावपूर्ण बनाने में सामाजिक नियंत्रण की विशेष भूमिका होती है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के व्यवहार एवं विचारों पर नियंत्रण रखकर समाज को संगठित एवं सन्तुलित रखने में सहयोग प्रदान करता है। सामाजिक परिवर्तन होने की दशा में जब समाज के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन होता है तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर, मनोवृत्तियों, विचारों एवं व्यवहार के ढंग में भी परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। अतः यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस होती है। सामाजिक नियंत्रण समाज में होने वाले परिवर्तनों को समाज के लिए उपयोगी बनाने में सहयोग देता है तथा समाज को सन्तुलित एवं संगठित रखने मे लिए समस्त परिवर्तनों को समाज में व्यवस्थित रखने की दिशा में परिवर्तित करता है।

4.7 सामाजिक न्याय की अवधारणा

सामाजिक न्याय का अभिप्राय सामान्यतः समतावादी समाज या संस्था की स्थापना करने से है जो समानता, एकता तथा भाईचारा के सिद्धान्तों पर आधारित हो। मानवाधिकारों के मूल्यों को समझती हो तथा प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा को पहचानने में सक्षम हो।

सामाजिक न्याय व इसकी वर्तमान अवधारणा सर्वप्रथम सन् 1840 में जेसुइट लुइगी टपरेली ने थामस एक्वैनस की शिक्षण विधियों के आधार पर दी थी। पुनः सामाजिक न्याय को 1848सन् में एन्टोनियो रोसमिनी-सरवाती ने भी इसी रूप में परिभाषित किया।

सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में अनेक विद्वानों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, जिन्हें मुख्यतः तीन रूपों में व्यक्त किया जा सकता है जो निम्नवत हैं-

1. **सामाजिक अनुबन्ध स्वरूप-** इस मत के अनुसार जो ज्यादा उत्पादक होगा, वह ज्यादा सुख प्राप्त करेगा, साथ ही जो उत्पादक नहीं होगा, वह कष्ट सहेगा तथा वह समाज से बाहर हो जायेगा। परन्तु अपनी खामियों के चलते यह मत सर्वव्यापी नहीं है।
2. **व्यवहारिक स्वरूप-** इस मत के अनुसार, समाज वह संस्था है, जो अपने सदस्यों के लिये व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वस्तुयें उपलब्ध कराता है। प्रत्येक सदस्य इसमें अकेला होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा उत्पादित करना है।
3. **सम्मान स्वरूप-** इस मत के अनुसार, समाज व्यक्तियों के लिये सामाजिक व्यवस्थाओं के माध्यम से सम्मान का भाव निहित रखता है। समाज में सभी लोग समान हैं तथा संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है। समाज का यह कर्तव्य है कि वह सभी को सुखी रहने का समान अवसर प्रदार करे। इसी मत के आधार पर मूल अधिकार, राजनीतिक समानता, अधिकारों का बिल आदि पारित हुये तथा अस्तित्व मे आये।

सामाजिक न्याय मानवाधिकारों एवं समानता की अवधारणा पर आधारित है। तथा साथ ही प्रगतिशील करों, आय तथा सम्पत्ति पुनर्वितरण के माध्यम से आर्थिक समतावाद को सम्मिलित करती है। सामाजिक न्याय सभी व्यक्तियों हेतु समान अवसर व सही परिस्थिति की अवस्था है। सामाजिक न्याय में भौतिक साधनों का समान वितरण, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास सम्मिलित होता है। इसका उद्देश्य असमानता को हराकर तथा अस्वीकार करके समाज का पूर्ण रूप से उत्थान करना है। इसके दो लक्ष्य होते हैं- अन्याय का अन्त और व्यक्ति के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि स्तरों पर असमानता का अन्त।

सामाजिक न्याय के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं-

- वंचित एवं शोषित व्यक्तियों को सुखी व समृद्ध जीवन प्राप्त कराना तथा सामाजिक जीवन के प्रति उनके योगदान को उचित सम्मान व ध्यान देना।
- आय व सम्पत्ति का सम्बन्ध सीधे कार्य व मेहनत से होना तथा यह पीढ़ी दर पीढ़ी आधारित हस्तान्तरित नहीं होने देना।
- व्यक्तियों को सही अवसर देकर आर्थिक असमानता कम करना तथा व्यक्तियों के सुख व क्षमता को प्रोत्साहित करना।

- शिक्षा व स्व-विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराना।
- एक राजनैतिक मतलब हेतु ही सामाजिक न्याय का प्रयोग ना होने देना।
- जन आवश्यकताओं के अनुसार ही उत्पादन एवं सेवाओं को उपलब्ध कराना व उनका प्रबन्धन करना।

4.8 सामाजिक न्याय का सामाजिक कानून से संबंध

सामाजिक कानून को बनाने का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने से है तथा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अथवा अवधारणा की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती, जब तक उस राज्य में सामाजिक न्याय अनुपस्थित हो। समय-समय पर संसद में सामाजिक कानूनों को लागू करने का ध्येय संविधान द्वारा प्रदत्त मानव अधिकारों की सुरक्षा करना व उनका शोषण ना होने देने के लिये है। सामाजिक न्याय समानता, एकता तथा भाईचारे की भावना में समाहित होती है। सामाजिक न्याय के वृहत् विचारधारा में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक समानता शामिल होती है। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण स्वतन्त्र अधिकार है तथा जाति, वर्ग या रंग के आधार पर किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। हम की भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति समाज में सबको अपने से जुड़ा हुआ महसूस करता है तथा अपने लिये इस प्रकार विकास हेतु प्रयत्न करता है कि पूरे समाज का भी विकास उसमें निहित हो। कोई भी व्यक्ति समाज में दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है तथा उसे भी व्यक्ति विशेष समझता है। सामाजिक न्याय को सामाजिक कानून से जोड़ते हुये व्यक्ति कभी यह नहीं समझता कि वह जो कुछ भी कह रहा है अथवा कर रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है तथा सब उससे छोटे हैं, बल्कि वह सबको साथ लेकर विकास कार्य में अपनी भी सहभागिता देता है तथा अपने सहभागी की इच्छा भी कार्य में निहित करता है। ऐसा करके जहाँ वह साथी की प्रतिष्ठा बनाये रखता है, वहीं सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुसार समाज में किसी भी व्यक्ति विशेष का सामाजिक, आर्थिक, दैहिक व मानसिक शोषण भी रूक जाता है।

आर्थिक न्याय का अभिप्राय इस आशय से है कि उत्पादन की प्रक्रिया में किसी एक व्यक्ति विशेष के नियन्त्रण में दूसरे व्यक्तियों का जीवन नहीं होना चाहिये। व्यक्तियों को अपनी इच्छा व क्षमता से कार्य करने का अधिकार होना चाहिये तथा प्रत्येक को उसकी मेहनत और शिक्षा के अनुसार पुरस्कार मिलना चाहिये।

सामाजिक सेवाऐं व्यक्तियों की योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होनी चाहिये। यदि उत्पादन की प्रक्रिया किसी व्यक्ति विशेष के ही हाथ में रहेगी या केवल नियन्त्रण एक ही हाथ में आधारित होगा तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि वह मनमाने ढंग से दूसरों का शोषण करेगा तथा संविधान के द्वारा व्यक्ति को प्रदत्त अधिकारों का हनन होगा। सामाजिक न्याय की अवधारणा व्यक्ति को संसाधनों पर समान अधिकार प्रदान करने से है।

राजनैतिक न्याय से तात्पर्य इस बात से है कि प्रत्येक व्यक्ति को नीति निर्धारण व नीति निर्माण में समान अवसर व समान अधिकार मिलने चाहिये। सभी को राजनैतिक सामर्थ्य हासिल करने के लिये समान अवसर प्राप्त होना चाहिये तथा यह राजनैतिक शक्ति सभी के विकास के लिये होनी चाहिये। सभी व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु स्वतन्त्र होने चाहिये तथा साथ ही जनहित में संगठन बनाने हेतु सभी सक्षम होने चाहिये। सरकार में सभी की समान सहभागिता होनी चाहिये तथा जनता द्वारा चुनी गयी सरकार को जनहित में कार्य करना चाहिये। संसद में लिये गये फैसले व नीतियाँ साथ ही सरकारी कार्यक्रमों का लक्ष्य समाज का शोषित, दबा हुआ, वंचित

और गरीबतम-वर्ग होना चाहिये, जिससे अन्य लोगों की भाँति वह भी अपने व अपने परिवार की विकास की बात सोच सके तथा सरकार की ओर से दी गयी मदद को उचित प्रकार के विकास कार्य में लगा सके। सामाजिक कानून के तहत चलाये जा रहे सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक रक्षा, सामाजिक सहायता जैसे मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम सामाजिक न्याय के तहत ऐसे लोगों के लिये बनाये गये हैं जो समाज के सबसे निम्न वर्ग से नाता रखते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनैतिक हो या सामाजिक हो तथा उन्हीं को समाज में समान अधिकार व विकास हेतु समान अवसर दिलाने की बात सामाजिक न्याय करता है।

4.9 सामाजिक न्याय एवं नागरिक अधिकार

सामाजिक न्याय एवं नागरिक अधिकार में निकटता को हम निम्नलिखित विन्दुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं-

1. सभी मानव स्वतन्त्र पैदा हुए हैं तथा प्रतिष्ठा एवं अधिकारों में समान है।
2. किसी के भी साथ अमानवीय व्यवहार, क्रूरता नहीं की जा सकती, ना ही किसी को सताया या दण्डित करने का किसी को अधिकार है।
3. कानून के सामने सभी समान हैं तथा बिना किसी भेदभाव के कानून की सुरक्षा के हकदार हैं।
4. किसी को मनमाने ढंग से उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।
5. सभी अपने विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु स्वतन्त्र हैं।
6. किसी को भी मनमाने ढ़ग से जबरदस्ती कैदी नहीं बनाया जा सकता।
7. किसी की भी गोपनीयता, परिवार अथवा घर में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और ना ही किसी के सम्मान पर आघात किया जा सकता है।
8. सभी को प्रत्येक राज्य की सीमा में घूमने व घर बनाने का स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त है।
9. सभी को अपने देश की जन-सुविधाओं/सेवाओं को समान रूप से पाने का अधिकार है।
10. राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
11. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
12. चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
13. राज्य में मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।

14. राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

15. राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और ना केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

16. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

17. राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

18. राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाऐं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

19. राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

20. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें।

21. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करें।

22. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

23. देश की रक्षा करे और आह्वाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

24. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

25. हमारी संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।

26. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

27. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

28. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

29. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

30. यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

4.10 सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार

समाज में आपसी सद्-भाव, भाईचारा, दूसरों के प्रति आदर-भाव, परस्पर समझ के माध्यम से शान्ति एवं सद्-भाव बनाये रखने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सामाजिक न्याय की कल्पना की गयी है। किसी का कोई अहित ना कर सके, ना ही किसी व्यक्ति को शोषित अथवा विकास से वंचित कर सके, इस हेतु भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक हेतु व्यवस्था प्रदान की गयी है। ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की पवित्र धारणा व सिद्धान्तों को समाज द्वारा आत्मसात करने हेतु यह आवश्यक है कि समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि दुर्भावनाओं पर आधारित भेदभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो। समानता की स्थिति को बिना सोचे व व्यवहार मे लाये, ''हम की भावना'' का स्थायित्व कल्पना मात्र है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु यह आवश्यक है कि समाज में सभी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का लाभ प्राप्त करें।

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग पहचान उपलब्ध कराते हैं। व्यक्ति की स्वयं में महत्ता को समझकर उसे समाज में प्रतिष्ठा बनाये रखने हेतु व्यक्तिगत अधिकारों को उपलब्ध कराना तथा साथ ही उसकी उचित विकास की भावना का ध्यान रखना मानवाधिकारों का उद्देश्य है। व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन किसी भी सूरत में ना होने पाये, इस हेतु मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, जिसका कार्य मानवाधिकारों की पहुँच प्रत्येक तक सुनिश्चित कराना है तथा यदि ऐसे मामले संज्ञान में आये जहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है अथवा हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जाँच करके दोषी को कानूनी रूप से दण्ड दिलाना है।

सामाजिक न्याय की भावना ध्यान में रखकर, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त प्रमुख मानवाधिकार निम्नवत हैं-

1. सभी मानव स्वतन्त्र पैदा है तथा प्रतिष्ठा एवं अधिकारों में समान है तथा उन्हें आपस में एक-दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिये।
2. सभी को स्वतन्त्रता पूर्वक जीने तथा सुरक्षा का अधिकार है।
3. कोई दास नहीं रख सकता, दासता व इसके सारे अवयव प्रतिबन्धित है।
4. किसी के भी साथ अमानवीय व्यवहार, क्रूरता नहीं किया जा सकता, ना ही किसी को सताया या दण्डित करने का किसी को अधिकार है।
5. सभी को कानून के समक्ष प्रत्येक जगह एक व्यक्ति की भाँति पहचान पाने का अधिकार है।
6. कानून के समझ सभी समान है तथा बिना किसी भेदभाव के कानून की सुरक्षा के हकदार हैं। ऐसे अधिकार के हनन से बचाव हेतु बिना किसी भेदभाव के सभी को सुरक्षा के पूर्ण अधिकार है।
7. यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, जो कि इसे संविधान अथवा कानून द्वारा प्रदत्त है, का हनन हो रहा है तो उसे राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के समक्ष इसके सक्षम उपाय हेतु अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
8. किसी को भी मनमाने ढ़ग से जबरदस्ती कैदी नहीं बनाया जा सकता।
9. सभी को अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों को जानने तथा अपने ऊपर लगे अपराधिक दोषों के लिये निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र न्याय प्रणाली द्वारा जन सुनवाई प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

10. दण्डनीय अपराध द्वारा अभियोजित सभी व्यक्तियों को, उनके बचाव हेतु प्रदत्त आवश्यक न्याय-प्रक्रिया द्वारा जब तक दोष सिद्ध ना हो जाय, कानून के अनुसार तब तक अपराधी नहीं माने जाने का अधिकार है।
11. किसी की भी गोपनीयता, परिवार अथवा घर में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और ना ही किसी के सम्मान पर आघात किया जा सकता है। सभी को इस प्रकार के आघातों के प्रत्युत्तर में बचाव का कानूनी अधिकार है।
12. सभी को प्रत्येक राज्य की सीमा में घूमने व घर बनाने का स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त है। सभी को अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़ने व फिर वापस आने का अधिकार है।
13. सभी को राष्ट्रीयता का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसके राष्ट्रीयता परिवर्तित करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
14. जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के आधार पर बिना किसी बाध्यता के वयस्क पुरूषों व महिलाओं की शादी करने तथा परिवार पाने का अधिकार है। दोनों को शादी करने को व इसको भंग करने हेतु समान अधिकार प्राप्त है। शादी पति-पत्नी की पूर्ण व स्वतन्त्र राय तथा सहमति पर ही होगी। परिवार, समाज की प्राकृतिक एवं मौलिक समूह इकाई है तथा राज्य व समाज इसकी सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है।
15. सभी को एकल रूप से अथवा दूसरों के साथ संघ बनाकर अपनी सम्पत्ति बनाने का अधिकार है।
16. किसी को मनमाने ढंग से उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।
17. सभी को स्वतन्त्र रूप से अपनी बुद्धि का प्रयोग करने, सोचने व धर्म सम्बन्धी अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत धर्म अथवा विचार-परिवर्तन तथा स्वतन्त्र रूप से स्वयं अथवा समुदाय के अन्य व्यक्तियों के साथ धर्म व विचार की शिक्षा, पूजा-अर्चना, उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है।
18. सभी अपने विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु स्वतन्त्र है। इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के विचारों को ग्रहण करने की स्वतन्त्रता है तथा यह विचार किसी भी माध्यम द्वारा ग्रहण किये जा सकते है।
19. सभी को शान्तिपूर्वक सभा करने का अधिकार है तथा किसी को भी किसी संस्था/संघ से जुड़ने के लिये विवश नहीं किया जा सकता।
20. किसी को भी सीधे तौर पर अथवा स्वतन्त्र रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने देश की सरकार में शामिल होने का अधिकार है।
21. सभी को अपने देश की जन-सुविधाओं/सेवाओं को समान रूप से पाने का अधिकार है।
22. लोगों की इच्छा सरकारी तन्त्र का आधार होगी, तथा यह इच्छा सरकार बनाने में चुनावों के माध्यम से व्यक्त होगी। ये चुनाव गुप्त वोट अथवा समान स्वतन्त्र चुनाव प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक व निष्पक्ष रूप से होंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानवाधिकार के अन्तर्गत निहित सभी पक्ष किसी ना किसी दृष्टि से व्यक्ति को समाज में एक अलग पहचान दिलाकर उसके अधिकारों, विचारों, भावनाओं, स्वतन्त्रता, सम्मान आदि की सुरक्षा करने हेतु

दृढ संकल्प हैं, जिससे सामाजिक न्याय का स्थायित्व समाज में निरन्तर बना रहे तथा उत्पादन की प्रक्रिया एक हाथ में निहित होकर दूसरों का शोषण करना रोका जा सके।

4.11 सामाजिक न्याय और इसके लाभ विषय

जैसा कि यह सर्वविदित है कि सामाजिक न्याय एक ऐसा विषय है जो समाज में सभी को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक रूप से समान सिद्ध करता है। आज के परिवेश में समाज में व्याप्त सारी अनियमितताओं एवं बुराईयों के कारण जहाँ अधिकतर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से सामाजिक न्याय की भावना मात्र से भी परे हैं, वहीं इस विषय का लाभ कुछ विशेष व्यक्तियों तक ही सीमित होकर रह गया है। जनसंख्या की वृद्धि तथा द्वितीयक सुखों की प्राप्ति की कामना ऐसे तत्व हैं, जो अनायास ही समाज को सामाजिक न्याय से वंचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जिसके पास सामर्थ्य है, वो सभी क्षेत्रों में आगे हैं तथा वंचितों का शोषण भी करता है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं पूर्वी एवं पश्चिमी सभ्यताओं के मेल व आपसी स्वीकारिता के कारण भी कुछ स्तर तक सामाजिक न्याय की स्थिति परस्पर विचलित हो रही है। उदाहरणतः हम अगर खाप पंचायतों का मुद्दा लें, तो सहज ही देखते हैं कि दो सभ्यताओं के मिलाप से समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? भारत में सामाजिक न्याय को पूर्ण स्तर तक पाने व अपनाने के लिये सभी के पास कुछ ना कुछ रूकावटें सम्मुख खड़ी हैं। कुछ विषय ऐसे हैं, जहाँ न्याय की बात होती है तथा यदि वहाँ समानता एवं स्पष्टता सामने आ जाय तो सामाजिक न्याय की परिकल्पना को भारतीय परिवेश में सिद्ध किया जा सकता है। किसी ना किसी रूप में भारत के सभी नागरिक सामाजिक न्याय के लाभ विषयों से जुड़े हुये से प्रतीत होते हैं।

अभ्यास प्रश्न-

1. "सामाजिक परिवर्तन समाज की क्रिया अथवा लोगों के जीवन में प्राचीन ढंग को विस्थापित अथवा परिवर्तिक करने वाला नवीन शोभाचार अथवा ढंग है।" सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा एच0 टी0 मजूमदार ने दी। सत्य/असत्य
2. सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सत्य/असत्य
3. सामाजिक न्याय की अवधारणा सर्व प्रथम कब दी गयी?

4.12 सारांश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक परिवर्तन है तथा प्रत्येक समाज तथा समूह में परिवर्तन सदैव चलता रहता है। कुछ समाजों में यह परिवर्तन तीव्र गति से होता है तो कुछ में धीमी गति से होता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक सम्बन्धों तथा सामाजिक संरचना को परिवर्तित कर समाज के प्रत्येक पक्ष पर अपना प्रभाव डालती है तथा समाज में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के विचारों, व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक समूह या समाज से जुड़ा रहता है तथा समय के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताऐं भी बदलती रहती हैं। आवश्यकताओं में बदलाव के कारण व्यक्ति के सम्बन्धों एवं अन्त:क्रियाओं में परिवर्तन आता है और यही परिस्थितियां सामाजिक परिवर्तन के लिये उत्तरदायी होती हैं।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन से समाज में गतिशीलता आती है, विकास की प्रक्रिया तेज होती है और समाज प्रगति करता है। साथ ही कई प्रकार की समस्याऐं भी परिलक्षित होती हैं, जिसके निदान के लिए कई प्रकार के आविष्कार होते हैं। अतः प्रत्येक परिस्थितियों में सामाजिक परिवर्तन उपयोगी होने के साथ ही सामाजिक ढ़ाँचे एवं सम्बन्धों में परिवर्तन लाकर समाज को सन्तुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

समाजिक न्याय को समाज में स्थापित करने हेतु सभी के लिये कुछ ना कुछ कार्य शेष हैं। नित जीवन में कई मुद्दे ऐसे हैं, जहाँ पर समाज का कोई ना कोई वर्ग अपने आपको अन्य की अपेक्षा वंचित महसूस करता है। यद्यपि सरकार इस हेतु अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रयास करती है, परन्तु इन सभी कल्याण कार्यक्रमों में सम्बन्धित व्यक्ति/वर्ग को प्रतिभाग सुनिश्चित करना चाहिये। यदि व्यक्ति (वंचित) स्वयं अपनी पहुँच कल्याण कार्यक्रमों तक सुनिश्चित कर पाने में अक्षम है अथवा जानकारी प्राप्त करने के प्रति उदासीन होगा तो वह सदा ही अपने विकास व न्याय से वंचित रह जायेगा। सामाजिक न्याय के उपरोक्त लाभ विषय भारतीय परिवेश में सामाजिक न्याय हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, जहाँ समाज, सामाजिक न्याय से बहुत दूर दिखायी पड़ता है। यद्यपि कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ बहुत ज्यादा अन्तर आया है, परन्तु ज्यादातर मुद्दों पर आज भी सुधार की आवश्यकता है।

4.13 शब्दावली

सार्वभौमिक- हर ओर या विश्व स्तर पर, प्रक्रिया- तरीका, मनोवृति- मन की आदत, समृद्धि- खुशहाली, ह्रास- कम होना या घटना, रुढ़िवादी- पुरानापन या जड़ता, लोकाचार- लोगों द्वारा किया गया व्यवहार, समतावादी- समानता को मानने वाला, संज्ञान- जानकारी

4.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य, **2.** सत्य, **3.** 1880 में

4.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जी0 के0 अग्रवाल, "सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन" 2000,
2. जी0 के0 अग्रवाल, "मानव समाज" 2000,
3. रामनाथ शर्मा तथा डा0 राजेन्द्र कुमार शर्मा, "सामाजिक परिवर्तन और समाजिक नियंत्रण" 1996,
4. सुरेन्द्र सिंह तथा पी0 डी0 मिश्र, "समाज कार्य- इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां" 2010,
5. समाज कल्यासण प्रशासन एवं विधान, (एम0एस0डब्ल्यू0 - 08), उ0 मु0 विवि0 हल्द्वानी।

4.16 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. जी0 के0 अग्रवाल, "सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन" 2000,
2. रामनाथ शर्मा तथा डा0 राजेन्द्र कुमार शर्मा, "सामाजिक परिवर्तन और समाजिक नियंत्रण" 1996,
3. सुरेन्द्र सिंह तथा पी0 डी0 मिश्र, समाज कार्य- इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, 2010,

4.17 निबन्धात्मक प्रश्न

1. सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
2. सामाजिक परिवर्तन क्या है? तथा परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमानों की व्याख्या कीजिए।
3. सामाजिक परिवर्तन का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए।
4. सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक परिवर्तन की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
5. सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए सामाजिक विधान से यह किस भाँति सम्बन्धित है? उल्लेख कीजिए।
6. सामाजिक न्याय के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? विस्तृत रूप में स्पष्ट करें।
7. मूल अधिकारों तथा मानवाधिकारों का सामाजिक न्याय में क्या योगदान है? व्याख्या करिये।

इकाई- 5 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय-संरचना, कार्य, भूमिका

इकाई की संरचना

5.0 प्रस्तावना
5.1 उद्देश्य
5.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय एक परिचय
5.3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की संरचना
5.3.1 सम्बद्ध संगठन
5.3.1.1 अन्य संविधिक संगठन
5.3.1.2 राष्ट्रीय संस्थान
5.3.1.3 निगम
5.3.1.4 प्रतिष्ठान
5.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय के कार्य
5.4.1 मंत्रालय के अधीन आने वाले विषय
5.5 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की भूमिका
5.6 सारांश
5.7 शब्दावली
5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
5.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
5.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
5.11 निबन्धात्मक प्रश्न

5.0 प्रस्तावना

भारत एक संघीय राज्य है, जिसकी प्रकृति लोक कल्याणकारी राज्य की है। संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप ही जन कल्याण सम्बन्धी प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय का गठन किया गया है। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना इसी मंत्रालय के क्रियाकलापों पर निर्भर है।

भारत में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने एवं गति देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय वचनबद्ध है। प्रस्तुत इकाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की संरचना, कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की संरचना एवं कार्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे तथा इसकी भूमिका का विश्लेषण भी करने में समर्थ होंगे।

5.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की संरचना के बारे में जान सकेंगे।
- आप यह भी जान सकेंगे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की निर्धारित शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं?
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की भूमिका के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी।

5.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय एक परिचय

भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके साथ ही ऐतिहासिक-सामाजिक वास्तविकता पिछड़े एवं समाज के हाशिये पर धकेले गए वर्गों एवं जातियों के कल्याण की जरुरत को स्वीकार करता है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की संकल्पना इन वर्गों के विकास एवं सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। भारतीय संविधान में वर्णित उपबन्धों के अन्तर्गत इनके पक्ष में सकारात्मक रुख अपनाने के उपायों के लिए सरकार को भी सशक्त बनाया गया है। इसी भावना के अनुरूप भारत में संघीय स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की स्थापना की गई है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कल्याण, सामाजिक न्याय और समाज के वंचित और हाशिये पर धकेले गए वर्गों के सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी मंत्रालय है। विशेषकर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों और नशीली दवाओं के सेवन के शिकार व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण पर यह मंत्रालय विशेष बल देता है। मंत्रालय की नीतियों एवं कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य लक्षित समूहों को आत्मनिर्भर बनाकर विकास की मुख्य धारा में लाना है।

भारत में पृथक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना विविध चरणों से होकर गुजरी है। स्वतंत्रता के पश्चात दो दशकों तक भारत में कोई एकीकृत एवं उत्तरदायी मंत्रालय की स्थापना सम्भव नहीं हो पायी थी। समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन के लिए सर्वप्रथम 1964 में संघीय स्तर पर पृथक स्वतंत्र विभाग गठित करने का प्रयास शुरू हुआ जिसके लिए शिक्षा, श्रम एवं रोजगार, स्वास्थ्य, वाणिज्य, उद्योग, नगरीय विकास एवं गृह मंत्रालय से जनकल्याण सम्बन्धित कार्यों का बँटवारा करके 14 जून 1964 को सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई। 24 जनवरी 1966 को इसका नाम बदलकर समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने भी इस मंत्रालय के पुनर्गठन पर विशेष बल दिया था। अन्तत: 1972 में इस विभाग को शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय में मिला दिया गया। इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा 24 अगस्त 1979 को समाज कल्याण मंत्रालय के रूप में दिया गया, परन्तु एक बार फिर इसके कार्य प्रकृति से प्रभावित होकर तत्कालीन इंदिरा गाँधी सरकार ने 1983-84 में इसका नाम बदलकर समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय कर दिया। वर्ष 1985-86 में तत्कालीन समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग में विभाजित किया गया। इसके साथ ही गृह मंत्रालय से अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, आदिवासी विकास प्रभाग और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग तथा कानून मंत्रालय से भी वक्फ मामले को अलग कर कल्याण मंत्रालय को संगठित किया गया। इस मंत्रालय का नाम मई 1998 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में बदल दिया गया। इसके बाद अक्टूबर, 1999 में आदिवासी विकास प्रभाग को

अलग कर जनजातीय मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया। सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, अपितु जनवरी, 2007 में वक्फ इकाई तथा अल्पसंख्यक प्रभाग का भी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के रूप में पुनर्गठन हुआ तथा बाल विकास प्रभाग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रूप में उभरा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थित है।

5.3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की संरचना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कल्याण, सामाजिक न्याय और समाज के वंचित और हाशिये पर स्थित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी मंत्रालय है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों और नशीली दवाओं के सेवन के शिकार व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण पर यह मंत्रालय विशेष बल देता है। इस मंत्रालय का सम्बन्ध उन समूह के व्यक्तियों से है जो या तो ऐतिहासिक रूप से समाज के हासिये पर रहे हैं अथवा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक ताकतों के कारण अलग-थलग पड़े रहने के खतरे में है। मंत्रालय की नीतियों एवं कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य लक्षित समूहों को आत्मनिर्भर बनाकर विकास की मुख्य धारा में लाना है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय लक्षित समूहों के विकास एवं कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 5 दिसम्बर 2012 की अधिसूचना के अनुसार यह मंत्रालय अब दो विभागों में विभक्त है, पहला- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा दूसरा- विकलांगता मामलों के विभाग (निशक्तता कार्य विभाग)।

केन्द्रीय मंत्री की सहायता हेतु विभागों में सचिव तथा अतिरिक्त सचिव नियुक्त होते हैं। एक वित्त सलाहकार और चार संयुक्त सचिव जो अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग, समाज रक्षा एवं विकलांगता क्षेत्र के ब्यूरो प्रमुख होते हैं, उन्हें सहायता करते हैं। प्रशासनिक सुविधा हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 6 ब्यूरो में तथा विकलांगता मामलों के विभाग 1 ब्यूरो में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मंत्रालय के अधीन तीन वैधानिक संगठन- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा-वर्ग आयोग तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कार्य कर रहे हैं। तीन सांविधिक निकाय भी इस मंत्रालय के अधीन हैं- 1. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली, 2. मुख्य नि:शक्तजन आयुक्त, नई दिल्ली, 3. स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिकमंदता और बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली। सात राष्ट्रीय संस्थान भी इससे सम्बद्ध हैं- अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई; पं0 दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद,आन्ध्र प्रदेश; राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड; राष्ट्रीय बहु-विकलांग जन सशक्तिकरण संस्थान, कांचीपुरम (तमिलनाडु); राष्ट्रीय अस्थि विकलांगजन संस्था, बोन-हुगली, कोलकाता; स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, उड़ीसा तथा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से सम्बद्ध निगम हैं- भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर, राष्ट्रीय पिछड़ा-वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लक्ष्मी नगर, दिल्ली और राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद, हरियाणा।

दो प्रतिष्ठान- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली तथा डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली भी इससे सम्बद्ध हैं।

5.3.1 सम्बद्ध संगठन

1. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली-** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अत्याचार निवारणद्ध अधिनियम, 1989 जैसे विभिन्न अधिनियमों के सम्पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के सम्बन्ध में कार्यशील सक्रिय संवैधानिक संस्था है। इसके अतिरिक्त आयोग को इस वर्ग के उत्थान को बढ़ावा देने वाले वे सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो किसी मामले की सुनवाई कर रहे सिविल न्यायालय को है।
2. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली-** पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी समस्याओं एवं विविध नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम- 1993 के अधीन एक पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया। यह पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृति, अध्ययन सामग्री और छात्रावास आदि की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम भी सक्रिय है, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़े वर्ग को विशेष आर्थिक सहायता, सस्ते ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिए ऋण आदि की व्यवस्था करता है।
3. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली-** अत्याचार, अस्पृश्यता, हाथ से मैला उठाने के घिनौने एवं अमानवीय कार्य आज भी हमारे देश में प्रचलित है। हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का उन्मूलन करने और हाथ से सफाई करने वाले स्वच्छकारों और सफाई कर्मचारियों के रहन-सहन एवं कार्य परिस्थितियों को सुधारने के लिए भारत में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है।

5.3.1.1 अन्य सांविधिक निकाय

1. **भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली-** पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसायटी के रुप मे 1986 में स्थापित किया गया था। सितम्बर 1992 में संसद द्वारा पारित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय के रुप में 22 जून 1993 को अस्तित्व मे आयी। अधिनियम को संसद द्वारा वर्ष 2000 में इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमे संशोधन किया गया। इस जनादेश के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद के नीतियों व कार्यक्रमों को विनियमित करने, विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया, पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना और सभी योग्य पेशेवरों और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायिकों और कर्मिकों को एक केन्द्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने का कार्य सौंपा गया।
2. **मुख्य नि:शक्तजन आयुक्त, नई दिल्ली-** मुख्य नि:शक्तजन आयुक्त के कार्यालय की स्थापना वर्ष 1995 के नि:शक्तजन अधिनियम की धारा- 57 के अन्तर्गत की गई है। यह कार्यालय नि:शक्तजन के अधिकारों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाता है।

3. **स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली-** यह राष्ट्रीय न्यास 1999 के अधिनियम 44 के तहत गठित एक स्वायत्त संगठन है जो माता-पिता के अपने बच्चों से सम्बन्धित चिन्ताओं का हल खोजने का प्रयास करता है। इस न्यास का मूल उद्देश्य इस प्रकार की विकलांगता को दूर करते हुए लोगों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है।

5.3.1.2 राष्ट्रीय संस्थान

1. **अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-** अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान की स्थापना 9 अगस्त, 1983 को की गयी। यह संस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन एक स्वायत्त संगठनहै। संस्थान बान्द्रा (पश्चिम), में स्थित हैं तथा संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता (1984), नई दिल्ली (1986), सिकन्दराबाद (1986), तथा भुवनेश्वर (1986, उड़ीसा सरकार के सहयोग से) में स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों का लक्ष्य मानवशक्ति विकास तथा सेवाओं के बारे में स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना हैं।
2. **पं0 दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली-** जवाहरलाल विकलांगजन संस्थान के 1975 में सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया तथा 2002 में इस संस्थान का नाम बदलकर पं0 दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान कर दिया गया।
3. **राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद,** आन्ध्र **प्रदेश-** यह संस्थान मानसिक मंद व्यक्तियों को समर्थ बनाने में विशेष प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के तीन क्षेत्रीय केन्द्र नई दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई में स्थित हैं तथा एन0आई0एम0एच0 मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेन्टर, नई दिल्ली में स्थित है। मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन में समानता और सम्मान लाने के लिए संस्थान अपने कार्य के हर एक पहलू की गुणवत्ता पर ध्यान देता हैं, जिसका प्रमाणीकरण आई0 एस0 ओ0 9001:2008 के द्वारा पृष्ठांकित किया गया है।
4. **राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड-** यह संस्थान दृष्टिबाधितों को समर्थ्य बनाने में विशेष प्रयास कर रहा है। आँखों से लाचार लोगों को विविध उपायों से यह संस्थान सेवा में संलग्न है। यह सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान है ।
5. **राष्ट्रीय बहु-विकलांगजन सशक्तिकरण संस्थान, कांचीपुरम (तमिलनाडु)-** एकाधिक अशक्ताओं से ग्रस्त लोगों के सशक्तिकरण हेतु एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई। विविध अशक्ताओं को दूर करना इस संस्थान का प्रमुख लक्ष्य है।
6. **राष्ट्रीय अस्थि विकलांगजन संस्था, बोन-हुगली, कोलकाता-** 70 के दशक में कल्याण मंत्रालय (वर्तमान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकलांगता (अस्थि, दृष्टिबाधितार्थ, वाक्, श्रवण एवं मानसिक विकलांगता) हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करना ऐसी ही एक पहल है। अस्थि विकलांगता के क्षेत्र में इस शीर्ष संस्थान की स्थापना 1978 में हुई और वर्ष 1982 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया ।

7. **स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, उड़ीसा-** इस संस्थान का उद्देश्य पुनर्वास एवं शिक्षा, पाठ्यक्रमों का मानकीकरण एवं अनुसंधान है। यह विविध पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। साथ ही अस्पताल, पुनर्वास केन्द्र तथा परामर्श आदि के माध्यम से काफी सक्रिय है।

8. **राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली-** यह संस्थान कल्याण, सामाजिक न्याय और समाज के वंचित और हाशिए पर धकेले गए वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरन्तर प्रयासशील है।

5.3.1.3 निगम

1. **भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को),कानपुर-** इस निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। यह निगम कृत्रिम अंग निर्माण, विपणन, बिक्री तथा अंग लगाने क प्रशिक्षण एवं सेवाऐं देती है। यहाँ निर्मित उत्पादों को कोलकाता, मुम्बई ,चेन्नई, भुवनेश्वर तथा दिल्ली स्थित केन्द्रों के माध्यम से बेचा जाता है।
2. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली-** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार का उपक्रम है। इसको पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने तथा इन वर्गों के अधिक गरीब वर्ग को कौशल विकास और स्वरोजगार उद्यमों में प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन एक 'लाभ मुक्त' कम्पनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित की गई राज्य एजेन्सियों के माध्यम से दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को निम्न क्षेत्रों की आय श्रृजन सम्बन्धी परियोजनाओं हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है।
3. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली-** यह निगम सफाई कर्मचारियों के कल्याणार्थ आवश्यक वित्त की व्यवस्था करता है तथा विकास सम्बन्धी विविध योजनाओं को क्रियान्वित करता है।
4. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1989 में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन सरकारी कम्पनी (लाभ निरपेक्ष कम्पनी) के रूप में की गई थी। इस का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के दुगुने से कम पर जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति परिवारों के व्यक्तियों के कौशल उन्नयन सहित आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्त पोषित करना है।
5. **राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद, हरियाणा-** राष्ट्रीय विकलांग-जन वित्त एवं विकास निगम (एन0एच0एफ0डी0सी0) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी, 1997 को की गई थी। कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956, अनुच्छेद-25 के तहत पंजीकृत है तथा ये गैर-लाभ वाली कम्पनी है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास क्रियाकलापों को बढ़ावा देना है। यह उन विकलांग व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है जो व्यवसायिक पुनर्वास या स्व:रोजगार के लिए व्यवसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

5.3.1.4 प्रतिष्ठान

1. **बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली-** बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा 14 मार्च 2008 को की गई। इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य बाबू जगजीवन राम की विचारधारा एवं सामाजिक सुधार से जुड़े उनके विचारों का प्रचार-प्रसार करना है। इस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री होते हैं।
2. **डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली-** डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक संस्था के रूप में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत 24 मार्च 1992 को की गयी। डॉ0 अम्बेडकर की विचारधारा एवं सामाजिक न्याय से जुड़े उनके विचारों का प्रचार-प्रसार इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य है।

5.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय के कार्य

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय कल्याण, सामाजिक न्याय और समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु गठित मंत्रालय है। यह मंत्रालय विशेषकर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों और नशीली दवाओं के सेवन के शिकार व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण पर ध्यान देता है। मंत्रालय की नीतियों एवं कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य लक्षित समूहों को आत्मनिर्भर बनाकर विकास की मुख्य धारा में लाना है।

यह मन्त्रालय अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान करने, विकलांग व्यक्तियों और नशीली दवाओं के आदी लोगों के पुनर्वास और वरिष्ठ नागरिकों तथा समाज के ऐसे ही अन्य वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय इनसे सम्बन्धित सभी मामलों का नोडल मंत्रालय है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-

1. समाज कल्याण।
2. अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों, विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों और नशीली दवाओं के सेवन के शिकार व्यक्तियों का विकास, उनके संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, समाज कल्याण, सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम एवं जागरूक बनाना।
3. सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु सशक्तिकरण नीति का क्रियान्वयन।
4. देश में विभिन्न विभागों द्वारा समाज कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना।

5.4.1 मंत्रालय के अधीन आने वाले विषय

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय विभिन्न अधिनियमों एवं कानूनों को क्रियान्वित करता है तथा विविध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग कर अपने प्रयासों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से भी जोड़ता है। इस मंत्रालय के अधीन आने वाले विषय निम्नलिखित हैं-

1. समाज कल्याण।
2. अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का विकास।

3. विधि एवं व्यवस्था से जुड़े मामलों को छोड़कर, भाषाई तथा अन्य अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित सभी मामले।
4. समाज रक्षा।
5. शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और कल्याण।
6. बच्चों के दत्तक ग्रहण सहित बच्चों एवं वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और विकास के लिए संस्थागत एवं गैर-सरकारी संस्थागत सेवाऐं।
7. भिक्षावृति, किशोर आवारागर्दी, अपचारिता तथा सी0ए0आर0ई0 के अन्य कार्यक्रम।
8. मादक द्रव्य व्यसन के शिक्षा एवं समाज कल्याण सम्बन्धी पहलू।
9. मद्यनिषेध से सम्बन्धित सभी मामले।
10. निम्नलिखित अधिनियमों का कार्यान्वयन- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के प्रशासन के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों का प्रशासन; भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993; राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993; राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999; वक्फ अधिनियम,1995 और निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000;

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समग्र नीति, योजना एवं लक्षित समूहों के विकास कार्यक्रमों के समन्वय हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। हालांकि, इन समूहों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों का समग्र प्रबन्धन और निगरानी सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग अपने क्षेत्र से सम्बन्धित नोडल जिम्मेदारी का निर्वहन करता है ।

विकलांगता और विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित मामलों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करने के लिए विकलांगता मामलों का विभाग स्थापित किया गया है। विकलांगता मामलों का विभाग समग्र नीति, योजना और विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल विभाग होता है। पुनर्वास और विकलांग, उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण और सब्सिडी वाले व्यक्तियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से विशेष योजनाओं की जिम्मेदारी इस विभाग को सौंपी गई है। संविधान, विषय अनुसूची में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को देता है। भारत की राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों ने विकलांगों के लिए समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का कार्य सौंपा गया है। स्वैच्छिक संगठन भी विकलांगों के लिए कल्याण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकार ने कई अधिनियम बनाये हैं, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। एक बहु-क्षेत्रीय सहयोगी दृष्टिकोण के तहत सभी उचित सरकारी एजेंसियों जैसे- केन्द्र सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश, केन्द्र/राज्य के उपक्रम, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के माध्यम से इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू कराया जा रहा है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए अनेक छात्रवृतियां और योजनाऐं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती हैं। अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिए दसवीं कक्षा पूर्व छात्रवृति प्रदान की जाती है। राजीव गाँधी राष्ट्रीय फैलोशिप योजना के अन्तर्गत कनिष्ठ अनुसन्धान, फेलोशिप के बराबर धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृतियां और अनुदान भी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग एवं पुस्तकें भी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के आर्थिक विकास के लिए सम्पूर्ण सहायता केन्द्र द्वारा दी जाती है। आदिम जातियों के विकास हेतु भी ढेरों योजनाऐं, जिनमें बालिका शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण शामिल है, का क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम तथा ट्राईफेड वित्तीय सहायता, उत्पादों के विपणन एवं वितरण में अनुसूचित जनजाति के लोगों की सेवा करता है।

5.5 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की भूमिका

इस प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है। मंत्रालय का लक्ष्य समूह हैं- अनुसूचित जातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति तथा वरिष्ठ नागरिक और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार। यह सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के संगत प्रावधानों को लागू करने का यथासम्भव प्रयास करता रहा है। मानवीय व्यापार का प्रतिषेध और बेगार, कारखानों में बच्चों आदि के रोजगार का निषेध, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, शैक्षिक संवर्धन और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों का संवर्धन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशे, अभ्यास और धर्म का प्रचार, जन्म, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध हेतु यह मंत्रालय लगातार प्रयासरत रहा है। विकलांगता और वृद्ध व्यक्तियों एवं मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम से सम्बन्धित प्रावधानों को भी इस मंत्रालय ने बखूबी लागू किया है।

आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना, मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन, शहरी गरीबी उपशमन, विकलांग और मानसिक रूप से मंद सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, रोजगार और बेरोजगारी सम्बन्धी मंत्रालय के प्रयास सराहनीय रहे हैं। मंत्रालय विकलांगता पाठ्यक्रमों को चलाने तथा पुनर्वास सेवाऐं प्रदान करने में भी सक्रिय रहा है। इसके अतिरिक्त 'राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम' भी शारीरिक रूप से अशक्त लोगों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों के लिए पूर्ण भागीदारी के साथ समानता की घोषणा करने वालों में से एक हस्ताक्षरकर्ता है। भारत एक समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार आधारित समाज की ओर कार्यवाही के लिए बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क के लिए भी हस्ताक्षरकर्ता देश है। वर्ष 2006 में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाना और 2007 में संयुक्त राष्ट्र में विकलांगों के अधिकारों के लिए सम्मेलन (यू0एन0सी0आर0पी0डी0) में भारत द्वारा हस्ताक्षर करना, विकलांगों के लिए गरिमा और आत्मनिर्भरता के जीवन को सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर है। इस सम्बन्ध में भारत ने 1 अक्टूबर, 2008 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुमोदन किया था।

यह मंत्रालय विभिन्न वर्गों के विकास हेतु त्रिआयामी नीति अर्थात् शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण अपनाता है। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों के बीच भागीदारी को सुदृढ़ करने पर बल देता है। इन एजेन्सियों के बीच भागीदारी से इसके वित्तीय संसाधनों के प्रवाह क एक माध्यम खुलता है, जो सुदूरतम वनों में रहने वाले व्यक्तिओं तक पहुँचता है। साथ ही इन एजेन्सियों के माध्यम से अन्ततः लक्षित समूह को लाभ पहुँचाते हुए प्रदाता तथा प्राप्तकर्ता के बीच सम्बन्ध सृजन क्षमता भी बनता है। मंत्रालय ने लक्षित समूहों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया गया है। नतीजतन इन समूहों के कल्याण से काफी सुधार हुआ है।

अभ्यास प्रश्न-

1. सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना कब हुई?
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा कब से दे दिया गया है?
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का केन्द्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है?
4. राष्ट्रीय पिछड़ा-वर्ग आयोग में कितने सदस्य होते हैं?
5. राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है?

5.6 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के पश्चात वंचित वर्गों के विकास और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय विविध कार्यक्रमों को इस दिशा में संचालित कर सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। इस मंत्रालय की नीतियों का क्रियान्वयन ढेर सारे विभागों एवं मंत्रालयों के सहयोग पर टिका है और भी इस मंत्रालय के कार्यों में स्पष्टता का अभाव देखा गया है। बहुत सी योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी दिक्कतें भी इसी कारण से खड़ी हो जाती हैं। इतनी सारी योजनाओं को लागू करने में भी अनेक समस्याऐं भी हैं। भारत का संघीय प्रशासनिक ढ़ाँचा इतना जटिल एवं व्यापक है कि इसमे से कोई भी योजना या नीति जमीनी स्तर तक पहुँचने से पहले ही काफी विकृत हो जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की नीतियाँ संचालन में गतिरोध पैदा करती हैं, फिर भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय के प्रयास सार्थक हुए हैं। इतने बड़े एवं विविधताओं से भरे इस देश में इससे क्रान्तिकारी परिवर्तन तो नहीं लेकिन गुणात्मक परिवर्तन अवश्य आया है। वंचित वर्गों की जीवन शैली में परिवर्तन अवश्य हुआ है।

5.7 शब्दावली

मंत्रालय- सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए कार्यकारी एवं उत्तरदायी संस्था, विभाग- नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मंत्रालय का एक भाग, विकलांग- शारीरिक रूप से अशक्त, प्रक्रिया- कार्यविधि

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 14 जून 1964, **2.** 24 अगस्त 1979, **3.** शास्त्री भवन दिल्ली, **4.** पांच सदस्य, **5.** देहरादून

5.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वी0 जगन्नाथन, (1967), सोशल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, द इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नयी दिल्ली।
2. सुषमा यादव एवं राम अवतार शर्मा, (1997), भारतीय राजनीति ज्वलंत प्रश्न, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
3. डी0 आर0 सचदेव, (2009), भारत में समाज कल्याण प्रशासन, किताब महल, नयी दिल्ली।

5.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. मनोज सिन्हा, (2010), प्रशासन एवं लोकनीति, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
2. दयाकृष्ण मिश्र, (2008), सामाजिक प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो,जयपुर।

5.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की संरचना का वर्णन कीजिए।
2. सामाजिक न्याय को स्पष्ट करते हुए इसकी भूमिका और कार्यों को स्पष्ट कीजिए।

इकाई- 6 महिला एवं शिशु कल्याण विभाग- संरचना, कार्य, भूमिका

इकाई की संरचना

6.0 प्रस्तावना
6.1 उद्देश्य
6.2 महिला एवं शिशु कल्याण विभाग एक परिचय
6.3 महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की संरचना
    6.3.1 राष्ट्रीय महिला आयोग
    6.3.2 राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग
    6.3.3 राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्था (निपसिड)
    6.3.4 केन्द्रीय दत्तक संस्थान एजेन्सी (कारा)
    6.3.5 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी0एम0डब्ल्यू0बी0)
    6.3.6 राष्ट्रीय महिला बोर्ड
    6.3.7 महिला अधिकारिता राष्ट्रीय मिशन(एन0एम0ई0डब्ल्यू)
6.4 महिला एवं शिशु कल्याण विभाग के कार्य
    6.4.1 मंत्रालय के अधीन आने वाले विषय
    6.4.2 महिलाओं के लिए योजनाऐं
    6.4.3 बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाऐं
6.5 महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की भूमिका
6.6 सारांश
6.7 शब्दावली
6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
6.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
6.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
6.11 निबन्धात्मक प्रश्न

6.0 प्रस्तावना

सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय से सम्बन्धित यह तीसरी इकाई है। इससे पहले की इकाई के अध्ययन के पश्चात आप सामाजिक न्याय एवं भारत में इसके क्रियान्वयन मंत्रालय से परिचित हो रहे होंगे।

भारत में महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने एवं गति देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया है। प्रस्तुत इकाई में महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की संरचना,कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की संरचना एवं कार्य को समझ सकेंगे तथा इसकी भूमिका का विश्लेषण भी कर सकेंगे।

6.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की संरचना के बारे में जान सकेंगे।
- आप यह जान सकेंगे कि महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की शक्तियाँ एवं कार्य क्या-क्या हैं?
- महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की भूमिका के बारे में भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा।

6.2 महिला एवं शिशु कल्याण विभाग एक परिचय

महिलाएं एवं बच्चे समाज के अभिन्न अंग हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की संकल्पना इनके विकास एवं सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में सकारात्मक रुख अपनाने के उपायों के लिए सरकार को भी सशक्त बनाया गया है। इसी भावना के अनुरूप भारत में संघीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित सभी मामलों का नोडल मंत्रालय है। सितम्बर 1985 में केन्द्रीय मंत्रालयों के पुनर्गठन के फलस्वरूप महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई। इसके पूर्व बाल कल्याण एवं महिला विकास शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन था। 30 जनवरी 2006 से इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने एवं गति देने के लिए ही इसका गठन किया गया है।

महिला तथा बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में यह मंत्रालय योजना, नीतियां तथा कार्यक्रम का निर्माण करता है तथा कानून को लागू करता है एवं उसमें सुधार भी लाता है। यह महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को दिशा-निर्देश देता है तथा उनके बीच तालमेल भी स्थापित करता है। इसके अलावा अपनी प्रमुख भूमिका निभाकर यह मंत्रालय महिला तथा बच्चों के लिए कतिपय अभिनव कार्यक्रम भी चलाता है। इन कार्यक्रमों में कल्यांण तथा सहायता सेवाऐं, रोजगार तथा आय सृजन, जागरूकता और लैंगिक संवेदनशीलता के लिये प्रशिक्षण शामिल है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के अन्य क्षेत्रों में भी पूरक तथा अनुपूरक भूमिका निभाते हैं। इन सभी प्रयासों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं कि महिलाऐं आर्थिक तथा सामाजिक दोनों रूप से सशक्त हों और इस प्रकार राष्ट्रीय विकास में पुरूषों के साथ बराबर की भागीदार बनें।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सामाजिक क्षेत्र के मामलों से जुड़े अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में बढ रहा है, जिसमें पहले कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता था, लेकिन अब विशेषकर हाशिये पर रहने वालों के सम्पूर्ण सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से महिलाओं, किशोरियों और समाज के सभी वर्गों के बच्चों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मंत्रालय ने विगत कुछ वर्षों में कई महत्व पूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

6.3 महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की संरचना

महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा उनके संवैधानिक हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया है। इस मंत्रालय के क्रियाकलाप सात कार्यालयों के जरिए सम्पन्न किए जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मंत्रालय के अधीन दो वैधानिक संगठन- राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग कार्य कर रहे हैं। पांच स्वायत्त संगठन भी इस मंत्रालय के अधीन हैं- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थायन (निपसिड), केन्द्रीय दत्तक संसाधन एजेन्सी (कारा), केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी), राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) तथा महिला अधिकारिता राष्ट्रीय मिशन (एनएमईडब्ल्यू)। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए वर्ष 1992 में एक शीर्ष सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए मार्च, 2007 में गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक राष्ट्र स्तरीय शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) तथा राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान हैं, जबकि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा- 25 के अन्तर्गत पंजीकृत एक धर्मार्थ कम्पनी है। ये संगठन भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित हैं और वे विभाग को इसके कार्यों में मदद करते हैं, जिसमें कुछ-एक कार्यक्रमों/स्कीमों का क्रियान्वायन शामिल है। महिला अधिकारिता राष्ट्रीय मिशन(एनएमईडब्ल्यू) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 8 मार्च 2010 को महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु समस्त प्रक्रियाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से की।

6.3.1 राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए वर्ष 1992 में एक शीर्ष सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित संवैधानिक निकाय, राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसी इकाई है, जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। महिला आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षा उपायों की जाँच और परीक्षा करना और उनके प्रभावकारी कार्यांवयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना, संविधान और महिलाओं के प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना और संशोधनों की सिफारिश करना तथा ऐसे कानूनों में किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता अथवा कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना, शिकायतों पर विचार करना और महिलाओं के अधिकारों के वंचन से सम्बन्धित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देने आदि तथा उचित प्राधिकारियों के साथ मुद्दे उठाना, भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना, उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना शामिल है। इसमें कारागार, रिमांड गृहों जहाँ महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है, आदि का निरीक्षण करना और जहाँ कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक

कार्यवाही किए जाने की मांग करना भी शामिल है। आयोग को संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के रक्षा उपायों से सम्बन्धित मामलों की जाँच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

6.3.2 राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए मार्च, 2007 में गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक राष्ट्र स्तरीय शीर्ष निकाय है। बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) बाल अधिकार अधिनियम, 2005, संसद के एक अधिनियम (दिसम्बर 2005) के तहत मार्च 2007 में स्थापित किया गया था। आयोग के जनादेश भारत के संविधान में निहित है और यह भी बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के रूप में सभी कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए है। बालक 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

6.3.3 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान अर्थात 'नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेन्ट' की स्थापना 'सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860' के अन्तर्गत सन् 1966 में नई दिल्ली में हुई। यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करता है। इसे निपसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्थान महिलाओं और बच्चों के विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य, शोध, प्रशिक्षण और प्रलेखन के लिए प्रतिबद्ध है। देश के क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस संस्थान के अन्तर्गत प्रादेशिक केन्द्रों- गुवाहाटी (1978), बैंगलोर (1980), लखनऊ (1982) और इन्दौर (2001) की स्थापना की गई।

6.3.4 केन्द्रीय दत्तक संसाधन एजेन्सी (कारा)

केन्द्रीय दत्तक संसाधन एजेन्सी (कारा) की स्थापना 1990 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन की गयी। इसकी स्थापना का उद्देश्य अनाथ, बेसहारा एवं अशक्त बच्चे का देखभाल सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना 'सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860' के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1999 से यह स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।

6.3.5 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी)

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का एक मुख्य उद्देश्य है, समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तीकरण के लिए स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1953 में बोर्ड की स्थापना की गई थी। बोर्ड की योजनाओं का अधिकतम हिस्सा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बोर्ड ने देशभर में बीस हजार से अधिक स्वैच्छिक संगठनों का नेटवर्क तैयार किया है। देश के 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित राज्य समाज कल्याण बोर्डों के माध्यम से विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों के साथ नेटवर्किंग भी बोर्ड की गतिविधियों में शामिल है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, ताकि वे महिलाओं में शिक्षा और

प्रशिक्षण, सामुहिक चेतना तथा जागरूकता का प्रसार करके, आय-अर्जक सुविधाऐं तथा सहायक सेवाऐं उपलब्ध कराकर समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ बना सकें।

6.3.6 राष्ट्रीय महिला कोष

राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फण्ड के रूप में विकसित किया गया। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर को विस्थापित करना नहीं, बल्कि गरीबों और बैंकिंग क्षेत्र के बीच के अन्तराल को कम करना है। 31 करोड़ रूपये राष्ट्रीय महिला कोष की आरम्भिक सीमा थी। इस कोष के तीन मुख्य कार्य हैं- थोक कार्य, बाजार विकास में भूमिका तथा समर्थन की भूमिका। इसके मुख्य उद्देश्य हैं, गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या सम्पत्ति निर्माण के लिए लघु-ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना।

6.3.7 महिला अधिकारिता राष्ट्रीय मिशन(एनएमईडब्ल्यू)

महिला अधिकारिता राष्ट्रीय मिशन(एनएमईडब्ल्यू) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 8 मार्च 2010 को महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु समस्त प्रक्रियाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से की गई है। यह मिशन भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रमों के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करने का एक प्रयास है। सर्वांगीण विकास के इसी पहलू को देखते हुए इसे मिशन 'पूर्ण शक्ति' की संज्ञा दी गयी है। इस प्रकार यह लैंगिक मुद्दों से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं पर ज्ञान, सूचना, शोध एवं आंकड़ों का स्रोत है।

6.4 महिला एवं शिशु कल्याण विभाग के कार्य

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित सभी मामलों का नोडल मंत्रालय है। महिला एवं शिशु कल्याण विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-

1. देश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
2. महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम एवं जागरूक बनाना।
3. बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बचाना।
4. देश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना।
5. महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय।

6.4.1 मंत्रालय के अधीन आने वाले विषय

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न अधिनियमों एवं कानूनों को क्रियान्वित करता है तथा विविध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग कर अपने प्रयासों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से भी जोड़ता है। इस मंत्रालय के अधीन आने वाले विषय निम्नलिखित हैं-

1. परिवार का कल्याण।
2. महिला तथा बाल कल्याण व इस दिशा में अन्य मंत्रालयों तथा संगठनों के बीच तालमेल स्थापित करना।
3. दहेज निषेध अधिनियम,1961 (1961 का 28), संशोधित रूप-1986,
4. महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक अधिनियम,1986,
5. सती (रोकथाम) अधिनियम का आयोग 1987 (1988 का 3); (इन अधिनियमों के तहत आने वाले अपराध के सम्बन्ध में आपराधिक न्याय का संचालन शामिल नहीं हैं)।
6. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990,
7. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (26.10.2006 से लागू)।
8. अंगीकरण, केन्द्रीय अंगीकरण संसाधन एजेन्सी व बाल हेल्पलाइन (चाइल्डलाइन) से जुड़े मुद्दे।
9. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2008 (2000 का 56)।
10. किशोर अपराधियों की परख (प्रोबेशन)।
11. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006,
12. बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2006,
13. शिशु दुग्ध विकल्प, दुग्धपान बोतल तथा शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति व वितरण नियमन) अधिनियम 1992, संशोधित-2005 (1992 का 41) का क्रियान्वयन।
14. सहायता तथा हर जगह पर राहत (CARE) के लिए सहकारिता संगठनों के क्रियाकलापों के बीच समन्वय।
15. लैंगिक संवेदनशील आंकड़ों का विकास।
16. अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि तथा यूनिफेम से सहयोग।
17. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति तथा अन्य सम्बन्धित मुद्दे।

इस प्रकार महिला तथा बाल विकास के लिए योजना निर्माण, अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, परियोजना सूत्रीकरण, सांख्यिकी तथा प्रशिक्षण सम्पन्न करना इस मंत्रालय का विशेष कार्यक्षेत्र है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने सात संस्थाओं के जरिए क्रियाकलापों को संचालित करता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मंत्रालय के अधीन दो वैधानिक संगठन- राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग तथा पांच स्वायत्त संगठन- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), केन्द्रीय दत्तक संसाधन एजेन्सी (कारा), केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड(सीएसडब्ल्यूबी), राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) तथा महिला अधिकारिता राष्ट्रीय मिशन(एनएमईडब्ल्यू) कार्य कर रहे हैं।

6.4.2 महिलाओं के लिए योजनाऐं

1. **'स्वाधार' योजना-** यह योजना 2001-02 में प्रारम्भ की गयी। स्वाधार योजना के अन्तर्गत कठिन हालात में फंसी, असहाय महिलाओं को गृह आधारित सम्पूर्ण एवं एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से सहायता पहुँचायी जाती है। इस योजना के तहत कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं का पुनर्वास करने के लिए उन्हें आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, प्रशिक्षण, चिकित्सीय एवं कानूनी सहायता दी जाती है।

ऐसी महिलाओं के कल्याण हेतु अनेक प्रशिक्षित स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, जिन्हें सरकार आर्थिक मदद प्रदान करा रही है। वर्ष 2009-13 में इस योजना के लिए 2363.15 लाख रूपये जारी किए गये हैं। मंत्रालय ने महिलाओं को प्रशिक्षित करने और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए तथा चिह्नित क्षेत्रों में परियोजना के आधार पर रोजगार प्रदान कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम सहायता योजना (एसटीईपी) शुरू की है। वर्ष 2009-13 के दौरान इस योजना से 30,481 महिलाऐं लाभान्वित हुई हैं।

2. **'सबला' योजना-** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नवम्बर 2010 में राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (आरजीएसईएजी) 'सबला' योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष तक की लड़कियों के पोषण तथा स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श और मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हुए शिक्षण और सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुँच सुगम बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। 'सबला' इस समय देशभर के 205 जिलों में चलाई जा रही है। वर्ष 2012-13 में इस योजना से 88.76 लाख किशोरियों को फायदा पहुँचा है।
3. **'उज्जवला' योजना-** महिलाओं एवं किशोरियों के अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से सरकार ने 04 दिसम्बर 2007 से 'उज्जवला' नामक व्यापक योजना शुरू की है जो एक ओर तस्करी की रोकथाम करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी महिलाओं के पुनर्वास और उन्हें समाज से दोबारा जोड़ती है। इस योजना के पांच विशिष्ट भाग हैं- इनके रोकथाम, पीड़िताओं को शोषण के अड्डों से मुक्त कराना, उनका पुनर्वास, समाज की मुख्य धारा से दोबारा जोड़ना तथा तस्करी की शिकार महिलाओं को उनके घर वापस भेजना शामिल है। यह योजना मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लागू की जा रही है।
4. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-** यह योजना प्रायोगिक आधार पर 53 चुनिन्दा जिलों में आईसीडीएस मंच का इस्तेमाल करते हुए लागू की गई थी। इस योजना के तहत गर्भावस्था तथा बच्चों को दूध पिलाने की अवस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को कुछ विशिष्ट 5 शर्तें पूरी करने पर नकदी सहायता प्रदान कराने की परिकल्पना की गई है। यह योजना दीर्घकालिक व्यववहार एवं सोच में बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ लघु अवधि आमदनी सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना को सरकार की प्रत्यलक्ष लाभ अन्तरण योजना में शामिल किया गया है।
5. **'स्वयंसिद्ध' योजना-** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय "स्वयंसिद्ध" योजना का भी क्रियान्वयन करता रहा है, जो महिला सशक्तीकरण के लिए एकीकृत योजना है। यह कई क्षेत्रों के कार्यक्रमों का एक प्रभावी समन्वयन करता है। स्वयंसिद्ध योजना स्वयं सहायता समूहों के निर्माण, जागरूकता, आर्थिक सशक्तिकरण एवं योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर बल देता है।
6. **जननी सुरक्षा योजना-** पूर्णतः केन्द्र प्रायोजित यह योजना 1अप्रैल 2005 से आरम्भ की गयी। पूर्व में यह योजना 'राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना' के नाम से चल रही थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की महिलाओं के मातृत्व एवं शिशु जन्म सम्बन्धी समस्याओं का निवारण तथा उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी जानकारी देना है।
7. **रोजगार तथा प्रशिक्षण हेतु सहायता कार्यक्रम-** यह योजना वर्ष 1987 से सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, राज्य निगमों, जिला ग्राम विकास अभिकरणों एवं स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा चलाई जा रही है। इस

योजना का उद्देश्य आठ परम्परागत पेशे- कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, कड़ी एवं ग्राम उद्योग तथा रेशम कीट पालन में महिलाओं के कौशल में सहयोग कर रोजगार देना है।

8. **अल्पवधि प्रवास गृह-** यह योजना केन्द्र सरकार ने 1969 में प्रारम्भ की गयी, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी महिलाओं एवं बालिकाओं को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है, जो पारिवारिक कलह, सामाजिक बहिष्कार, भावनात्मक रूप से पतनशील हों। इसमे जरुरतमन्द महिलाओं एवं बालिकाओं को छह मास से तीन वर्ष तक अस्थायी आश्रय दिया जाता है।
9. **परिवार परामर्श केन्द्र-** महिलाओं को मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 1984 से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड परिवार परामर्श केन्द्र को स्वयंसेवी संगठनों की मदद से संचालित कर रहा है। इस प्रकार के परामर्श केन्द्र पुलिस मुख्यालय, महिला कारागार एवं अन्य महिला प्रकोष्ठों में भी संचालित हो रहे हैं।
10. **लिंग आधारित बजट एवं लैंगिक** आं**कड़े-** लिंग-भेद समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2004-05 से लिंग समानता मिशन की शुरुआत की पहल की गयी। इसके लिए महिलाओं के प्रशिक्षण, दक्षता निर्माण, जागरूकता आदि क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ हुये, ताकि महिला सशक्तिकरण हेतु निष्पक्ष समतामूलक बजट की प्रक्रिया हो सके। भारत सरकार के 50 से अधिक मंत्रालयों एवं विभागों में इस दिशा में प्रकोष्ठों की स्थापना कर दी गयी है।
11. **स्त्री शक्ति पुरस्कार-** समाज निर्माण में महिलाओं की महती भूमिका को स्वीकारते हुए स्त्री शक्ति पुरस्कार उन महिलाओं को प्रदान किये जाते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय दिया है और विभिन्न क्षेत्रों में महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। ये पुरस्कार भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध पांच महिलाओं, यथा- देवी अहिल्या बाई होल्कर, रानी लक्ष्मीबाई, माता जीजाबाई, रानी गिदेन्लू जेलियांग और कन्नगी के नाम से प्रारम्भ किये गये हैं।

इन योजनाओं के अतिरिक्त महिला डेरी योजना के तहत देश में महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है, ताकि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत और मजबूत किया जा सके। पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए स्वर्णिम योजना प्रारम्भ की गयी है। 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' ने वर्ष 2012-13 के दौरान ''वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर फॉर वुमन'' (ओएससीसी) नामक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया। यह योजना संकट से घिरी महिलाओं को फौरन राहत पहुँचाने के लिए सकारात्मपक कदम उठाने की जरूरत पूरी करेगी। इस योजना को प्रायोगिक आधार पर शुरूआत में 100 जिलों में लागू करने का प्रस्ताएव रखा गया। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं के समन्वयन के लिए प्रायोगिक परियोजनाऐं पाली(राजस्थान) और कामरूप(असम) में शुरू की गई हैं। महिला संसाधन केन्द्र या पूर्ण शक्ति केन्द्र (पीएसके) महिलाओं को सेवाऐं प्रदान करने वाला वन स्टॉप सेन्टर है। ऐसे केन्द्र 150 ग्राम पंचायतों में खोले गये हैं। प्रत्येक पी0एस0के0 में मिशन की ओर से दो महिला ग्राम समन्वयक नियुक्त किये गये हैं। ये महिला ग्राम समन्वयक ग्राम पंचायत में महिलाओं को प्रेरित करते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके हितों की देखभाल एवं उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

6.4.3 बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाऐं एवं नीतियाँ

बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में महिला तथा बाल विकास मंत्रालय योजना, नीतियां तथा कार्यक्रम का निर्माण करता है। यह कानूनों को लागू करता है एवं उसमें सुधार भी लाता है। यह बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को दिशा-निर्देश देता है तथा उनके बीच तालमेल भी स्थापित करता है। इसके अलावा अपनी प्रमुख भूमिका निभाकर यह मंत्रालय बच्चों के लिए कतिपय अभिनव कार्यक्रम भी चलाता है। इसकी प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्न हैं-

1. **समेकित बाल विकास सेवाऐं (आईसीडीएस)-** समेकित बाल विकास सेवा विभाग की अग्रणी सेवा है, जो 2 अक्टूबर 1975 से प्रारम्भ किया गया है तथा कार्यक्रम के विस्तार के दृष्टि से पूरे विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजना है। समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत गर्भवती, शिशुवती महिलाएं एवं 6 वर्ष आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति सुधार हेतु सेवाऐं प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के साथ-साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाऐं विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं।

   यह योजना बच्चों की शुरूआती देखभाल और विकास से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,23,580 करोड़ रूपयों के बजट का आवंटन किया। पुनर्गठित और सशक्त आई0सी0डी0एस0 तीन चरणों में लागू की जायेगी। इसके पहले साल में (वर्ष 2012-13) में अत्यधिक बोझ वाले 200 जिलों को शामिल किया जायेगा। इनमें उत्तर प्रदेश के 41 जिले शामिल होंगे। दूसरे साल (वर्ष 2013-14) में 200 अतिरिक्ति जिले जोड़े जायेंगे, जिनमें विशेष श्रेणी वाले राज्यों और पूर्वोत्तवर क्षेत्र के जिले शामिल होंगे। तीसरे साल (वर्ष 2014-15) के दौरान बचे हुए जिलों को जोड़ा जायेगा।

   पुनर्गठित आ0ई0सी0डी0एस0 योजना के अधीन आंगनबाड़ी अब स्वास्थ्य, पोषण और महिलाओं एवं बच्चों के शुरूआती शिक्षण के लिए प्रथम ग्राम आउटपोस्ट होगी। 2 लाख आंगनबाड़ियों को पक्की इमारतें मिलेंगी। इन्हें बनवाने के लिए इनमें से प्रत्येग आंगनबाड़ी को साढे चार लाख रूपये दिए जायेंगे और 70 हजार आंगनबाड़ियों या पांच प्रतिशत मौजूदा आंगनबाड़ियों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह कामकाजी माताओं के लाभ के लिए 'क्रेच' की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। पूरक आहार के लिए भी अब बच्चों के लिए (6-72 महीने) चार रूपये की जगह छह रूपये दिए जायेंगे, बेहद कम वजन वाले बच्चों को 6 रूपये की जगह 9 रूपये तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को 5 रूपये की जगह 7 रूपये दिए जायेंगे।

   समेकित बाल संरक्षण योजना(आईसीपीएस) के तहत मंत्रालय मुश्किल परिस्थितियों से घिरे तथा अन्य असहाय बच्चों को सरकार सामाजिक संगठनों की भागीदारी के माध्यम से सुरक्षित वातावरण उपलब्ध

कराता है। इस योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा के लिए पहले से मौजूद मंत्रालय की योजनाओं को एक व्यापक योजना के दायरे में लाया गया है और इसमें बच्चों की सुरक्षा करने और उन्हें नुकसान पहुँचने से बचाने के लिए कई अन्य कदम उठाये गये हैं। बाल कल्याण समिति(सीडब्ल्यूसी) और किशोर न्याय बोर्ड(जेजेबी) जैसी वैधानिक संस्थाऐं क्रमश: 619 और 608 जिलों में काम कर रही हैं और विविध प्रकार के 1195 गृह वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। आपात स्थिति में बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए 'चाइल्ड लाइन' सेवा चलायी जा रही है। यह सेवा चौबीस घंटे की फोन हेल्पलाइन(1098) के माध्यम से चलायी जा रही है। इसका दायरा बढाते हुए इसमें देश के 274 शहरों/जिलों को शामिल किया गया है। आई0सी0पी0एस0 के कार्यान्वायन से पहले इसके दायरे में 83 शहर आते थे।

इन कार्यक्रमों और योजनाओं के अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश के बहुत से हिस्सों में घटते बाल लिंगानुपात से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना का निरूपण कर रहा है। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के ज्ञान और विचार शामिल करने के साथ-साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। बेहतर सुविधाऐं प्रदान करने के लिए 'राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना' का भी पुनर्गठन किया जा रहा है।

समेकित बाल विकास सेवा संस्थान अर्थात् 'इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज' अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। बच्चों के समग्र विकास के लिए मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवाओं का क्रियान्वयन करता रहा है। जिसके तहत पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाऐं, स्कूल जाने से पहले के अनौपचारिक शिक्षा का एक पैकेज प्रदान किया जाता रहा है। एक नोडल रिसोर्स एजेन्सी के रूप में, समेकित बाल संरक्षण योजना (इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम) की एक नई योजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षण की जिम्मेदारियां और क्षमता निर्माण सौंपे गए हैं। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नोडल इंस्टीच्यूट के रूप में सार्क देशों के संस्थानों के विशेषज्ञता हेतु दो महत्वपूर्ण मुद्दों, बाल अधिकार और महिला और बच्चों की ट्रैफिकिंग की रोकथाम पर प्रशिक्षण सुझाव के लिए भी मनोनीत किया गया है तथा इसके प्रदर्शन को 1985 में यूनिसेफ द्वारा मान्यता दी गई थी जब इसे बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'मॉरिस पेट अवार्ड' प्रदान किया गया था।

2. **कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह पर रोक-** कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से, जन्म पूर्व लिंग जाँच एवं 'कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम, 1994' भारत में लागू है। इसे और सख्ती के साथ लागू करने के कानूनी एवं प्रशासनिक प्रयास किये जा रहे हैं। भारत में निरन्तर घटते लिंग अनुपात से यह वर्तमान समय में नितान्त आवश्यक है। बाल विवाह को रोकने के लिए 'बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम, 1929' के स्थान पर 'बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 2006' को कारगर बनाया गया है।
3. **सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम-** सड़क पर रहने वाले अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को पुनः सामाजिक मुख्यधारा में लाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 90

प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है तथा अन्य 10 प्रतिशत अन्य संस्थान। इसके अन्तर्गत ऐसे बच्चों को आश्रय, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाते हैं।

4. **किशोर न्याय देखभाल एवं बाल संरक्षण अधिनियम, 2000-** जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में यह अधिनियम 1 अप्रैल 2000 से लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत 'किशोर न्याय बोर्ड' का गठन किया गया है। जिला स्तर पर क्रियाशील इस बोर्ड में एक महादण्डाधिकारी, दो सामाजिक कार्यकर्ता (जिनमें एक महिला होना आवश्यक है) शामिल होते हैं।
5. **चाइल्ड लाइन सेवाऐं-** आपात स्थिति में बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए 'चाइल्ड लाइन' सेवा चलाई जा रही है। यह सेवा चौबीस घंटे की फोन हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से चलाई जा रही है। इसका दायरा बढ़ाते हुए इसमें देश के 274 शहरों/जिलों को शामिल किया गया है। इसके लिए सरकार ने 'चाइल्ड लाइन इंडिया फाउन्डेशन' की स्थापना भी की है।
6. **नकद राशि प्रोत्साहन-** बालिकाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 3 मार्च 2008 को इस योजना की शुरुआत की गयी। धनलक्ष्मी, बीमा कवर आदि कन्या शिशु के अस्तित्व को बचाये रखते हुए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कन्या को कुछ शर्तें पूरी करने पर 18 वर्ष की उम्र में सरकार द्वारा एक लाख की नकद धनराशि प्रदान की जाती है।
7. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम-** महिला विकास एवं बाल मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से भी ढेरों कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रही है। यूनिसेफ के सहयोग से कुपोषण एवं बाल हिंसा रोकने के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कटौती, कन्या शिशु को प्रोत्साहन तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी इसके उद्देश्यों में शामिल हैं।
8. **बाल दिवस एवं बाल पुरस्कार-** भारत सरकार बच्चों के प्रति सद्-भाव पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 14 नवम्बर को बाल दिवस का आयोजन करती है। ताकि किशोरों एवं किशोरियों में राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक लगाव महसूस हो सके तथा वे समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को भी जान सकें। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार तथा असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी इसी दिशा में सार्थक प्रयास है।
9. **राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार-** यह पुरस्कार 1994 में प्रारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने वालों को एक लाख नकद पुरस्कार दिया जाता है।

6.5 महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की भूमिका

विकास महिला एवं बाल मंत्रालय महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके हितों की देखभाल एवं उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर संविधान सम्मत कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रहा है। वर्ष 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाये जाने के पश्चात सरकार महिलाओं की गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में सरकार ने वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप मनाकर महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा

को सुधारने की दिशा में साहसिक कदम उठाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील है कि अधिकतम प्रगति की सम्भावना हमेशा बनी रहे। सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की ढेरों योजना वर्तमान में संचालित हैं, जिनकी संख्या तीन हजार के आसपास है। मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे अधिकतर कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाये जा रहे हैं। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के अधिक सक्रिय भागीदारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुख्य कदम में समेकित बाल विकास सेवाओं तथा किशोरी शक्ति योजना, किशोरियों के लिए एक पोषण कार्यक्रम, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन करना तथा घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम को लागू करना शामिल हैं।

हाल में ही मंत्रालय ने कार्यस्थतल पर महिलाओं के साथ 'यौन प्रताड़ना (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013' को मूर्त रूप प्रदान किया है। यह ऐतिहासिक कानून है, क्योंकि देश में इससे पहले कार्यस्थरल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं था। इस कानून के दायरे में सभी महिलाऐं आती हैं। चाहे वह किसी भी उम्र की हों और किसी भी निजी या सार्वजनिक कार्यस्थल में कार्यरत हों तथा घरेलू सहायक और असंगठित एवं अनौपचारिक सहित किसी भी कार्य में संलग्नक हों। इस कानून के दायरे में ग्राहक एवं उपभोक्ता भी आते हैं। नये कानून के दायरे में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र के विभाग, कार्यालय, शाखा, ईकाई तथा अस्पतालों, नर्सिंग होम, शैक्षिक संस्थाओं, खेल संस्थानों, स्टेडियम, खेल परिसरों, सहित ऐसे सभी स्थलों को शामिल किया गया है, जहाँ अपने काम के सिलसिले में कर्मचारी को जाना पड़ता है। इसमें परिवहन के साधन भी शामिल हैं। इस कानून को लागू करने के लिए नियमों का निर्धारण किया जा रहा है।

बच्चों से दुर्व्यवहार की बढती घटनाओं के मद्देनजर मंत्रालय ने एक विशेष कानून, 'यौन उत्पीडन से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' बनाया है। यह कानून 14 नवम्बर 2012 से लागू हो गया। यह कानून कड़े दण्ड के माध्यम से बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी सहित कई तरह के अपराधों से संरक्षण मुहैया कराता है। यह कानून विशेष न्यायालयों को ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई, न्यायालयों में बच्चों के अनुरूप प्रक्रियाऐं और ऐसे मामलों की पुलिस या उचित प्राधिकरण को सूचना ना देने तथा उकसाने और झूठी शिकायत, झूठी सूचना देने वालों के लिए दण्ड का अधिदेश देता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने कुष्ठ रोग, तपेदिक, हेपेटाइटस-बी आदि जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए वर्ष 2011 में 'किशोर न्याय (देखभाल एवं बाल संरक्षण) अधिनियम, 2000' का संशोधन किया।

इस प्रकार एक समतामूलक समाज की स्थापना हेतु यह मंत्रालय निरन्तर अग्रसर है। किन्तु इतनी सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में अनेक समस्याऐं खड़ी हो जाती हैं। भारत का संघीय प्रशासनिक ढ़ाँचा इतना व्यापक एवं जटिल है कि इसमें से कोई भी योजना या नीति जमीनी स्तर तक पहुँचने से पहले ही काफी विकृत हो जाती है। दूसरी ओर सामान्य जनता की इनसे बेरुखी, भ्रष्टाचार एवं अन्य दुर्गुणों की ओर धकेलती है। आवश्यकता है कि इन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक सहभागी बनाया जाये। सरकार एवं मंत्रालय द्वारा बनायी गयी नीतियों का सही एवं उचित क्रियान्वयन ही आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक हो सकता है, फिर भी प्रयास सराहनीय हैं। इससे क्रान्तिकारी परिवर्तन तो नहीं लेकिन गुणात्मक वृद्धि के संकेत अवश्य मिलने लगे हैं।

अभ्यास प्रश्न-

1. महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई?

2. महिला एवं बाल विकास विभाग विभाग को मंत्रालय का दर्जा कब से दे दिया गया है?
3. राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था?
4. स्त्री शक्ति पुरस्कारों की संख्या कितनी है?
5. दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा बाल विकास कार्यक्रम कौन सा है?

6.6 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह जान चुके होंगे कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की भावना के अनुरूप महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने एवं गति देने के लिए किया गया है। यह विभाग अनेक योजनाओं का संचालन भी अपने सहयोगी संस्थाओं की मदद से करता है, किन्तु इतनी सारी योजनाओं को लागू करने में अनेक समस्याऐं हैं। भारत का संघीय प्रशासनिक ढ़ाँचा इतना जटिल एवं व्यापक है कि इसमे से कोई भी योजना या नीति जमीनी स्तर तक पहुँचने से पहले ही काफी विकृत हो जाती है, फिर भी प्रयास सराहनीय है। इससे क्रान्तिकारी परिवर्तन तो नहीं लेकिन गुणात्मक परिवर्तन अवश्य आया है। इस इकाई के अध्ययन से आप महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की संरचना एवं कार्य तथा इसकी भूमिका का विश्लेषण कर इसे अभिव्यक्त कर सकेंगे।

6.7 शब्दावली

संविधान- कानूनों का संग्रह या देश का सर्वोच्च कानून, विकास- समाज के प्रत्येक वर्ग के सभी क्षेत्रों में विकसित होना, स्वावलम्बन- आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण- बहुआयामी विकास के साथ आत्मनिर्भरता

6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सितम्बर 1985, **2.** 30 जनवरी 2006, **3.** वर्ष 1992, **4.** पांच, **5.** समेकित बाल विकास कार्यक्रम(आई0सी0डी0एस0)

6.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुषमा यादव एवं राम अवतार शर्मा, (1997) भारतीय राजनीति ज्वलंत प्रश्न, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. दयाकृष्ण मिश्र, (2008) सामाजिक प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
3. वी0 जगन्नाथन, (1967) सोशल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, द इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नयी दिल्ली।

6.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. मनोज सिन्हा, (2010) प्रशासन एवं लोकनीति, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
2. डी0 आर0 सचदेव, (2009) भारत में समाज कल्याण प्रशासन, किताब महल, नई दिल्ली।

3. जागृति, कल्याण योजनाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण, कुरुक्षेत्र महिला विशेषांक, मार्च 2009, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

6.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की संरचना का वर्णन कीजिए।
2. महिला एवं शिशु कल्याण विभाग के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए।
3. महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

इकाई- 7 भारतीय संविधान में समाज कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध: महिलाओं और अल्पसंख्यकों के विशेष सन्दर्भ में

इकाई की संरचना

7.0 प्रस्तावना
7.1 उद्देश्य
7.2 भारतीय संविधान में समाज कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध
7.3 महिला कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध
7.4 अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध
7.5 सारांश
7.6 शब्दावली
7.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
7.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
7.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
7.10 निबन्धात्मक प्रश्न

7.0 प्रस्तावना

इससे पूर्व की इकाई के अध्ययन के बाद आप सामाजिक न्याय के विविध पहलुओं से परिचित हुये होंगे। भारत एक संघीय राज्य है जिसकी प्रकृति लोककल्याणकारी राज्य की है। संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप ही समाज कल्याण सम्बन्धी प्रावधानों का व्यापक वर्णन संविधान में किया गया है। सामाजिक कल्याण सम्बन्धी प्रावधान हर स्तर पर पर व्याप्त विभेद को समाप्त करने के प्रयास है। आर्थिक-सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास समाज कल्याण सम्बन्धी प्रावधानों से ही सम्भव है। भारत संविधान में विविध निर्बल वर्गों को सबल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि सामाजिक समरसता आ सके तथा सभी वर्ग राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

7.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- भारतीय संविधान में वर्णित समाज कल्याण सम्बन्धी प्रावधानों के बारे में जान सकेंगे।
- आप यह जान सकेंगे कि विविध वर्गों के लिए संविधान में यथासंभव आवश्यक कदम उठाये गये हैं।
- आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना, कार्य एवं भूमिका के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होगा।

7.2 भारतीय संविधान में समाज कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके साथ ही ऐतिहासिक-सामाजिक वास्तविकता, पिछड़े एवं समाज के हाशिये पर चले गये वर्गों एवं जातियों के कल्याण की जरुरत को स्वीकार करता है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की संकल्पना इन वर्गों के विकास एवं सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। प्रस्तावना भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य के बारे में इंगित करते हैं-

1. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद- 38)
2. सभी नागरिक, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। (अनुच्छेद- 39ए)
3. कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के लिए राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाऐं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद- 43)
4. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार- राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा। (अनुच्छेद- 41)
5. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि- राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। (अनुच्छेद- 46)

इन निर्देशक तत्वों से कल्याणकारी राज्य का दर्शन प्रदर्शित होता है। भारत आर्थिक योजना से अपने इस आदर्श को पूरा करने का प्रयास कर रही है। पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील कानूनों से सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी कदम उठाये गये हैं, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ है। समान उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न अधिकारों, योजनाओं, कार्यक्रमों और महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से

सम्बन्धित संस्थाओं की गतिविधियाँ, आर्थिक-सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद- 36 से 51 तक में निर्देश के रूप में ऐसे प्रावधान शामिल किये गये हैं, जिन्हें राज्यों (केन्द्र या राज्य सरकार) को पालन करना चाहिये और इनके पालन से भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सकता है।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व एक आदर्श प्रारूप हैं, लेकिन सरकार इसका पालन ही करे, ऐसी बाध्यता नहीं है। इसलिए इनके पालनन करने की स्थिति में न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती है। मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्व में मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए हैं, तो वहीं नीति निर्देशक राज्य (सरकारों) के लिए हैं। संविधान में वर्णित इन राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अनुरूप भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के माध्यम से उपेक्षित और कमजोर समुदायों का सशक्तिकरण की एक व्यापक सामाजिक कल्याण प्रणाली की स्थापना की है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और व्यापक स्तर पर अन्य समुदायों की वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता की बेहतरी के लिए कई कार्यक्रमों को मूर्त रुप दिया गया है। भारत सरकार का उद्देश्य ऐसी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना है, जिससे विधानों या कानूनी संशोधनों और मार्गदर्शन एवं समन्वय द्वारा महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को समर्थन मिल सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ नवाचार कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करता है। इन कार्यक्रमों में कल्याण और सहायता सेवाओं, रोजगार और आय सृजन के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता और लिंग संवेदीकरण जैसे विषय को शामिल करने का प्रयास किया जाता है।

भारत सरकार ने अपने नागरिकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के रुप में वर्गीकृत किया है। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के संरक्षण और सुरक्षा उपायों को निर्धारित किया गया है। उनकी शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर कर सकारात्मक प्रयास किये जाने पर संविधान बल देता है। इन सामाजिक समूहों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जैसी सांविधिक निकाय संस्थाओं की प्रतिबद्धताऐं भी प्रदान की गई हैं। आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची गतिशील रखी गई है। अर्थात् इसमें जातियों और समुदायों जोड़ा या हटाया जा सकता है और सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कारकों के आधार पर समय-समय पर इसे बदला जा सकेगा। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दिया गया है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार का सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय समाज कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों का क्रियान्वयन भी करता है। यथा- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के प्रशासन के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों का प्रशासन; भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993; राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993; राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999; वक्फ अधिनियम, 1995; निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000;

अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए अनेक छात्रवृतियां और योजनाऐं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती हैं। अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिए दसवीं कक्षा पूर्व छात्रवृति प्रदान की जाती है। राजीव गाँधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अन्तर्गत कनिष्ठ अनुसंधान, फेलोशिप के बराबर धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृतियां और अनुदान भी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग एवं पुस्तकें भी प्रदान की जाती हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के आर्थिक विकास के लिए सम्पूर्ण सहायता केन्द्र द्वारा दी जाती है। आदिम जातियों के विकास हेतु भी ढेरों योजनाऐं, जिनमें बालिका शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण शामिल है, का क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम तथा ट्राईफेड वित्तीय सहायता, उत्पादों के विपणन एवं वितरण में अनुसूचित जनजाति के लोगों की सेवा करता है।

मानवीय व्यापार का प्रतिषेध और बेगार, कारखानों में बच्चों आदि के रोजगार का निषेध, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, शैक्षिक संवर्धन और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों का संवर्धन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अन्तरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशे, अभ्यास और धर्म का प्रचार, जन्म, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध हेतु सरकार लगातार प्रयासरत रहा है। विकलांगता और वृद्ध व्यक्तियों एवं मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम से सम्बन्धित प्रावधानों को भी बखूबी लागू किया गया है।

सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय का विकलांगता विभाग, विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है, जिसकी संख्या जनगणना 2001 के मुताबिक 2.19 करोड़ हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का 2.13% भाग है। इनमें दृष्टि, श्रवण, वाणी, गति तथा मानसिक विकलांग शामिल हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना, मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन, शहरी गरीबी उपशमन, विकलांग और मानसिक रूप से मंद सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, रोजगार और बेरोजगारी सम्बन्धी मंत्रालय के प्रयास सराहनीय रहे हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का मुख्य कार्य सामाजिक असमानता, शोषण, भेदभाव और अन्याय से पीड़ित रहे समाज के उन वर्गों के लोगों के लिए समानता का व्यवहार सुनिश्चित करना है। मंत्रालय का सामाजिक रक्षा ब्यूरो मुख्य रूप से अनेक जरूरतों को पूरा करता है। ब्यूरो की नीति और कार्यक्रमों में आदर और सम्मान के साथ जीवन को बनाए रखना और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनने को प्रोत्साहित करना है। इस प्रक्रिया में ब्यूरो एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है और स्वैच्छिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है।

बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में महिला तथा बाल विकास मंत्रालय योजना, नीतियां तथा कार्यक्रम का निर्माण करता है। यह कानूनों को लागू करता है एवं उसमें सुधार भी लाता है। यह बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को दिशा-निर्देश देता है तथा उनके बीच तालमेल भी स्थापित करता है। समेकित बाल विकास सेवा विभाग की अग्रणी सेवा है, जो 2 अक्टूबर 1975 से प्रारम्भ किया गया है तथा कार्यक्रम के विस्तार के दृष्टि से पूरे विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजना है। समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत गर्भवती, शिशुवती महिलाएं एवं 6 वर्ष आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण

की स्थिति सुधार हेतु सेवाऐं प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के साथ-साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाऐं विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के तहत मंत्रालय मुश्किल परिस्थितियों से घिरे तथा अन्य असहाय बच्चों को सरकार सामाजिक संगठनों की भागीदारी के माध्याम से सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा के लिए पहले से मौजूद मंत्रालय की योजनाओं को एक व्यापक योजना के दायरे में लाया गया है और इसमें बच्चों की सुरक्षा करने और उन्हें नुकसान पहुँचाने से बचाने के लिए कई अन्य कदम उठाये गए हैं। बाल कल्याण समिति (सीडब्यूसी) और किशारे न्याय बोर्ड (जेजेबी) जैसी वैधानिक संस्थाऐं क्रमश: 619 और 608 जिलों में काम कर रही हैं और विविध प्रकार के 1195 गृह को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। आपात स्थिति में बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए 'चाइल्ड लाइन' सेवा चलाई जा रही है। यह सेवा चौबीस घंटे की फोन हेल्प लाइन (1098) के माध्यम से चलाई जा रही है। इसका दायरा बढाते हुए इसमें देश के 274 शहरों/जिलों को शामिल किया गया है। आई0सी0पी0एस0 के कार्यान्वयन से पहले इसके दायरे में 83 शहर आते थे।

इन कार्यक्रमों और योजनाओं के अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश के बहुत से हिस्सों में घटते बाल लिंगानुपात से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना का निरूपण कर रहा है। इसके लिए विभिन्न हित धारकों के ज्ञान और विचार शामिल करने के साथ-साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। बेहतर सुविधाऐं प्रदान करने के लिए 'राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना' का भी पुनर्गठन किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विकास एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यकलापों का नोडल मंत्रालय होने के नाते, ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के समग्र विकास की रणनीति में प्रमुख भूमिका निभाता है। ग्रामीण भारत में विकास में तेजी लाने के लिए बुनियादी ढ़ाँचा तैयार करने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आजीविका अवसरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ बहुआयामी रणनीति के द्वारा गरीबी का उन्मूलन कर, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कर, विकासात्मक विसंगतियों को सुलझाकर तथा समाज के अति दुर्बल वर्गों तक ग्रामीण क्षेत्र विकास को प्राथमिकता देकर ग्रामीण भारत का विकास सुनिश्चित किया गया है।

7.3 महिला कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध

भारतीय संविधान के भाग- 4 में वर्णित कुछ अनुच्छेद महिला कल्याण के बारे में इंगित करते हैं।

1. राज्य, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा। राज्य ने ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद- 38)
2. सभी नागरिक, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। (अनुच्छेद- 39ए)
3. कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि- राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाऐं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक

अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद- 43)

4. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार- राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा। (अनुच्छेद- 41)
5. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि- राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। (अनुच्छेद- 46)

महिलाऐं समाज के अभिन्न अंग हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की संकल्पना इनके विकास एवं सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में सकारात्मक रुख अपनाने के उपायों के लिए सरकार को भी सशक्त बनाया गया है। इसी भावना के अनुरूप भारत में संघीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित सभी मामलों का नोडल मंत्रालय है। सितम्बर 1985 में केन्द्रीय मंत्रालयों के पुनर्गठन के फलस्वरूप महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई। महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा उनके संवैधानिक हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लगातार प्रयासरत है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मंत्रालय के अधीन दो वैधानिक संगठन, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग कार्य कर रहे हैं। पांच स्वायत्त संगठन भी इस मंत्रालय के अधीन हैं- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), केन्द्रीय दत्तक संसाधन एजेन्सी (कारा), केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी), राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) तथा महिला अधिकारिता राष्ट्रीय मिशन (एनएमईडब्ल्यू)। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए वर्ष 1992 में एक शीर्ष सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए मार्च, 2007 में गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक राष्ट्र स्तरीय शीर्ष निकाय है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समाज कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों का क्रियान्वयन भी करता है। यथा- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28), संशोधित रूप- 1986; महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक अधिनियम,1986; सती (रोकथाम) अधिनियम का आयोग 1987 (1988 का 3)। इन अधिनियमों के तहत आने वाले अपराध के सम्बन्ध में आपराधिक न्याय का संचालन शामिल नहीं है- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (26.10.2006 से लागू); अंगीकरण, केन्द्रीय अंगीकरण संसाधन एजेन्सी व बाल हेल्पलाइन (चाइल्डलाइन) से जुड़े मुद्दे; किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2008 (2000 का

56); किशोर अपराधियों की परख (प्रोबेशन); बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006; बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2006; शिशु दुग्ध विकल्प, दुग्धपान बोतल तथा शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति व वितरण का नियमन) अधिनियम 1992, संशोधित-2005 (1992 का 41) का क्रियान्वयन आदि।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके हितों की देखभाल एवं उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

इसके अतिरिक्त भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय विकास की दौड़ में पीछे छूट रहा है और इस समुदाय के अन्दर महिलाओं की दशा तो और भी बुरी है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2007-08 में "अल्पसंख्यक महिलाओं के जीवन, आजीविका और नागरिक सशक्तीकरण" के लिए एक योजना चलायी, जिसका लक्ष्य है- अल्पसंख्यक समुदाय की वंचित महिलाओं तक विकास का लाभ पहुँचाना। अब इस योजना को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इस योजना को उपयुक्त तरीके से पुनर्गठित किया गया है और इसका नाम दिया गया "अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजना।"

7.4 अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध

संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। यद्यपि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। केवल अल्पसंख्यक जो धर्म या भाषा पर आधारित हैं, उनका उल्लेख किया गया है। भारत सरकार ने 29 जनवरी 2006 अल्प संख्यकों से सम्बन्धित मुद्दों की दिशा में और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के दृष्टिकोण से और अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने के लिए समग्र नीति और नियोजन, समन्वय और विनियामक ढ़ाँचे और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा सुविधा के लिए अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया था।

संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों के दो समूह प्रदान करता है, जिन्हें 'सामान्य क्षेत्र' तथा 'पृथक क्षेत्र' में रखा सकता है। वह अधिकार जो सामान्य क्षेत्र में आते हैं, वह अधिकार हैं जो हमारे देश के सभी नागरिकों लिए लागू होते हैं। वह अधिकार जो पृथक क्षेत्र में आते हैं, ये वह हैं जो केवल अल्पसंख्यकों पर लागू होते हैं और यह उनकी विशिष्टता को सरंक्षण प्रदान करने के लिए आरक्षित हैं। संविधान में 'सामान्य क्षेत्र' तथा 'पृथक क्षेत्र' के मध्य भिन्नता तथा इनके संयोग को अच्छी तरह स्थापित और संरक्षित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में राज्य को धर्म-निरपेक्ष घोषित किया गया है और यह आर्थिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। इनके लिए समान रूप से प्रांसगिक इसकी प्रस्तावना में की गई घोषणा है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, मत, आस्था तथा पूजा तथा स्थिति की समानता को सुनिश्चित किया जाता है।

संविधान में भाग- 3 में मौलिक अधिकारों के लिए प्रावधान किया गया है। इन्हें न्यायिक तौर पर भी कार्यान्वित कराया जा सकता हैं। भाग- 4 में कुछ न्यायेत्तर अधिकारों का अन्य समूह है, जिनका सम्बन्ध लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों से है। इन्हें राज्य के नीति-निर्देशक तत्व कहा जाता है। जिनके लिए राज्य कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है, लेकिन यह देश के शासन में मौलिक प्रवृति के हैं। यह राज्य का कर्त्तव्य है कि कानूनों के निर्माण में

इन सिद्धान्तों का लागू करें। (अनुच्छेद- 37) भारतीय संविधान के भाग- 4 में न्यायेत्तर नीति-निर्देशक सिद्धान्त शामिल हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश अल्प संख्यकों के निहितार्थ विशेष महत्व के हैं-

1. राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों या लोगों के समूह में स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करें, अनुच्छेद- 38 (2)
2. राज्य का उत्तरदायित्व है कि जनसाधारण के कमजोर वर्गों (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त) के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देते हुए इनका उत्थान करें।
3. मौलिक कर्त्तव्यों से सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद- 51 में सभी नागरिकों पर लागू होता है, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। यह प्रोत्साहित करता है।
4. धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय भिन्नताओं से परे भारत के सभी लोगों में मेल-मिलाप तथा आम भाईचारे को बढ़ाना हर नागरिक का कर्त्तव्य।
5. हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्त्व देना हर नागरिक का कर्त्तव्य है।

इसके अतिरिक्त संविधान में वर्णित कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जो अल्पसंख्यकों को विशेष तौर पर प्रदान कर उनकी भाषा एवं संस्कृति को बचाये रखने में सहायक हैं। वे इस प्रकार हैं-

1. नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को 'सुरक्षित' रखने का अधिकार, अनुच्छेद- 29 (1)
2. केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में जो राज्य द्वारा चलाया जा रहा हो या सहायता प्राप्त है, में दाखिले से इंकार करने पर पाबंदी, अनुच्छेद- 29 (2)
3. सभी धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी मर्जी के शैक्षणिक संस्थान खोलने तथा प्रबन्ध करने का अधिकार, अनुच्छेद- 30 (1)
4. राज्य से सहायता प्राप्त करने के मामले में अल्पसंख्यक प्रबन्धन की शैक्षणिक संस्थानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव का अभाव, अनुच्छेद- 30 (2)
5. किसी राज्य की आबादी के एक वर्ग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान, (अनुच्छेद- 347)
6. प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की सुविधा का प्रावधान, (अनुच्छेद- 350)
7. भाषाई अल्प संख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी तथा उसके कर्त्तव्य का प्रावधान; और
8. सिख समुदाय को कृपाण रखने तथा ले जाने का अधिकार, (अनुच्छेद-25)

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में अल्प संख्यकों को स्पष्ट रूप से अधिकार प्रदान किए गया हैं कि भारतीय समाज बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषाई तथा बहुजातीय होते हुए भी इसमें साम्प्रदायिक सद्-भाव एवं राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जन्मजात है। संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाये गये मापदण्ड और प्रावधानों में भारतीय राष्ट्र केवल व्यक्तिगत समूहों का तानाबाना नहीं है। भारतीय राष्ट्र एक ऐसा विशाल समूह है, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक नागरिक धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक, तथा जातीय होते हुए भी इसका सदस्य है। इन सभी समूहों को अन्य की भाँति मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों में कमजोर वर्गों से सम्बन्धित जरूरतों के विकास तथा संरक्षण के लिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा में भारतीय समाज को बहुलतावादी समाज

के रूप में अवधारित किया गया है, जहाँ कमजोर वर्गों का निर्धारण संख्या या सामाजिक, आर्थिक, खास समूह की शैक्षिक स्थिति पर आधारित है।

अभ्यास प्रश्न-

1. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है?
2. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है?
3. राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया?
4. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ा-वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है?
5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संसद द्वारा किस अधिनियम के तहत किया गया?

7.5 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह जान चुके होंगे कि संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गयी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की आवश्यकता पर बल देता है। प्रस्तावना भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की संकल्पना इन वर्गों के विकास एवं सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के संरक्षण और सुरक्षा उपायों को निर्धारित किया गया है। उनकी शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर कर सकारात्मक प्रयास किये जाने पर संविधान बल देता है। किन्तु इतने प्रावधानों को लागू करने में अनेक समस्याऐं और बांधा खड़ी करती हैं। भारत का प्रशासनिक ढ़ाँचा इतना जटिल एवं व्यापक है कि कभी-कभी मंशा साफ होने के बाबजूद प्रावधान ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाते। लोगों की सोच एवं सकारात्मक प्रशासनिक प्रयास प्रावधानों को सही दिशा दे सकते हैं।

7.6 शब्दावली

संविधान- कानूनों का संग्रह या देश का सर्वोच्च कानून, उपबन्ध- प्रावधान, संरचना- ढ़ाँचा

7.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. भाग- 4, **2.** अनुच्छेद- 36 से 51, **3.** वर्ष 1992, **4.** 27%, **5.** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम

7.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दुर्गा दास बसु,(2004), भारत का संविधान- एक परिचय, वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
2. पी0 एम0 बक्षी, (2008), द कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली।

3. सुषमा यादव एवं राम अवतार शर्मा,(1997) भारतीय राजनीति ज्वलंत प्रश्न, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

7.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. मनोज सिन्हा,(2010) प्रशासन एवं लोक नीति, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
2. वी0 जगन्नाथन, (1967) सोशल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, द इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली।

7.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. भारतीय संविधान में वर्णित समाज कल्याण सम्बन्धी उपबन्धों का वर्णन कीजिए।
2. संविधान में वर्णित महिला और अल्पसंख्यक कल्याण सम्बन्धी उपबन्धों का परीक्षण कीजिए।

इकाई- 8 मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

इकाई की संरचना

8.0 प्रस्तावना
8.1 उद्देश्य
8.2 क्या हैं मानवाधिकार?
8.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
8.3.1 आयोग का उद्देश्य
8.3.2 आयोग का गठन
8.3.3 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
8.3.4 अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग-पत्र और हठाया जाना
8.3.5 अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि
8.3.6 आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी
8.4 आयोग के कार्य एवं शक्तियां
8.4.1 आयोग की जाँच से सम्बन्धित शक्तियां
8.4.2 आयोग की अन्वेशण शक्तियां
8.4.3 शिकायतों की जाँच प्रक्रिया
8.5 राज्य मानव अधिकार आयोग
8.5.1 राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
8.6 मानव अधिकार न्यायालय और उसकी स्थापना
8.6.1 विशेष लोक अभियोजन
8.7 सारांश
8.8 शब्दावली
8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
8.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
8.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
8.12 निबन्धात्मक प्रश्न

8.0 प्रस्तावना

भारत में मानव अधिकारों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही भारत में मानव अधिकारों का उल्लेख मिलता है। भारत में जितना पुराना मानव अधिकारों का इतिहास है उतना ही पुराना इसकी प्राप्ति के संघर्ष का भी इतिहास है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीयों ने लगातार अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। यही संघर्ष विश्व समुदाय के लोगों ने भी किया। आधुनिक समय में भारत में मानव अधिकारों के लिए संघर्ष तो औपनिवेशिक काल में ही प्रारम्भ हो चूका था और इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जिस संस्था की

आवश्यकता थी उसकी शुरुआत तो 1930 के लगभग जवाहर लाल नेहरु और उनके सहयोगियों ने "नागरिक स्वतंत्रता संघ" की स्थापना के साथ ही हो गया थी। यह संघ जनता के बीच संदेश पहुँचाने में सफल रहा था। सन् 1974 में गठित नागरिक स्वतंत्रता संगठन ने भी यही कार्य किया। 1975 में जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में नागरिक स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए संघ का गठन किया गया, जिसका ध्येय राज्य सत्ता के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करना था। इसके साथ ही भारत के कई राज्यों में भी मानव अधिकार संगठनों का उदय हुआ। दिल्ली तथा मुम्बई में प्रजातांत्रिक अधिकारों की सुरक्षार्थ समिति बनी, वहीं बिहार में मुक्त विधिक सहायता समिति का गठन किया गया।

परन्तु राजनीतिक दृष्टि से इस दिशा में पहला कदम जनता पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा-पत्र में इसका उल्लेख किया गया। जनता पार्टी नागरिक अधिकार आयोग गठित करना चाहती थी तथा इस आयोग में सदस्यों के रुप में न्यायाधीशों को प्राथमिकता देना था। 1983 के पूर्ववर्ती वर्षों में अल्पसंख्यक आयोग ने सरकार से एक राष्ट्रीय एकाकारी मानवाधिकारी आयोग गठन करने की सिफासिश की तथा अल्पसंख्यक आयोग ने सरकार से इस आयोग को संवैधानिक अधिकार दिये जाने की भी मांग की।

1991 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठित करने की घोषणा की। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नरसिम्हा राव ने स्पष्ट रुप में घोषणा की कि किसी भी तरह से मानव अधिकारों के हनन् को सहन नहीं किया जा सकता है। 24 अप्रेल 1992 को कांग्रेस प्रवक्ता विठ्ठल नरहरि गाडगिल ने यह घोषणा की कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन, भूमिका और प्रकृति के विषय में एक राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है तथा वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाए। 14 सितम्बर 1992 के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन को लेकर एक प्रस्ताव रखा, लेकिन मिजोरम के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लनथनवाला ने आयोग के गठन से सम्बन्धित प्रस्ताव की यह कह कर आलोचना की कि भारतीय संविधान पहले से ही नागरिकों के अधिकारों के सुरक्षा की गारन्टी देता है और भारत में एक स्वतंत्र प्रेस के होते हुए इस तरह के आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी ने सचेत किया कि आयोग के कार्यों और अधिकारों की टकराहट पहले से स्थापित पहले से स्थापित संस्थाओं के विधिक कार्यों से नहीं होनी चाहिए। सम्मेलन में उपस्थित हिमान्चल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने सलाह दी कि एक ही राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोगों के कार्यों के साथ तालमेल कर सकता है। राजनीतिक दलों के अधिकांश राजनेता इस पक्ष में थे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन होना चाहिए, जिसके चलते केन्द्रीय सरकार इस दशा में कदम उठाने के लिए मानसिक रुप से तैयार हुई। इन भीतरी परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव अधिकारों को लेकर गतिविधियां तेज हो रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी दुनियां के देशों पर मानव अधिकारों के हनन् को रोकने का एक बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि तीसरी दुनियां के देशों के सामने गहरी आर्थिक व राजनीतिक चुनौती थी, इसलिए इन देशों में मानव अधिकारों का हनन् भी हो रहा था जिस कारण ये देश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाने के लिए प्रयासरत थे। भारत सरकार ने आयोग के गठन की दिशा में एक दिन में सभी कदम नहीं उठाए वरन् इसके पिछे भारत के भीतर बढती मानव अधिकार हनन् की घटनाऐं तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उनकी आलोचनाओं ने भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का मार्ग को प्रशस्त किया। इन कारणों के चलते भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानव

अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक 14 मई 1992 को संसद में रखा। विधेयक स्थायी समिति को सौंप दिया गया। 28 सितम्बर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश जारी किया गया, थोड़े-बहुत सुझावों एंव संशोधनों के उपरान्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया। इसके उपरान्त यह "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993" के रुप में सामने आया। इसी अधिनियम के तहत् 12 अक्टुबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ।

8.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन और उसके उद्देश्य को जान पायेंगे।
- आयोग का कार्य एवं शक्तियों के विषय में जान पायेंगे।
- राज्य मानव अधिकार आयोग के विषय में जान पायेंगे।

8.2 क्या हैं मानवाधिकार?

मानव अधिकार की भावना का उदय सभ्यता के साथ ही हो गया था। मनुष्य प्राणियों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि उसमें बुद्धि है और बुद्धि के प्रयोग से वह स्वतः की तथा दुसरों के सुख-सुविधाओं के विषय में सोचता है। इस परोपकारी सोच के कारण ही मनुष्य प्राणियों में श्रेष्ठ है और सभ्य कहलाता है।

अधिकार क्या हैं? कभी रुसो ने कहा था, "मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों(बन्धनों) में जकड़ा हुआ है।" इसका स्पस्ट अर्थ है कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। रुसो से पहले जॉन लॉक ने स्वतंत्रता, सम्पत्ति और जीवन को मनुष्य के मौलिक अधिकार बताये। फ्रान्स की राज्य क्रान्ति का नारा था "स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व।"

अधिकार का सामान्य अर्थ उन सुविधाओं और परिस्थितियों से है, जो सभ्य समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति के सर्वागीण विकास के लिए आवश्यक है। अधिकारों की धारणा का सम्बन्ध एक ओर व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं से तथा दूसरी ओर राज्य की गतिविधियों के क्षेत्र से है। इस सम्बन्ध में लास्की ने लिखा है, "प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों से आंका जाता है, बिना अधिकारों के स्वतंत्रता का आस्तित्व ही सम्भव नहीं है।" प्रत्येक मनुष्य में कुछ अन्तर्निहित शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों के विकास से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है, लेकिन उन शक्तियों के विकास के लिए मनुष्य को कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मनुष्य समाज के समक्ष कुछ मागें रखता है। ये मांगें अनेक प्रकार की हो सकती है, कुछ पूर्णतः स्वार्थ जनित, कुछ जनहित में तथा कुछ तटस्थ। समाज में प्रायः उन मांगों को मान लिया जाता है जो सार्वजनिक हित में हो तथा तटस्थ प्रगति की हो। समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी मांगों को, जिन्हें राजनीतिक सत्ता द्वारा भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, अधिकार कहते हैं।

अधिकार समाज की सृष्टि है। समाज द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही मांगें अधिकार का रूप लेती हैं। प्रायः कुछ विद्वान अधिकारों को राज्य की सृष्टि मानते हैं, वस्तुतः ऐसा नहीं है। जैसा कि लॉस्की ने इस सन्दर्भ में स्पष्ट किया है

कि "राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता अपितु उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करता है तथा किसी समय राज्य के स्वरूप को समाज द्वारा प्रदत्त अधिकारों की मान्यता के आधार पर ही समझा जा सकता है।"

समाज के बाहर अधिकारों की सृष्टि नहीं होती है। समाज द्वारा स्वीकृत ना किये जाने पर किसी मांग को बलपूर्वक कार्य रूप में लाया जा सकता है। उस दशा में अधिकार, अधिकार नहीं अपितु शक्ति हो जाते हैं, यह हॉब्स की प्राकृतिक दशा का चित्रण को दर्शाता है, कार्य रूप में इसका परिणाम यह होगा कि समाज अस्त-व्यस्त हो जायेगा। अतः मांग के पीछे समाज की स्वीकृति आवश्यक है। अधिकार समाज में ही सम्भव हैं। शून्य में व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते। इसीलिए विद्वानों द्वारा बार-बार यह कहा जाता है कि राबिन्सन क्रूसो जैसे व्यक्ति के निर्जन टापू में कोई अधिकार नहीं थे।

अधिकारों का स्वरूप आवश्यक रूप से जन कल्याणकारी होता है। उनका आधार ही सामाजिक कल्याण है। मैकन ने तो अधिकारों को इसी दृष्टि से परिभाषित करते हुए कहा कि "अधिकार सामाजिक हित के लिए कुछ लाभदायक परिस्थितियां हैं, जो कि वास्तविक विकास के लिए अनिवार्य है।" अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति और समाज के हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि उन्हीं मांगों को स्वीकृति प्रदान की जाये जो इस ध्येय की प्राप्ति में सहायक हो। यही कारण है व्यक्ति को कभी भी ऐसे कार्यों को करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है, जो उसने व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में बांधक हो, जैसे- जुआ खेलना, शराब पीना, आत्महत्या करना आदि। इन कार्यों से समाज के सामूहिक हित में भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

अधिकारों का सामूहिक हित से सम्बद्ध होना इस बात को तय करता है कि अधिकार और कर्त्तव्य परस्पर आबद्ध हैं। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्त्तव्य है। अतः अधिकारों का उपभोग उसी दशा में हो सकता है जब व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को भी स्वीकार कर ले। कर्त्तव्यों की पूर्ति के लिए ही व्यक्तियों को समाज द्वारा अधिकार प्रदान किये जाते हैं। हॉब्स ने इस सम्बन्ध में लिखा, "अधिकार और कर्त्तव्य सामाजिक कल्याण की दशाऐं हैं। समाज के प्रत्येक सदस्य का इस कल्याण के प्रति द्वैध सम्बन्ध है। उसका उसमें एक भाग है, वह उसके अधिकार हैं। उसको इसमें एक भाग लेना है- वह उसके कर्त्तव्य हैं।"

अधिकार का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि उसकी प्रत्याभूति राज्य द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। राज्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अधिकारों के पालन की उचित व्यवस्था बनाये। व्यक्तित्व के विकास की परिस्थितियों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलने पर भी तब तक वे अधिकार नहीं कहला सकते हैं, जब तक कि राज्य उनके संरक्षण व पालन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले लें, अर्थात् उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान ना कर दें। राज्य की स्वीकृति के अभाव में ऐसी मांगें परम्पराऐं व रीति-रिवाज हो सकती हैं, अधिकार नहीं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बोसांके ने कहा कि ''अधिकार वह मांग है, जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।''

सामान्यतया मानव अधिकारों को प्रकृति की देन माना जाता है। मानव का अपने जीवन के प्रति सुरक्षा की भावना उसके अपने अधिकारों के प्रति चेतना की प्रथम जागृति है। यद्यपि मानवाधिकार क्या हैं? इसे किसी एक पदबनध में बांध पाना सम्भव नहीं है। हैरल्ड लास्की ने मानवाधिकारों को परिभाषित करते हुए लिखा कि "Rights are those essential condition without a man can not do his best" बिना अधिकारों के मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अधिकार ही व्यक्ति को पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। मानव तथा अन्य प्राणियों में जो मुख्य अंतर है, विवेक तथा मनन व चिंतन करने की क्षमता। इसी क्षमता के कारण मानव सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। "यः मनन कारोति सः मानवः" अतः मनुष्य को अधिकार केवल इसलिए प्राप्त हैं कि वह अन्य प्राणियों की

अपेक्षा अधिक चिन्तनशील, तर्कसम्पन्न तथा मुल्य युक्त हैं। अधिकारों के अभाव में मानव के मानवीय गुणों का विकास तथा उसके आध्यात्मिक एंव भौतिक आकांक्षाओं की संतुष्टि सम्भव नहीं होगी।

सामान्य अर्थों में मानवाधिकार से आशय है, मानव चाहे वह किसी भी लिंग, धर्म, वर्ग व जाति का हो, किसी भी देश, प्रदेश का हो, अमीर हो या गरीब सभी को अपने पूर्ण विकास, सुरक्षा व सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होना चाहिए। अर्थात मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को मानव जाति का सदस्य होने के नाते तथा सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए व मानव जाति की श्रेष्ठता के लिए प्राप्त होते हैं। अधिकार मनुष्य को उसके सम्पूर्ण वयक्तित्व के विकास के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए तथा उसके शान्ति पूर्ण जीवन जीने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।

प्रश्न यह भी है कि कहाँ पर मानव अधिकारों की बात आती है? अगर बात करें प्रजातंत्रीय शासन-व्यवस्था की तो इस व्यवस्था में मौजुद संविधान तथा नियम-कानूनों को जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। एक लोककल्याणकारी राज्य का सपना इसी शासन-व्यवस्था में पूर्ण होता है। सामान्य जन की सुरक्षा, उसकी स्वतंत्रता उसके अधिकार इन सभी को ध्यान में रखकर प्रजातंत्रीय शासन-व्यवस्था का जन्म हुआ है। जन-सामान्य के हितों का पूर्ति के लिए एक चुनी हुई सरकार होती है, उन्हें न्याय मिल सके इसके लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, जन-सामान्य सुरक्षित रह सके इसके लिए पुलिस प्रशासन होता है। ये सब होने के उपरान्त भी जन-सामान्य में असुरक्षा की भावना घर कर गयी है, लोग अपनी सामान्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, न्याय मिल सके, निष्पक्ष न्याय मिल सके इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो एसी स्थिति में जब कि सब कुछ मौजुद है और प्राप्त नहीं हो रहा है तब अधिकारों, मानवाधिकारों की बात आती है।

8.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को निम्न बिन्दुओं के अध्ययन के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं।

8.3.1 आयोग का उद्देश्य

मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण तथा संवर्धन(प्रोत्साहन), करना आयोग का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

8.3.2 आयोग का गठन

1. केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी।
2. आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात-
   - एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है;
   - एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;
   - एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है;

- दो सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जायेंगे, जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आयोग के सदस्य समझे जाएंगे।
4. एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो यथास्थिति, आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करें।
5. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

8.3.3 आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

1. राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा, परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात-
    - प्रधानमंत्री- अध्यक्ष
    - लोकसभा का अध्यक्ष- सदस्य
    - भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधन मंत्री- सदस्य
    - लोकसभा के विपक्ष का नेता- सदस्य
    - राज्यसभा में विपक्ष का नेता- सदस्य
    - राज्यसभा का उपसभापति- सदस्य

परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

2. अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल समिति में कोई रिक्त होने के कारण अमान्य नहीं होगी।

8.3.4 अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना

1. अध्यक्ष या कोई सदस्य, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
2. उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किये जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।
3. उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य-

- दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या
- अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या
- मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या
- विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या
- किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डदिष्ट किया जाता है जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है।

8.3.5 अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि

1. अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।
2. सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र होगा। परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा।
3. अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी ओर नियोजन का पात्र नहीं होगा।

कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कार्यों का निर्वहन करना-

- अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।
- जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से सम्भालता है।

8.3.6 आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

1. केन्द्रीय सरकार, आयोग को भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी, जो आयोग का महासचिव होगा, आयोग को उपलब्ध करायेगी। ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक के स्तर से नीचे का ना हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो आयोग के कार्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो, केन्द्र सरकार आयोग को उपलब्ध करायेगी।
2. ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जायें, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।
3. उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारी के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

8.4 आयोग के कार्य एंव शक्तियां

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनेक कार्य हैं। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मानवाधिकारों का संरक्षण है और अन्य कार्य इसी से जुड़े हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा- 12 में आयोग के कार्यों/कृत्यों का उल्लेख किया गया है। जिसमें आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा-

1. किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर या स्वप्रेरणा से जाँच करना-
    - मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुरुपयोग किए जाने की जाँच करेगी तथा
    - ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा की गई उपेक्षा की, शिकायत के बारे में जाँच करेगी।
2. किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला है, उस मामले में हस्तक्षेप करना;
3. राज्य सरकार को सूचित करते हुए, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहाँ व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरूद्ध किया जाता है या रखा जाता है, उनके जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना;
4. संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षा उपायों का पुनरविलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यन्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;
5. ऐसी बातों का, जिनके अन्तर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती है, पुनरविलोकन करना और समुचित उपचार के उपायों की सिफारिश करना;
6. मानव अधिकारों से सम्बन्धित संधियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;
7. मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसको प्रोत्साहित करना;
8. समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षा उपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना;
9. मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों का उत्साहित करना;
10. ऐसे अन्य कार्यों को करना, जो मानव अधिकारों के प्रोन्नति के लिए आवश्यक समझे जायें।

इस प्रकार आयोग की परिधि में वे सभी कार्य आते हैं जो किसी ना किसी रुप में मानव अधिकारों से जुड़े होते है। वस्तुतः आयोग का कार्य मात्र मानव अधिकारों का संरक्षण करना ही नहीं है, अपितु मानव अधिकारों के प्रति जन सामान्य में जागरुकता फैलाना और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थाओं को प्रोत्साहित भी करना है।

8.4.1 आयोग की जाँच से सम्बन्धित शक्तियां

1. आयोग को, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जाँच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वे सभी शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है; अर्थात्-
    - साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;
    - किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
    - शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
    - किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;
    - साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
    - कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाये।
2. आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर सूचना देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जाँच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी हों, या उससे सुसंगत हो और जिस व्यक्ति से, ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 176 और धारा- 177 के अर्थ में ऐसी सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जायेगा।
3. आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा- 100 के उपबन्धों के, जहाँ तक वे लागू हों, अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जाँच की विषय वस्तु से सम्बन्धित कोई दस्तावेज वहाँ पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिगृहित कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा।
4. आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 175, धारा- 178, धारा- 179, धारा- 180 या धारा- 228 में वर्णित है, आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है तब आयोग, अपराध गठित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा, जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरूद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा। मानो वह मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा- 346 के अधीन उसको भेजा गया हो।
5. आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 193 और धारा- 228 के अर्थ में तथा धारा- 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा- 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

6. जहाँ आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है, वहाँ वह आदेश द्वारा, उसके समक्ष फाइल की गई या लम्बित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को, जिससे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भत होती है, अन्तरित कर सकेगा; परन्तु ऐसी कोई शिकायत तब तक अन्तरित नहीं की जायेगी, जब तक कि वह शिकायत ऐसी ना हो जिसके सम्बन्ध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता ना हो।
7. उपधारा (06) के अधीन अन्तरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्यवाही की जायेगी और उसका निपटारा किया जाएगा, मानो वह शिकायत आरम्भ में उसके समक्ष फाइल की गयी हो।

8.4.2 आयोग की अन्वेषण सम्बन्धी शक्तियां

1. आयोग, जाँच से सम्बन्धित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।
2. जाँच से सम्बन्धित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए-
    - किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;
    - किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; और
    - किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा।
3. धारा- 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के सम्बन्ध में लागू होते है।
4. जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है, वह जाँच से सम्बन्धित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट देगा।
5. आयोग, उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जाँच जिसके अन्तर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है, जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो, कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

8.4.3 शिकायतों की जाँच प्रक्रिया

आयोग, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जाँच निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से करता है-

1. केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा। लेकिन यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जाँच कर सकेगा। यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जाँच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरम्भ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित कर सकेगा;
2. क्रम 1 में अन्तर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि आयोग, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जाँच आरम्भ कर सकेगा।

आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जाँच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात्-

1. जहाँ जाँच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहाँ वह सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी को-
    - शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसान का संदाय(भुगतान) करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे;
    - सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरम्भ करने या कोई अन्य समुचित कार्यवाही करने के लिए सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे;
    - ऐसी अन्य कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे;
2. उच्चतम न्यायालय या सम्बन्धित उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के लिए जो, वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करना;
3. जाँच के किसी प्रक्रम पर सम्बद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अन्तरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना;
4. आयोग अपनी जाँच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणी आयोग को भेजेगा, जिसके अन्तर्गत उस पर की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही है;
5. आयोग, सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अपनी जाँच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही को प्रकाशित करेगा।

8.5 राज्य मानव अधिकार आयोग

1. कोई राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गये कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी, जिसका नाम (राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा।
2. राज्य आयोग ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्-
    - एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है;
    - एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव है;
    - एक सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।
    - एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करें।
3. राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
4. कोई राज्य आयोग केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से सम्बन्धित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जाँच कर सकेगा।
5. परन्तु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारें में जाँच नहीं करेगा।

परन्तु जम्मू-कश्मीर मानव अधिकार आयोग के सम्बन्ध में, यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो "केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से सम्बन्धित विषयों की बाबत" शब्द और अंकों के स्थान पर ''जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से सम्बन्धित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधान-मण्डल को विधियां बनाने की शक्ति है" शब्द और अंक रख दिए गए हों।

6. दो या दो से अधिक राज्य सरकारें, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ-साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेगी, यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता हैः

परन्तु उस राज्य की बाबत जिसके लिए, यथास्थिति, सामान्य अध्यक्ष या सदस्य दोनों नियुक्त किये जाने हैं इस धारा के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति धारा- 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात की जाएगी।

8.5.1 राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा। परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात की जायेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात-

- मुख्यमंत्री- अध्यक्ष
- विधानसभा का अध्यक्ष- सदस्य
- राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री- सदस्य
- विधानसभा में विपक्ष का नेता- सदस्य

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य में विधान परिषद है, वहाँ उस परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे।

परन्तु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश, सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा नहीं। राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है।

8.6 मानव अधिकार न्यायालय और उसकी स्थापना

न्याय प्रणाली को गति प्रदान करने का कार्य न्यायालय का होता है। न्यायालयों के माध्यम से ही पीड़ित एंव व्यथित व्यक्तियों को न्याय प्राप्त होता है। अधिकारों में संशोधन भी न्यायालयों द्वारा ही होता है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए भी न्यायालय स्थापित हो।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा- 30 में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना में विषय में कहा गया है कि "मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित मामलों के त्वरित विचारण हेतु राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले के लिये एक सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रुप में विनिर्दिष्ट कर सकती है।" ऐसा करने से पहले राज्य सरकार को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सहमति प्राप्त करनी होगी, इन न्यायालयों का कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित मामलों/अपराधों का निपटारा करना होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, कोई सेशन न्यायालय पहले से ही मानवाधिकारों से सम्बन्धित मामलों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है; अथवा मानवाधिकारों से सम्बन्धित मामलों के लिए पहले से ही कोई विशेष न्यायालय गठित है; तो इस धारा के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, अर्थात राज्य सरकार के लिए अधिसूचना जारी कर ऐसे न्यायालय को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मानवाधिकार संरक्षण की की धारा- 30 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय होना चाहिए। ऐसा न्यायालय पृथक से विशेष न्यायालय हो सकता है; या सेशन न्यायालय को ही मानवाधिकार न्यायालय के रुप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973 की धारा- 9 में प्रविधिक है कि प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय होगा। सेशन न्यायालयों की अधिकारिता के विषय में प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 26 में किया गया है। इस धारा के अनुसार सेशन न्यायालय को भारतीय दण्ड संहिता की परिधि में आने वाले मामलों की सुनवाई की अधिकारिता तो होती ही है, परन्तु इसी धारा के खण्ड (ख) के अन्तर्गत ऐसे मामलों का विचारण भी हो सकता है जो किसी अन्य विधि के अधीन विनिर्दिष्ट हैं। मानवाधिकार सम्बन्धी मामले भी इसी खण्ड के अर्न्तगत आते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा- 30 में मानवाधिकार मामलों के विचारण के लिए सेशन न्यायालय को अधिकार प्रदान किये गये हैं, इसलिए सेशन न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों का विचारण किया जा सकता है।

8.6.1 विशेष लोक अभियोजन

मानवाधिकार न्यायालयों में राज्य की ओर से मामलों की पैरवी करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा- 31 में विशेष लोक अभियोजनों को नियुक्त करने के विषय में प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए किसी को लोक अभियोजन के रुप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, अथवा किसी को विशेष लोक अभियोजन के रुप में नियुक्त कर सकती है। इस लोक अभियोजन अथवा विशेष लोक अभियोजन के लिए ऐसे अधिवक्ता पात्र होंगे, जिन्हें कम से कम सात वर्षों के वकालत का अनुभव रहा हो। लोक अभियोजन को नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रावधान 'दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973' की धारा- 24 में किया गया है। इसकी उपधारा (7) में लोक अभियोजन के लिए न्यूनतम सात वर्षों का अधिवक्ता के रुप में अनुभव का होना निर्धारित किया गया है।

अभ्यास प्रश्न-

1. 'नागरिक स्वतंत्रता संघ' की स्थासपना कब हुई?
   क. 1905 ख. 1910 ग. 1915 घ. 1930
2. किस भारतीय राजनीतिक दल द्वारा 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' के गठन की घोषणा अपने चुनावी घोषणा-पत्र में की गयी?
   क. कांग्रेस ख. भारतीय जनता पार्टी ग. जनता दल घ. मार्क्सवादी दल
3. मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयक संसद में कब रखा गया?
4. 12 अक्टुबर 1993 को राष्ट्री य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। सत्य/असत्य
5. यह कथन किसका है कि "मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है।"
   क. हॉब्स ख. लॉक ग. रूसो घ. इनमें से कोई नहीं
6. फ्रान्सीसी राज्य क्रान्ति का नारा था "स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व।" सत्य/असत्य
7. मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण और संवर्धन आयोग का उद्देश्य है। सत्य/असत्य

8. उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्याययाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। सत्य/असत्य
9. आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक होता है। सत्य/असत्य

8.7 सारांश

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त, निष्पक्ष एंव न्यायप्रिय संस्था है। बुनियादी प्रश्न यह है कि आयोग द्वारा दिये गये सुझावों और सिफारिशों पर भारत सरकार या कोई राज्य सरकार कितनी अमल करती है? दुनिया के प्रत्येक मानव अधिकार से सम्बन्धित संस्था की अलग-अलग स्थिति है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक विधि आधारित संस्था है।

8.8 शब्दावली

अन्वेाशण- जाँच, संवर्धन- प्रोत्साहन, त्वरित- जल्दी या शीघ्र, समीचीन- उचित या ठीक होना

8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. घ, **2.** क, **3.** 19 मई 1992, **4.** सत्य, **5.** ग, **6.** सत्य , **7.** सत्य , **8.** सत्य, **9.** असत्य

8.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अरुण राय, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- गठन, कार्य और भावी परिदृष्य।
2. भारत में मानव अधिकार आयोग की भूमिका, न्यायमूर्ति डॉ ए0 एस0 आनन्द।
3. डा0 गुरुबक्श सिंह, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993,
4. डा0 बन्सीलाल बावेल, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993,
5. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993, संशोधित रुप में (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित)

8.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम- 1993, संशोधित रुप में (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित)
2. अरुण राय, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- गठन कार्य और भावी परिदृष्य।
3. भारतीय प्रशासन, अवस्थी एवं अवस्थी, संस्करण 2009-10

8.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर विस्तृत चर्चा कीजिय।
2. मानवाधिकार क्या हैं? विस्तार से स्पष्ट करें।

इकाई- 9 राष्ट्रीय महिला आयोग

इकाई की संरचना

9.0 प्रस्तावना
9.1 उद्देश्य
9.2 राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य एवं गठन
    9.2.1 उद्देश्य
    9.2.2 गठन
9.3 आयोग के कार्य एवं शक्तियां
9.4 आयोग से सम्बन्धित विभाग
    9.4.1 शिकायत विभाग
    9.4.2 विधि विभाग
    9.4.3 अनुसंधान विभाग
    9.4.4 निगरानी विभाग
    9.4.5 जन-सम्पर्क, पुस्तकालय और प्रशासन विभाग
9.5 आयोग का अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व
9.6 संविधान और संविधान प्रदत्त विधियों में महिला अधिकार
9.7 सारांश
9.8 शब्दावली
9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
9.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
9.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
9.12 निबन्धात्मक प्रश्न

9.0 प्रस्तावना

महिलाऐं किसी भी समाज का एक अटूट अंग हैं। किसी भी तरह के कार्यों के सम्पादन में महिलाओं की भूमिका की अनदेखी करके उस कार्य के पूर्ण होने की कल्पना नहीं की जा सकती। महिलाओं की शक्ति और उनके ज्ञान, समाज और राष्ट्र निमार्ण में उनकी भागीदारी को स्वीकार करने के उपरान्त भी आज महिलाऐं अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए संर्घष कर रही है। प्रत्येक सभ्य समाज का यह दायित्व है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करें। मानव ने अपने विकास क्रम में समाज में महिलाओं की भूमिका में अनेक बदलाव किये और करता आया। पुरूष प्रधान समाज हर मोड़ पर उसके लिए एक नई चुनौती खड़ा करता गया। किन्तु राजनीतिक सोच और इच्छा शक्ति ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अनेक नियम-कानूनों का निर्माण किया, परन्तु स्थिति में कोई संतोषजनक सुधार नहीं हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक प्रयास किये गये। विश्व के देश ने भी अपने संविधानों में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और बराबरी का स्थान दिलाने के लिए प्रावधान किये हैं।

इसी कड़ी में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए वर्ष 1992 में एक शीर्ष संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत, जनवरी 1992 में, एक संवैधानिक निकाय के रूप में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया गया। महिला आयोग एक ऐसी इकाई है, जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है।

9.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य और गठन के विषय में जान पायेंगे।
- आयोग की कार्य एवं शक्तियों से अवगत हो पायेंगे।
- आयोग से सम्बन्धित विभागों के विषय में अवगत हो पायेंगे।
- संविधान द्वारा प्रदत महिला अधिकारों के सम्बन्ध में जान पायेंगे।

9.2 राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य एवं गठन

आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम- 1990 संख्या- 20 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अन्तर्गत राज्य महिला आयोग भी स्थापित किए गये हैं, जो अब अधिकांश राज्यों में काम कर रहे हैं।

9.2.1 उद्देश्य

महिलाओं के लिए संवैधानिक तथा कानूनी उपायों का पुनरीक्षित करने, उपचार के रूप में विधायी उपायों की संस्तुति करने, शिकायतों के निवारण को सुविधाजनक बनाने तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना, आयोग के मुख्य उद्देश्य हैं।

9.2.2 गठन

केन्द्र सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से जाना जायेगा, जो इस अधिनियम के अधीन दी गयी शक्तियों का प्रयोग करेगा और दिये गये कार्यों का सम्पादन करेगा। आयोग निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा गठित होगा-

1. केन्द्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति- अध्यक्ष।
2. योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट पांच सदस्य जो विधि अथवा विधापन, व्यवसाय संघ, किसी उद्योग अथवा संस्था जो नियोजन में महिलाओं की वृद्धि हेतु समर्पित हो, के प्रबन्धन महिलाओं के स्वैच्छिक संगठनों (महिला कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए), प्रशासन, आर्थिक विकास, शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अनुभव रखते हो।
3. परन्तु उपयुक्त में से कम से कम एक-एक सदस्य, क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में से होगा।

4. केन्द्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सचिव, जो प्रबन्ध, सामाजिक आन्दोलन के संगठनात्मक क्षेत्र का विशेषज्ञ हो अथवा एक अधिकारी हो, जो संघ की सिविल सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो अथवा संघ के अधीन को सिविल पद समुचित अनुभव के साथ धारण करता हो।

9.3 आयोग के कार्य एवं शक्तियां

आयोग निम्नलिखित कार्यों में सभी अथवा किसी को सम्पन्न कर सकेगा।

1. संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबन्धिय रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना।
2. केन्द्र सरकार को उन रक्षोपायों के क्रियान्वयन के बारे में वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर जब आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
3. ऐसी रिपोर्टों में संघ अथवा किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षापायों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।
4. संविधान और महिलाओं को प्रभावित करने वाली अन्य विधियों के वर्तमान उपबन्धों का समय-समय पर पुनरीक्षण और उसमें ऐसे संशोधनों के लिए सुझाव देना जिसमें ऐसे विधानों के लोप, अपर्याप्तता अथवा दोषों को दूर करने के लिए उपचारात्मक विधान के बारे में सुझाव हो।
5. संविधान अथवा महिलाओं से सम्बन्धित किसी अन्य विधियों के उपबन्धों के उल्लघंन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना।
6. परिवादों को देखना और निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में स्वप्रेरणा से ध्यान देना तथा ऐसे मामलों से उत्पन्न विवादों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।
7. महिलाओं को अधिकारों से वंचित करना।
8. महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने और समानता एवं विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्मित विधियों का लागू ना किया जाना, महिलाओं की कठिनाईयों को दूर करने और कल्याण को सुनिश्चित करने एवं अनुतोष प्रदान करने के सम्बन्ध में लिये गये नीतिगत निर्णयों, दिशानिर्देशों अथवा अनुदेशों का अनुपालन।
9. महिलाओं के विरूद्ध विभेद और अत्याचार से उत्पन्न विशेष समस्याओं अथवा परिस्थितियों के बारे में विशेष अध्ययन अथवा अन्वेषण करना तथा कारणों की पहचान करना, जिससे उनके निवारण हेतु उपाय सुझाया जा सके।
10. शैक्षिक और विकास परक शोध करना, जिससे कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सम्यक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाया जा सके और उनके विकास में अवरोध पैदा करने के लिए उत्तरदायी तत्वों यथा- निवास और मूलभूत सुविधाओं का आभाव, कठोर श्रम और व्यावसायिक स्वास्थ्य दशाओं को कम करने के लिए एवं उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु सेवाओं एवं तकनीकी की अपर्याप्तता, की पहचान करना।
11. महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु योजनाओं में सहभागिता तथा सुझाव।
12. केन्द्र और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

13. जेल, रिमाण्ड, गृह, महिला संस्थान अथवा अभिरक्षा के अन्य स्थान जहाँ महिलाओं को कैदियों के रूप में अथवा अन्य रूप में रखा जाता है, का निरीक्षण करना और यदि आवश्यक हो तो अनुतोष कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन करना।
14. महिलाओं के विस्तृत समुदाय को प्रभावित करने वाले विवादों को निर्दिष्ट करने वाले मामलों के लिए धन उपलब्ध कराना।
15. महिलाओं से सम्बन्धित किसी मामले तथा विशेष रूप से उन कठिनाईयों के बारे में, जिनमें महिलाऐं कार्य करती हैं, पर सरकार को सामाजिक रिपोर्ट देना।

9.4 आयोग से सम्बन्धित विभाग

समस्याओं के निवारण और महिलाओं के संवैधानिक रक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोग सरकार को सिफारिश करने, महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों के पूर्व प्रावधानों की समीक्षा कर, कमियों और त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार को सिफारिश करने, शिकायतों की जाँच के अलावा स्वप्रेरणा से भी महिला अधिकारों के वंचन पर ध्यान दें, कानूनी सुरक्षा के उपायों का उल्लंघन करने सम्बन्धी मामलों को सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष उठाने, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और प्रगति का मूल्यांकन करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य आयोग के जिस्मे हैं। इसके अलावा महिला सुधार गृहों, कारागारों तथा अन्य स्थानों जहाँ स्त्रियों को बंदी रूप में रखा जाता है, का निरीक्षण करना तथा उनके पुनर्वास के उपायों की सिफारिश करना भी महिला आयोग का एक प्रमुख काम है। आयोग अपने कार्यों का सम्पादन निम्न विभागों के माध्यम से करता है-

9.4.1 शिकायत विभाग

शिकायत विभाग आयोग के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, जिसके माध्यम से देश की महिलाऐं आयोग से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा- 10 के अन्तर्गत यह विभाग विभिन्न प्रकार की लिखित और मौखिक शिकायतों पर कार्यवाही करता है। शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग, पारिवारिक विवादों को दोनों पक्षों के बीच सलाह व समझौते द्वारा सुलझाने, यौन उत्पीड़न मामलों में सम्बन्धित संगठनों व संस्थानों को शीघ्र कार्यवाही के लिए प्रेरित करने, उन्हें आगाह करने तथा उनके निराकरण पर निगरानी रखने आदि उपायों द्वारा निबटाया जाता है। गम्भीर मामलों में आयोग स्वयं अपनी जाँच समिति गठित करता है, जो स्वयं घटना स्थल पर जाती है। कुछ मामलों में यह जाँच दल स्वप्रेरणा से भी काम करता है और उचित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करता है। इसके अतिरिक्तर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में कमी लाने के लिए मौजुद सरकारी तौर-तरीकों की कमियों को समझकर समय-समय पर सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए शिकायतों का विश्लेषण किया जाता है। शिकायतों का पुलिस, न्यायपालिका अभियोजकों, वकीलों, वैज्ञानिकों व अन्य प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के लिए अध्ययनों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इन कार्यों में राज्य महिला आयोगों, गैर-सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है।

9.4.2 विधि विभाग

महिलाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न कानूनों और नीतियों की समीक्षा करने सम्बन्धी आयोग का प्रमुख कार्य विधि विभाग में निष्पादित होता है। सभी न्यायिक मामलों, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के लिंग सम्बन्धी निर्णयों को संकलन करने के साथ यह विभाग कानूनी संशोधनों, नये विधेयकों की सिफारिशों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों, सशक्तीकरण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन भी करता है, जिसमें विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाता है। विधि विभाग हिरासत में रह रही महिलाओं और मानसिक चिकित्सालयों में रहने वाली महिलाओं की स्थितियों का अध्ययन कर सरकारों को उचित सलाह देता है।

9.4.3 अनुसंधान विभाग

इस विभाग का कार्य देश में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक मामलों का अध्ययन करना, लिंग-भेद से उत्पन्न विशेष स्थितियों व समस्याओं का विश्लेषण कर तदानुसार जाँच का प्रस्ताव करना, महिलाओं सम्बन्धी विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना तथा सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कराना, इस विभाग का कार्य है। साथ ही राज्य महिला आयोगों व सरकारों के सहयोग से सेमिनार व कार्यशालाऐं आयोजित कर, उपचारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना आदि कार्य भी यह विभाग करता है। इसके लिए आयोग ने दो विशेषज्ञ समितियाँ गठित की हैं, पहला- कानूनी विशेषज्ञों की समिति और दूसरा- महिला सशक्तीकरण समिति।

9.4.4 निगरानी विभाग

आयोग द्वारा की गई प्रत्येक जाँच की सिफारिशों पर की जाने वाली आगे की कार्यवाही पर निगरानी रखना, इस विभाग का विशेष काम है।

9.4.5 जन-सम्पर्क, पुस्तकालय व प्रकाशन विभाग

आयोग का जन-सम्पर्क विभाग, पुस्तकालय व प्रकाशन विभाग भी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जन-सम्पर्क विभाग सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ विभिन्न संगठनों, सरकारी विभागों व राज्य महिला आयोगों के कार्यों में तालमेल बैठाकर, नैटवर्किंग का काम भी करता है, जिसके लिए राज्य के दौरे भी आयोजित किये जाते हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा विभिन्न रिपोर्टों और जरूरी सूचनाओं वाली पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। रिपोर्टों से अध्येता और अनुसंधानकर्ता लाभ उठाते हैं, तो छोटी-छोटी सूचनाप्रद पुस्तिकाऐं आम महिलाओं के लिए, मामलों से सम्बन्धित जरूरी जानकारियाँ जुटाने में सहायक सिद्ध हुई हैं।

इस प्रकार, महिला आयोग के सारे क्रियाकलाप आज की भारतीय नारी को जागरूक, स्वस्थ्य, शिक्षित, आत्मनिर्भर तथा सांस्कृतिक रूप से भी सशक्त बनाने के लिए संकल्पित हैं। विशेष रूप से इस दिशा में महिला घर में व घर के बाहर सुरक्षित हो, उसे एक नागरिक के सभी अधिकार सहज प्राप्त हों और वह जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देने में सक्षम हो।

9.4.6 आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

आयोग, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाये, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूर्व विवरण देगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि केन्द्र सरकार को अग्रसारित करेगा। केन्द्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट को उसमें अन्तर्विष्ट अनुशंसाओं पर जहाँ तक वे केन्द्र सरकार से सम्बन्धित हो, की गयी कार्यवाही के ज्ञापन तथा ऐसी किसी अनुशंसा और संपरीक्षण रिपोर्ट को स्वीकृत ना करने के कारणों, यदि कोई हो, के साथ रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्त शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदना के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

9.5 आयोग का अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व

संयुक्त राष्ट्र संघ की 'महिला अधिकार आयोग' के परिषद में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्याऐं हैं और उनकी स्थिति सलाहकार के रूप में है। विश्व के सभी प्रमुख महिला मण्डलों से भी परिषद सम्पर्क में है। भारत में होने वाले परिषद के सभी वार्षिक सम्मेलनों में विभिन्न देशों की प्रतिनिधि भाग लेती है। विश्व में होने वाली महिला कॉनफ्रेन्सों, महिला संगठनों के महत्वपूर्ण अधिवेशनों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित विशेष मीटिंगों, गोष्ठियों व सेमिनारों में परिषद, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है।

9.6 संविधान और संविधान प्रदत्त विधियों में महिला अधिकार

भारत का संविधान ना केवल महिलाओं को समानता का मूल अधिकार प्रदान करता है वरन् उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अलाभकारी स्थितियों को उन्मूलन करने का उपाय करने के लिए राज्यों को निर्देशित भी करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता।" आदि मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

प्रस्तावना की सबसे महत्वपूर्ण बात देश के समस्त नागरिकों के लिए न्याय एवं समानता सुनिश्चित किये जाने का आश्वासन है, क्योंकि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए समानता ही नहीं वरन् न्याय की सुनिश्चिता भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ना केवल धर्म, लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध करते हुए प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उपबन्ध किया गया, बल्कि इसके साथ-साथ पिछड़ों और कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान करने के लिए विशेष प्रावधान करने का उपबन्ध भी किया गया। सामाजिक न्याय में धन और अवसर, नस्ल, धर्म, लिंग, जाति या अन्य किसी भी असमानता सहित सभी प्रकार की असमानताओं का उन्मूलन अपेक्षित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्य की मानवीय स्थितियों, मातृत्व सुविधा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता, श्रम एवं उद्योगों में बालश्रम का निवारण, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, पिछड़ी जातियों का शैक्षिक और आर्थिक उत्थान, बन्धुआ मजदूरी पर प्रतिबन्ध सहित सामाजिक न्याय से सम्बन्धित कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रवृत्त करने का निर्देश संविधान में अन्तर्निहित है। आर्थिक न्याय के विचार में समान कार्य के लिए समान वेतन का भाव निहित है। राजनीतिक न्याय से भेदभाव रहित राजनीतिक कार्यक्षेत्र अभिप्रेत है। वयस्क

मताधिकार, साम्प्रदायिक आरक्षण के उन्मूलन और नस्ल, जाति, लिंग, निवास, जन्म स्थान, धर्म के भेदभाव के बिना राज्यों के अधीन नियोजन प्राप्त करने के अधिकार को अंगीकार कर इसे संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी कतिपय विधान महिलाओं की प्रस्थिति के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण थे। यथा- बंगाल सती अधिनियम,1829; हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,1959 (1859 का 15); भारतीय दण्ड संहिता, 1860, (1860 का 45); धर्म परिवर्तित विवाह समापन अधिनियम, 1869; तलाक अधिनियम, 1869; विवाहित महिला का सम्पत्ति अधिनियम, 1874; मुख्तारनामा का अधिकार अधिनियम, 1882; नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908; कानूनी वकालत संशोधन अधिनियम, 1923; भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925; बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1929; बोम्बे हिन्दू द्वि-विवाह अपराध निवारण अधिनियम, 1946। प्रस्तावना के साथ-साथ संविधान के भाग- 3, जो मूल अधिकारों से सम्बन्धित है के अनुच्छेद- 14, 15, 16 और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में भी महिलाओं को विशेष स्थिति प्रदान की गई है।

अभ्यास प्रश्न-

1. राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया?
2. क्या राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है?
3. महिलाओं को कानूनी और संवैधानिक संरक्षण देना क्या राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य है?
4. क्या विधि विभाग राष्ट्रीय महिला आयोग के अन्तर्गत कार्य करता है?
5. राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अपने कार्यों की जानकारी देता है। सत्य/असत्य

9.7 सारांश

राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है। जम्मू-काश्मीर राज्य को छोड़ कर यह आयोग सम्पूर्ण भारत में कार्य करता है। महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं के संरक्षण के लिए वैधानिक तथा कानूनी उपाय करने, महिला शिकायतों के समाधान को सुलभ बनाने, तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना है। आयोग अपने कार्यों को विभिन्न, विभागों के माध्यम से करता है।

9.8 शब्दावली

संवैधानिक निकाय- संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, अपर्याप्तता- पर्याप्त ना होना, स्वैच्छिक संगठन- स्वयं से कार्य करने वाला संगठन (समूह), अन्वेशण- जाँच, अनुसन्धान- खोज या शोध, वरीय- अधिमान्य, पंथिक आस्थाऐं- धार्मिक मान्यवताऐं

9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 1992 में, **2.** हाँ, **3.** हाँ, **4.** हाँ, 5. सत्य

9.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत और मानवाधिकार- सम्पादक, एस0 गोपालना।

2. महिला और मानवाधिकार, रमा मिश्रा और एम0के0 मिश्रा, 2012, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

9.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामाग्री

1. भारत और मानवाधिकार- सम्पादक, एस0 गोपालन।
2. महिला और मानवाधिकार, रमा मिश्रा और एम0 के0 मिश्रा, 2012, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

9.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए।
2. राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्बन्धित विभागों की विस्तार से चर्चा कीजिए।

इकाई- 10 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

इकाई की संरचना

10.0 प्रस्तावना
10.1 उद्देश्य
10.2 अनुसूचित जाति आयोग का गठन
10.3 आयोग के कार्य एवं दायित्व
10.4 आयोग के परामर्शी अधिकार
10.5 विशिष्ट शिकायतों की जाँच एवं पद्धति
10.6 दीवानी अदालत के रुप में भूमिका
10.7 आयोग के प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट
10.8 सारांश
10.9 शब्दावली
10.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
10.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
10.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
10.13 निबन्धात्मक प्रश्न

10.0 प्रस्तावना

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग यहाँ निवास करते हैं। विविधता में एकता इस देश की सबसे बड़ी पहचान और ताकत है। भारतीय संविधान सभी को समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करता है। समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान और कानूनों के तहत आयोगों का गठन किया जाता रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग उनमें से एक है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक,आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए खास प्रावधान किये गये हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए संविधान में दिये गये सुरक्षणों(संरक्षण) की व्यवस्था करने तथा अन्य विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए संविधान में अनुच्छेद- 338 के अन्तर्गत एक विशेष आयोग व अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है।

10.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आवश्यकता एवं महत्ता को समझ सकेंगे।
- आयोग के कार्य एवं दायित्वों से भलीभाँति अवगत हो सकेंगे।
- आयोग की दीवानी अदालत के रुप में भूमिका पर टिप्पणी कर सकेंगे।

- आयोग द्वारा विशिष्ट शिकायतों की जाँच तथा अपनायी गयी पद्धति को समझ सकेंगे।

10.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद- 338 के अधीन पृथक रुप से (89वें संविधान संशोधन) अधिनियम-2003 के द्वारा किया गया। इस आयोग को बकायदा 20 फरवरी, 2004 को अधिसूचित किया गया। इस प्रथम आयोग का गठन करते हुए इसका अध्यक्ष- श्री सूरज भान, उपाध्यक्ष- फकीर भाई बघेला को तथा फूलचन्द वर्मा, देवेन्द्र जी और सुरेखा लाम्बुतरे को सदस्य नामित किया गया। इसके पश्चात मई, 2007 को दूसरे अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष- डॉ0 बूटा सिंह, उपाध्यक्ष- प्रो0 नरेन्द्र एम0 काम्बले तथा श्रीमती सत्याबहन, श्री महेन्द्र बौद्ध को सदस्यों के रुप में नामित किया गया। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करता है। इनकी सेवा की शर्तें एवं पदावधि भी राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाती है। किन्तु आयोग के पास अनुसूचित जाति से सम्बन्धित प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होती है।

10.3 आयोग के कार्य एवं दायित्व

संविधान में अनुसूचित जाति आयोग के कार्यो एवं दायित्वों का स्पष्ट रुप से निर्धारण किया गया है, जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत भलीभाँति समझा जा सकता है-

1. अनुसूचित जातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित विषयों का अन्वेषण करना और उन पर निगरानी रखना तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन का कार्य करना।
2. अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बावत निर्दिष्ट शिकायतों की जाँच का कार्य करना।
3. अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना।
4. उन रक्षोपायों के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य करना।
5. ऐसे प्रतिवेदनों में उन रक्षापायों के बारे में जो उन रक्षापायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किये जाने चाहिए तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश का कार्य करना।
6. अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण विकास तथा उन्नयन के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे, जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनायी गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियम द्वारा विनिर्दिष्ट का कार्य करना।

आयोग संविधान द्वारा निर्धारित उपर्युक्त महत्वपूर्ण कार्यों के सन्दर्भ में ही दायित्वों का निर्वहन एवं कार्यों का आबंटन करता है, जिसमें अध्यक्ष आयोग का प्रधान होता है और आयोग में उत्पन्न सभी विषयों पर निर्णय लेने की अवशिष्ट शक्ति उसी में निहित होती है। अध्यक्ष ही अन्य सदस्यों को कार्यों का आबंटन करता है। कार्यों के

आबंटन से सम्बन्धित आदेश आयोग के सचिवालय द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुँचाया जाता है। आयोग के बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष करता है। इसके अनुमोदन के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाता है। अध्यक्ष किसी भी विषय पर जिसे वह आवश्यक समझता हो स्वंय ही निर्णय ले सकता है। उपाध्यक्ष उन सभी कार्यों को करता है, जो अध्यक्ष द्वारा उसको सौंपा जाता है। इसी प्रकार आयोग के सदस्यों का सामूहिक दायित्व होता है। सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुसूचित जातियों के कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों को परामर्श देने का है। इसी प्रकार आयोग का सचिव जो आयोग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। वह अपने विभिन्न अधिकारियों की सहायता से आयोग के कार्यों के सुचारु संचालन में अध्यक्ष एवं सदस्यों को सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति आयोग अपने कार्यों एवं दायित्वों का भलीभाँति निर्वहन करता है।

10.4 आयोग के परामर्शी अधिकार

आयोग के परामर्शी अधिकार एवं भूमिका का अवलोकन हम मुख्यतः दो स्तरों पर भलीभाँति कर सकते हैं- राज्य सरकारों के साथ और योजना आयोग के साथ।

आयोग, राज्य सरकारों के साथ अपनी परामर्शी भूमिका का निर्वहन, अपने सदस्यों, सचिवालय एवं राज्य कार्यालयों के माध्यम से करता है। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रभारी सदस्य बैठकों या व्यक्तिगत मुलाकातों, पत्रों आदि के द्वारा राज्य सरकार से पारस्परिक सम्बन्ध रखता है। इस सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित विभाग को पहले भेजी जानी चाहिए। राज्य कार्यालयों को भी सूचना भेजी जानी चाहिए। आयोग इसके लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाता है। इसमें आयोग का सचिवालय सम्बन्धित सदस्यों को सूचना आदि प्रदान कर सहयोग करता है। आयोग के सदस्य द्वारा निभायी जा रही इस परामर्शी भूमिका का भलीभाँति निर्वहन करने हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा परिवहन, आवास एवं सुरक्षा आदि की सुविधाऐं उन्हें उपलब्ध करायी जाती हैं।

योजना आयोग के साथ अपनी परामर्शी भूमिका का निर्वहन, अनुसूचित जाति आयोग उसके द्वारा गठित विभिन्न समितियों, कार्यकारी दलों में अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से करता है। समय-समय पर आयोग, योजना आयोग को इस प्रकार के कार्यदल बनाने का परामर्श भी देता रहता है। इसके साथ ही योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित योजनाओं तथा विकास प्रक्रिया सम्बन्धी दस्तावेजों के मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यवाही को आगे बढ़ाने का भी परामर्श देता है। आयोग, पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु भी योजना आयोग को विभिन्न प्रकार के परामर्श को समय-समय पर उपलब्ध कराता रहता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से राज्य सरकारों से भी आयोग एक मजबूत कड़ी स्थापित करता है, जिससे अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित विकास योजनाऐं उसके कुशल मार्गदर्शना में चलती रहती हैं।

10.5 विशिष्ट शिकायतों की जाँच एवं पद्धति

अनुसूचित जाति आयोग अपने अधिकार के अन्तर्गत आने वाले विषयों की जाँच करने के लिए अनेक विधियां अपनाता है। जैसे आयोग सीधे ही जाँच कर सकता है या मुख्यालय में गठित जाँच दल द्वारा या राज्य कार्यालयों के माध्यम से या फिर राज्य एजेंसियों के माध्यम से अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त या कोई अन्य संस्था और इसके विधिक निकाय द्वारा अपना जाँच कार्य सम्पन्न कराती है। आयोग अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित विशिष्ट

शिकायतों की जो उसके सुरक्षा, कल्याण और विकास से सम्बन्धित है, उसकी जाँच आयोग सीधे ही कर सकता है। इसके लिए कोई भी कार्यवाही शुरु करते समय सम्बन्धित पार्टियों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों को सूचना का प्रेषण सुनिश्चित किया जाता है। आयोग राज्य के सभी सचिवों, पुलिस महानिदेशकों की वर्ष में एक बार मीटिंग आयोजित कर अनुसूचित जाति के सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों पर विचार कर कार्यान्वयन की पहल करता है। आयोग के पास विशिष्ट शिकायतों की जाँच करते समय दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियां होंगी, जो समाधान हेतु जरुरी हैं।

जाँच करते समय आयोग यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक समझता है तो वह अध्यक्ष के अनुमोदन से उसे 'समन' भेज सकता है। आयोग जाँच के अन्तर्गत किसी मामले में साक्ष्य होने के लिए संविधान के अनुच्छेद- 338 के खण्ड 8(ङ) के अन्तर्गत पत्र जारी कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। जाँच करने वाला सदस्य एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह रिपोर्ट नियम- 34 के अन्तर्गत नियुक्त जाँच अधिकारियों को भेजी जायेगी। अन्ततः यह रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इसके पश्चात अध्यक्ष के अनुमोदन से ही उस पर कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। अध्यक्ष यह भी निर्णय ले सकता है कि प्रस्तुत रिपोर्ट का अन्वेषण व जाँच आयोग के मुख्यालय में गठित एक अन्वेषण दल द्वारा किया गया। परन्तु यदि मामला गम्भीर और तुरन्त कार्यवाही का है तो उस पर तुरन्त निर्णय आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिया जायेगा।

विशिष्ट शिकायतों की एक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित जाँच पद्धति होती है। अतः आयोग उसकी परिधि में ही अपनी कार्यवाही करता है। इसीलिए उन मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं करता है जो न्यायाधीन हैं। उन मामलों को भी आयोग नये सिरे से नहीं उठाता है जो न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। आयोग स्थानान्तरण, तैनाती, आरक्षण तथा विभिन्न आदेशों आदि से सम्बन्धित प्रकरण को तब तक जाँच हेतु स्वीकार नहीं करता है, जब तक कि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के उत्पीड़न का आधार ना हो। अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किये गये अत्याचार के मामलों में आयोग तत्काल कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्योरा मांगता है तथा आरोपी के खिलाफ कार्यवाही ना होने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश करता है। यह भी अनुवीक्षण करता है कि अत्याचार की सूचना प्राप्त होने पर जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरन्त दौरा किया गया है? आयोग स्वयं स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए घटना स्थल का दौरा भी करता है। इस प्रकार सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए आयोग पीड़ित जन को न्याय दिलाता है।

10.6 दीवानी अदालत के रुप में भूमिका

भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 338क(5) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण या उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जाँच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे किसी मुकदमे को चलाने के लिए प्राप्त होती है। आयोग की दीवानी अदालत के रुप में भूमिका का अवलोकन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत कर सकते हैं-

1. भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'समन' करना, आयोग के समक्ष उपस्थिति के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना।

2. किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण के लिए आदेश देना।
3. शपथ-पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना।
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रति को मांगना।
5. गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।
6. कोई अन्य विषय, जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा विनिर्धारित करे।

इस प्रकार अनुसूचित जाति आयोग उपर्युक्त आधारों पर कार्य करते हुये अनुसूचित जातियों को न्याय दिलाने हेतु एक दीवानी अदालत की भूमिका का निर्वहन करता है।

10.7 आयोग के प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट

अनुसूचित जातियों के संरक्षण एवं उसके उपायों तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों के बारे में जैसा कि संविधान के अनुच्छेद- 338 के खण्ड 5(घ) में व्यवस्था है, अनुसूचित जाति आयोग प्रति वर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उन संरक्षणात्मक उपायों के राज्यों द्वारा कार्यान्वयन से सम्बन्धित सिफारिश भी अपने रिपोर्ट में राष्ट्रपति से करे।

अनुसूचित जाति आयोग का यह कर्त्तव्य है कि वह संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यकरण तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण और कल्याण के लिए संघ और राज्यों द्वारा किये गये उपायों पर प्रति वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस श्रृखला में देखा जाय तो 1992 से 2004 तक ही अवधि में आयोग द्वारा सात वार्षिक रिपोर्ट तथा चार विशेष रिपोर्ट और अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की गयी। ऐसी ही अपेक्षा आयोग से आगे भी की जा रही है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद- 338 के खण्ड (06) के अनुसार सभी प्रतिवेदनों को तथा संघ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गयी या प्रस्तावित कार्यवाही को संसद के प्रत्येक सदना के समक्ष रखवाता है।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद- 338 के खण्ड 7 में व्यवस्था है कि जहाँ कोई प्रतिवेदन या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित है, जिसका किसी राज्य सरकार से सम्बन्ध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जायेगी जो उसे राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगा।

अभ्यास प्रश्न-

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ?
   क. 89वें संविधान संशोधन ख. 90वें संविधान संशोधन
   ग. 93वें संविधान संशोधन घ. 94वें संविधान संशोधन
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-338 के तहत हुआ। सत्य/असत्य
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्ययक्ष कौन थे?
   क. पूर्णिमा आडवाणी ख. मीरा कुमार
   ग. श्री सूरज भान घ. डॉ0 बुटा सिंह

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, योजना आयोग के साथ अपने परामर्शी अधिकार का प्रयोग करता है। सत्य/असत्य
5. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपने विशिष्ट शिकायतों की जाँच न्यायालय द्वारा करवाता है? सत्य/असत्य

10.8 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत आप ने अनुसूचित जना जाति आयोग की गठन प्रक्रिया, उसके कार्यों एवं दायित्वों और परामर्शी भूमिका का तथा विधान और विशिष्ट शिकायतों की जाँच पद्धति का विस्तार पूर्वक एक विश्लेषण परक अध्ययन किया। आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद- 338 क (5) के अन्तर्गत दिये गये दीवानी अदालत की भूमिका का जिसके अन्तर्गत वह समन जारी कर किसी भी व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का आदेश जारी करता है, का भी विस्तृत अध्ययन किया गया, क्योंकि आयोग अत्याचार से सम्बन्धित शिकायतों के त्वरित निपटारे हेतु स्वंय सक्रिय भूमिका निभाता है। वह जिला प्रशासन द्वारा गम्भीर घटनाओं के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का भी अनुवीक्षण करता है।

अनुसूचित जाति आयोग का एक रुपेण गठन, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 के पारित होने के फलस्वरुप किया गया। यह आयोग संविधान के अनुच्छेद- 338 के अनुरुप मार्च 1992 को अस्तित्व में आया। अनुसूचित जाति आयोग द्वारा 2003 तक सामूहिक रुप से संविधान द्वारा दिये गये कर्त्तव्यों का भलीभाँति निर्वहन किया गया। 2003 के बाद अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग अलग-अलग कार्य करने लगे।

10.9 शब्दावली

उपबन्ध- कानून/प्रावधान, कार्यान्वयन- लागू करना, परामर्शी भूमिका- सलाह देने का कार्य, प्रतिवेदन- रिपोर्ट जो आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है, जाँच पद्धति- जाँच हेतु अपनाया गया तरीका या विधि

10.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. क, **2.** सत्य, **3.** ग, **4.** सत्य, **5.** असत्य

10.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, ब्रज किशोर (2007) ''भारत का संविधान'' पेरेटिस हाल ऑफ इण्डिया प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. भारत का संविधान (2000), भारत सरकार विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय।
3. त्रिवेदी, आर0एन0 एवं राय, एम0पी0 ''भारतीय सरकार एवं राजनीति'' कालेज बुक डिपो प्रकाशन जयपुर।
4. 'हैण्ड बुक' (अनुसूचित जनजाति आयोग) 2009, हिन्दी।

10.12 सहायक उपयोगी/पाठ्य सामग्री

1. पायली, एम0 वी0, ''इण्डियन कांस्टीट्यूशन''
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पुस्तिका (हैण्डबुक) जून, 2005,
3. फड़िया, बी0 एल0 ''भारतीय लोक प्रशासन''

10.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन, कार्य एवं दायित्वों का विश्लेषण कीजिए।
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की विशिष्ट शिकायतों की जाँच पद्धति तथा दीवानी अदालत के रुप में उसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए।

इकाई- 11 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

इकाई की संरचना

11.0 प्रस्तावना
11.1 उद्देश्य
11.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन
11.3 आयोग के कार्य एवं दायित्व
11.4 आयोग के कानून तथा विधान
11.5 विशिष्ट शिकायतों की जाँच एवं पद्धति
11.6 दीवानी अदालत के रुप में भूमिका
11.7 आयोग के परामर्शी अधिकार
11.8 आयोग के प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट
11.9 सारांश
11.10 शब्दावली
11.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
11.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
11.13 सहायक उपयोगी/पाठ्य सामग्री
11.14 निबन्धात्मक प्रश्न

11.0 प्रस्तावना

भारतीय संविधान के भाग- 16 'कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध' के अन्तर्गत (अनुच्छेद- 338 तथा 341 व 342 में) अना सूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए खास प्रावधान किये गये हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए संविधान में दिये गये सुरक्षणों(संरक्षण) की व्यवस्था करने तथा अन्य विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए संविधान में अनुच्छेद- 338 के अन्तर्गत एक विशेष आयोग व अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है। संविधान में उल्लिखित इस अधिकारी को 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त' के नाम से सम्बोधित किया गया है। इसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से सम्बन्धित कानूनों एवं सुरक्षात्मक उपायों का अन्वेषण करने तथा इसके कार्यान्वयन आदि से सम्बन्धित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया। इसके साथ ही आयुक्त को सौपें गये सभी कार्यों को भलीभाँति सम्पन्न करने हेतु देश के भिन्न-भिन्न भागों में आयुक्त के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों की भी व्यवस्था की गयी।

किन्तु, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से सम्बन्धित संवैधानिक, सुरक्षात्मक उपायों एवं अन्य प्रावधानों के कार्यान्वयन एवं उचित देख-रेख करने में यह पूरी तरह सक्षम नहीं सिद्ध हो रहा था। अतः इस एक-सदस्यीय व्यवस्था को सर्वप्रथम बहु-सदस्यीय करने की मांग की गयी। आम लोगों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों की तेजी से बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार(गृह मंत्रालय) ने 1978 में पारित एक संकल्प द्वारा एक

प्रशासनिक निर्णय लेते हुये एक बहु-सदस्यीय आयोग के गठन का निर्णय लिया। फलतः अगस्त, 1978 में श्री भोला पासवान शास्त्री की अध्यक्षता में चार सदस्यों सहित, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक बहु-सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। पूर्व में गठित आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों को इसके नियन्त्रण में लाया गया। यद्यपि इस आयोग के कार्य भी पूर्व में, नियुक्त किये गये आयुक्त के समान ही थे। हालांकि बाद में 1987 में कल्याण मन्त्रालय के द्वारा पारित एक संकल्प द्वारा आयोग के कार्यों में संशोधन किया गया और इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रुप में पुनर्नामित किया गया। इस आयोग का गठन मूलतः एक सलाहकारी निकाय के रुप में किया गया, जिसका कार्य सरकार को नीतिगत मुद्दों एवं अन्य विकास से सम्बन्धित उपायों आदि पर सलाह देना था। बाद में इसे एक आयोग के रुप में संविधान (65वां संविधान संशोधन) विधेयक, 1990 पारित होने के फलस्वरुप स्थापित किया गया। इस प्रकार कल्याण मन्त्रालय के संकल्प द्वारा 1987 में गठित आयोग के स्थान पर संविधान के अनुच्छेद- 338 के अनुरूप पहले आयोग का गठन मार्च, 1992 को किया गया।

संविधान में किये गये 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग को पृथक-पृथक क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रुप में प्रतिस्थापित किया गया। इस पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नियम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2004 की पूर्णतया अधिसूचित किये गये। इस प्रकार 2004 से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग आयोग अस्तित्व में आये।

11.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की आवश्यकता एवं महत्ता को समझ सकेंगे।
- आयोग के कार्य एवं दायित्वों से भली-भाँति अवगत हो सकेंगे।
- आयोग की दीवानी अदालत के रुप में भूमिका पर टिप्पणी कर सकेंगे।
- आयोग द्वारा विशिष्ट शिकायतों की जाँच तथा अपनायी गयी पद्धति को समझ सकेंगे।
- वर्तमान उदारीकरण के इस आर्थिक दौर में आयोग की निरन्तर बढ़ती हुई प्रासंगिकता के सम्बन्ध में जान सकेंगे।

11.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, संविधान के अनुच्छेद- 338 के अधीन संविधान तथा अन्य कानूनों के अधीन जनजाति को दिये गये सभी सुरक्षणों का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से की गयी। यद्यपि 1987 में पारित एक संकल्प द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन एक साथ समन्वित रूप से किया गया, परन्तु जब सरकार इस वस्तुस्थिति से अवगत हुई कि भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियों से भिन्न हैं और उसकी समस्याऐं भी भिन्न हैं, तब संविधान में किये गये (89वें संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा पृथक-पृथक रूप में पहला अनुसूचित जनजाति आयोग गठित हुआ। अन्ततः

संविधान में संशोधन करते हुए एक नया अनुच्छेद- 338 (क) जोड़ते हुए दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक नये आयोग की स्थापना की गयी। अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास को और तीव्र करने के लिए ऐसा अपरिहार्य हो चुका था। इससे अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

संविधान के (89 संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा पहला अनुसूचित जनजाति आयोग, श्री कुवंर सिंह की अध्यक्षता में 20 फरवरी 2004 को गठित किया गया। इसके सदस्यों में श्री लामा लोबजंग, श्रीमती प्रेमाबाई मांडवी और बुदरु श्री निवासुलु थे। उपाध्यक्ष का पद श्री तापिर गाव को दिया गया था, जो बाद में उन के इस्तीफे कारण रिक्त हो गया।

11.3 आयोग के कार्य एवं दायित्व

संविधान में अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्त्तव्य, कार्य तथा शक्तियां (89वें संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद- 338 (क) के खण्ड (5), (8) तथा (9) में निर्धारित किए गए हैं। आयोग के इन कार्यों एवं दायित्वों का अवलोकन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत भलीभाँति किए जा सकते हैं-

1. अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित विषयों का अन्वेषण करना और उन पर निगरानी रखना तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन का कार्य करना।
2. अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बावत निर्दिष्ट शिकायतों की जाँच का कार्य करना।
3. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना।
4. उन रक्षोपायों के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य करना।
5. ऐसे प्रतिवेदनों में उन रक्षोपायों के बारे में जो उन रक्षापायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किये जाने चाहिए तथा अनुसूचित जना जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश का कार्य करना।
6. अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करें, जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनायी गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट का कार्य करना।

आयोग संविधान द्वारा निर्धारित उपर्युक्त महत्वपूर्ण कार्यों के सन्दर्भ में ही दायित्वों का निर्वहन एवं कार्यों का आबंटन करता है, जिसमें अध्यक्ष आयोग का प्रधान होता है और आयोग में उत्पन्न सभी विषयों पर निर्णय लेने की अवशिष्ट शक्ति उसी में निहित होती है। अध्यक्ष ही अन्य सदस्यों को कार्यों का आबंटन करता है। कार्यों के आबंटन से सम्बन्धित आदेश आयोग के सचिवालय द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुँचाया जाता है। आयोग के बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष करता है। इसके अनुमोदन के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाता है। अध्यक्ष किसी भी विषय पर, जिसे वह आवश्यक समझता हो, स्वंय ही निर्णय ले सकता है। उपाध्यक्ष उन सभी कार्यों को करता

है जो अध्यक्ष द्वारा उसको सौंपा जाता है। इसी प्रकार आयोग के सदस्यों का सामूहिक दायित्व होता है। सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों को परामर्श देने की भूमिका है। इसी प्रकार आयोग का सचिव जो आयोग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। वह अपने विभिन्न अधिकारियों की सहायता से आयोग के कार्यों के सुचारु संचालन में अध्यक्ष एवं सदस्यों को सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति आयोग अपने कार्यों एवं दायित्वों का भलीभाँति निर्वहन करता है।

11.4 आयोग के कानून तथा विधान

अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास से सम्बन्धित अनेक कानून तथा विधान संघ और राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये हैं। इनमें से कुछ संवैधानिक प्रावधानों से उत्पन्न हुये हैं। जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है-

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948,
2. बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976,
3. बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986
4. भूमि के हस्तान्तरण को प्रतिषिद्ध करने सम्बन्धी अधिनियम आदि।

उपर्युक्त कानून तथा विधान के माध्यम से अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का कार्य करता है, बंधुआ मजदूर बनने से रोक लगाता है और बालश्रम को प्रतिबंधित करता है तथा आदिवासियों की भूमि को संरक्षित करने का कार्य करता है।

11.5 विशिष्ट शिकायतों की जाँच एवं पद्धति

अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन या उन पर होने वाले अत्याचारों की त्वरित जाँच कर कार्यवाही सुनिश्चित करता है। आयोग द्वारा शिकायतों की जाँच को कारगर तरीके से करने के लिए अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह स्पष्ट संदेश देता है कि वे अपनी शिकायतें प्रमाणित दस्तावेजों के साथ तथा संगत उपबन्धों के साथ करते हैं, तो उनकी तुरन्त सहायता की जायेगी। अतः आयोग के साथ शिकायतें प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए-

1. शिकायतकर्ता को अपनी पूरी पहचान, पूरा पता हस्ताक्षर सहित अवश्य अंकित करना चाहिए।
2. शिकायत, सीधे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, आयोग अथवा राज्य कार्यालयों के प्रधान को सम्बोधित होना चाहिए।
3. शिकायतें स्पष्ट रुप से लिखित अथवा टंकित होनी चाहिए, साथ ही प्रमाणित दस्तावेजों के साथ भेजी जानी चाहिए।
4. न्यायालय के अधीन मामलों को आयोग को नहीं भेजना चाहिए तथा जिन मामलों में निर्णय हो गया हो उन्हें पुनः नये सिरे से आयोग के समक्ष नहीं प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

अनुसूचित जनजाति आयोग अपने अधिकार के अन्तर्गत आने वाले विषयों की जाँच करने के लिए अनेक विधियां अपनाता है। जैसे आयोग सीधे ही जाँच कर सकता है, या मुख्यालय में गठित जाँच दल द्वारा, या राज्य

कार्यालयों के माध्यम से या फिर राज्य एजेंसियों के माध्यम से अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त या कोई अन्य संस्था और इसके विधिक निकाय द्वारा अपना जाँच कार्य सम्पन्न कराता है। आयोग अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित विशिष्ट शिकायतों की जो उसके सुरक्षा, कल्याण और विकास से सम्बन्धित है, उसकी जाँच आयोग सीधे ही कर सकता है। इसके लिए कोई भी कार्यवाही शुरु करते समय सम्बन्धित पार्टियों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों को सूचना का प्रेषण सुनिश्चित किया जाता है। आयोग राज्य के सभी सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित कर अनुसूचित जनजाति के सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों पर विचार कर कार्यान्वयन की पहल करता है। आयोग के पास विशिष्ट शिकायतों की जाँच करते समय दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियां होगी जो समाधाना हेतु जरुरी हैं।

जाँच करते समय आयोग यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक समझता है, तो वह अध्यक्ष के अनुमोदन से उसे 'समन' भेज सकता है। आयोग जाँच के अन्तर्गत किसी मामले में साक्ष्य होने के लिए संविधान के अनुच्छेद-338 के खण्ड 8(ङ) के अन्तर्गत पत्र जारी कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। जाँच करने वाला सदस्य एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह रिपोर्ट नियम- 34 के अन्तर्गत नियुक्त जाँच अधिकारियों को भेजी जायेगी। अन्ततः यह रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इसके पश्चात अध्यक्ष के अनुमोदन से ही उस पर कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। अध्यक्ष यह भी निर्णय ले सकता है कि प्रस्तुत रिपोर्ट का अन्वेषण व जाँच आयोग के मुख्यालय में गठित एक अन्वेषण दल द्वारा किया गया। परन्तु यदि मामला गम्भीर और तुरन्त कार्यवाही का है तो उस पर तुरन्त निर्णय आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिया जायेगा।

विशिष्ट शिकायतों की एक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित जाँच पद्धति होती है। अतः आयोग उसकी परिधि में ही अपनी कार्यवाही करता है। इसीलिए उन मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं करता है जो न्यायाधीन हैं। उन मामलों को भी आयोग नये सिरे से नहीं उठाता है जो न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। आयोग स्थानान्तरण, तैनाती, आरक्षण तथा विभिन्न आदेशों आदि से सम्बन्धित प्रकरण को तब तक जाँच हेतु स्वीकार नहीं करता है, जब तक कि अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के उत्पीड़न का आधार ना हो। अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किये गये अत्याचार के मामलों में आयोग तत्काल कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्योरा मांगता है तथा आरोपी के खिलाफ कार्यवाही ना होने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश करता है। यह भी अनुवीक्षण करता है कि अत्याचार की सूचना प्राप्त होने पर जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरन्त दौरा किया गया है। आयोग स्वयं स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए घटना स्थल का दौरा भी करता है। इस प्रकार सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए आयोग पीड़ित जन को न्याय दिलाता है।

11.6 दीवानी अदालत के रुप में भूमिका

अनुसूचित जनजाति आयोग की दीवानी अदालत के रुप में भूमिका का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-338 क (5) के उपखण्ड (क) में है, कि किसी शिकायत की जाँच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे किसी मुकदमें या केस को चलाने के लिए प्राप्त होती है। आयोग की दीवानी अदालत के रुप में भूमिका का अवलोकन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत कर सकते हैं-

1. भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'समन' करना, आयोग के समक्ष उपस्थिति के लिए बाध्य करना, तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना।
2. किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण के लिए आदेश देना।
3. शपथ-पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना।
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रति को मांगना।
5. गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।
6. कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा विनिर्धारित करें।

इस प्रकार अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातियों को उनकी शिकायतों के आधार पर न्याय दिलाने हेतु समन जारी कर सम्बन्धित व्यक्ति को दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश देता है, साक्ष्य ग्रहण करता है और लोक अभिलेख को मांगता है। तथा कमीशन जारी कर दस्तावेजों का परीक्षण करता है। इस प्रकार आयोग दीवानी अदालत की भूमिका का भलीभाँति निर्वहन करता है।

11.7 आयोग के परामर्शी अधिकार

अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी इस परामर्शी भूमिका का निर्वहन अपने सदस्यों, सचिवालय एवं राज्य कार्यालयों के माध्यम से करता है। वह राज्य सरकारों से पारस्परिक सम्बन्ध रखते हुए अपनी इस भूमिका का निर्वहन करता है। आयोग की इस भूमिका का अवलोकन दो स्तरों पर समझा जा सकता है, पहला- राज्य सरकारों के साथ तथा दूसरा- योजना आयोग के साथ के स्तर पर। आयोग, राज्य सरकारों के साथ अपनी परामर्शी भूमिका का निर्वहन अपने सदस्यों, सचिवालय एवं राज्य कार्यालयों के माध्यम से करता है। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रभारी सदस्य बैठकों या व्यक्तिगत मुलाकातों, पत्रों आदि के द्वारा राज्य सरकार से पारस्परिक सम्बन्ध रखता है। इस सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित विभाग को पहले भेजी जानी चाहिये। राज्य कार्यालयों को भी सूचना भेजी जानी चाहिये, आयोग इसके लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाता है। इसमें आयोग का सचिवालय सम्बन्धित सदस्यों को सूचना आदि प्रदान कर सहयोग करता है। आयोग के सदस्य द्वारा निभायी जा रही इस परामर्शी भूमिका को भलीभाँति निर्वहन करने हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा परिवहन, आवास एवं सुरक्षा आदि की सुविधाऐं उन्हें उपलब्ध करायी जाती हैं।

योजना आयोग के साथ अपनी परामर्शी भूमिका का निर्वहन अनुसूचित जनजाति आयोग उसके द्वारा गठित विभिन्न समितियों, कार्यकारी दलों में अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से करता है। समय-समय पर आयोग, योजना आयोग को इस प्रकार के कार्यदल बनाने का परामर्श भी देता रहता है। इसके साथ ही योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित योजनाओं तथा विकास प्रक्रिया सम्बन्धी दस्तावेजों के मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यवाही को आगे बढ़ाने का भी परामर्श देता है। आयोग, पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु भी योजना आयोग को विभिन्न प्रकार के परामर्श को समय-समय पर उपलब्ध कराता रहता है।

11.8 आयोग के प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातियों के संरक्षणात्मक उपायों एवं विकासात्मक गतिविधियों के बारे में संविधान के अनुच्छेद- 338 के खण्ड 5(घ) के अनुसार राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या फिर ऐसे अन्य समयों पर जो

आयोग उचित समझता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आयोग अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उन संरक्षणात्मक उपायों के राज्यों द्वारा कार्यान्वयन से सम्बन्धित सिफारिश भी अपने रिपोर्ट में राष्ट्रपति से करता है।

अनुसूचित जनजाति आयोग का यह कर्त्तव्य है कि वह संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यकरण तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और कल्याण के लिए संघ और राज्यों द्वारा किये गये उपायों पर प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस श्रृखला में देखा जाय तो 1992 से 2004 तक ही अवधि में आयोग द्वारा सात वार्षिक रिपोर्ट तथा चार विशेष रिपोर्ट और अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की गयी। ऐसी ही अपेक्षा आयोग से आगे भी की जा रही है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद- 338 के खण्ड (6) के अनुसार सभी प्रतिवेदनों को तथा संघ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गयी या प्रस्तावित कार्यवाही को संसद के प्रत्येक सदना के समक्ष रखवाता है।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद- 338 के खण्ड- 7 में व्यवस्था है कि 'जहाँ कोई प्रतिवेदन या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित है, जिसका किसी राज्य सरकार से सम्बन्ध है तो ऐसे प्रविवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जायेगी जो उसे राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा।'

अभ्यास प्रश्न-

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से सम्बन्धित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
   क. अनुच्छेद- 338 ख. अनुच्छेद- 339 ग. अनुच्छेद- 340 घ. अनुच्छेद- 341
2. अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
   क. रक्षोपायों का अन्वेषण ख. विशिष्ट शिकायतों की जाँच
   ग. दीवानी अदालत के रुप में कार्य घ. दण्ड देने का कार्य
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक-पृथक गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया?
   क. 88वें संशोधन ख. 89वें संशोधन ग. 90वें संशोधन घ. 91वें संशोधन
4. अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे?
   क. लोबजंग ख. प्रेम बाई ग. श्री कुवर सिंह घ. श्री निवासुलु

11.9 सारांश

इस प्रकार अन्ततः हम कह सकते हैं कि वर्तमान उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण के इस आर्थिक दौर में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जना जाति आयोग पृथक-पृथक अपनी भूमिका का संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निवर्हना करते हुए उन के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थाना हेतु हर सम्भव कदम उठा रहा है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जना जातियों से सम्बन्धित सुरक्षात्मक उपायों एवं विकासात्मक गतिविधियों में और तीव्रता लाने हेतु आयोग प्रतिवर्ष तथा समय-समय पर अपना प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता रहता है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद में रखवाकर कानून निर्माण तथा क्रिवान्वयन द्वारा उसका पालन सुनिश्चित कराता है। इतना ही नहीं विशिष्ट शिकायतों की जाँच से सम्बन्धित पद्धति को निर्धारित करने की शक्ति संविधान

द्वारा स्वयं आयोग को प्रदान की गयी है, जिससे आयोग अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों को पूरी तरह संरक्षित एवं संवर्धित करता है। आयोग अपनी स्थापना से लेकर अद्यतन एक सकारात्मक एवं प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता आ रहा है।

11.10 शब्दावली

सुरक्षणों- संविधान में जनजातियों की सुरक्षा के लिए किए गये प्रावधान/संरक्षण, प्रथक-प्रथक- अलग-अलग, रक्षोपायों- रक्षा के उपाय या रक्षा कवच, अन्वेषण- जाँच-पड़ताल, उपबन्ध- कानून या प्रावधान, कार्यान्वयन- लागू करना, पारामर्शी भूमिका- सलाह देने का कार्य, प्रतिवेदन - रिपोर्ट जो आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है, जाँच पद्धति- जाँच हेतु अपनाया गया तरीका या विधि

11.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. क, **2.** घ, **3.** ख, **4.** ग

11.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, ब्रज किशोर (2007) ''भारत का संविधान'' पेरेटिस हाल आफ इंडिया प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. 'भारत का संविधान' (2000) भारत सरकार विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय।
3. त्रिवेदी, आर0 एन0 एवं राय, एम0 पी0 ''भारतीय सरकार एवं राजनीति'' कालेज बुक डिपो प्रकाशन जयपुर।
4. 'हैण्ड बुक' (अनुसूचित जनजाति आयोग) 2009, हिन्दी।

11.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. पायली, एम0 वी0, ''इण्डियन कांस्टीट्यूशन''
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पुस्तिका(हैण्डबुक) जून, 2005,
3. फड़िया, बी0 एल0 ''भारतीय लोक प्रशासन''

11.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन, कार्य एवं दायित्वों का विश्लेषण कीजिए।
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की विशिष्ट शिकायतों की जाँच पद्धति तथा दीवानी अदालत के रुप में उसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए।

इकाई- 12 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

इकाई की संरचना

12.0 प्रस्तावना
12.1 उद्देश्य
12.2 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
    12.2.1 आयोग का संगठनात्मक ढ़ाँचा
    12.2.2 आयोग की कार्य प्रणाली
    12.2.3 आयोग के उद्देश्य एवं कार्य
    12.2.4 आयोग की भूमिका
12.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
    12.3.1 आयोग का गठन
    12.3.2 आयोग के कार्य
    12.3.3 आयोग की सिफारिशें
12.4.4 अल्पसंख्यक आयोग की प्रभावशीलता
12.4 सारांश
12.5 शब्दावली
12.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
12.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
12.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
12.9 निबन्धात्मक प्रश्न

12.0 प्रस्तावना

भारतीय समाज विविधताओं से भरा है। भारतीय लोकतंत्र में सभी वर्गों को सामाजिक समानता और सुरक्षा प्रदान हो सके, इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गयी है। समाज के वंचित समुदाय को विशेष सुविधाऐं, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए रोजगार के अवसर मिल सकें, इसकी व्यथवस्था की गयी है। पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों का चहुमुखी विकास और उनका जीवन स्तर सामान्य वर्गों के बराबर हो सके, इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' और 'राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग' का गठन किया गया है। इस इकाई में हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग के गठन/संगठनत्मक ढ़ाँचे, उनके कार्यों और उनकी भूमिका का अध्ययन करेंगे।

12.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संगठनात्मक ढ़ाँचे और कार्यप्रणाली से अवगत होंगे।

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उद्देश्य, कार्य एवं भूमिका के विषय में जान पायेंगे।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता एवं महत्व को समझ सकेंगे।
- अल्पसंख्यक आयोग के कार्यों से अवगत हो सकेंगे।

12.2 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

भारतीय संविधान में समाज के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष सुविधाऐं एवं आरक्षण प्रदान किये गये हैं, ताकि इन जातियों एवं वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गों के समान हो सके। शैक्षिक और सामाजिक रूप से वंचित पिछड़े वर्ग सम्बन्धी समस्याओं एवं विविध नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993' के अधीन पांच सदस्यीय एक आयोग का गठन किया है। भारत सरकार द्वारा गठित वी0 पी0 मण्डल आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की नौ सदस्यीय विशेष संविधान पीठ ने 1992 में 'इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ' मुकद्दमे में अपने ऐतिहासिक फैसले में परमादेश जारी किया कि अन्य पिछड़े वर्ग में जातियों को सम्मिलित/निष्कासित करने के सम्बध में प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे न्यायाधिकरण या आयोग गठित किये जायेंगे जो शासन को अपनी संस्तुति करेंगे और जिन्हें सरकार सामान्यतया मानने के लिए बाध्य होगी।

मण्डल मामले के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पिछड़ा वर्ग अधिनियम,1993 (1993 के अधिनियम संख्या 27) के अन्तर्गत की। अधिनियम, 2 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया तथा इसके प्रावधानों के अनुरूप 14 अगस्त 1993 को तीना वर्ष की अवधि के लिए प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। अनन्तर आयोग का पुनर्गठन 28 फरवरी 1997, 28 जुलाई 2000, 24 मार्च 2002, 13 अगस्त 2002, 14 अगस्त 2006 तथा 7 जून 2010 को किया गया है।

आयोग के गठन के पूर्व पिछड़ा वर्ग के मामलों से सम्बन्धित पिछड़ा-वर्ग प्रकोष्ठ 1985 तक गृह मंत्रालय में स्थापित था। 1985 में गृह मंत्रालय से पिछड़ा-वर्ग कल्याण प्रभाग को अलग कर कल्याण मंत्रालय को संगठित किया गया। अनन्तर इस मंत्रालय का नाम मई 1998 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में बदल दिया गया।

12.2.1 आयोग का संगठनात्मक ढ़ाँचा

'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993' की धारा- 3 के अनुसार आयोग पांच सदस्यीय होगा, जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। इसके अतिरिक्त आयोग में एक सामाजिक वैज्ञानिक, पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित मामलों के ज्ञाता दो व्यक्ति तथा केन्द्र सरकार में सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है। सचिव स्तर का यह अधिकारी आयोग के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करता है। इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। इसके साथ ही आयोग में उपसचिव, अनुभाग अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, शोध अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी निजी सचिव और अन्य लिपिकीय स्टाफ के पद सृजित किये गये हैं। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का कार्यालय भीकाजी काम्प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है।

12.2.2 आयोग की कार्य प्रणाली

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन हेतु आयोग द्वारा कार्य प्रक्रिया विनियमावली निर्मित की गयी है। जिसके अनुसार देश के अन्य पिछड़े वर्गों के रक्षोपायों के सम्बन्ध में तथा उनकी विशिष्ट शिकायतों के निराकरण एवं शिकायतों की जाँच की जाती है। आयोग में इस कार्य हेतु शोध प्रकोष्ठ, जाति सम्मेलन, निष्कासन, नियोजन मूल्यांकन, आरक्षण, उत्पीड़न आदि प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं।

आयोग के शोध प्रकोष्ठ द्वारा पिछड़ी जाति की सूची में किसी जाति को सम्मिलित करने, पिछड़ी जाति की सूची से किसी जाति को निष्कासित करने, पिछड़ी जाति की सूची में शामिल करने तथा जातियों के नामों को संशोधित किये जाने के सम्बध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के निष्पादन हेतु शोध कार्य किया जाता है। मूल्यांकन एवं नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रदत्त अन्य सुविधाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए प्रतिपादित आरक्षण की व्यवस्था ठीक तरह से लागू हो रही है कि नहीं, का अन्वेषण/परीक्षण किया जाता है। शिकायत प्रकोष्ठ के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों से उनके उत्पीड़न या अन्य सुसंगत शिकायतों के बारे में सुनावाई एवं निस्तारण के उपरान्त आयोग द्वारा सम्बन्धित विभाग को संस्तुति की जाती है।

12.2.3 आयोग के उद्देश्य एवं कार्य

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित हैं-

1. अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अपेक्षित संयोजन, निष्कासन एवं तत्सम्बधी शिकायतों पर सम्यक रूप से विचार कर संस्तुति देना।
2. अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित किसी अन्य बिन्दु पर सलाह देना।
3. पिछड़े वर्गों के विकास का मूल्यांकन करना।

12.2.4 आयोग की भूमिका

अधिनियम की व्यवस्था अनुसार केन्द्र सरकार इस अधिनियम के लागू होने से 10 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद 10 वर्ष के हर अवधि पर या किसी भी समय सूचियों के पुनर्रीक्षण का कार्य करवा सकती है। समस्त सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य कराने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रयासरत है। आयोग की भूमिका निम्नवत है-

1. आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े-वर्ग के सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किये जाने की शिकायतें सुनेगा और केन्द्र सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह उचित समझे।
2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पिछड़े वर्ग के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों की प्रणाली का मूल्यांकन करेगा।
3. पिछड़े वर्ग के अधिकारों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करेगा।
4. पिछड़े वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, उस पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

5. केन्द्र सरकार को उन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक व ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
6. पिछड़े वर्ग के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध मे ऐसे अन्य कृत्यों का जो केन्द्र सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जाऐं, निर्वहन करना।
7. आयोग पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृति, अध्ययन सामग्री और छात्रावास आदि की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम' भी सक्रिय है जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़े वर्ग को विशेष आर्थिक सहायता, सस्ते ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिए ऋण आदि की व्यवस्था करता है।

12.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षित करने हेतु स्वतंन्त्रता के पश्चात अधिनियमित संविधान के भाग- 3, (अनुच्छेद- 29 व 30) के अन्तर्गत विशेष प्रावधान किये गये। एक लोकतान्त्रिक सरकार का यह सबसे बड़ा दायित्व भी बनता है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को किस प्रकार संरक्षित करे। अनुकूल परिस्थितियों में समग्र विकास के अवसर उपलब्ध कराना और निरन्तर प्रयत्नशील रहना, उसका सबसे बड़ा दायित्व है। अल्पसंख्यक वर्ग का तात्पर्य उस समूह से है जो जाति, भाषा, धर्म की दृष्टि से बहुमत से भिन्न है। इसी प्रकार 1957 में 'केरल एजूकेशन बिल' के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने भी माना कि 'वह समूह जिसकी संख्या 50 प्रतिशत से कम हो वह अल्पसंख्यक वर्ग में आता है।'

संविधान भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद- 29) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि ''भारत के राजक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद- 30 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों का होगा। मूलाधिकार के रूप में संविधान में इन प्रावधानों का उल्लेख करने का मूल उद्देश्य संविधान निर्माताओं का यह विश्वास था कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग राष्ट्रीय जीवन में एक-दूसरे के सहयोगी और पूरक बनकर ही देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था को सशक्त कर सकते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का आगे चलकर गठन किया गया। निर्वाचन आयोग भी अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को संरक्षित करने में एक सहयोगी एवं पूरक की भूमिका निभाता है।

12.3.1 अल्पसंख्यक आयोग का गठन

अल्पसंख्यक वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने हेतु एक क्रान्तिकारी कदम उठाते हुए जनता पार्टी की सरकार (1978) द्वारा एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात से ही यह वर्ग अपने प्रति होने वाले भेदभावों को लेकर शिकायत करता रहता था। इस तरह के सभी भेदभावों से बचाने के लिए जना ता पार्टी की सरकार द्वारा यह अयोग गठित किया गया।

अल्पसंख्यक आयोग, जिसका गठन 1978 में किया गया उस समय उसमें एक अध्यक्ष सहित तीन सदस्य थे। एम0 आर0 मसानी इस अयोग के अध्यक्ष थे और आर0 ए0 अंसारी तथा वी0 वी0 जॉन इसके सदस्य थे। बड़े-बड़े मुस्लिम नेताओं ने यह भी मांग की, कि जब सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग मुसलमान है तो आयोग के अध्यक्ष पद पर भी किसी मुसलमान की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके पश्चात सिखों ने भी अपना कोई प्रतिनिधि इस आयोग में ना होने पर अप्रसन्नता जाहिर की। यद्यपि सरकार ने इस मांग को प्रथम दृष्टया में अतार्किक कहकर इन्कार कर दिया। परन्तु कुछ समय पश्चात मोरारजी देसाई जी ने आयोग के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी और अप्रत्यक्ष रुप से मांग स्वीकार कर ली। जब अध्यक्ष (एम0आर0 मसानी) ने 1978 में अपना त्यागपत्र सरकार को सौंपा, उसी समय आर0 ए0 अंसारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही आयोग में सिखों, बौद्धों, ईसाईयों तथा पारसियों के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया। इससे आयोग के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई। आज भी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में इसी परम्परा का अनुकरण किया जा रहा है।

12.3.2 अल्पसंख्यक आयोग के कार्य

अल्पसंख्यक आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि वह यह पता लगाये कि अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों तथा संविधान द्वारा प्रदत्त रक्षोपायों से वंचित तो नहीं किया जा रहा है अथवा उनको वे सभी अधिकार उसी रूप में प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। बहुसंख्यक वर्गों के हितों को प्राथमिकता देने के चक्कर में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की कुर्बानी तो नहीं दी जा रही है।

आयोग के कार्यों का अवलोकन इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है-

1. अल्पसंख्यक वर्गों से सम्बन्धित संवैधानिक रक्षोपायों से सम्बन्धित कानूनों का विश्लेषण करना।
2. ऐसे कानूनों के निर्माण की सिफारिश करना जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को पूर्णतया संरक्षित करता हो।
3. संघीय तथा राज्य सरकारों से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षित एवं सवंर्द्धित करने से सम्बन्धित कानूनों को जानने एवं लागू करने की सिफारिशें करना।
4. अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होने वाले सामाजिक भेदभावों के विरुद्ध दूरदर्शी कदम उठाने हेतु सरकारों को प्रेरित करना।
5. अल्पसंख्यक वर्गों से सम्बन्धित सूचनाओं को बनाने में एवं लागू करने में मदद मिल सके।
6. समय-समय पर अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रिपोर्ट सरकार को सौंपना आदि।

आयोग अपने कार्यों से सम्बन्धित क्रियाविधि स्वयं निर्धारित करता है। प्रत्येक मन्त्रालय तथा विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वे आयोग के द्वारा मांगी गयी किसी भी प्रकार की सूचना एवं दस्तावेज को उपलब्ध करायें। इसी प्रकार की अपेक्षा राज्य सरकारों से भी की जाती है कि वे आयोग को अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से सम्बन्धित सूचनाऐं, जो मांगी जाय, उपलब्ध कराऐं। अयोग अपनी क्रियाविधि दिल्ली स्थित मुख्यालय से संचालित करता है।

12.3.3 अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें

अल्पसंख्यक आयोग अपने कार्यों की तथा उसके साथ अल्पसंख्यकों के हितों से सम्बन्धित सभी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। यदि आयोग आवश्यक समझता है तो अपनी सिफारिशों से सम्बन्धित रिपोर्ट राष्ट्रपति को एक वर्ष

में एक से अधिक बार सौंप सकता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखवाता है। जब भी कोई रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाती है तब सरकार को उस रिपोर्ट से सम्बन्धित जो भी कार्यवाही की गयी होती है उसे संसद के पटल पर रखना होता है। सामान्यतया सरकार आयोग की सिफारिशों को नजरअन्दाज नहीं कर पाती है। इससे सरकार की अल्पसंख्यकों के प्रति जबावदेही सुनिश्चित होती है।

12.3.4 अल्पसंख्यक आयोग की प्रभावशीलता

अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्टों एवं सिफारिशों का प्रभाव यह रहा है कि अल्पसख्यकों के अधिकारों को संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा संरक्षित किया गया है। किन्तु आयोग का अपना स्वयं का प्रभाव अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित कानूनों एवं नीतियों को लागू करवाने में नगण्य है। सरकारें इस तरफ अधिक संवेदनशील यद्यपि रही ही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में स्वयं को धर्मनिरपेक्ष दिखाने की प्रतिस्पर्धा रही है, जिससे चुनावों में उनको लाभ मिल सके। आयोग की संवैधानिक स्थिति को देखा जाय तो इसकी स्थापना कार्यपालिका के आदेश के द्वारा की गयी है। इसीलिए अल्पसंख्यक आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अत: इसकी प्रभावशीलता कम है या नगण्य ही कहा जा सकता है। संघ एवं राज्यों की सरकारें इसकी निरन्तर उपेक्षा करती रहती हैं।

राज्य सरकारों द्वारा आयोग को उसके द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को देने से भी इन्कार किया गया है। जम्मू-कश्मीर की सरकार द्वारा आयोग को जाँच-पड़ताल करने से साफ मना कर दिया गया, यह कहते हुए कि जम्मू-कश्मीर उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री के दबाव का भी राज्य के मुख्यमंत्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अल्पसंख्यक अयोग की इसी प्रकार की उपेक्षा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सरकारों द्वारा भी की जाती रही है। इस स्तर पर आयोग पूर्णतया प्रभावहीन दिखाई पड़ता है।

वास्तव में देखा जाय तो अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा केवल राज्य सरकारों ने ही नहीं अपितु संघ सरकार द्वारा भी की जाती रही है। आयोग को गठित करने वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा भी उसके द्वारा प्रस्तुत चार रिपोर्टों में से एक भी रिपोर्ट सामने नहीं रखा गया और ना ही स्वीकार किया गया। आयोग ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश करते हुए हैदराबाद, मुम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की बात कही, मगर सरकार ने उसी समय इन्कार कर दिया था।

आयोग की प्रभाव हीनता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति साम्प्रदायिकता के आधार पर की जाती है। विशेषरूप से अध्यक्ष एक मुसलमान सिर्फ इसलिए बनाया जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा वर्ग मुसलमानों का है। जबकि एक गैर-मुसलमान अध्यक्ष भी अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित करने की योग्यता रखता है। आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष आर0 ए0 अंसारी की संदिग्ध भूमिका इस सन्दर्भ में जग-जाहिर है। जमशेदपुर के साम्प्रदायिक दंगों में आर0एस0एस0 का हाथ है, ऐसा बयान देना। भुट्टो को फांसी देने के पश्चात जलाये गये गिरजाघरों पर चुप्पी साध लेना और अलीगढ़ के कुछ छात्रों को गुण्डागर्दी करते हुए पकड़े जाने पर मुख्यमंत्री को तार देकर उन्हें छुड़ाने के लिए कहना, आदि ऐसे कदम रहे जिसके कारण आयोग की शाख गिरी। साथ ही आयोग के सदस्यों पर अध्यक्ष का अनुशासनिक नियन्त्रण नहीं रहता है, क्योंकि अध्यक्ष ना तो सदस्य का तबादला कर सकता है और ना ही उनकी गोपनीय रिपोर्ट लिख सकता है। आयोग में स्टाफ की कमी भी रही है। अल्प संख्यकों को संविधान द्वारा जो अधिकार दिये गये हैं, उनकी रक्षा करने से सम्बन्धित कोई भी मशीनरी नहीं

है। अतः आयोग की प्रभावशीलता इसीलिये आज भी क्षीण सी ही है। अर्थात अपने दायित्वों का निर्वहन वह आज भी भली-भाँति नहीं कर पा रहा है।

अभ्यास प्रश्न-

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 'पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993' के अधीन किया गया। सत्य/असत्य
2. क्या 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' एक पांच सदस्यीय आयोग है?
3. क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़े वर्ग के विकास का मूल्यांकन करता है?
4. पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रयासरत है?
5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्गों से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है?
   क. नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत ख. मूल अधिकारों के अन्तर्गत
   ग. कर्तव्यों के अन्तर्गत घ. कहीं नहीं
6. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया?
   क. 1976 ख. 1977 ग. 1978 घ. 1980
7. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करता है?
   क. अध्यक्ष को ख. राज्यपाल को ग. मुख्य न्यायायाधीश को घ. राष्ट्रपति को
8. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है?

12.4 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की गठन प्रक्रिया, उसकी शक्तियां एवं कार्यों के साथ ही साथ उसकी सिफारिशों और प्रभावशीलता के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक किये गये आलोचनात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया गया। पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु गठित आयोग की कार्यप्रणाली पर इस इकाई के अन्तर्गत मुख्य रुप से प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही संविधान में दिये गये प्रावधानों का भी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहा जा सकता है? इसे समझने के क्रम में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णयों में दी गयी टिप्पणी को सबसे सरल रूप प्रस्तुत किया गया है। हमारा संविधान भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को ही मान्यता प्रदान करता है।

12.5 शब्दावली

अनन्तर- उसके उपरान्त या बाद, ज्ञाता- जानकार या विशेषज्ञ, रक्षोपायों- रक्षा के उपाय, तत्सरम्य प्रवृत्तग- उसके समान, अल्पसंख्यक- जो वर्ग-समूह जाति, भाषा, धर्म की दृष्टि से बहुमत से भिन्न है, प्रासंगिकता- उपयोगिता, प्रावधान- कानूनी व्यवस्था, प्रतिवेदन- रिपोर्ट जो आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है।

12.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य , **2.** हाँ, **3.** हाँ, **4.** 27 प्रतिशत, **5.** भीकाजी काम्पलेक्स, नई दिल्ली, **6.** ख, **7.** ग, **8.** घ

12.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. त्रिवेदी, आर 0एन0 एवं राय, एम0पी0, भारतीय सरकार एवं राजनीति, कालेज बुक डिपो प्रकाशन जयपुर।
2. पायली, एम0 वी0, कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट इन इण्डिया।
3. सिवाच, जे0 आर0 (2002), भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हरियाणा साहित्य अकादमी।

12.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. सिवाच, जे0 आर0 (2002) भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हरियाणा साहित्य अकादमी।
2. नारायण, इकबाल (1967) स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया।

12.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संगठनात्मक ढ़ाँचे और भूमिका की विस्तार से चर्चा कीजिए।
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन और उसके कार्य एवं दायित्वों का विश्लेषण कीजिए।

इकाई- 13 राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन

इकाई की संरचना

13.0 प्रस्तावना
13.1 उद्देश्य
13.2 भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन एक परिचय
13.3 राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन
13.3.1 राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना
13.3.2 राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन के कार्य
13.3.3 राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की भूमिका
13.4 जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन
13.4.1 जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना
13.4.2 जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन के कार्य
13.4.3 जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की भूमिका
13.5 सारांश
13.6 शब्दावली
13.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
13.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
13.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
13.10 निबन्धात्मक प्रश्न

13.0 प्रस्तावना

भारत की संघीय व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर जन कल्याण कार्यक्रमों एवं नीतियों के माध्यम से एक समतामूलक नागरिक समाज की स्थापना हेतु प्रतिबद्ध है। वस्तुतः संविधानके अधिकांश प्रावधानों का उद्देश्य भारत में सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिसका संकल्प प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति-निर्देशक सिद्धान्त और अन्य विशेष उपबन्धों में किया गया है। इनके अनुरूप ही नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की इकाइयां स्थापित की गई हैं। उत्तराखण्ड में भी राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की इकाइयां गठित हैं। प्रस्तुत इकाई में राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना, कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

13.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- समाज कल्याण प्रशासन के विविध स्तरों के बारे में जान सकेंगे।
- राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना एवं कार्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

- जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना एवं कार्य के बारे में भी जान सकेंगे।
- राज्य तथा जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की भूमिका के बारे में भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा।

13.2 भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन एक परिचय

सामाजिक कल्याण प्रशासन लोक प्रशासन की अपेक्षा एक नवीन शाखा है, जो कल्याणकारी राज्य के साथ धीरे-धीरे अपने कार्य-क्षेत्र को व्यापक करती जा रही है। 20वीं सदी के आरम्भिक दशकों में विश्व के सभी पुलिस राज्य अपनी छवि कल्याणकारी राज्य में रूपान्तरित करने में सफल रहे। अनन्तर कल्याणकारी राज्य एवं इसकी संरचना ने अपने कार्यक्षेत्र को विस्तारित करते हुए व्यक्ति के दैनिक कार्यों के सभी पहलुओं पर अपना सक्रिय प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया है। समय के साथ अधिकतर राज्यों ने कल्याणकारी हस्तक्षेपवादी राज्य की भूमिका में रूपान्तरित होने के लिए अपने प्रशासनिक एवं वैधानिक मंत्रालयों की संख्या में काफी विस्तार किया है।

भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात लोक कल्याणकारी राज्य को सही दिशा प्रदान करने हेतु विविध प्रावधान लागू किये गए हैं। मित्र, दार्शनिक एवं पथ-प्रदर्शक के रूप में लोककल्याणकारी राज्य प्रत्येक नागरिक को उचित जीवन यापन का आश्वासन तो देता ही है, साथ ही समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम एवं समर्थ का भी अधिकतम प्रयास करता है। इसी धारणा के साथ भारत में सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु सामाजिक कल्याण सम्बन्धी अभिकरणों का गठन केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर किया गया है।

13.3 राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन

सामाजिक कल्याण प्रशासन में जनकल्याण की सामाजिक नीति और कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होता है। राज्य का स्वरुप एवं प्रकृति जैसे-जैसे कल्याणकारी होता जाता है, वैसे-वैसे राज्य के मंत्रालय, उनका गठन एवं संरचना भी पेचीदा होती जाती है। भारत में समय के साथ मंत्रालयों की संख्या एवं स्वरुप बदलता रहा है, मगर सामाजिक कल्याण प्रशासन के लक्षित समूहों का स्वरुप नहीं बदला है। भारत में सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांग, महिलाऐं एवं बच्चे, वृद्ध व्यक्ति एवं पिछड़ी जातियों का वर्ग है। वर्तमान में लगभग 28 हजार योजनाओं एवं नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए सामाजिक कल्याण प्रशासन का ढ़ाँचा लगभग हरेक स्तर पर गठित है। उत्तराखण्ड में भी राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन सामाजिक सुरक्षा के अपने प्राथमिक उद्देश्य के साथ सक्रिय है।

13.3.1 राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना

भारत के 27वें राज्य के रूप में गठित उत्तराखण्ड में सामाजिक कल्याण प्रशासन राज्य गठन के साथ ही अस्तित्व में आया। उत्तराखण्ड राज्य से पूर्व राज्य के दोनों मण्डलों का कार्य उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा सम्पादित किया जाता था। राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड में समाज कल्याण निदेशालय की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग भी स्थापित हुआ जो आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्प संख्यकों तथा विकलांग आदि की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार एवं कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए उत्तराखण्ड राज्य में एक शीर्ष विभाग है। इस विभाग के नाम भी सामाजिक परिवर्तन एवं लक्षित समूहों के अनुसार बदलते रहे हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण

विभाग की स्थापना वर्ष 1948 में 'हरिजन सहायक विभाग' के रूप में हुई थी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को इसके पूर्व शिक्षा विभाग से कुछ शैक्षिक सुविधाऐं दी जाती थी। इसके अतिरिक्त सन् 1940-41 में रिक्लेमेशन विभाग के नाम से एक अलग विभाग संचालित था। समाज कल्याण विभाग एवं रिक्लेमेशन विभाग दोनों ही साथ-साथ कार्य करते रहे एवं तत्पश्चात रिक्लेमेशन विभाग के समस्त कार्य को हरिजन सहायक विभाग में ही सम्मिलित कर दिया गया। वर्ष 1955 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गयी, जिसे वर्ष 1961 में अलग मानते हुए निदेशक, हरिजन समाज कल्याण विभाग के अधीन कर दिया गया। सामंजस्य तथा समन्वय की दृष्टि से अलग चल रहे हरिजन सहायक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को वर्ष 1977-1978 में सभी स्तरों पर मिला कर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग कर दिया गया तथा वर्ष 1991-92 में विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। उत्तराखण्ड के गठन के उपरान्त विभागों का पुनर्गठन करके वर्ष 1996-97 में अलग-अलग विभागों को पुनः समाज कल्याण विभाग के रूप में पुर्नगठित कर दिया गया। इस विभाग के अतिरिक्त 'राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना अधिनियम, 2013' के तहत राज्य कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति भी गठित की गई है जिसके अध्यक्ष मंत्री, समाज कल्याण होते हैं। जिला स्तर पर गठित इस प्रकार की समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। इसके अलावा सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन, समाज कल्याण निगम, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम भी सामाजिक कल्याण प्रशासन के विविध अंग हैं।

नये स्थापित राज्य उत्तराखण्ड में समाज कल्याण विभाग एक वरिष्ठ मंत्री के निर्देशन में कार्य करता है। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग इस विभाग के नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं तथा समाज कल्याण विभाग के विभिन्न अनुभागों एवं प्रकोष्ठों का कार्य सम्बन्धित अनुसचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव और विशेष सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव को निर्णयार्थ पत्रावलियां प्रस्तुत की जाती हैं। उत्तराखण्ड में प्रभावी संचालन के लिए समाज कल्याण विभाग को पांच भागों में बांटा गया है- समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, महिला कल्याण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। उत्तराखण्ड शासन ने हाल में ही समाज कल्याण विभाग के संरचनात्मक ढ़ाँचे को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ढ़ाँचे में शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों का समायोजन भी किया गया है। नये ढ़ाँचे में निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक के दो पद, उप निदेशक के तीन और सहायक निदेशक, लेखाकार व सहायक लेखाकार के दो-दो पद स्वीकृत किए गये हैं। हाल में ही इस संरचनात्मक ढ़ाँचे को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से और 17 पदों का सृजन किया गया है- कार्यालय हेतु पदों की स्थिति इस प्रकार है, निदेशालय स्तर पर 1 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, 1 प्रशासनिक अधिकारी, 2 प्रधान सहायक, 4 वरिष्ठ सहायक तथा 4 कनिष्ठ सहायक। जनपद स्तर पर पदों की संख्या निम्नवत हैं- 27 प्रशासनिक अधिकारी, 24 प्रधान सहायक, 40 वरिष्ठ सहायक तथा 43 कनिष्ठ सहायक।

समाज कल्याण प्रशासन के राज्य, जिला और विकास खण्ड स्तर पर व्यापक प्रशासनिक संगठन है। समाज कल्याण विभाग के कार्यकारी निकाय समाज कल्याण निदेशालय में निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं, जिनकी सहायता के लिए एक अपर निदेशक, दो संयुक्त निदेशक, तीन उप-निदेशक और दो सहायक निदेशक होते हैं। विभाग की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए निदेशालय के अधीन विभिन्न संस्थान हैं। समाज कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत आने वाले संस्थान इस प्रकार हैं- राज्य महिला आयोग, महिला विकास निगम, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राज्य बाल अधिकार संरक्षण बोर्ड। इनमें से प्रत्येक के प्रमुख अध्यक्ष हैं, जिनकी सहायता सदस्य करते हैं।

राज्य बाल संरक्षण इकाई का प्रमुख एक सहायक निदेशक या कोई समकक्ष वरिष्ठ अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ शोध अधिकारी, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ, राज्य सचिवालय समस्त कार्यक्रमों में एक समन्वयक के रूप में कार्य करता है।

13.3.2 राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन के कार्य

सामाजिक कल्याण प्रशासन का मुख्य कार्य समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं निःशक्तों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना है। इन समूहों का समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक कल्याण प्रशासन भारत के संविधान, विभिन्न कानूनों, राज्य के आदेशों और मार्गनिर्देशों को आधार बनाते हुए कार्यक्रम और नीतियाँ बनाता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के इन असहाय समूहों के संवैधानिक अधिकारों का कार्यान्वयन भी सामाजिक कल्याण प्रशासन का उत्तरदायित्व है। इन वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सदियों से पिछड़े व उपेक्षित, असहाय व दुर्बल लोगों के जीवन स्तर को इस योग्य बनाना है कि उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर विकसित वर्गों के बराबर लाया जा सके। सामाजिक कल्याण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं अल्प संख्यक वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करा कर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक असमानाता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है।

उत्तराखण्ड का समाज कल्याण विभाग अपने निदेशालय, आयोगों, निगमों और कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक कल्याण और न्याय के अपने कार्यों को सम्पादित करता है। कार्यकारी सामाजिक कल्याण निदेशालय का नेतृत्व निदेशक द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता के लिए संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक होते हैं, जिन्हें राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, कल्याण, उनके विकास और सशक्तीकरण से सम्बन्धित कार्यकलापों की विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। समाज कल्याण निदेशालय का उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों का उत्थान सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों एवं हस्तक्षेपों के माध्यम से हिंसा, शोषण और दुराचार के विरुद्ध समाज के इन सर्वाधिक असुरक्षित हिस्सों के अधिकारों की रक्षा का प्रयास करता है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य नीति तथा कानूनी ढ़ाँचे के अनुसार तैयार किये जाते हैं। इसके अलावा समाज कल्याण निदेशालय राज्य में बच्चों के संरक्षण एवं महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण से सम्बन्धित सभी नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों के समन्वय और कार्यान्वयन की नोडल संस्था है।

समाज कल्याण विभाग ने राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण इकाई (एससीपीयू) और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाइयों का गठन किया है। 'किशोर न्याय अधिनियम, 2000' के प्रावधानों के अनुसार हर जिले में सांविधिक निकायों का गठन किया गया है, जिनमें बाल कल्याण समितियां (बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए), किशोर न्याय परिषद और विशेष किशोर पुलिस इकाईयां/किशोर कल्याण अधिकारी (विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की देखरेख और संरक्षण के लिए) शामिल हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई इन सांविधिक निकायों और संस्थानों के कार्यकलापों को सुगम बनाती है। राज्य, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मिल कर बाल अधिकारों के संरक्षण का कार्य करता है। उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम ढेर सारी

योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। निगम अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु उद्यमिता को प्रोन्नत करने के लिए योजनाऐं संचालित करता है।

समाज कल्याण विभाग प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले समस्त परिवारों की बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु कन्या धन योजना के अन्तर्गत रू0 25,000 प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु एवं बीमारी के इलाज हेतु भी अनुदान योजना संचालित करती है। प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले समस्त परिवारों की बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु 'गौरा देवी कन्या धन योजना' भी पूरे राज्य में लागू किया गया है। विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों में छात्रवृत्ति योजनाऐं, आश्रम पद्धति विद्यालय, छात्रावास, परीक्षा पूर्व आई0ए0ए0/पी0सी0एस0 कोंचिग सेन्टर का संचालन, अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न की घटनाओं में त्वरित आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना, निर्धन व्यक्तियों को पुत्री की शादी तथा बीमार व्यक्तियों को ईलाज हेतु सहायता दिया जाना मुख्य है। आपदा प्रभावित पांच जनपदों- रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में 'नन्दा देवी विशेष महिला सुरक्षा योजना' भी क्रियान्वित की गयी है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अलग-अलग वित्तीय एवं विकास निगम स्थापित हैं। परन्तु उत्तराचंल के गठन के पश्चात इसके भौगोलिक आकार एवं आवश्यकता को देखते हुए इन सभी वर्गों के लिए एक ही बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया है। निगम से सभी वर्गों के लिए अनुदान एवं 'मार्जिन मनी' की सुविधा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध की जा रही है। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के मजदूरों व भूमिहीन कृषकों को दस नाली भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। इसके लिए सरकार खेती की जमीन खरीद कर उपलब्ध करायेगी।

अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक कल्याण भवन की स्थापना राजधानी देहरादून में की गई है। साथ ही 'मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन' की स्थापना उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु एक सकारात्मक प्रयास है। अल्पसंख्यक बाहुल्य चार जनपदों- हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। पिरान-ए-कलियर में हज भवन का निर्माण भी प्रगति पर है।

13.3.3 राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की भूमिका

उत्तराखण्ड सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों विकलांग आदि की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार एवं कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए उत्तराखण्ड राज्य में एक शीर्ष विभाग है। यह विभाग विभिन्न वर्गों के विकास हेतु शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण अपनाता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों के बीच भागीदारी को सुदृढ़ करने पर बल देता है। इन एजेंसियों के बीच भागीदारी से इसके वित्तीय संसाधनों के प्रवाह का एक माध्यम खुलता है, जो सुदूरतम वनों में रहने वाले व्यक्ति तक पहुँचता है।

समाज कल्याण विभाग अपने निदेशालय, आयोगों, निगमों और कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक कल्याण और न्याय के अपने कार्यक्रमों को अग्रसर कर रहा है। ये सभी संगठन विशिष्ट उद्देश्यों के साथ काम करते हैं और अनेक

योजनाओं एवं सेवाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों तथा निःशक्तों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं सेवाऐं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं विमुक्त जातियों की छात्रवृत्ति योजना, सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापना करने वाले, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता से सम्बन्धित योजना, राजकीय उन्नयन बस्तियों के रख-रखाव से सम्बन्धित योजना, 'अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989' के क्रियान्वयना से सम्बन्धित योजना, आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शादी/बीमारी अनुदान दिये जाने की योजना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वत: रोजगार योजना, सेनिटरी मार्ट योजना, दुकान निर्माण योजना, कौशल वृद्ध प्रशिक्षण की योजना तथा निशुल्क बोरिंग की योजना संचालित की जा रही है।

उत्तराखण्ड सरकार ने हाल में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लैपटॉप वितरण योजना को वित्तीय स्वीकृति दी है। यह लैपटॉप इंजीनियरिंग व मेडिकल के छात्रों को दिए जाऐंगे। परन्तु योजना का क्रियान्वयन अभी भी अधर में है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 13 हजार वृद्ध, 1013 विकलांग और 2100 विधवा, पेंशन धारक हैं। समाज कल्याण विभाग ने इन लोगों को चयनित कर आजीवन पेंशन देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन पेंशन धारकों को समय से पेंशन नहीं मिलने की शिकायतें मिलती रहती है। राज्य सरकार समाज कल्याण के अन्तर्गत प्रदेश भर में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों पर खर्च कर रही है, लेकिन राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल तो कुछ ठीक चल रहे हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों की स्थिति खराब है।

13.4 जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन

समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक, सामाजिक-आर्थिक उत्थान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना ही समाज कल्याण प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण प्रशासन की धुरी है। जिला समाज कल्याण के कार्यालय का प्रमुख जिला समाज कल्याण अधिकारी होता है, जो कि समाज कल्याण के कार्यकलापों के समन्वयन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी का कार्य भी करता है। विकास खण्ड स्तर पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का प्रमुख अधिकारी होता है जो समाज कल्याण विभाग का प्रत्यक्ष कार्यकारी कर्मचारी होता है।

13.4.1 जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना

जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी व सहायक लेखाकार के 13-13 पद स्वीकृत किए गये हैं। इसके अलावा विकासखण्ड स्तर पर सभी 95 ब्लाकों में एक-एक सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद को भी मंजूरी दी गई है। पूरे उत्तराखण्ड में जनपद स्तर पर कार्यालय के पदों की संख्या निम्नवत है- 27 प्रशासनिक अधिकारी, 24 प्रधान सहायक, 40 वरिष्ठ सहायक तथा 43 कनिष्ठ सहायक।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण प्रशासन की धुरी है, जिसके इर्द-गिर्द पूरी व्यवस्था घुमती है। यह समाज कल्याण के कार्यकलापों के समन्वयन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य

करता है। विकास खण्ड स्तर पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का प्रमुख अधिकारी होता है, जो समाज कल्याण विभाग का प्रत्यक्ष कार्यकारी कर्मचारी होता है। इसके अतिरिक्त सहायक विकास अधिकारी, समाज कल्याण तथा ग्राम प्रधान इस व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं।

जना पद स्तर पर समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय समस्त गतिविधियों को संचालित, नियमित एवं नियंत्रित करता है, जिसके लिए विविध कार्यालयों में समन्वय महत्वपूर्ण है।

13.4.2 जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन के कार्य

जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं अल्प संख्यक वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करा कर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर, समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है। जिला प्रशासन जनता से अपने अभिन्न होने के कारण समस्त कार्यक्रमों का मुख्य अभिकर्ता होता है। समस्त छात्रवृत्ति एवं कल्याण योजनाऐं इसी पर टिकी होती हैं। राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों को साक्षर एवं शिक्षित बनाने के लिए योजनाऐं संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के प्रति प्रेरित करने एवं शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें प्राईमरी स्तर से स्नाकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। छात्रवृत्ति वितरण में विभिन्न समस्याओं को देखते हुए छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य विद्यालय या ग्राम शिक्षा समिति के स्तर पर दे दिया गया है। वर्तमान में संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता रखने हेतु निर्धारित संशोधित प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा- 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण, विद्यालय किस क्षेत्र में स्थित है, कि ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। इसके लिए विद्यालय में अध्ययरत विद्यार्थियों की सूची शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के अर्न्तगत शिक्षा समिति के छात्रवृत्ति हेतु विशेष रूप से खोले गये बैंक खातों में सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। नगर क्षेत्र में कक्षा- 8 तक की छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय समिति गठित है, जिसमें नगर क्षेत्र के सम्बन्धित बार्ड के सभासद का निकटतम प्रतिद्वन्दी, विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुसूचित जाति, जनजाति का सदस्य एवं पिछड़ी जातियों/अल्पसंख्यक जाति का एक सदस्य तथा अनुसूचित जाति का एक वरिष्ठतम अध्यापक सदस्य है। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक व्यवस्था आयोजन कर उनके व गठित समिति के सदस्यों के समक्ष छात्रवृत्ति वितरित करने के निर्देश हैं। इसी प्रकार हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा डिग्री कालेजों हेतु कालेज के प्रधानाचार्यों, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के वरिष्ठ अध्यापकों की एक समिति प्रत्येक विद्यालय में इस कार्य करने हेतु गठित है। नवीन प्रक्रिया के अनुसार समस्त शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित सयुक्त खाते पोस्ट आफिस अथवा बैकों में समाज कल्याण छात्रवृत्ति के नाम खुले समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धन राशि स्थानान्तरित की जा रही है, जिसे विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण हेतु गठित समिति द्वारा स्वीकृत एवं वितरित किया जाता है। इनके अलावा स्थानीय छात्रवृत्ति का वितरण भी जिला सामाजिक कल्याण प्रशासन करता है।

स्वैच्छिक संगठन जो कि अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें शासन की वित्तीय तथा नीतियों के अनुसार अनावर्तक/आर्वतक अनुदान दिया जाता है। शिक्षण कार्य करने वाली संस्थाओं को शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त भी उनके आवेदन-पत्र अग्रसारित किये जाते हैं। जनपद स्तर पर विशेष कम्पोनेन्ट प्लान के अर्न्तगत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना, सुविधाओं के विकास की योजना के अर्न्तगत पेयजल व्यवस्था, मोटर मार्ग, झूलापूल, पुल, पुलिया, सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण नाली एवं जल निकास व्यवस्था, शौचालय, बारात घर का निर्माण सामुदायिक प्रयोग हेतु किया जाता है।

13.4.3 जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की भूमिका

जिला सामाजिक कल्याण प्रशासन जनता से अपने अभिन्न होने के कारण समस्त कार्यक्रमों का मुख्य अभिकर्ता होता है। समस्त छात्रवृत्ति एवं कल्याण योजनाऐं इसी पर टिकी होती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड समाज कल्याण प्रशासन देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी और ऊधमसिंह नगर जिले में 14 स्कूल स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित करवा रहा है। विभाग पांच राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्वयं संचालित कर रहा है। इसमें बेतालघाट राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, समाज कल्याण का नम्बर-वन एटीएस है। हर साल बेहतर परीक्षा परिणाम रहने और अभिभावकों की मांग पर समाज कल्याण विभाग ने अपने दो स्कूलों को उच्चीकृत करने का निर्णय लिया है, इसमें बेतालघाट के हाईस्कूल को इण्टरमीडिएट तक और चमोली जिले के सहकोट गांव के आश्रम पद्धति प्राइमरी स्कूल को हाईस्कूल तक उच्चीकृत करना है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन एनजीओ संचालित स्कूलों की स्थिति खराब है। ऐसे स्कूलों पर एक साल में करीब दो करोड़ से अधिक रुपये खर्च हो रहा है। उत्तराखण्ड सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश भर में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों पर लाखों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं के स्कूलों में अच्छा प्रबन्धन देने और इनका निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करने के लिए आज तक कोई नीति नहीं बना सकी है।

अभ्यास प्रश्न-

1. उत्तराखण्ड समाज कल्याण निदेशालय की स्थापना कब हुई?
2. राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना राज्य कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
3. जिला समाज कल्याण के कार्यालय का प्रमुख कौन होता है?
4. विकास खण्ड स्तर पर समाज कल्याण कार्यालय का प्रमुख अधिकारी कौन होता है?
5. हज भवन का निर्माण उत्तराखण्ड में कहाँ चल रहा है?

13.5 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के पश्चात वंचित वर्गों के विकास और कल्याण पर विशेष ध्याना दिया गया है। राज्यों में सामाजिक कल्याण विभाग विविध कार्यक्रमों को इस दिशा में संचालित कर सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। इसकी नीतियों का क्रियान्वयन ढेर सारे विभागों एवं मंत्रालयों के सहयोग पर टिका है। बहुत सी योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी दिक्कतें भी इसी कारण से खड़ी हो जाती हैं। इतनी सारी योजनाओं को लागू करने में भी अनेक समस्याऐं

भी हैं। ढेर सारे नीतियों का सफल संचालन किन्ही कारणों से नहीं हो पा रहा है। उत्तराखण्ड में भी आपदा के बावजूद जे0 जे0 एक्ट और बाल संरक्षण योजना आगे नहीं बढ़ सकी है। बच्चों के संरक्षण के सम्बन्ध में जे0 जे0 एक्ट और आइ0सी0पी0एस0 का क्रियान्वयन निराशाजनक है। बाल यौन उत्पीड़न रोकने को बने पोकसो कानून पर अमल करने में उत्तराखण्ड सबसे पीछे है। आयोग के बार-बार अनुरोध के बावजूद शासन ने बच्चों से जुड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों को महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया। देश के अन्य राज्यों में यह कार्य हो चुका है। समाज कल्याण महकमे ने जिला समाज कल्याण अधिकारियों को ही जे0 जे0 एक्ट लागू कराने को परिवीक्षा अधिकारी बना दिया, जबकि 13 में से 10 जिलों में समाज कल्याण अधिकारी नहीं हैं।

13.6 शब्दावली

विभाग- नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मंत्रालय का एक भाग, अनुश्रवण– निगरानी, अल्पसंख्यक- वह वर्ग या समुदाय जिसकी जनसंख्या कम हो, अधिनियम- कानून

13.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. वर्ष 2000, **2.** मंत्री (समाज कल्याण), **3.** जिला समाज कल्याण अधिकारी, **4.** सहायक समाज कल्याण अधिकारी, **5.** पिरान-ए-कलियर

13.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मनोज सिन्हा,(2010) प्रशासन एवं लोकनीति, ओरिएंट ब्लैकस्वाना , नई दिल्ली।
2. सूचना का अधिकार मैनुअल, 2012, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
3. वी0 जगन्नाथन, 1967, सोशल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, द इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली।

13.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. सुषमा यादव एवं राम अवतार शर्मा, 1997, भारतीय राजनीति ज्वलंत प्रश्न, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. डी0 आर0 सचदेव, 2009, भारत में समाज कल्याण प्रशासन, किताब महल, नई दिल्ली।
3. दयाकृष्ण मिश्र, 2008, सामाजिक प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।

13.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. उत्तराखण्ड में सामाजिक कल्याण प्रशासन के उद्-भव एवं विकास की विवेचना कीजिए।
2. राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना, कार्यों एवं भूमिका का वर्णन कीजिए।
3. जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन के कार्यों एवं भूमिका का परीक्षण कीजिए।

इकाई- 14 सामाजिक कल्याण विभाग: संरचना, कार्य और भूमिका

इकाई की संरचना

14.0 प्रस्तावना
14.1 उद्देश्य
14.2 सामाजिक कल्याण विभाग एक परिचय
14.3 सामाजिक कल्याण विभाग की संरचना
14.3.1 समाज कल्याकण विभाग का प्रशासनिक ढ़ाँचा
14.4 सामाजिक कल्याण विभाग के कार्य
14.5 सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं
14.5.1 अल्प संख्यकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम
14.6 सामाजिक कल्याण विभाग की भूमिका
14.7 सारांश
14.8 शब्दावली
14.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
14.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
14.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
14.12 निबन्धात्मक प्रश्न

14.0 प्रस्तावना

संविधान की उद्देशिका देश के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता की आवश्यकता इंगित करता है। संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप ही राज्यों में सामाजिक कल्याण विभाग का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड में सामाजिक न्याय की स्थापना इसी मंत्रालय के क्रियाकलापों पर टिकी है।

उत्तराखण्ड में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने एवं गति देने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग वचनबद्ध है। प्रस्तुत इकाई में सामाजिक कल्याण विभाग की संरचना, कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

14.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- सामाजिक कल्याण विभाग की संरचना के बारे में जान सकेंगे।
- सामाजिक कल्याण विभाग की निर्धारित शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में भी जान सकेंगे।
- सामाजिक कल्याण विभाग की भूमिका के बारे में भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा।

14.2 सामाजिक कल्याण विभाग एक परिचय

भारत में 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवम्बर, 2000 को हुआ। सामाजिक कल्याण विभाग नवंबर 2000 में उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्य के निर्वहन के बाद अस्तित्व में आया। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्प संख्यकों तथा विकलांग आदि की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार एवं कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए उत्तराखण्ड राज्य में एक शीर्ष विभाग है। उत्तराखण्ड राज्य बनने से पूर्व उत्तराखण्ड के दोनों मण्डलों का कार्य लखनऊ उत्तर प्रदेश निदेशालय द्वारा सम्पादित किया जाता था। राज्य के गठन के फलस्वरूप निदेशालय समाज कल्याण की स्थापना वर्ष 2000 में हुई।

समाज कल्याण विभाग की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और उस समय इस विभाग का नाम 'हरिजन सहायक विभाग' था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को इसके पूर्व शिक्षा विभाग से कुछ शैक्षिक सुविधाऐं दी जाती थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1940-41 में रिक्लेमेशन विभाग के नाम से एक अलग विभाग संचालित था। इसका मुख्य कार्य उन जातियों के लिए था, जो उस समय अपराध की ओर उन्मुख थीं और यह विभाग तत्कालीन समय में रिक्लेमेशन अधिकारी के अधीन था। तदोपरान्त समाज कल्याण विभाग एवं रिक्लेमेशन विभाग दोनों ही साथ-साथ कार्य करते रहे एवं तत्पश्चात रिक्लेमेशन विभाग के समस्त कार्य को हरिजन सहायक विभाग में ही सम्मिलित कर दिया गया। वर्ष 1955 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गयी, जिसे वर्ष 1961 में अलग मानते हुए निदेशक, हरिजन समाज कल्याण विभाग के अधीन कर दिया गया। सामंजस्य तथा समन्वय की दृष्टि से अलग चल रहे हरिजन सहायक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को वर्ष 1977-1978 में सभी स्तरों पर विलीनीकरण कर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। वर्ष 1991-92 में विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1995-96 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं इससे सम्बन्धित निदेशालय का अलग से गठन कर दिया गया एवं उनसे सम्बन्धित समस्त योजनाओं को समाज कल्याण विभाग से स्थानान्तरित करके सम्बन्धित विभागों को संचालन हेतु दे दिया गया। 1995 में विभाग का नाम परिवर्तित करके अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। उत्तराचंल के गठन के उपरान्त विभाग का पुर्नगठन करके वर्ष 1996-97 में अलग-अलग विभागों को पुनः समाज कल्याण विभाग के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया।

विभाग का मुख्य कार्य समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं निःशक्तों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना है। इन समूहों का समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए विभाग भारत के संविधान, विभिन्न कानूनों, राज्य के आदेशों और मार्ग-निर्देशों को आधार बनाते हुए कार्यक्रम और नीतियाँ बनाता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के इन असहाय समूहों के सांविधिक अधिकारों का कार्यान्वयन भी विभाग का उत्तरदायित्व है।

14.3 सामाजिक कल्याण विभाग की संरचना

सामाजिक कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय और समाज के वंचित और हाशिये पर स्थित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी विभाग है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के कल्याण एवं

सशक्तिकरण पर यह विभाग विशेष बल देता है। सामाजिक कल्याण विभाग लक्षित समूहों के विकास एवं कल्याण के प्रति वचनबद्ध है।

इस विभाग के नाम भी सामाजिक परिवर्तन एवं लक्षित समूहों के अनुसार बदलते रहे हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश में वर्ष 1948-49 में 'हरिजन सहायक विभाग' के रूप में इस विभाग की स्थापना हुई। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए क्रियान्वयन हेतु 1955 में 'समाज कल्याण विभाग' की स्थापना हुई तथा वर्ष 1961 में हरिजन सहायक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को मिलाकर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग बनाया गया। वर्ष 1991-92 में विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया गया।

नये स्थापित राज्य उत्तराखण्ड में समाज कल्याण विभाग एक वरिष्ठ मंत्री के निर्देशन में कार्य करता है। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग इस विभाग के नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं तथा समाज कल्याण विभाग के विभिन्न अनुभागों एवं प्रकोष्ठों का कार्य सम्बन्धित अनु सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव और विशेष सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव को निर्णयार्थ पत्रावलियां प्रस्तुत की जाती हैं।

14.3.1 समाज कल्याण विभाग का प्रशासनिक ढ़ाँचा

1. **शासन स्तर पर-** प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, अनु सचिव, अनुभाग अधिकारी।
2. **निदेशालय स्तर पर-** निदेशक- 1, अपर निदेशक- 1, संयुक्त निदेशक- 2, मुख्य वित्त अधिकारी- 1, उप निदेशक- 3, सहायक निदेशक- 2, समूह 'ग' कर्मचारी- 24, जीप चालक- 6 , समूह 'घ' कर्मचारी- 9,
3. **जनपद स्तर पर-** जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं कार्यालय स्टाफ।
4. **विकास खण्ड स्तर पर-** सहायक समाज कल्याण अधिकारी एवं कार्यालय स्टाफ।

समाज कल्याण विभाग के राज्य, जिला और विकास खण्ड स्तर पर व्यापक प्रशासनिक संगठन हैं। विभाग के कार्यकारी निकाय, समाज कल्याण निदेशालय में निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं, जिनकी सहायता के लिए एक अपर निदेशक, दो संयुक्त निदेशक, तीन उप-निदशक और दो सहायक निदेशक होते हैं। विभाग की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए निदेशालय के अधीन विभिन्न संस्थान हैं। समाज कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत आने वाले संस्थान इस प्रकार हैं- राज्य महिला आयोग, महिला विकास निगम, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राज्य बाल अधिकार संरक्षण बोर्ड। इनमें से प्रत्येक के प्रमुख अध्यक्ष हैं, जिनकी सहायता सदस्य करते हैं। राज्य बाल संरक्षण इकाई का प्रमुख एक सहायक निदेशक या कोई समकक्ष वरिष्ठ अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ शोध अधिकारी, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ, राज्य सचिवालय समस्त कार्यक्रमों में एक समन्वयक के रूप में कार्य करता है।

समाज कल्याण निदेशालय का उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों का उत्थान सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों एवं हस्तक्षेपों के माध्यम से हिंसा, शोषण और दुराचार के विरुद्ध समाज के इन सर्वाधिक असुरक्षित हिस्सों के अधिकारों की रक्षा का प्रयास करता है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य नीति तथा कानूनी ढ़ाँचे के अनुसार तैयार किये जाते हैं। इसके अलावा समाज कल्याण निदेशालय राज्य में बच्चों के संरक्षण एवं महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण से सम्बन्धित सभी नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों के समन्वय और कार्यान्वयन की नोडल संस्था है। विशेष रूप से निदेशालय निम्नलिखित पहलुओं से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी हैं- महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को लागू करना, उनका विकास और

कल्याण, महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित राज्य के कानूनों, नियमों और दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय नीतियों और कानूनों के अनुसमर्थन में नियमों और दिशा-निर्देशों का सूत्रीकरण और साथ ही राज्य में उनका अधिनियमन, देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की देख-रेख, संरक्षण और पुनर्वास के लिए कार्यतंत्र स्थापित करना तथा महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना।

जिला समाज कल्याण के कार्यालय का प्रमुख, जिला समाज कल्याण अधिकारी होता है जो कि समाज कल्याण के कार्यकलापों के समन्वयन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी का कार्य भी करता है। विकास खण्ड स्तर पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का प्रमुख अधिकारी होता है जो समाज कल्याण विभाग का प्रत्यक्ष कार्यकारी कर्मचारी होता है।

उत्तराखण्ड में प्रभावी संचालन के लिए समाज कल्याण विभाग को (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, परियोजना उद्देश्य के लिए समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत माना जाता है) पांच भागों में बांटा गया है- समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, महिला कल्याण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास।

शासन ने समाज कल्याण विभाग के संरचनात्मक ढ़ाँचे को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ढ़ाँचे में शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों का समायोजन भी किया गया है। नये ढ़ाँचे में निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक के दो, उपनिदेशक के तीन और सहायक निदेशक लेखाकार व सहायक लेखाकार के दो-दो पद स्वीकृत किए गये हैं। जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी व सहायक लेखाकार के 13-13 पद स्वीकृत किये गये हैं। इसके अलावा विकासखण्ड स्तर पर सभी 95 ब्लाकों में एक-एक सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद को भी मंजूरी दी गई है। हाल में ही इस संरचनात्मक ढ़ाँचे को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 17 पदों का सृजन किया गया है।

14.4 सामाजिक कल्याण विभाग के कार्य

सामाजिक कल्याण विभाग का मुख्य कार्य राज्य के सीमान्तकृत वर्गों पर ध्यान केन्द्रीत करते हुए महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं निःशक्तों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना है। इन समूहों का समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए विभाग भारत के संविधान, विभिन्न कानूनों, राज्य के आदेशों और मार्गनिर्देशों को आधार बनाते हुए कार्यक्रम और नीतियां बनाता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के इन असहाय समूहों के सांविधिक अधिकारों का कार्यान्वयन भी विभाग का उत्तरदायित्व है। इस विभाग का सम्बन्ध उन समूह के व्यक्तियों से है जो या तो ऐतिहासिक रूप से समाज के हासिये पर रहे हैं अथवा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक ताकतों के कारण अलग-थलग पड़े रहने के खतरे में हैं। विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य लक्षित समूहों का सशक्तिकरण है।

उत्तराखण्ड का समाज कल्याण विभाग अपने निदेशालय, आयोगों, निगमों और कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक कल्याण और न्याय के अपने कार्यों को सम्पादित करता है। कार्यकारी सामाजिक कल्याण निदेशालय का नेतृत्व निदेशक द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता के लिए संयुक्त निदेशक उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक होते हैं, जिन्हें राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के

संरक्षण, कल्याण, उनके विकास और सशक्तीकरण से सम्बन्धित कार्यकलापों की विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं।

विभाग केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ घनिष्ठता से मिलकर कार्य करता है। यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ मिलकर भी अनेक कार्यक्रमों को संचालित करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला कोष एवं राष्ट्रीय विकलांग, वित्त एवं विकास निगम भी इसे सहयोग प्रदान करते है। बच्चों के अधिकारों और कल्याण से सम्बन्धित विभाग के बच्चों के अधिकारों और कार्यक्रमों में समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) और राज्य बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाईयों और राज्य दत्तक-ग्रहण समन्वयन एजेन्सी द्वारा प्रशासित विभिन्न संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाऐं शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग ने राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण इकाई (एससीपीयू) और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाइयों का गठन किया है। 'किशोर न्याय अधिनियम, 2000' के प्रावधानों के अनुसार हर जिले में सांविधिक निकायों का गठन किया गया है जिनमें बाल कल्याण समितियां (बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए), किशोर न्याय परिषद और विशेष किशोर पुलिस इकाईयां/किशोर कल्याण अधिकारी (विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की देखरेख और संरक्षण के लिए) शामिल हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई इन सांविधिक निकायों और संस्थानों के कार्यकलापों को सुगम बनाती है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मिल कर बाल अधिकारों के संरक्षण का कार्य करता है। उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम ढेर सारी योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। निगम अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु उद्यमिता को प्रोन्नत करने के लिए नवाचारी योजनाऐं संचालित करता है।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों एवं दलित व कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। विभिन्न विकास योजनाओं से इन वर्गों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से उपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वःरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इन वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सदियों से पिछड़े व उपेक्षित, असहाय व दुर्बल लोगों के जीवन स्तर को इस योग्य बनाना है कि उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर विकसित वर्गों के बराबर लाया जा सके। समाज कल्याण विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करा कर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर, समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है।

विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों में छात्रवृत्ति योजनाऐं, आश्रम पद्धति विद्यालय, छात्रावास, परीक्षा पूर्व आई0ए0ए0/पी0सी0एस0 कोंचिग सेन्टर का संचालन, अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न की घटनाओं में त्वरित आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना, निर्धन व्यक्तियों की पुत्री की शादी तथा बिमार व्यक्तियों को ईलाज हेतु सहायता दिया जाना मुख्य है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अलग-अलग वित्तीय एवं विकास निगम स्थापित हैं। परन्तु उत्तराचंल के गठन के पश्चात इसके भौगोलिक आकार एवं आवश्यकता को

देखते हुए इन सभी वर्गों के लिए एक ही बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया है। निगम से सभी वर्गों के लिए अनुदान एवं 'मार्जिन मनी' की सुविधा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध की जा रही है।

14.5 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं

समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्नांकित योजनाओं का संचालना किया जाता है-

1. **छात्रवृत्ति-** शासन द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों को साक्षर एवं शिक्षित बनाने के लिए योजनाऐं संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के प्रति प्रेरित करने एवं शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें प्राईमरी स्तर से स्नाकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। छात्रवृत्ति वितरण में विभिन्न समस्याओं को देखते हुए छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य विद्यालय व ग्राम शिक्षा समिति के स्तर पर दे दिया गया है। वर्तमान में संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता रखने हेतु निर्धारित संशोधित प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा-1 से 8 तक की छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण, विद्यालय किस क्षेत्र में स्थित है? ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। इसके लिए विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के अर्न्तगत शिक्षा समिति के छात्रवृत्ति हेतु विशेष रूप से खोले गये बैक खातों में सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। नगर क्षेत्र में कक्षा- 8 तक की छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित है, जिसमें नगर क्षेत्र के सम्बन्धित बार्ड के सभासद का निकटतम प्रतिद्वन्दी, विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुसूचित जाति, जनजाति का सदस्य एवं पिछड़ी जातियों व अल्पसंख्यक जाति का एक सदस्य तथा अनुसूचित जाति का एक वरिष्ठतम अध्यापक सदस्य है। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक व्यवस्था आयोजना कर उनके व गठित समिति के सदस्यों के समक्ष छात्रवृत्ति वितरित करने के निर्देश हैं। इसी प्रकार हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट तथा डिग्री कालेजों हेतु कालेज के प्रधानाचार्यों व अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के वरिष्ठ अध्यापकों की एक समिति प्रत्येक विद्यालय में इस कार्य करने हेतु गठित है। नवीन प्रक्रिया के अनुसार समस्त शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित सयुक्त खाते पोस्ट आफिस अथवा बैकों में समाज कल्याण छात्रवृत्ति के नाम खुले समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि स्थानान्तरित की जा रही है, जिसे विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण हेतु गठित समिति द्वारा स्वीकृत एवं वितरित किया जाता है।

   कक्षा 9 और 10 में पढने वाले छात्रों, जिनके माता-पिता या अभिभावकों की शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी के लिए कोई आय सीमा नहीं है, किन्तु आशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम रू0 5000/- प्रतिमाह तक है, उन्हें ही छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। प्रदेश के राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के आवासीय विद्यार्थियों को रू0 60/- तथा अनावासीय छात्रों को 50/- रूपये प्रति माह की दर से प्रवेश की तिथि से पूरे वर्ष की छात्रवृत्ति विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के उन समस्त छात्र-छात्राओं को

दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता या अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 1,00,000/- से अधिक नहीं है। यह छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली की अर्न्तगत प्रदान की जाती है।

पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क क्षतिपूर्ति, मान्यता प्राप्त गैर-विद्यालयों में कक्षा-7 से 8 तक की कक्षाओं में पढने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हेतु विद्यालयों को जो आर्थिक क्षति होती है, उस कमी को विभाग द्वारा शुल्क क्षतिपूर्ति प्रदान करके पूरा किया जा रहा है। कक्षा- 9 से उच्चतम पात्रता की श्रेणी के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति भी विभाग द्वारा की जाती है। यह निम्न प्रकार से है- शिक्षण शुल्क, खेल, चिकित्सा, पुस्तकालय, इन्स्टूमेन्ट, स्याही, आडियो विजुअल, मैगजीन, विज्ञान, मंहगाई, विकास शुल्क और पंखा।

2. **बुक-बैंक की स्थापना-** '100 प्रतिशत केन्द्र पुरो-निर्धारित योजना' के अर्न्तगत मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग कालेजों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा हेतु कोर्स की महंगी पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1978-79 से बुक बैंक की स्थापना की गयी है। भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 14 जून 2004 के क्रम में अब यह योजना दशमोत्तर छात्रवृत्ति में ही संचालित की जानी है।
3. **अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष कोंचिग-** हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की अन्तिम परीक्षा पूर्व अनुसूचित जाति के छात्रों को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों में शिक्षा-सत्र के माह सितम्बर से फरवरी तक विशेष कोचिंग देने की योजना प्रदेश के जनपदों में संचालित की जा रही है। इसके अर्न्तगत 10वीं कक्षा के अध्यापकों को रू0 200/- तथा 12वीं कक्षा के अध्यापकों को रू0 300/- की दर से मानदेय दिये जाने का प्रावधान है।
4. **स्वैच्छिक संगठनों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता/सुविधाऐं-** स्वैच्छिक संगठन, जो कि अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें शासन की वित्तीय तथा नीतियों के अनुसार अनावर्तक/आर्वतक अनुदान दिया जाता है, शिक्षण कार्य करने वाली संस्थाओं को शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त भी उनके आवेदन-पत्र अग्रसारित किये जाते हैं।
5. **अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को सिविल व राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना-** अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को आई0ए0ए0/पी0सीएस0 की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व कोंचिग दिये जाने के लिए कोंचिग केन्द्र संचालित है, कोचिंग केन्द्र में निःशुल्क पुस्तकें व शिक्षा की व्यवस्था है।
6. **अनुसूचित जाति के विवाह एवं बिमारी हेतु आर्थिक सहायता-** अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों को गम्भीर बिमारी के उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
7. **अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना-** स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना 2005-06 से प्रारम्भ की गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था, मोटर मार्ग, झूलापूल, पुल, पुलिया, सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण नाली एवं जल निकास व्यवस्था, शौचालय, बारातघर का निर्माण सामुदायिक प्रयोग हेतु किया जाता है।

8. **अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन-** अनुसूचित जाति, जनजातियों के प्रति सामान्य अस्पृश्यता/छुआछुत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है।

14.5.1 अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी कार्यक्रम

भारत के संविधान में देश को एक धर्म निरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रजातात्रिंक घोषित किया गया है। संविधान जहाँ देश के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार भी प्रदान करता है, साथ ही उन्हें अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने एवं उनके प्रबन्ध करने का अधिकार भी देता है।

1. **छात्रवृत्ति योजना-** अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा- 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना वर्ष 1995-96 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत इस समुदाय के ऐसे सभी छात्रों जिनके अभिभावक की आय गरीबी रेखा के नीचे निर्धारित आय सीमा के दुगुने से अधिक ना हो, को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है।
2. **मदरसों के** आ**धुनिकीकरण की योजना-** अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए सरकार ने मदरसों के अधुनिकीकरण की योजना की है, ताकि इसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे मजहबी शिक्षा के ज्ञान के साथ-साथ नवीन शिक्षा को भी ग्रहण कर सकें।
3. **हज समिति को अनुदान-** राज्य से हज यात्रा में जाने वाले लोगों को उनकी यात्रा के सम्बन्ध में सुविधा प्रदान करने एवं उनकी यात्रा व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्य हज समिति का गठन वर्ष 2003-4 में किया गया है।

14.6 सामाजिक कल्याण विभाग की भूमिका

समाज कल्याण विभाग अपने निदेशालय, आयोगों, निगमों और कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक कल्याण और न्याय के अपने कार्यक्रमों को अग्रसर कर रहा है। ये सभी संगठन विशिष्ट उद्देश्यों के साथ काम करते हैं और अनेक योजनाओं एवं सेवाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों तथा निःशक्तों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं सेवाऐं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों और विमुक्त जातियों की छात्रवृत्ति योजना, सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता से सम्बन्धित योजना, राजकीय उन्नयन बस्तियों के रख-रखाव से सम्बन्धित योजना, 'अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989' के क्रियान्वयन से सम्बन्धित योजना, आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शादी व बीमारी के लिए अनुदान दिये जाने की योजना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत 'अनुसूचित जाति वित्त

एवं विकास निगम' द्वारा स्वत: रोजगार योजना, सेनिटरी मार्ट योजना, दुकान निर्माण योजना, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण की योजना तथा निशुल्क बोरिंग की योजना संचालित की जा रही है।

समाज कल्याण विभाग जरूरतमंद एवं संकटमय महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, उपेक्षित सड़क के बच्चों, वृद्ध और बेसहारा लोगों के लिए आवासीय देखभाल वाले घरों एवं गैर-संस्थागत सेवाओं के लिए कल्याण कार्यक्रम और सेवाऐं प्रदान करता है। इसके अलावा विभाग महिलाओं, बच्चों, विकलांगों के लिए स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करता है और विभाग के कल्याण के उपाय के विषय में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करता है। यह विभाग विभिन्न वर्गों के विकास हेतु शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण अपनाता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों के बीच भागीदारी को सुदृढ़ करने पर बल देता है। इन एजेंसियों के बीच भागीदारी से इसके वित्तीय संसाधनों के प्रवाह का एक माध्यम खुलता है, जो सुदूरतम वनों में रहने वाले व्यक्तिओं तक पहुँचता है। साथ ही इन एजेंसियों के माध्यम से अन्ततः लक्षित समूह को लाभ पहुँचाते हुए प्रदाता तथा प्राप्तकर्ता के बीच सम्बन्ध सृजन क्षमता भी बनाता है। उत्तराखण्ड सरकार ने हाल में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लैपटॉप वितरण योजना को वित्तीय स्वीकृति दी है। यह लैपटॉप इंजीनियरिंग व मेडिकल के छात्रों को दिए जायेंगे। परन्तु योजना का क्रियान्वयन अभी भी अधर में है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 13 हजार वृद्ध, 1013 विकलांग और 2100 विधवा पेंशन धारक हैं। समाज कल्याण विभाग ने इन लोगों को चयनित कर आजीवन पेंशन देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन पेंशन धारकों को समय से पेंशन नहीं मिलने की शिकायतें मिलती रहती है। राज्य सरकार समाज कल्याण के अन्तर्गत प्रदेश भर में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों पर खर्च कर रही है, लेकिन राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल तो कुछ ठीक चल रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों की स्थिति खराब है। ऐसे विद्यालयों पर एक साल में करीब दो करोड़ से अधिक रुपये खर्च हो रहा हैं, परन्तु सरकार एवं विभाग ने इन विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनायी है।

अभ्यास प्रश्न-

1. उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना कब हुई?
2. सामाजिक कल्याण निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई?
3. समाज कल्याण विभाग के नियंत्रक अधिकारी के रूप में कौन कार्य करते हैं?
4. जिला समाज कल्याण के कार्यालय का प्रमुख कौन होता है?
5. अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा- 1 से 10 तक के छात्रों के लिए छात्रवृति योजना कब प्रारम्भ की गयी?

14.7 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के पश्चात वंचित वर्गों के विकास और कल्याण पर विशेष ध्याना दिया गया है। राज्यों में सामाजिक कल्याण विभाग विविध कार्यक्रमों को इस दिशा में संचालित कर सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। इसकी नीतियों का क्रियान्वयन ढेर सारे विभागों एवं मंत्रालयों के सहयोग पर टिका है। बहुत सी योजनाओं के क्रियान्वयन में

तकनीकी दिक्कतें भी इसी कारण से खड़ी हो जाती हैं। इतनी सारी योजनाओं को लागू करने में भी अनेक समस्याऐं भी हैं। उत्तराखण्ड का प्रशासनिक ढ़ाँचा इतना जटिल एवं व्यापक है कि इसमें से कोई भी योजना या नीति जमीनी स्तर तक पहुँचने से पहले ही काफी विकृत हो जाती है। एक पहाड़ी राज्य की संकल्पना को सार्थक बनाने के लिए विभाग को अधिकतम प्रयास करने होंगे। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता अवश्य होनी चाहिए। पालने से लेकर श्मशान तक की नीतियाँ संचालन में गतिरोध पैदा करती हैं फिर भी सामाजिक कल्याण विभाग के प्रयास सार्थक हुए हैं। इतने विविधताओं से भरे इस राज्य में इससे क्रान्तिकारी परिवर्तन तो नहीं लेकिन गुणात्मक परिवर्तन अवश्य आया है। समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक एवं सामाजिक-आर्थिक उत्था कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना ही समाज कल्याण का मुख्य उद्देश्य है।

14.8 शब्दावली

विभाग- नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मंत्रालय का एक भाग, इकाई- किसी संगठन का निम्नतम प्रशासनिक अभिकरण, मापदण्ड- नियम या आधार, सामाजिक नीति- सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन की दिशा में एक स्थायी एवं सुसंगत दृष्टिकोण।

14.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 9 नवम्बर 2000, **2.** वर्ष 2000, **3.** प्रमुख सचिव, **4.** जिला समाज कल्याण अधिकारी, **5.** सन् 1995- 96

14.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वी0 जगन्नाथन, 1967, सोशल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, द इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली।
2. दयाकृष्ण मिश्र, 2008, सामाजिक प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो,जयपुर।
3. डी0 आर0 सचदेव, 2009, भारत में समाज कल्याण प्रशासन, किताब महल, नई दिल्ली।

14.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. सुषमा यादव एवं राम अवतार शर्मा, 1997, भारतीय राजनीति ज्वलंत प्रश्न, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. सूचना का अधिकार मैनुअल, 2012, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

14.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. उत्तराखण्ड में सामाजिक कल्याण विभाग के उद्-भव एवं विकास का वर्णन कीजिए।
2. सामाजिक कल्याण विभाग की संरचना, भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए।
3. उत्तराखण्ड में चलाये जा रहे समाज कल्याण कार्यक्रमों का परीक्षण कीजिए।

इकाई- 15 स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन

इकाई की संरचना

15.1 प्रस्तावना
15.2 उद्देश्य
15.3 स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन
15.4 स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना
15.5 स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन के कार्य
15.6 स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की भूमिका
15.7 सारांश
15.8 शब्दावली
15.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
15.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
15.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
15.12 निबन्धात्मक प्रश्न

15.1 प्रस्तावना

भारत एक संघीय राज्य है, जिसकी प्रकृति लोक कल्याणकारी राज्य की है। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति-निर्देशक सिद्धान्त और अन्य विशेष प्रावधानों का उद्देश्य भारत में सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इनके अनुरूप ही नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की इकाइयों का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड में भी स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की इकाइयां गठित की गई हैं, जो इस नवोदित राज्य में समाज कल्याण से सम्बन्धित विविध क्रियाकलापों को सम्पादित कर रही हैं। पंचायती राज एवं शहरी निकाय व्यवस्था तथा स्वैच्छिक संगठन स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं। प्रस्तुत इकाई में स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना, कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

15.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- समाज कल्याण प्रशासन के विविध स्तरों के बारे में जान सकेंगे।
- साथ ही स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना एवं कार्य के बारे में जान सकेंगे।
- स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की भूमिका के बारे में भी आपको ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

15.3 स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन

सामाजिक कल्याण प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को साथ लेकर चलने के नियम से प्रेरित है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को उसके सर्वांगीण विकास के संसाधन और उचित मानवीय नागरिक समाज में उसकी गरिमामय भागीदारी प्राप्त हो सके और वहीं हर्बर्ट स्पेंसर के इस नियम की पूर्णतः अनदेखी कर दी जाये कि सर्वोत्तम को ही जीवन का अधिकार है और राज्य को उन्हीं के विकास में अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। इसके विपरीत सामाजिक कल्याण प्रशासन दलित शोषितों को सबल प्रदान करते हुए सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य रखता है। जहाँ सामाजिक न्याय, समानता, शोषण एवं अत्याचारमुक्त नागरिक समाज, अशक्त एवं कमजोर लोगों के कल्याण के लिये भौतिक साधनों के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक समृद्धि तथा प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत गरिमा एवं स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीने के लिए उचित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वातावरण तैयार करना अति महत्वपूर्ण है।

सामाजिक कल्याण प्रशासन में जन कल्याण की सामाजिक नीति और कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होता है। भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात लोक कल्याणकारी राज्य को सही दिशा प्रदान करने हेतु विविध प्रावधान लागू किये गये हैं। सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु सामाजिक कल्याण सम्बन्धी अभिकरणों का गठन केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर किया गया है। उत्तराखण्ड में भी स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा के अपने प्राथमिक उद्देश्य के साथ सक्रिय है। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय तथा गैर-सरकारी संगठन मिलकर एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं, जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को वास्तविक धरातल पर उतारते हैं। 1958 में गठित 'रेणुका राय समिति' ने भी स्थानीय निकायों को मुख्य कल्याणकारी अभिकरण के रूप में मान्यता देने की सिफारिश की थी। साथ ही इन निकायों को सामाजिक कल्याण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की आर्थिक सहायता की अनुशंसा भी की गयी थी। छठी पंचवर्षीय योजना में भी इनके सशक्तिकरण पर बल दिया गया था। स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण की संगोष्ठी (1969) ने समाज कल्याण से सम्बन्धित विषयों की एक लम्बी सूची प्रदान की जो स्थानीय निकायों द्वारा सम्पन्न किये जाने थे। अनन्तर संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज व्यवस्था एवं शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था को अमलीजामा पहनाया गया। इसके साथ ही 'राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियाना' से पंचायती राज को सुदृढ़ कर देश में निचले स्तर पर स्व-शासन को मजबूत बनाने, जवाबदेही बढ़ाने और समाज कल्याण तथा जनभागीदारी में वृद्धि करने जैसे लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली है।

15.4 स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की संरचना

सामाजिक कल्याण योजनाओं एवं नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए सामाजिक कल्याण प्रशासन का ढ़ाँचा लगभग हरेक स्तर पर गठित है। उत्तराखण्ड में भी राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन सामाजिक सुरक्षा के अपने प्राथमिक उद्देश्य के साथ सक्रिय है। विविध विभागों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से कल्याणकारी योजनाऐं स्थानीय स्तर पर भी संचालित किये जा रहे हैं।

भारत के 27वें राज्य के रूप में गठित उत्तराखण्ड में सामाजिक कल्याण प्रशासन राज्य गठन के साथ ही अस्तित्व में आया। उत्तराखण्ड राज्य से पूर्व राज्य के दोनों मण्डलों के सामाजिक कल्याण योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन

का कार्य उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण निदेशालय एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं एवं विभागों द्वारा सम्पादित किया जाता था। राज्य गठन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड में समाज कल्याण निदेशालय की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग की भी स्थापना की गयी जो आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा विकलांग आदि की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार एवं कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए उत्तराखण्ड राज्य में एक शीर्ष विभाग है। सामाजिक परिवर्तन एवं लक्षित समूहों के अनुसार इस विभाग के नाम भी बदलते रहे हैं। इस विभाग के अतिरिक्त राज्य 'अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना अधिनियम, 2013' के तहत राज्य कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति भी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष मंत्री, समाज कल्याण होते हैं। जिला स्तर पर गठित इस प्रकार की समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। इसके अलावा सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन, समाज कल्याण निगम, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम भी सामाजिक कल्याण प्रशासन के विविध अंग हैं। जिलास्तर पर गठित जिला समाज कल्याण के कार्यालय का प्रमुख जिला समाज कल्याण अधिकारी होता है, जो कि समाज कल्याण के कार्यकलापों के समन्वयन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी का कार्य भी करता है। विकास-खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय का प्रमुख अधिकारी होता है जो समाज कल्याण विभाग का प्रत्यक्ष कार्यकारी कर्मचारी होता है। इस प्रकार समाज कल्याण प्रशासन के राज्य, जिला और विकास खण्ड स्तर पर व्यापक प्रशासनिक संगठन हैं। समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक, सामाजिक-आर्थिक उत्थान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना ही समाज कल्याण प्रशासन का का मुख्य उद्देश्य है।

स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की धूरी पंचायती राज व्यवस्था एवं शहरी निकाय है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए भारत के उत्तराखण्ड सहित विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इस सन्दर्भ में संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा इन्हें संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से प्रथम चरण में 14 विषयों के लिए कार्य, निधि एवं दायित्व त्रिस्तरीय पंचायतों को हस्तान्तरित करने का शासनादेश उत्तराखण्ड में निर्गत कर दिया गया है, जिसमें समाज कल्याण (विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित सहित), महिला और बाल विकास, एवं कमजोर वर्गों का (विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का) कल्याण भी शामिल है। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाऐं तैयार करना और उनका निष्पादन कार्य को वरीयता प्रदान की गयी है। शेष विभागों के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में उपरोक्त व्यवस्था प्रस्तावित है। 74वें संविधान संशोधन से शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था की स्थापना भी उत्तराखण्ड में सम्भव हो पायी है। नगरपालिका, नगर निगम एवं छावनी परिषद ने शहरी क्षेत्र के लोगों को सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की है और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से सीधे तौर पर जोड़ा है। उत्तराखण्ड कुल 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिसमें 13 जनपद या जिला, इतने ही जिला पंचायत, 95 विकास खण्ड, 16,395 राजस्व ग्राम एवं 7,705 ग्राम पंचायतें हैं। उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या का 69.76 प्रतिशत गांवों में बसता है। समाज कल्याण प्रशासन की आवश्यकता इस स्तर पर लगातार महसूस की जाती रही है। जहाँ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18.76 प्रतिशत है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2.89 प्रतिशत। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का शैक्षिक, सामाजिक-आर्थिक उत्थान कर ही समाज में समरसता लायी जा सकती है। यह समाज कल्याण प्रशासन के मुख्य उद्देश्य में से एक है।

वर्तमान में 'उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947' एवं 'उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961' संशोधित एवं रूपान्तरित रूप में उत्तराखण्ड में लागू है तथा उत्तराखण्ड के नवीन पंचायती राज अधिनियम के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है। प्रवृत्त व्यवस्था के अनुसार उत्तराखण्ड में 50,736 ग्राम पंचायत सदस्य, 3,280 क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा 409 जिला परिषद सदस्य पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन के सूत्रधार हैं। पंचायत राज व्यवस्था में पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष तय किया गया है तथा इसके तीना अंग हैं- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक तथा जिला परिषद।

पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन की संस्थाओं को नियोजन एवं विकास की प्रक्रियाओं एवं कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदार बनाना है। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाऐं तैयार करने तथा उन्हें स्वयं ही क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि वे क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार योजनाओं को क्रियान्वित कर स्थानीय जनता को अधिकाधिक लाभ पहुँचा सके। ग्राम पंचायत को समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करने तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक बनाया गया है कि विभागों से सम्बद्ध कर्मी पंचायत व्यवस्था के अधीन कार्यरत रहे। विकेन्द्रीकरण एवं जनता की सीधी भागीदारी हेतु शासकीय सम्बद्धता आवश्यक है। इस प्रकार सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी से लेकर ग्राम प्रधान तक इस व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद स्तर पर भी गठित छ: समितियां भी इसमें सहायक हैं। ये हैं- नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति तथा और जल प्रबन्धन समिति।

इसके अलावा 22 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा द्वारा तथा 23 दिसम्बर, 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित और 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत एवं 1 जून, 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय नगरीय शासन के सम्बन्ध में संविधान में भाग- 9 क, नये अनुच्छेदों (243त से 243य तक) एवं 12वीं अनुसूची जोड़कर निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं- 1. प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका या परिषद् तथा नगर निगम का गठन किया जायेगा। 2. नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। 3. नगर पालिका परिषद् के सम्बन्ध में छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जायेगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन होगा।

साथ ही, उत्तराखण्ड जैसे विस्तृत राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ तेजी से बढ़ रहा स्वैच्छिक संगठन का क्षेत्र काफी सक्रिय है। वे पर्यावरण, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार-विरोध, बाल-श्रम उन्मूलन, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, राहत, आपदा-प्रबन्धन और अन्य अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

15.5 स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन के कार्य

सामाजिक कल्याण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं अल्प संख्यक वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करा कर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है। इन समूहों का समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक कल्याण प्रशासन भारत के संविधान, विभिन्न कानूनों, राज्य के आदेशों और मार्ग-निर्देशों को आधार बनाते हुये कार्यक्रम और नीतियां बनाता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के इन असहाय समूहों के संवैधानिक अधिकारों का कार्यान्वयन भी सामाजिक कल्याण प्रशासन का उत्तरदायित्व है।

उत्तराखण्ड का समाज कल्याण विभाग अपने निदेशालय, आयोगों, निगमों और कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक कल्याण और न्याय के अपने कार्यों को सम्पादित करता है। सामाजिक कल्याण निदेशालय राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, कल्याण, उनके विकास और सशक्तीकरण से सम्बन्धित कार्यकलापों को सम्पादित करता है। इसके अलावा समाज कल्याण निदेशालय राज्य में बच्चों के संरक्षण एवं महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण से सम्बन्धित सभी नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों के समन्वय और कार्यान्वयन की नोडल संस्था है। समाज कल्याण विभाग ने राज्य स्तर पर 'राज्य बाल संरक्षण इकाई' (एससीपीयू) और जिला स्तर पर 'जिला बाल संरक्षण इकाइयों' का गठन किया है। 'किशोर न्याय अधिनियम, 2000' के प्रावधानों के अनुसार हर जिले में सांविधिक निकायों का गठन किया गया है, जिनमें बाल कल्याण समितियां (बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए), किशोर न्याय परिषद और विशेष किशोर पुलिस इकाइयां, किशोर कल्याण अधिकारी (विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की देखरेख और संरक्षण के लिए) शामिल हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई इन सांविधिक निकायों और संस्थानों के कार्यकलापों को सुगम बनाती है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मिल कर बाल अधिकारों के संरक्षण का कार्य करता है। उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। निगम अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु उद्यमिता को प्रोन्नत करने के लिए योजनाऐं संचालित करता है।

ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय भाईचारा, विशेषकर लैंगिक और जाति-आधारित भेदभाव के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय, झगड़ों का निबटारा, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे मुद्दे के लिए ग्राम पंचायत को जवाबदेह बनाया गया है। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण आदि के क्षेत्रों में कार्यकारी कार्य सम्पादित करते हैं।

74वां संविधान संशोधन, नगरीय संस्थाओं को निम्नलिखित के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व और शक्तियाँ प्रदान करती है-

1. नगर में निवास करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करने के लिये।
2. ऐसे कार्यों को करने तथा ऐसी योजनाओं को क्रियानवित करने के लिए, जो उन्हें सौंपा जाय।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों, जो संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल किये गये हैं, के सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल कानून बनाकर नगरीय संस्थानों को अधिकार एवं दायित्व सौंप सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, समाज के कमजोर वर्गों (जिसके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति सम्मिलित हैं) के हितों का संरक्षण, गन्दी बस्तियों में सुधार, नगरीय निर्धनता में कमी, कब्रिस्तान, शव गाड़ना, श्मशान और शवदाह तथा विद्युत शवदाह की व्यवस्था, पशु-तालाब तथा जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना, जन्म-मरण सांख्यिकी (जन्म-मरण पंजीकरण सहित), लोक सुख सुविधाऐं (पथ-प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप, लोक सुविधा सहित), वधशालाओं तथा चर्म शोधनशालाओं का विनियमन आदि।

स्थानीय प्रशासन जनता से अपने अभिन्न होने के कारण समस्त कार्यक्रमों का मुख्य अभिकर्ता होता है। समस्त छात्रवृत्ति एवं कल्याण योजनाऐं इसी पर टिकी होती हैं। राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों को साक्षर एवं शिक्षित बनाने के लिए योजनाऐं संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के प्रति प्रेरित करने एवं शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें प्राईमरी स्तर से स्नाकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। छात्रवृत्ति वितरण में विभिन्न समस्याओं को देखते हुए छात्रवृत्ति स्वीकति एवं वितरण का कार्य विद्यालय/ग्राम शिक्षा समिति के स्तर पर दे दिया गया है। वर्तमान में संविधान के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु, छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता रखने हेतु, निर्धारित संशोधित प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा- 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण, सम्बन्धित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। इसके लिये विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों की सूची शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के अर्न्तगत शिक्षा समिति के छात्रवृत्ति हेतु विशेष रूप से खोले गये बैंक खातों में सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। नगर क्षेत्र में कक्षा- 8 तक की छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित है, जिसमें नगर क्षेत्र के सम्बन्धित बार्ड के सभासद के निकटतम प्रतिद्वन्दी, विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुसूचित जाति, जनजाति का सदस्य एवं पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक जाति का एक सदस्य तथा अनुसूचित जाति का एक वरिष्ठतम अध्यापक सदस्य है। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक व्यवस्था आयोजन कर उनके व गठित समिति के सदस्यों के समक्ष छात्रवृत्ति वितरित करने के निर्देश हैं। इसी प्रकार हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा डिग्री कालेजों हेतु कालेज के प्रधानाचार्यों व अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के वरिष्ठ अध्यापकों की एक समिति प्रत्येक विद्यालय में इस कार्य करने हेतु गठित है। नवीन प्रक्रिया के अनुसार समस्त शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित पोस्ट आफिस अथवा बैंकों में समाज कल्याण छात्रवृत्ति के नाम से खुले सयुंक्त खातों में समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि स्थानान्तरित की जा रही है, जिसे विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण हेतु गठित समिति द्वारा स्वीकृत एवं वितरित किया जाता है। इनके अलावा स्थानीय छात्रवृत्ति का वितरण भी जिला सामाजिक कल्याण प्रशासन करता है।

स्वैच्छिक संगठन, जो कि अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें शासन की वित्तीय तथा नीतियों के अनुसार अनावर्तक/आर्वतक अनुदान दिया जाता है। शिक्षण कार्य करने वाली संस्थाओं को शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त भी उनके आवेदन-पत्र अग्रसारित

किये जाते हैं। जनपद स्तर पर विशेष कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था, मोटर मार्ग, झूलापूल, पुल, पुलिया, सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण नाली एवं जल निकास व्यवस्था, शौचालय, बारात घर का निर्माण सामुदायिक प्रयोग हेतु किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत समस्त परिवारों की बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु कन्या धन योजना के अन्तर्गत रू0 25,000 प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु एवं बीमारी के इलाज हेतु भी अनुदान योजना संचालित करती है। प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत समस्त परिवारों की बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु 'गौरा देवी कन्या धन योजना' भी पूरे राज्य में लागू किया गया है। विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों में छात्रवृत्ति योजनाऐं, आश्रम पद्धति विद्यालय, छात्रावास, परीक्षा पूर्व आई0ए0ए0 व पी0सी0एस0 कोंचिग सेन्टर का संचालन, अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न की घटनाओं में त्वरित आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना, निर्धन व्यक्तियों को पुत्री की शादी तथा बीमार व्यक्तियों को ईलाज हेतु सहायता दिया जाना मुख्य है। आपदा प्रभावित पांच जनपदों- रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में 'नंदा देवी विशेष महिला सुरक्षा योजना' भी क्रियान्वित की गयी है। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के मजदूरों व भूमिहीन कृषकों को दस नाली भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए सरकार खेती की जमीन खरीद कर उपलब्ध करायेगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापना करने वाले तथा रू0 1000 मासिक आय वाले परिवार के वृद्ध जनों को रू0 400 प्रति माह की दर से वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखियाओं हेतु लागू की गयी है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2004 को लोकार्पित इस योजना में प्रदेश में अब तक 6,23,700 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखियाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक के मुख्य कमाने वाले सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर रू0 30,000; दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू0 75,000; दुर्घटना में 40 प्रतिशत से अधिक स्थायी विकलांग होने पर रू0 37,500 तथा पूर्ण विकलांग होने पर रू0 75,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम रू0 200 देय है। जिसमें रू0 100 प्रति सदस्य उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा शेष रू0 100 भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा निधि द्वारा वहन किया जाता है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य स्तर पर उत्तरांचल बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून तथा जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस योजना के लिए नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। वर्तमान में जन श्री बीमा योजना के सदस्य के कक्षा- 9 से 12 तक अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को शिक्षा सहयोग योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू0 100 प्रतिमाह की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अटल आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा रू0 32 हजार वार्षिक आय वाले आवासहीन परिवारों को जिनके पास अपनी

भूमि उपलब्ध है, उन्हें शौचालययुक्त आवास निर्माण हेतु रू0 35 हजार की आर्थिक सहायता दो किश्तों में प्रदान की जाती है।

अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक कल्याण भवन की स्थापना राजधानी देहरादून में की गई है। साथ ही मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन की स्थापना उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु एक सकारात्मक प्रयास है। यह अल्पसंख्यक बाहुल्य चार जनपदों- हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। पिरान-ए-कलियर में हज भवन का निर्माण भी प्रगति पर है। इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग अपने विकास खण्ड प्रतिनिधियों के माध्यम से विभागीय गतिविधियों का समन्वय करती है। इस कार्य हेतु सैनिक कल्याण विभाग इन्हें मानदेय के रूप में रू0 5000 तथा रू0 1000 यात्रा-भत्ता के रूप में देती है। समाज कल्याण विभाग के तमाम निर्माण कार्यों को अंजाम देने के लिए समाज कल्याण निगम का भी गठन किया गया है। यह निगम उत्तर प्रदेश की एक इकाई है। सामाजिक कल्याण निदेशालय का भवन भी मानपुर, हल्द्वानी में निर्माणाधीन है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अलग-अलग वित्तीय एवं विकास निगम स्थापित हैं। परन्तु उत्तराचंल के गठन के पश्चात इसके भौगोलिक आकार एवं आवश्यकता को देखते हुए इन सभी वर्गों के लिए एक ही बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया है। निगम से सभी वर्गों के लिए अनुदान एवं मार्जिन-मनी की सुविधा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध की जा रही है। उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन भी स्थानीय सामाजिक कल्याण प्रशासन द्वारा किया जाता है। उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम का गठन उत्तराखण्ड शासन द्वारा समाज कल्याण विभाग के एक उपक्रम के रूप में कम्पनी अधिनियम- 1956 के अन्तर्गत 25 अक्टूबर 2001 को किया गया है। निगम द्वारा संचालित योजनाओं में शामिल हैं- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्वतः रोजगार योजना; शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना; शिल्पी ग्राम योजना; स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों की विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाऐं भी स्थानीय सामाजिक कल्याण प्रशासन द्वारा ही मूर्त रूप ले पाती हैं।

स्थानीय सामाजिक कल्याण प्रशासन उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की योजनाओं यथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, मार्जिन-मनी ऋण योजना, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना, कौशल वृद्धि योजना तथा रहबर योजना को भी अल्पसंख्यकों तक पहुँचाती है। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम उत्तराखण्ड शासन द्वारा समाज कल्याण विभाग के एक उपक्रम के रूप में कम्पनी अधिनियम-1956 के धारा 25 के अन्तर्गत 6 जनवरी 2005 को गठित किया गया है। इस निगम की अधिकृत अंश पूँजी पांच करोड़ रूपये है।

इसके अलावा छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु आर्थिक सहायता कोष का निर्माण भी किया गया है। उदाहरण के रूप में जनपद उधम सिंह नगर में 2 करोड़ की धनराशि से 'राय सिक्खों' के लिए 'सन्त केशर सिंह स्मृति कोष' की

स्थापना की गयी है एवं एक करोड़ रूपये की धनराशि से बंगाली मूल के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आर्थिक सहायता कोष।

इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय तथा गैर-सरकारी संगठन मिलकर एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं, जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को वास्तविक धरातल पर उतारते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य समस्त प्रकार के पेंशन को स्वीकृत करने व वितरण तथा समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृति करने व वितरण का कार्य हैं। साथ ही उत्तराखण्ड में तेजी से बढ़ रहा स्वैच्छिक संगठन का क्षेत्र सक्रिय है। वे पर्यावरण, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार-विरोध, बाल-श्रम उन्मूलन, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, राहत, आपदा-प्रबंधन और अन्य अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

15.6 स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की भूमिका

इस प्रकार उत्तराखण्ड सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों विकलांग आदि की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार एवं कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए उत्तराखण्ड राज्य में एक शीर्ष विभाग है। यह विभाग विभिन्न वर्गों के विकास हेतु शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण अपनाता है। यह अनेक योजनाओं एवं सेवाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों तथा निःशक्तों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं सेवाऐं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं विमुक्त जातियों की छात्रवृत्ति योजना, सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता से सम्बन्धित योजना, राजकीय उन्नयन बस्तियों के रख-रखाव से सम्बन्धित योजना, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित योजना, आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शादी/बीमारी अनुदान दिये जाने की योजना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वत: रोजगार योजना, सेनिटरी मार्ट योजना, दुकान निर्माण योजना, कौशल वृद्ध प्रशिक्षण की योजना तथा निशुल्क बोरिंग की योजना संचालित की जा रही है। समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 13 हजार वृद्ध, 1013 विकलांग और 2100 विधवा पेंशन धारक हैं। समाज कल्याण विभाग ने इन लोगों को चयनित कर आजीवन पेंशन देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन पेंशन धारकों को समय से पेंशन नहीं मिलने की शिकायतें मिलती रहती हैं।

साथ ही बेहतर स्थानीय समाज कल्याण प्रशासन हेतु पंचायतों को समुचित तकनीकी और प्रशासनिक सहायता मुहैया कराने, उनके बुनियादी ढ़ाँचे को मजबूत करने और उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, सत्ता के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने, पंचायतों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने अर्थात् पंचायतों की लोकतांत्रिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित किए जाने, उनसे सम्बन्धित स्थानीय समितियों की समुचित कार्यप्रणाली, ग्राम सभा के स्वैच्छिक प्रकटीकरण और जवाबदेही, उसके खातों का समुचित रख-रखाव आदि उपाय अनिवार्य हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान नाम का केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम 7 मार्च, 2013 से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में यह ध्यान रखा गया है कि राज्यों की जरूरतें और प्राथमिकताऐं अलग-अलग हैं, इसलिए राज्य विषयक आयोजन की अनुमति दी जानी चाहिए,

जिसमें राज्य स्वीकार्य गतिविधियों के समूह में से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप चयन कर सकें। वस्तुतः स्थानीय सामाजिक कल्याण प्रशासन जनता से अपने अभिन्न होने के कारण समस्त कार्यक्रमों का मुख्य अभिकर्ता होता है। समस्त छात्रवृत्ति एवं कल्याण योजनाऐं इसी पर टिकी होती हैं।

अभ्यास प्रश्न-

1. 'रेणुका राय समिति' कब गठित की गयी थी?
2. संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है?
3. उत्तराखण्ड में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं?
4. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखियाओं हेतु कौन सी बीमा योजना लागू की गयी है?
5. अटल आवास योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

15.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह जान चुके होंगे कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के पश्चात वंचित वर्गों के विकास और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्यों में स्थानीय समाज कल्याण प्रशासन जनता से अधिकतम सम्पर्क के कारण विविध कार्यक्रमों को दिशा दे रहा है। पंचायती राज स्तर से लेकर अन्य स्थानीय स्तरीय संगठनों में आम नागरिकों को प्राप्त होने वाली सुविधाऐं सक्रिय एवं ठोस रूप से दिखने लगी हैं, जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं, लेकिन गुणात्मक वृद्धि के संकेत तो अवश्य दिखने लगे हैं। वर्तमान सन्दर्भ में समाज कल्याण और समावेशी विकास कार्यक्रमों पर खर्च में वृद्धि को देखते हुए पंचायतों एवं शहरी निकायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है, क्योंकि कार्यक्रमों का लाभ लोगों तक पहुँचना सुनिश्चित करने, स्थानीय संस्थानों के प्रबन्धन में सुधार लाने और जवाबदेही बढ़ाने में पंचायतों की अहम भूमिका है। समस्त नीतियों का क्रियान्वयन ढेर सारे विभागों एवं मंत्रालयों के सहयोग पर टिका है। इतनी सारी योजनाओं को लागू करने में भी अनेक समस्याऐं भी हैं। ढेर सारी नीतियों का सफल संचालन किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है। सामान्य नागरिकों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने का प्रयास व्यापक स्तर पर होना शेष है। यद्यपि स्वैच्छिक संगठनों की गतिविधियों से उत्तराखण्ड वासियों को लाभ हो रहा है। तथापि बिना किसी लाभ के उद्देश्य से काम करने वाले संगठनों के प्रति लोगों में पर्याप्त चेतना नहीं है।

15.8 शब्दावली

संविधान संशोधन- संविधान के उपबन्धों में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन, अधिनियम- कानून, निकाय- संगठन, स्वैच्छिक संगठन- ऐसा गैर-सरकारी संगठन जिसका उद्देश्य समाज सेवा हो।

15.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 1958 में, **2.** 73वां संशोधन अधिनियम-1992, **3.** 7,705 ग्राम पंचायत, **4.** जन श्री बीमा योजना, **5.** 35 हजार रूपये

15.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुषमा यादव एवं राम अवतार शर्मा, 1997, भारतीय राजनीति ज्वलंत प्रश्न, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. सूचना का अधिकार मैनुअल, 2012, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
3. मनोज सिन्हा,(2010), प्रशासन एवं लोकनीति, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
4. विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण, 2013, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड ।

15.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. डी0 आर0 सचदेव, 2009, भारत में समाज कल्याण प्रशासन, किताब महल, नई दिल्ली।
2. वी0 जगन्नाथन, 1967, सोशल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, द इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली।
3. दयाकृष्ण मिश्र, 2008, सामाजिक प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो,जयपुर।
4. पंचायती राज विभाग उत्तराखण्ड- एक दृष्टि, 2014,पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

15.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. उत्तराखण्ड में स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन के उद्-भव एवं विकास की विवेचना कीजिए।
2. स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन के कार्यों का वर्णन कीजिए।
3. स्थानीय स्तर पर सामाजिक कल्याण प्रशासन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

इकाई- 16 गैर-सरकारी संगठन विशेषताऐं

इकाई की संरचना

16.0 प्रस्तावना
16.1 उद्देश्य
16.2 गैर-सरकारी संगठन क्या है?
16.3 गैर-सरकारी संगठन की परिभाषा
16.4 गैर-सरकारी संगठन की विशेषताऐं
16.5 गैर-सरकारी संगठन के प्रकार
    16.5.1 अभिविन्यास (Oriented) गैर-सरकारी संगठन
    16.5.2 ऑपरेशन स्तर पर आधारित गैर-सरकारी संगठन
16.6 सारांश
16.7 शब्दावली
16.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
16.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
16.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
16.11 निबन्धात्मक प्रश्न

16.0 प्रस्तावना

सामुदायिक सशक्तिकरण, जन भागीदारी, लोकतांत्रिक निकायों के सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं की पहुँच आम आदमी तक सुनिश्चित करने के लिए सरकार के समानान्तर सरकार से स्वतंत्र कानूनी तौर पर कुछ लोगों और संस्थाओं द्वारा स्थापित किया गया संगठन गैर-सरकारी संगठन कहा जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक समस्या को हल करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को सम्पादित करना गैर-सरकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। वैसे तो भारत में परोपकार का कार्य नैतिक जिम्मेदारी समझकर किया जाता रहा है और आरम्भ से ही विभिन्न सामाजिक संगठन इस परोपकार के कार्यों को बखुबी करते आ रहे हैं। लेकिन भारत में इनका दबदबा पिछले कुछ दशकों के दौरान नव-उदारवाद आधारित भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के साथ बढ़ा है। आज गैर-सरकारी संगठन एक मिशन की तरह चलाये जाते हैं। कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति, मानवाधिकार, स्वास्थ्य महिला समस्या, बाल विकास आदि इनके कार्य-क्षेत्र होते हैं। गैर-सरकारी संगठन को प्रायः स्वतंत्र क्षेत्र, स्वंयसेवी क्षेत्र, नागरिक समाज, निचले स्तर के संगठन, स्वावलम्बन संगठन आदि अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नामों से ही स्पष्ट है कि गैर-सरकारी संगठन समाज की समस्याओं को उद्देश्यपूर्ण समाधान की ओर ले जाकर जन सेवा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण अभिकरण है।

पिछले कुछ दशकों से गैर-सरकारी संगठनों की नई प्रजाति विकसित हुई है। जिनकी चिन्ता मुख्य रुप से पर्यावरण, आर्थिक, व्यापारिक, वैश्वीकरण के प्रभाव, जनसंख्या, सामाजिक एवं मानवीय अधिकार, गरीबी, असमर्थ व्यक्तियों की आवश्यककताओं एवं बेरोजगारी आधारित मुद्दों, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, एच0आई0वी0/

एड्स जैसी बीमारियों में बैठी है और सूची अनन्त है। अतः कहीं ना कहीं इन गैर-सरकारी संगठनों की सरकारी कार्यों में निभाई जा रही भूमिका को सरकार को चुनौती देने की भूमिका के साथ जोड़ा जा रहा है। ये संस्थाऐं उन क्षेत्रों में भी कार्य कर रही हैं, जिन्हें सरकारी कार्यों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत जाना जाता है। अब सरकारें भी मानने लगी हैं कि अगर गैर-सरकारी संगठन कानून की सीमा में कार्य करते रहें तो उनकी गतिविधियां देश के बहुमुखी विकास में अग्रणी रहेगी।

16.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- गैर-सरकारी संगठन क्या है, से अवगत हो सकेंगे।
- गैर-सरकारी संगठन का अर्थ एवं परिभाषा जान जायेंगे।
- गैर-सरकारी संगठन की विषेशताऐं क्या हैं, ये जान जायेंगे।
- गैर-सरकारी संगठन के प्रकारों से अवगत हो जायेंगे।

16.2 गैर-सरकारी संगठन क्या है?

गैर-सरकारी संगठन स्वैच्छिक संगठन के नाम से प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार स्वैच्छिक संगठन का इतिहास रोटरी (1839), बाद में रोटरी इण्टरनेशनल (1905) के जिक्र से प्रारम्भ होता है। अनुमान है कि 1914 तक विश्व भर में 1,083 स्वैच्छिक संगठन थे, जो दासता, महिलाओं के मताधिकार, निशस्त्रीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे थे। वर्तमान काल में प्रचलित अवधारणा की दृष्टि से गैर-सरकारी संगठन का उद्-भव 1945 माना जाता है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर के अध्याय- 10 के अनुच्छेद- 71 में सलाहकार की भूमिका निभाने वाले उन संगठनों को गैर-सरकारी संगठन कहा है, जो ना तो सरकारी होते थे और ना ही राज्य सलाहकार के सदस्य। अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (NGO) की पहली परिभाषा 27 फरवरी, 1950 को ECOSOC(United Nations Economic and Social Council) के 288(X) में की गई। इसके अनुसार "कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि द्वारा स्थापित नहीं है के रूप में की गई है।"

बीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के दौरान विश्व समाजवादी व्यवस्था के बिखरने, सोवियत संघ के धराशायी होने, गुटनिरपेक्ष देशों के बेजान बनने तथा नव-उदारवाद आधारित भूमण्डलीकरण के अभियान के जोर पकड़ने के साथ गैर-सरकारी संगठनों का महत्व बढ़ा है और पश्चिम के देश विशेष कर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आदि से धन और पथ-प्रदर्शन प्राप्त होने लगे। कहना होगा कि औपनिवेशिक काल में ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाऐं जो भूमिका निभाते थे वह अब पश्चिमी देशों द्वारा वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठन निभाने लगे हैं।

भारत में दान एवं सेवा की धारणा पर आधारित नागर समाज (सिविल सोसायटी) का लम्बा इतिहास रहा है। मध्यकालीन युग में ही सांस्कृतिक संवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुँचाने वाले अनेक स्वंयसेवी संगठन सक्रिय थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार भारत के कोने-कोने में जा पहुँचा और सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलनों में स्वंय सेवा के माध्यम से अपने को स्थापित करने का

स्वैच्छिक संगठनों ने रास्ता अपनाया। इस प्रकार के प्रयासों से कुछ प्रमुख प्रारम्भिक उदाहरण- फ्रैंड इननीड सोसायटी(1858), प्रार्थना समाज(1864), सत्यशोधक समाज(1873), आर्य समाज(1875), द इण्डियन नेशनल कांग्रेस(1887), नेशनल काउंसिल फार वीमेन इन इण्डिया(1875) आदि प्रमुख थे।। यद्यपि भारत में स्वैच्छिक संगठनों की भरमार थी लेकिन आधिकारिक तौर पर देखा जाये तो इसकी शुरुआत 1860 में अग्रेजों द्वारा बनाये गये 'सोसायटीज रजिस्टेशन एक्ट' से होती है। प्रारम्भ में इस क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरीज का बोलबाल रहा। 1905 में 'सर्वेन्टस ऑफ इण्डिया' नाम की पहली सेकुलर गैर-सरकारी संगठन गठित किये जाने का जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा समाज कल्याण की भूमिका को वैकल्पिक एवं पूरक प्रयासों के तौर पर महत्वपूर्ण माना गया। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्य में गैर-सरकारी संगठनों की अग्रणी भूमिका रहेगी और सरकार इनके प्रयासों को पूर्ण करने में पूरा-पूरा सहयोग करेगी। 1953 में सामाजिक विकास कार्यों से जुड़ी गतिविधियों को गैर-सरकारी संगठन की मदद से अंजाम देने के लिए सरकार द्वारा 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड' का गठन किया गया। इस प्रकार की अधिकारिक मान्यता एवं पूँजी के बाद तो गैर-सरकारी संगठनों की संख्या भारत में निरन्तर बढ़ती चली गयी। 1958 में बड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं के संघ के तौर पर ''एसोशिएशन फार वाल्युमुन्टरी एजेन्सीज फॉर रूरल डेवलपमेंट'' (अवार्ड) का गठन किया गया 1965-66 और 1966-67 में पड़े सुखे के दौरान राहत कार्यों के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय स्वंयसेवी संगठनों ने भारत में प्रवेश किया और वे यहीं के होकर रह गये। 1980 के दशक में स्वैच्छिक संगठनों के स्वरुप में काफी विशिष्टता आने लगी और स्वैच्छिक सेवा का आंदोलन तीन प्रमुख समूहों में विकसित हो गया।

पहले समूह में वे पारम्परिक विकास मूलक स्वैच्छिक संगठन आते हैं जो किसी एक गांव या गांवों के समूह में जाकर साक्षरता कार्यक्रम चलाते हैं। किसानों को फसलों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करते हैं। पशुधन की इन प्रजातियों को पालने के लिए ग्रामीणों को तैयार करते हैं जो अधिक लाभ दे सकते हैं। बुनकरों और अन्य ग्रामीण शिल्पकारों को अपना उत्पाद बाजार में बेचने के लिए ले जाने को प्रेरित करते है, जैसे अन्य कार्य करते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो ये संगठन अपने चुनिन्दा क्षेत्र में उसी समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। मध्य भारत में बाबा आम्टे द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए शुरू किया गया संगठन इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों का उत्तम उदाहरण है।

गैर-सरकारी संगठन का दूसरा समूह उन संगठनों को कहा जा सकता है, जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में गहना अनुसंधान किया और फिर सरकार पर प्रभाव डालकर अथवा न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम किया है। ''सेंटर फॉर साईन्स एण्ड इनवायरमेंट'' इस प्रकार संगठन का उदाहरण है।

तीसरा समूह उन स्वंयसेवकों का है, जो अपने आप को अन्य गैर-सरकारी संगठनों की अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में देखते हैं। स्पष्ट है कि इन वर्ग के स्वैच्छिक संगठन कुछ सीमा तक आंदोलन जैसी गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। नर्मदा बचाओ आन्दोलन इस प्रकार के संगठनों का सर्वोतम उदाहरण है। गैर-सरकारी संगठनों के क्षेत्र में 1990 का दशक व्यवस्थित बंदोबस्त का दौर माना जाता है। अब दूसरे देशों से आने वाला पैसा सीधे तौर पर सरकार, एन0जी0ओ0 नेटवर्क और बड़े कार्पोरेट एन0जी0ओ0 को जाने लगा, जिससे गैर-सरकारी संगठनों की कार्यशैली और दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन आया है। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों की अनदेखी करने लगे। वे अपने प्रेषित मूल उद्देश्यों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे हैं। वित्त पोषण करने वाले उनके संचालन और पथ-प्रदर्शन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं।

इस प्रकार गैर-सरकारी संगठन के क्रिया-कलापों पर उनकी विदेशी वित्त पोशकों के तार कार्पोरेट सेक्टर, विशेषकर बहुराष्ट्रीय निगमों और अपनी सरकारों से जुड़े होते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं। वर्तमान काल में सिविल सोसायटी और गैर-सरकारी संगठन, राज्य की भूमिका को कम करने तथा बाजार, विशेषकर मुक्त बाजार की को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। अब तो राजनैतिक गतिविधियों में भी गैर-सरकारी संगठन बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। उदाहरणार्थ भ्रष्टाचार उन्मूलन पर अन्ना हजारे द्वारा चलाये गये आन्दोलनों में गैर-सरकारी संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

16.3 गैर-सरकारी संगठन की अर्थ एवं परिभाषा

समाज कल्याण का मूल प्रारम्भ स्वयंसेवी क्रियाओं में देखा जा सकता है, जिसने इसे पिछले अनेक शताब्दियों से वर्तमान तक जीवित रखा है। इन स्वयंसेवी क्रियाओं को क्रियान्वयन हेतु व्यक्तियों के संगठन की आवश्यकता होती है, जिसे स्वयंसेवी संगठन कहा जाता है। 'Voluntarism' लैटिन भाषा के शब्द Volunta, से निकला है, जिसका अर्थ, इच्छा अथवा स्वतंत्रता से लिया गया है। हेरॉल्ड लास्की ने ''समुदाय की स्वतंत्रता'' (Freedom of Association) को रुचिगत उद्देश्यों के वर्धन हेतु व्यक्तियों के इकट्ठा होने के मान्यता प्राप्त कानूनी अधिकार के रूप में परिभाषित किया है। भारतीय संविधान की धारा- 19, 1(ब) के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को समुदाय बनाने का अधिकार प्राप्त है। समुदाय की स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रताओं में प्रमुख है। यह मनुष्यों के लिए किसी सामान्य उद्देश्य के लिए सामुदायिक होने की व्यापक स्वतंत्रता है। वे किसी कार्य को कराने, अन्याय अथवा अत्याचार का विरोध करने अथवा किसी महत्वपूर्ण अथवा छोटे-छोटे सामान्य अथवा लोक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इकट्ठा होने की इच्छा रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शब्द की शब्दावली में इन स्वयंसेवी संगठनों को अशासकीय या गैर-सरकारी संगठन कहते हैं।

लॉर्ड बेवरिज के अनुसार, "सही तौर पर गैर-सरकारी संगठन एक ऐसा संगठन है, जिसका आरम्भ एवं प्रशासन इसके सदस्यों द्वारा किसी बाह्य नियंत्रण के बिना किया जाता है। चाहे इसके कार्यकर्त्ता वैतनिक अथवा अवैतनिक हों।"

डेविड एल0 सिल्स के अनुसार, "गैर-सरकारी संगठन, इसके सदस्यों के कुछेक सामान्य हितों की प्राप्ति हेतु राज्य नियंत्रण के बिना स्वैच्छिक सदस्यता के आधार पर संगठित व्यक्तियों का समूह है।"

स्मिथ एवं फ्रीडमैन के अनुसार, "गैर-सरकारी संगठन, औपचारिक रूप में संगठित, सापेक्षतया स्थाई द्वितीयक समूह है जो कम संगठित, अनौपचारिक, अस्थाई प्राथमिक समूह से भिन्न होते हैं।"

प्रोफेसर एम0 आर0 ईनामदार के अनुसार, "गैर-सरकारी संगठन को समुदाय के लिए स्थाई तौर पर लाभप्रद होने के लिए अपने सदस्यों में सामुदायिक विकास हेतु शक्तिशाली इच्छा एवं भावना का विकास करना होता है। परिश्रमी एवं समर्पित नेतृत्व एवं भारित कार्यों में कुशल व्यक्ति प्राप्त करने हेतु आर्थिक तौर पर पद क्षय होना होता है।"

इन परम्परागत परिभाषाओं के अतिरिक्त कुछ नवीन परिभाषाऐं इस प्रकार हैं -

प्रोफेसर विल्लेट्स के अनुसार, "गैर-सरकारी संगठन एक स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्था होती है, जिसके सदस्य सरकारी पद प्राप्त करने, पैसे बनाने अथवा अवैध क्रियाकलापों को चलाने से दूर रहकर कतिपय सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रयास करते हैं।"

विश्व बैंक के अनुसार, "गैर-सरकारी संगठन एक निजी संगठन होता है, जो लोगों का दु:ख-दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाऐं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियाँ चलाते हैं।"

गैर-सरकारी संगठन की चार प्रमुख विशेषताऐं होती हैं, जिनके आधार पर उनको परिभाषित किया जाता है। ये स्वैच्छिक एवं सबल होते हैं, लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं और इनका निर्माण स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। गैर-सरकारी संगठन शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, जिसके कारण अक्सर लोगों को गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। वर्तमान परिवेश में गैर-सरकारी संगठनों को दो आधारों पर परिभाषित किया जा सकता है- एक संकुचित तथा दूसरा विस्तृत। विस्तृत परिभाषा के अनुसार- समाज में हर वह संस्था, जो सरकार का भाग नहीं है, जो सभ्य समाज में काम करते हैं, वे गैर-सरकारी संगठन हैं। सामाजिक समूह, मजदूर संघ, व्यापार संघ, धार्मिक समूह एवं संस्थाऐं, खेल, क्लब, कला तथा सांस्कृतिक समितियाँ, वाणिज्य मण्डल, शिल्प संघ इत्यादि। विस्तृत परिभाषा चूंकि आर्थिक स्तर पर आधारित है, इसलिए इसमें बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की अन्य संस्थाऐं भी शामिल होती हैं। संकुचित परिभाषा के अनुसार, गैर-सरकारी संगठन एक विशिष्ट प्रकार के संगठन होते हैं, जो विकास के क्षेत्र में लोगों के साथ कार्य करते हैं, जो लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति एवं सम्भावनाओं को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं।

कुछ संगठन कल्याणकारी कार्यों में विकास के कार्यों को अलग करते हुए विकास की भावना को संकुचित कर देते हैं। वो सामान्य रूप से जन कल्याण में कार्यों के साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण जैसे मुद्दों को भी साथ रखना चाहते हैं। कभी-कभी यह स्थिति भ्रामक हो जाती है, क्योंकि विकास की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, जिसके आधार पर इनकी परिभाषा को विभाजित किया जा सके।

अतः उपरोक्त सभी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी संगठन की एक सार्वभौमिक परिभाषा निम्नवत् है-

"गैर-सरकारी संगठन एक वैधानिक सरकार से स्वतंत्र एक ऐसा संगठन है जो सार्वजनिक हितों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है, जिसका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनका वित्तपोषण प्रायः पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सरकार से प्राप्त धनराशि से होता है और जो सरकारी प्रतिनिधियों से दूरी बनाते हुए अपना गैर-सरकारी स्वरूप बनाये रखते हैं।"

16.4 गैर-सरकारी संगठन की विशेषताऐं

विभिन्न परिभाषाओं की समीक्षा करते हुए नॉर्मन जॉनसन ने गैर-सरकारी संगठनों की चार प्रमुख विशेषताऐं बतलायी हैं। नॉर्मन जॉनसन के शब्दों में वे निम्नलिखित हैं, संरचना विधि- जो व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक है। प्रशासन की विधि- इसके संविधान, इनकी सेवाओं, इसकी नीति एवं इसके लाभार्थियों के बारे में स्वयं-प्रशासकीय संगठन निर्णय करते हैं। वित्त विधि- कम से कम इसका कुछ कोष स्वैच्छिक अभिकरणों से प्राप्त होता है और प्रेरक- जो लाभ प्राप्ति नहीं होते।

गैर-सरकारी संगठनों का विस्तृत अध्ययन एवं नॉर्मन जॉनसन द्वारा प्रस्तुत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी संगठन की सामान्य एवं सार्वभौमिक विशेषताऐं निम्नवत हैं-

1. **स्वैच्छिक-** गैर-सरकारी संगठन का निर्माण स्वैच्छिक रूप से होता है। सम्पूर्ण विश्व में किसी भी देश के संविधान एवं कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसके कारण गैर-सरकारी संगठन का निर्माण ना किया जा सके और ना ही इसके निर्माण में कोई अवरोध उत्पन्न हो पाये। इस संगठन में सहभागिता भी स्वैच्छिक होती है। इसका आशय है कि इसमें प्रतिभाग करने वाले सदस्यों की इच्छा पर निर्भर होता है कि वे इसका सदस्य बनें या ना बनें। चाहे संगठन के सदस्य हों या लाभान्वित व्यक्ति, सभी स्वैच्छिक रूप से अपना सहयोग देते हैं।
2. **वैधानिक प्रास्थिति-** गैर-सरकारी संगठन कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप के अनुसार वैधानिक प्रास्थिति प्राप्ति हेतु सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860, इण्डियना ट्रस्ट एक्ट-1882, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट- 1950, इण्डियना कम्पनीज एक्ट-1956 (धारा-25), रिलीजियस एण्डोमेण्ट एक्ट-1863, चैरीटेबिल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट-1959, सहकारी समिति कानून 1904, मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट-1923, वक्फ एक्ट-1954, पब्लिक वक्फ (एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट) एक्ट-1959 आदि के अन्तर्गत पंजीकृत होना जरूरी होता है। विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए गैर-सरकारी संगठन को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ 'फॉरन कन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन सोसायटी एक्ट' (FCRA)के अन्तर्गत पंजीकृत होते हैं।
3. **स्वतंत्र-** गैर-सरकारी संगठन का संचालन बिना किसी बाह्य नियंत्रण के अपने सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक नियमों के अनुसार होता है।
4. **लाभ के लिए नहीं-** गैर-सरकारी संगठन निजी लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं, फिर भी गैर-सरकारी संगठन में किसी भी अन्य उद्यम की तरह कर्मचारी हो सकते हैं, जिन्हें कार्य के बदले वेतन दिया जाता है। लेकिन गैर-सरकारी संगठन के प्रावधान दल के सदस्यों को संस्था के काम के बदले वेतन नहीं दिया जाता, केवल मानदेय दिया जाता है, जो धनराशि संस्था की जिम्मेदारी पूरी करते हुए उनके द्वारा खर्च की गई होती है। गैर-सरकारी संगठन राजस्व बढ़ाने वाले कार्यों को भी संचालित कर सकते हैं, शर्त यह होती है कि प्राप्त लाभ के रूप में प्राप्त राजस्व को आपस में ना बाँटकर उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं।
5. **सुनिश्चित प्रशासकीय ढाँचा-** गैर-सरकारी संगठन एक औपचारिक संगठन होता है। इसका एक प्रशासकीय ढाँचा होता है। विधिवत संचारित प्रबन्ध एवं कार्य समितियां होती हैं। संगठन के अन्दर प्रत्येक सदस्य की सुनिश्चित प्रास्थिति होती है और वे अपनी प्रास्थिति के अनुसार भूमिका का निर्वहन करते हैं।
6. **सुनिश्चित प्रजातांत्रिक नियम-** किसी भी गैर-सरकारी संगठन का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसे प्राप्त करने के लिए संगठन के अपने निश्चित एवं स्पष्ट नियम होते हैं। वह बिना किसी बाह्य नियंत्रण के अपने सदस्यों द्वारा उन्हीं नियमों के अनुसार प्रशासित होता है।
7. **विचारपूर्वक स्थापना-** गैर-सरकारी संगठन का निर्माण निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विचार पूर्वक किया जाता है। इसका आशय यह है कि गैर-सरकारी संगठन स्वतः नहीं बनते हैं, बल्कि कुछ लोग एक दूसरे से विचार-विमर्श कर के योजनाबद्ध रूप से इसका निर्माण करते हैं।
8. **स्वार्थ से परे-** प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इनका लक्ष्य गरीब अथवा वंचित समुदाय के लोग से हैं जो अपने गुणों को पहचानने में अक्षम हैं, या उनको समाज में पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है कि दिशा व दशा को सुधारना है।

9. **लचीलापना-** गैर-सरकारी संगठन परिस्थितियों के हिसाब से लचीले होते हैं। ये लालफीताशाही, नौकरशाही जैसी बांधाओं से मुक्त होते हैं। सम्परीक्षा में आपत्ति से डरकर ये काम को रोकते नहीं हैं।
10. **त्वरित निर्णय लेने की क्षमता-** गैर-सरकारी संगठन समुदाय की आवश्यकता की प्रतिक्रिया पर निर्णय जल्दी ले लेते हैं, जिससे जरूरतमन्दों को सहायता जल्दी प्राप्त हो जाती है। गैर-सरकारी संगठन सामुदायिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु जटिल प्रक्रियाओं को नजर-अंदाज करते हैं।
11. **उच्च अभिप्रेरणा-** गैर-सरकारी संगठन के सदस्य एवं कार्यकर्त्ता उच्च अभिप्रेरक तथा प्रेरणादायी प्रतिभा के धनी होते हैं। वे अपने कार्य से लोगों के लिए प्रेरक का कार्य करते हैं। इनका कार्य घण्टों में बंधा नहीं होता है। वे बिना थके अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य को पूरा करने में लगे रहते हैं।
12. **कार्य में स्वतंत्रता-** गैर-सरकारी संगठन के कार्यकर्ता समुदाय निर्माण और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्य करने की आजादी का भरपूर आनन्द लेते हैं। यह आजादी उन्हें कम पारिश्रमिक पर लक्ष्य को पूरा करने में प्रेरक का कार्य करती है। छोटी-मोटी त्रुटियों के लिए उनके उच्च अधिकारी टीका-टिप्पणी नहीं करते हैं।
13. **नैतिकता-** गैर-सरकारी संगठन के सामाजिक मूल्य एवं मानवतावादी सिद्धान्त, मूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण को बढ़ावा देते हैं।
14. **उत्प्रेरक-** गैर-सरकारी संगठन सकारात्मक सामुदायिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। साथ ही ये सामुदायिक मूल्यों के अनुसार होने वाली सकारात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं।
15. **सहयोग की प्रधानता-** यह सामाजिक विकास प्रेरित संगठन होता है, जो समाज को समर्थ्य एवं सशक्त बनाने में सहयोग प्रदान करता है।
16. **अनुदानित संगठन-** गैर-सरकारी संगठन अपने कार्यों के सम्पादन के लिए सरकारी कोष से अनुदानों के रूप में तथा आंशिक तौर पर स्थानीय समुदाय अथवा कार्यक्रमों से लाभान्वित व्यक्तियों से अंशदान अथवा शुल्क के रूप में अपनी निधियों को एकत्रित करता है। अधिकतर गैर-सरकारी संगठन अपने वित्त के लिए सरकारों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं।
17. **जन केन्द्रित-** गैर-सरकारी संगठन का हृदय जनता होती है। इनकी योजना की सोच जनता से प्रारम्भ हो कर जनता पर जाकर ही समाप्त होती है। अतः ये जनता से बहुत कुछ सीखते भी हैं और उन्हें उस सीख का लाभ अन्यत्र समूह में कार्यों के क्रियान्वयन में मिलता है।
18. **निश्चित उद्देश्य-** कोई भी ऐसा गैर-सरकारी संगठन नहीं मिलेगा, जिसकी स्थापना किसी उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को लेकर ना की गई हो। वास्तव में गैर-सरकारी संगठन के उद्देश्य का निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है, तो उसके बाद उसको अपना लक्ष्य मानने वाले लोग इससे जुड़ जाते हैं।
19. **निजी व्यक्तियों द्वारा बनाया गया संगठन-** गैर-सरकारी संगठन के सदस्य वे ही व्यक्ति बनते हैं, जो कुछ मूलभूत उन सामाजिक सिद्धान्तों पर विश्वास करते हैं, जिन सिद्धान्तों के आधार पर संगठन का निर्माण होता है।
20. **गैर-राजनैतिक संगठन-** गैर-सरकारी संगठन एक ऐसा संगठन होता है, जो किसी भी राजनैतिक समूह से जुड़ा नहीं होता है। आमतौर पर वे जन समुदाय को मदद देने, उनके विकास एवं कल्याण के कार्यों से जुड़े रहते हैं।

ये विशेषताऐं इस बात की अभिव्यक्ति हैं, कि गैर-सरकारी संगठनों को इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन संगठनों को योग्य बनाकर बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और कानून को इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देना चाहिए। कानूनी हस्तक्षेप केवल यह निश्चित करने के लिए होना चाहिए कि गैर-सरकारी संगठन व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य ना कर पायें। लोकतांत्रिक प्रणाली में अनेक प्रकार के संगठन, क्लब और संस्थाऐं पायी जाती हैं, जिनके कई प्रकार के सामाजिक उद्देश्य होते हैं। कई प्रकार के संगठन 'नॉर्मन जॉनसन' द्वारा प्रस्तुत विशेषताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं और अन्य विशेषताओं को भी पूरा करने वाले संगठन विशेष प्रकार के संगठन की ओर इशारा करते हैं, जो अपने सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के पूरा करने के बजाय गरीब व वंचित लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और साथ ही ऐसे विषयों और मुद्दों को लेकर चिन्तित हैं, जिससे समाज लोगों की परिस्थितियाँ उनके काम करने की क्षमता और भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के संगठन, जो सरकार के दायरे से बाहर समाज में कार्य कर रहे हैं और जिनके पास अन्य विशेषताऐं नहीं हैं, उनके मूल्य उचित नहीं हैं। वे भी गैर-सरकारी संगठन की श्रेणी में रखे जायेंगे।

16.5 गैर-सरकारी संगठनों के प्रकार

गैर-सरकारी संगठनों के बारे में जानने से पहले यह भी आवश्यक है कि उनके प्रारूप को भी समझा जाय कि ये संगठन किस प्रकार के हैं, इनका ढाँचा कैसा है? गैर-सरकारी संगठनों का अभिविन्यास (Orientation) तथा संचालन जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

16.5.1 अभिविन्यास (Oriented) गैर-सरकारी संगठन

इसके अन्तनर्गत निम्नलिखित संगठन हैं-

1. **चैरिटेबल उन्मुख गैर-सरकारी संगठन-** चैरिटी, गैर-सरकारी संगठन की प्रारम्भिक प्रक्रिया है। दूसरे को कुछ देना, इन संगठनों की प्राथमिकता उद्देश्य होता है। ये जरूरतमन्दों का आवश्यकता के अनुसार भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, दवायें और सहायता राशि आदि प्रदान करते हैं। अधिकांश संगठन यह विश्वास करते हैं कि गरीबों की सहायता करना ईश्वर को सहायता देने के समान होता है। इनकी इस तरह की गतिविधियों की प्रकृति अस्थाई होती है।
2. **राहत और पुनर्वास उन्मुख गैर-सरकारी संगठन-** इसके अन्तर्गत वे गैर-सरकारी संगठन आते हैं, जो आपदाग्रस्त लोगों के लिए राहत और पुनर्वास का कार्यक्रम संचालित करते हैं। प्राकृतिक आपदा में- अकाल, आग, महामारी, बाढ़ तथा मानव निर्मित आपदा में- युद्ध, दंगा, नर-संहार, आदि से पीड़ित लोगों को राहत-सामग्री प्रदान करते हैं तथा उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करते हैं। पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित राहत, जैसे- भोजन, बच्चों के लिए दूध, दवाई और टैन्ट आदि भी उपलब्ध कराते हैं।
3. **सेवा उन्मुख गैर-सरकारी संगठन-** इस प्रकार के गैर-सरकारी संगठन सामाजिक कल्याण से ओत-प्रोत होते हैं। ये गरीब और सीमान्त समुदाय के लिए मोबाइल क्लीनिक, अस्पताल, स्कूल, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि कार्यक्रम संचालित करते हैं। इनके कार्यक्रमों में त्याग, वचन बद्धता,

समर्पण, मितव्ययिता, गुणवत्ता की झलक दिखाई देती है। इनकी सेवाऐं सदैव जरूरतमंद समुदाय के अनुकूल होती हैं। ये अपनी सेवाओं को समुदाय की आवश्यकतानुसार प्रदान करते हैं। ये अपनी सेवा बाढ़, अकाल, तूफान, भूकम्प आदि से पीड़ित शरणार्थी शिविरों में भी प्रदान करते हैं।

4. **आर्थिक विकास उन्मुख गैर-सरकारी संगठन-** इस प्रकार के गैर-सरकारी संगठन सीमान्त और गरीब लोग की आय में बढ़ोत्तरी करने में सहायता प्रदान करते हैं। इनका कहना होता है कि आर्थिक समृद्धि पर ही सामाजिक समृद्धि निर्भर होती है। ये गरीबी को समाप्त करने के लिए लोगों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं। सरकार एवं विभिन्न फन्डिग एजेन्सियों की सहायता से आय बढ़ाने वाली परियोजना तैयार करते हैं। इनकी परियोजना में किसानों हेतु उत्पादन एवं उत्पाद को बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीकी उपकरण आदि उपलब्ध कराते हैं। महिलाओं और अन्य जरूरतमन्दों को आय प्राप्त करने के विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराते हैं।
5. **सशक्तिकरण उन्मुख गैर-सरकारी संगठन-** इस प्रकार के गैर-सरकारी संगठन लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कारकों के ज्ञान को विकसित करते हैं तथा शक्ति एवं प्राधिकार की क्षमता, जो लोगों में छुपी होती है, उसके लिए जागरूक करते हैं। ये संगठन विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम, जैसे- पेयजल, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता, प्रौढ़ एवं औपचारिक शिक्षा, सामाजिक समस्या(गरीबी, अन्याय, बेकारी) आदि से निपटने के लिए लोगों के अन्दर जागरूकता पैदा करते हैं।

16.5.2 ऑपरेशन स्तर पर आधारित गैर-सरकारी संगठन

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संगठन आते हैं-

1. **समुदाय पर आधारित संगठन-** इस संगठन के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के गैर-सरकारी संगठन पाये जाते हैं। जैसे- खेल क्लब, महिला संगठन, पड़ोस संगठन, धार्मिक संगठन आदि। उपरोक्त सभी संगठन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उचित और समर्थित होते हैं। ये अपने समुदाय के जरूरतमन्द लोगों में चेतना का विकास करते हैं। समुदाय के पीड़ित सदस्यों की सहायता करते हैं।
2. **शहरी संगठन-** इसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन आते हैं। रोटरी क्लब, लायंस लियो क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इण्डस्ट्रीज, उद्योग व्यापार मण्डल आदि संगठनों को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। ये विशेष प्रयोजन जैसे गरीबों की सहायता के उद्देश्य हेतु बनाये जाते हैं। इसके सदस्य प्रायः पढ़े-लिखे धनवान लोग होते हैं। ये गरीबों की मदद के अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ भी संचालित करते हैं।
3. **राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन-** ऐसे संगठनों का नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इन संगठनों में रेडक्रॉस, वाई0डब्ल्यू0सी0ए0, बी0एम0सी0ए0, स्काउट-गाईड, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि प्रमुख हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता जैसे कार्यक्रमों का संचालन करते हैं।
4. **अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन-** इन संगठनों के अन्तर्गत धर्मनिरपेक्ष एजेन्सियां, जैसे- Ducere Foundation, सेफ द चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन, OXFAM, CARE, फोर्ड फाउण्डेशन एवं

Rockofeller Foundation, धार्मिक रॉकफेलर फाउण्डेशन आदि सम्मिलित हैं। ये स्थानीय गैर-सरकारी संगठन, संस्थाओं और परियोजनाओं की फन्डिग भी करते हैं।

इनके अलावा गैर-सरकारी संगठनों को निम्न लोकप्रिय नामों से भी जाना जाता है -

- स्वैच्छिक संगठन (Voluntary Organization) V.O.
- गैर लाभ संगठन (Non Profit Organization) N.P.O.
- नागरिक समाज संगठन (Civil Society Organization) C.S.O.
- तीसरा क्षेत्र संगठन (Third Sector Organization) T.S.O.
- जमीनी संगठन (Grass-Root Organization) G.O.
- सामाजिक आंदोलन संगठन (Social Movement Organization) S.M.O.
- निजी स्वैच्छिक संगठन (Private Voluntary Organization) P.V.O.
- स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) S.H.G.
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन (National Voluntary Organization) N.V.O.
- छतरी संस्थान(Umbrella Organization) U.O.
- समुदाय आधारित संगठन (Community Based Organization) C.B.O.
- सहायक संगठन (Support Organization) S.O.

गैर-सरकारी संगठनों के वर्गीकरण के सन्दर्भ में विश्व बैंक ने भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। विश्व बैंक टाइपोलॉजी (Typology) के अनुसार गैर-सरकारी संगठन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है- ऑपरेशन ल गैर-सरकारी संगठन तथा एडवोकेसी गैर-सरकारी संगठन।

- **ऑपरेशनल गैर-सरकारी संगठन-** इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं के डिजाइन करने और लागू करने के लिए होता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और यहाँ तक कि सामुदायिक स्तर के संगठन हो सकता है।
- **एडवोकेसी गैर-सरकारी संगठन-** एडवोकेसी गैर-सरकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज को चलाने वाले विशिष्ठ कारकों को बढ़ावा देना है। ये लॉबिंग, प्रेस वर्क और सक्रियतावादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।

अभ्यास प्रश्न-

1. सन् 1914 तक विश्व भर में 1083 स्वैच्छिक संगठन थे। सत्य/असत्य
2. अंग्रेजों द्वारा भारत में सन् 1860 में 'सोसायटिज रजिस्ट्रेशनएक्ट' बनाया गया। सत्य/असत्य
3. 'सर्वेन्टव ऑफ इंडिया' नाम का गैर-सरकारी संगठन कब बना?
4. भारतीय संविधान की किस धारा के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को संगठन या समुदाय बनाने के अधिकार है?

5. क्या 'ऑक्सफेम' एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है?
6. विश्व बैंक के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

16.6 सारांश

इस पूरे अध्याय में आपको बताने व समझाने की कोशिश की गई है कि गैर-सरकारी संगठनों की शुरूआत कहाँ और कैसे हुई? गैर-सरकारी संगठन अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस तरह विकसित हुये? इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा किन शब्दों में की है? इसकी प्रमुख विशेषताऐं क्या हैं? यह समाज के लिए क्या करते हैं? इनको अन्तर्राष्ट्रीय एवं भारतीय परिदृश्य में किन-किन नामों से जाना जाता है। इस पूरे अध्याय में यह बताने का प्रयास किया गया है कि गैर-सरकारी संगठन वैधानिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ ही अस्तित्व में आ गये थे। ये स्वैच्छिक, स्वतंत्र, वैधानिक प्रास्थिति वाले विचारपूर्वक निर्मित, स्वार्थ से परे, नैतिकता से परिपूर्ण गैर- राजनैतिक संगठन होते हैं। जिनका प्रशासनिक ढाँचा होता है जो लोगों को बिना किसी स्वार्थ के त्वरित गति से सहयोग देते हैं। ये संगठन चैरिटेबिल, राहत पुनर्वास, सेवा, आर्थिक विकास एवं सशक्तीकरण उन्मुख तथा समुदाय, शहरी, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इनको स्वैच्छिक, गैर-लाभ, नागरिक संगठन आदि नामों से भी जाना जाता है।

16.7 शब्दावाली

गैर-सरकारी संगठन- ऐसे संगठन या संस्थाऐं जिन पर सरकारी तंत्र से नहीं चलता या जिन पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता, स्वैच्छिक समूह- ऐसे समूह या संगठन जो स्वयं की इच्छा या मंशा से गठित होकर कार्य करते हैं, नागरिक समाज- सभ्य समाज या व्यवहारिक समाज, परियोजना- योजना या उपाय, वैधानिक प्रास्थिति- कानूनी स्थिति, सशक्तिकरण- सम्पूर्ण विकास, मानवाधिकार- मनुष्य के जीवन जीने के अधिकार, सहायतार्थ- सहायता या मदद के लिए, अनुदान- आर्थिक सहायता

16.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य, **2.** सत्य, **3.** 1905 में, **4.** 19(1) (ब), **5.** हाँ, **6.** हाँ

16.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. लोक प्रशासन के तत्व, सुरेन्द्र कटारिया, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर- 2010,
2. एनजीओ हैण्ड बुक, नाबी बोर्ड ऑफ एडिटर लखनऊ, इस्टन कम्पनी।
3. सामाजिक प्रशासन, दयाकृष्ण मिश्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर।
4. भारत में समाज कल्याण प्रशासन, डी0 आर0 सचदेवा, किताब महल, इलाहाबाद।

16.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. एनजीओ हैण्ड बुक, नाबी बोर्ड ऑफ एडिटर लखनऊ, इस्टन कम्पनी।
2. सामाजिक प्रशासन, दयाकृष्ण मिश्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर।

3. भारत में समाज कल्याण प्रशासन, डी0 आर0 सचदेवा, किताब महल, इलाहाबाद।
4. भारत में गैर-सरकारी संगठनों पर विहंगम दृष्टि(लेख) , रहमानी, 5 सितम्बर 2012,

16.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. गैर-सरकारी संगठन की पृष्ठभूमि बतलाईये।
2. गैर-सरकारी संगठन की विशेषताओं और प्रकारों को स्पष्ट कीजिए।
3. गैर-सरकारी संगठन से आप क्या समझते हैं? इसकी उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट करें।

इकाई- 17 स्वयं सहायता समूह, नागरिक समाज, नागरिक चार्टर, स्वैच्छिक समूह

इकाई की संरचना

17.0 प्रस्तावना
17.1 उद्देश्य
17.2 स्वयं सहायता समूह
    17.2.1 स्वयं सहायता समूह की पृष्ठभूमि
    17.2.2 स्वयं सहायता समूह का अर्थ एवं विशेषताऐं
    17.2.3 स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य
    17.2.4 स्वयं सहायता समूह के लाभ
    17.2.5 स्वयं सहायता समूह के कार्य
17.3 नागरिक समाज
    17.3.1 नागरिक समाज की पृष्ठभूमि
    17.3.2 नागरिक समाज का अर्थ एवं परिभाषा
    17.3.3 नागरिक समाज की विशेषताऐं
    17.3.4 नागरिक समाज के संघटक
    17.3.5 भारत में नागरिक समाज में भूमिका
17.4 नागरिक चार्टर
    17.4.1 नागरिक चार्टर का अर्थ एवं सिद्धान्त
    17.4.2 भारत में नागरिक चार्टर
    17.4.3 नागरिक चार्टर की भूमिका
    17.4.4 नागरिक चार्टर अभियान की सफलता हेतु सुझाव
17.5 स्वैच्छिक समूह
    17.5.1 स्वैच्छिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा
    17.5.2 स्वैच्छिक समूह की विशेषताऐं
17.6 सारांश
17.7 शब्दावली
17.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
17.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
17.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
17.11 निबन्धात्मक प्रश्न

17.0 प्रस्तावना

आज विश्व के विभिन्न देशों में जारी लोक प्रशासन में सुधार एवं विकास की प्रक्रिया में नागरिकों के सम्मिलित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भागीदारी प्रबन्धन के इस निर्माण कार्य में नागरिकों के प्रयास की भी आवश्यकता है। नागरिक एवं सरकार दोनों मिलकर ही विकास की गति को बढ़ा सकते हैं। विगत कुछ वर्षों में स्वैच्छिक संगठन, विकास के विभिन्न स्तर पर लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण सहयोगी बना कर उभरे हैं। एक ही समय में व्यवस्थित कार्य सृजन क्षमता, आधुनिक राज्य में नागरिकता को परिभाषित करने के प्रस्तावित मार्ग को प्रशस्तकर्ता के रूप में इन्हें देखा जाता है। स्वयं सहायता समूह, नागरिक समाज, नागरिक चार्टर, स्वैच्छिक-समूह जैसे प्रत्यक्ष वैश्वीकरण के आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये देश के विकास में उत्प्रेरक एवं वर्धक के रूप में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ये प्रत्यय मात्र सामाजिक सेवाऐं सम्पन्न कराने या वितरण करने वाले अभिकरण नहीं हैं, अपितु विकासात्मक प्रशासन में सहभागी प्रशासन को यर्थाथ रूप देने के लिए आधारभूत संरचनाऐं हैं और प्रशासन को उत्तरदायी बनाने का एक माध्यम हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए ये अभिकरण विभिन्न प्रकार की रणनीति अपनाते हैं। जैसे- नीति निर्माण में सहभागिता, सेवाओं का वितरण, मूल्यांकन एवं निगरानी और जन जागृति। अतः इन अभिकरणों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

17.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- स्वयं सहायता समूह से अवगत होंगे।
- स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य एवं लाभ के सम्बन्ध में जानकारी मिलेगी।
- नागरिक समाज क्या है, से अवगत होंगे।
- नागरिक समाज की भारतीय समाज में भूमिका को जान सकेंगे।
- नागरिक चार्टर से अवगत होंगे।
- स्वैच्छिक समूह का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं को जान सकेंगे।

17.2 स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह क्या हैं, इसे निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं-

17.2.1 स्वयं सहायता समूह की पृष्ठभूमि

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें अधिकांश लोग खेती द्वारा अर्जित आय से ही गुजारा करते हैं। बदलते परिवेश में सिर्फ खेती पर निर्भर रहकर गुजारा करना कठिन हो गया है। यही वजह है कि आज हर कोई अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है। अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने व बच्चों को उचित शिक्षा दिलाने के लिए ग्रामीणों को स्वयं सहायता समूह बनाकर कुछ ऐसे व्यवसायों को अपनाना होगा जिससे की अपने परिवार की आय बढ़ाने के साथ-साथ खाली समय का सदुपयोग कर सकें। आज उपार्जन के कुछ ऐसे

व्यवसाय हैं, जिसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु कुछ व्यवसाय ऐसे हैं, जिना को प्रशिक्षण लेकर ही प्रारम्भ किया जा सकता है। इन व्यवसायों को प्रारम्भ करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है और इस पूँजीगत निवेश में स्वयं सहायता समूह सहायक होते हैं।

वैश्विक स्तर पर स्वयं सहायता समूह का प्रारम्भ बंग्लादेश से माना जाता है। बंग्लादेश के चिटगाँव विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मोहम्मद युनूस को इसका सृजनकर्ता माना जाता है। उन्होंने 1976 में ग्रामीण बैंक नाम की कार्य अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ की, जिसमें ग्रामीणों द्वारा छोटी-छोटी बचतों से निधि एकत्रित की जाती थी, जिसे जरूरतमंदों को ऋण के रूप में प्रदान किया जाता था।

1983 में इस परियोजना को बैंक का दर्जा सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से दे दिया। लेकिन इसे देश के केन्द्रीय बैंक, बंग्लादेश बैंक की अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। यह ग्रामीण बैंक भूमिहीन, गरीब, मुख्यतः महिलाओं को ऋण प्रदान करता है।

अगर हम स्वयं सहायता समूह को भारतीय परिदृश्य में देखें तो 'माइक्रो-फाइनेन्स' के लिए बैंक एक एजेन्सी के रूप में कार्य करते हैं। अहमदाबाद में 'सेवा' (सेल्फ इम्पलाईज वोमेन एसोसियेशन) नामक संस्था के संस्थापक सदस्य लावेन भाट ने सर्वप्रथम माइक्रो फाइनेन्स की अवधारणा विकसित की। महाराष्ट्र में अन्नपूर्णा महिला मण्डल और तमिलनाडु कार्यशील महिला मंच, नावार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा प्रायोजित समूहों ने 'सेवा' (सेल्फ इम्पलाईज वोमेन एसोसियेशन) के पद-चिन्हों पर चलना प्रारम्भ किया। सेवा, निर्धन स्वरोजगार महिला कार्मिकों की ट्रेड यूनियन है, जो सहयोग धनराशि से एक निधि तैयार करती है। इस निधि का उपयोग जरूरतमंदों को ऋण देने में किया जाता है। 1987 में MYRADA (मैसुर पुनर्वास और विकास एजेन्सी) द्वारा क्रेडिट मैनेजमेण्ट ग्रुप (CMGS) को बढ़ावा दिया जाने लगा। क्रेडिट मैनेजमेण्ट ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के तरह ही होते हैं। मैसुर पुनर्वास और विकास एजेन्सी (MYRADA) द्वारा विकसित क्रेडिट मैनेजमेण्ट ग्रुप की प्रमुख विशेषताऐं आभीयता, स्वयंसेवा, एकरूपता और 15 से 20 व्यक्तियों की सहायता है और इसका उद्देश्य महिलाओं में सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

1991-92 में बड़े पैमाने पर 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' (नावार्ड), में स्वयं सहायता समूह बैंक संयोजन कार्यक्रम प्रारम्भ किया। यह कार्यक्रम आम जनता तक बैंकिंग सुविधा पहुँचाने के मामले में विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सभी राष्ट्रीकृत बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के बचत खातों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। यह सहायता समूह आन्दोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आज नावार्ड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे 560 बैंक, आर्थिक विकास महामण्डल (MAVIM), जिला विकास संस्थाऐं (DRDA), नगर निगम जैसी संस्थाऐं और 3024 से अधिक गैर-सरकारी संस्थाऐं, स्वयं सहायता समूह आन्दोलन को बढ़ावा देने में संलग्न हैं।

17.2.2 स्वयं सहायता समूह का अर्थ एवं विशेषताऐं

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों का एक ऐसा छोटा समूह होता है, जिनके सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति लगभग समान होती है। ये सामूहिक प्रयास से अपनी जीवन-दशा में बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः समूह में या तो पुरूष या केवल महिलाऐं होती हैं, परन्तु मिले-जुले समूह भी बनाये जा सकते हैं। इसके सदस्य अपनी इच्छा से एक स्वयं सहायता समूह में संगठित होकर अपने समक्ष उपस्थित विशिष्ठ समस्याओं,

जिन्हें वे अकेले हल नहीं कर सकते, उससे निपटने के लिए चर्चा करते हैं। यह स्वप्रेरण से बचत के लिए बनाया गया समूह होता है। इसके सदस्य समूह को संस्थागत रूप देने के लिए हर सप्ताह या 15 दिन में समूह द्वारा निश्चित धनराशि जमा करके एक साधारण निधि का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर समूह की शक्ति बन जाती है। इस निधि का प्रयोग समूह के निर्णयानुसार जरूरतमंद सदस्यों को उत्पाद तथा उपयोग के प्रयोजन हेतु ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। इससे जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती ही है साथ में निधि में वृद्धि भी हो जाती है।

स्वयं सहायता समूह की उपरोक्त व्याख्या के आधार पर इसकी निम्न विशेषताऐं उभर कर सामने आई हैं-

1. समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 तक होती है, परिवार का कोई एक सदस्य पुरूष या सभी स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है। सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
2. समूह के सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है।
3. समूह में गरीबी रेखा के नीचे तथा गरीबी रेखा के ऊपर दोनों स्तरों के सदस्य होते हैं।
4. समूह के सभी सदस्य नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते हैं। समूह के सदस्य एक ही गाँव/मोहल्ला/टोले के होते हैं।
5. समूह के सदस्य हफ्ते, 15 दिन या महीने में एक बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर एक-दूसरे की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी बैठकों के दौरान बचत राशि को जमा, ऋण का लेन-देन, लेखा-जोखा आदि का सम्पादन किया जाता है।
6. पंजीकृत स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोला जाता है।
7. समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर से बैंक खाता खोलने के लिए संयुक्त खाते के संयुक्त परिचालन के लिए तीन सदस्यों को प्राधिकृत किया जाता है।
8. स्वयं सहायता समूह द्वारा समूह के बचत खाते की राशि का समूह के अन्तर्गत सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
9. समूह को कर्जदार निश्चित किश्तों को बैंक में जमा करता है।
10. बैंक द्वारा ऋण समूह के नाम दिया जाता है, व्यक्तिगत सदस्य के नाम नहीं।
11. समूह की निधि की क्षमतानुसार बैंक द्वारा सीमा निर्धारित की जाती है। सामान्यतः सीमा बचत निधि के चार गुना के बराबर होती है। समूह के ऋण के उपयोग की क्षमता एवं परियोजना के व्यवहार्यता के आधार पर अधिक ऋण भी बैंक द्वारा दिया जा सकता है।
12. समूह द्वारा अधिकृत उत्पादक जाति विधि के अनुसार बैंक द्वारा सावधि ऋण/कैशक्रेडेट/ओवर ड्राफ्ट के रूप में ऋण की सुविधा दी जाती है।
13. स्वयं सहायता समूह को कर्ज देने के लिए रू0 50000/- तक के ऋण द्वारा कोई भी मार्जिन और प्रतिभूति मापदण्ड नहीं रखा जाता है।

17.2.3 स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य

स्वयं सहायता समूह के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. समूह के सदस्य जो अपनी समस्या का समाधान अकेले नहीं कर पाते, उनकी समस्याओं का समाधान करना।
2. ग्रामीण निर्धनों को आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरक ऋण नीतियां बनाना।
3. ग्रामीणों के अन्दर बचत एवं ऋण सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
4. समूह के सदस्यों के भीतर आपसी विश्वास और आस्था स्थापित करना।
5. निर्धन ग्रामीणों तथा बैंकरों के बीच विश्वास बढ़ाना।
6. निर्धन ग्रामीणों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना।

17.2.4 स्वयं सहायता समूह से लाभ

देश में अनेक नीतिगत निर्णय होने के बावजूद भी आज देश की 10 करोड़ जनता को बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसका प्रमुख कारण था, गरीब की छोटी-छोटी परन्तु बार-बार ऋण राशि की आवश्यकताऐं। इस छोटे-छोटे बिना जमानत के ऋणों का परिचालन (ऋण देना, ऋण की निगरानी करना तथा ऋणों की वसूली) खर्चीला और जोखिम भरा था। अतः इन सब कमियों को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह की कल्पना की गई। इससे एक ओर तो गरीबों को बिना किसी जमानत रखे ऋण प्राप्त होता है, तो दूसरी ओर बैंक की वसूली भी पूरी हो जाती है। इस तरह समूह के सदस्यों को निम्न लाभ होता हैं-

1. आर्थिक कार्य चुनने की स्वतंत्रता।
2. बिना किसी जमानत के ऋण की प्राप्ति।
3. समूह के सदस्यों को परस्पर समुदायिक सहायता।
4. लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा।
5. आसानी से स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की उपलब्धता।
6. आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु ऋण की शीघ्र उपलब्धता।

17.2.5 स्वयं सहायता समूह के कार्य

1. समूह की बैठक नियमित होनी चाहिए। यह सदस्य नियमित रूप से मिलते हैं तो वे एक-दूसरे की समस्याओं के अच्छे ढंग से समझकर बेहतर तालमेल से काम कर सकते हैं। नियमित बैठकों से आपसी विश्वास एवं सहयोग की भावना पनपाती है।
2. बैठक का संचालन हर बार अलग-अलग सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए। इससे सभी सदस्यों को जिम्मेदारी उठाने का मौका मिलता है तथा व्यक्तिगत विकास भी होता है।
3. बैठकों में सभी सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्हें मिलकर निर्णय लेना चाहिए। साथ ही सदस्यों को एक-दूसरे के विचार सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।
4. समूह की बैठक में सभी सदस्यों के सामने सर्वसम्मति से अपना एक अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का चयन करना चाहिए। जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पढ़े-लिखे व्यक्ति को सौंपी जाए, जिससे व रूपये-पैसे का हिसाब रख सके। इसके अलावा यह स्थान रखना चाहिए कि इनका

कार्यकाल 6 माह से 1 वर्ष से अधिक ना हो, ताकि सभी को नेतृत्व व जिम्मेदारी उठाने का मौका मिलता रहे।

5. समूह की बैठकों में सभी सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए तथा समूह में किसी प्रकार का निर्णय लिये जाने के लिए कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए।
6. बैठक में चर्चा के विषय स्पष्ट होने चाहिए। जिसमें नियमित बैठक की तिथि निश्चित करना, बैठक में अनुपस्थिति पर सदस्यों पर दण्ड निश्चित करना, ऋण का लेन-देन, हिसाब-किताब, लेखा-जोखा पर चर्चा, बचत राशि पर ऋण आदि बढ़ाने की चर्चा, समूह की व्यवस्थाओं के लिए नियम, समूह को नई जानकारियाँ प्रदान करना एवं समूह सदस्यों को अपनी नई सोच विकसित करना, कार्य निर्वहन एवं जिम्मेदारी लेने की भावना विकसित करना, समूह के पास एकत्रित बचत राशि को बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी बांटना। नये सदस्यों को समूह में शामिल करने की प्रक्रिया पर समूह को सर्वसम्मति से पहले चर्चा कर लेनी चाहिए, जिससे आगे चलकर ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं आये और यदि कोई सदस्य समूह छोड़ना चाहता है तो पहले से ही यह आपस में होना चाहिए कि समूह को छोड़ते समय बकाया ऋण चुकाने व उसकी बचत राशि की वापसी आदि का क्या तरीका होगा? समूह को स्वयं की एक नियमावली बनानी चाहिए।
7. स्वयं सहायता समूह का नियमित लेखा-जोखा होना चाहिए। जिसमें उपस्थिति रजिस्टर, कार्यवाही विवरण लेखा-जोखा तथा पासबुक आदि को अद्यतन पूर्ण होने चाहिए तथा लेन-देन का लेखा रिकार्ड सरल होना चाहिए।
8. लेखा एवं अन्य रजिस्टर में प्रविष्टियाँ जहाँ तक हो सके तो समूह के सदस्यों द्वारा ही की जानी चाहिए। अगर कोई भी सदस्य पढ़ा-लिखा नहीं है तो गाँव के पढ़े-लिखे व्यक्ति से इसकी प्रवृष्टियाँ करानी चाहिए। सभी प्रवृष्टियाँ बैठक में ही होनी चाहिए। जिससे सभी सदस्यों को इसकी जानकारी रहे।
9. स्वयं सहायता समूह को सदस्यता रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, बचत एवं ऋण रजिस्टर, बैंक ऋण रजिस्टर और सदस्यवार पासबुक पुस्तिकाओं का रख-रखाव करना चाहिए।

17.3 नागरिक समाज

नागरिक समाज को निम्नांकित बिन्दुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं-

17.3.1 नागरिक समाज की पृष्ठभूमि

नागरिक समाज का अर्थ, नागरिक (Civil) और समाज (Society) दो शब्दों से मिलकर बना है। सिविल का अर्थ है नागरिक इसके अन्य धर्म भी हैं। सर्वप्रथम प्राचीना रोमना विचारकों ने राज्य के अर्थ में नागरिक समाज(Civil Society) शब्द का प्रयोग किया और इसे एक ऐसा समाज कहा जिसके सदस्य नागरिक के रूप में मिलजुल कर रहते हैं तथा नागरिक कानूनों का पालना करते हैं। सभ्य एवं संस्कृति जीवन व्यतीत करते हैं। 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने 'नागरिक समाज' को 'राजनैतिक समाज' के समीपवर्ती माना और राज्य के सदस्यों के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करते हुए कहा कि नागरिक समाज मानव समुदाय में अनुशासन, व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करने का साधन है। मॉर्क्स ने राज्य और नागरिक समाज को पूँजीपतियों के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें

व्यक्ति को नागरिक के रूप में मान्यता दी जाती है। परन्तु आर्थिक शक्ति बुजुर्ग-वर्ग के हाथों में केन्द्रित होने के कारण सारा कानून केवल इस वर्ग के हितों को बढ़ावा देता है। 20वीं शताब्दी ने एंटोनियों ग्रामशी ने अपने मार्क्सवादी विश्लेषण में नागरिक समाज में परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाओं को सम्मिलित किया है और पूँजीवादी समाज को वैधता प्रदान करने वाली संरचना के रूप में विश्लेषित किया है। नागरिक समाज को राज्य में अलग-अलग भिन्न मानने का कार्य सर्वप्रथम राजनीतिक दार्शनिक जी0डब्ल्यू0एफ0 रिंग ने किया है।

वस्तुतः नागरिक समाज की अवधारणा एक गतिशील विचार और इसके साथ सामाजिक आन्दोलन का विचार भी जुड़ा हुआ है, जिसे नागरिकता के गत्यात्मक पक्ष के रूप में भी देखा गया है। जिसके साथ दायित्व व अधिकार जुड़े होते हैं। आजकल 'नागरिक समाज' शब्द का प्रयोग मुख्यतः स्वैछिक समितियों (नागरिक समाज संगठन और गैर-सरकारी संगठन) के लिए किया जाता है। इन समितियों का मूल मुद्दा, गरीबों, उत्पीड़ितों और शोषक-वर्ग की समस्या के लिए विरोध प्रकट करना है। वास्तव में आधुनिक समाजों के तीन मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं- सरकार, बाजार, और नागरिक समाज। यही नागरिक समाज पहले के दो क्षेत्र, सरकार और बाजार पर अपनी जागरूकता से नियंत्रण करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नागरिक समाज की धारणा आर्थिक क्षेत्र में बाजार या राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र दोनों का पोषण करती है और वर्तमान में अनेक गैर-सरकारी संगठन तथा अन्य संगठन नागरिक समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाशील हैं।

17.3.2 नागरिक समाज का अर्थ एवं परिभाषा

नागरिक समाज को समझने के लिए पहले समाज को समझना होगा। समाज एक व्यापक आवधारणा का नाम है, जिसके अन्तर्गत दो परिवार से लेकर पूरे विश्व परिवार को रखा जा सकता है। समाज का स्वरूप किसी भी प्रकार का हो सकता है, अच्छा या बुरा। परन्तु जब नागरिक समाज की बात आयेगी तो इसका बुरा हो ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिक समाज उस समाज को कहते हैं, जहाँ राज्य और उसकी शक्ति के बिना नागरिक परस्पर संगठित होकर स्वप्रेरणा व सौहार्द से विकासात्मक कार्यों में भागीदारी निभाते हों। नागरिक समाज का केन्द्र-बिन्दु राज्य राजनीति एवं प्रशासन, नागरिक समुदाय और स्वयंसेवी संस्थाऐं होती हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति नागरिक समाज में व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे समाज के हित के बारे में सोचा जाता है तथा किसी के साथ किसी प्रकार का अन्तर नहीं किया जाता है।

समकालीन सन्दर्भ में नागरिक समाज ऐसे गैर-राज्यीय संगठनों, संस्थाओं और आन्दोलनों का समग्र है जो राजनीति, सार्वजनिक नीति और सम्पूर्ण समाज को अपने गतिविधियों से प्रभावित कर न्याय के साथ-साथ सभी नागरिकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देने की वकालत करता है। इस प्रकार के समाज का उद्देश्य राज्य को संयमित करना और उसे नागरिक नियंत्रण में लाना है। इसका विश्लेषण प्रमुखतः तीन सन्दर्भों में किया गया है- सामुदायिक जीवन के आधार के रूप में, अच्छे समाज के मॉडल के रूप में और सार्वजनिक क्षेत्र के मॉडल के रूप में।

सामान्यतः विचारकों ने अपने विश्लेषण में तीन सन्दर्भों को समन्वित करते हुए नागरिक समाज की संकल्पना को स्पष्ट किया है।

संत आइस्टाईन के अनुसार, "नागरिक समाज अथवा कॉमन वैल्थ लोगों का वह संगठन है, जो सामान्य अधिकारों तथा सामान्य हितों के फलस्वरूप सम्मिलित होते हैं।"

जेफ्री अलेक्जेण्डर के अनुसार, ''नागरिक समाज एक समावेशी छाते जैसी अवधारणा है, जो राज्य के असंख्य संस्थाओं को अपनी छाया में रखती है।''

जार्ज हजिंग के अनुसार, "नागरिक समाज एक सामाजिक स्थान है, जो राज्य एवं व्यापारिक क्षेत्रों से अलग होता है। किन्तु साथ-साथ काम करते हुए राज्य के साथ कभी-कभी तनावपूर्ण सह-सम्बन्ध रखता है।"

मैरी डायमण्ड के अनुसार, "नागरिक समाज, संगठित सामाजिक जीवन को दर्शाता है जो कि स्वैच्छिक, स्वजनित, स्वसमर्पित होती है और एक वैधानिक व्यवस्था या सहभागिता मूल्यों के समुच्चय द्वारा घिरा होता है।"

एस0 के0 दास के अनुसार, "नागरिक समाज वह संगठित समाज है, जिस पर राज्य शासन करता है।"

नीरजा गोपाल जायाल के अनुसार "नागरिक समाज तमाम ऐसे स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक अन्तर्क्रियाओं को समावेशित करता है, जिन पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है।"

उक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नागरिक समाज सभ्य जागरूक और उत्तरदायी व्यक्तियों का संगठित समूह है, जो राज्य से अलग इस दृष्टिकोण से होता है कि राज्य के अन्तर्गत समाज का संगठित व असंगठित क्षेत्र आता है। जबकि सभ्य समाज के अन्तर्गत केवल संगठित क्षेत्र आता है। राज्य के अन्तर्गत अनुत्तरदायी सभी लोग सम्मिलित होते हैं, जबकि नागरिक समाज में मात्र उत्तरदायी विधि के अनुसार काम करने वाले लोग सम्मिलित होते हैं। यह व्यापारिक क्षेत्रों से भी अलग होता है, किन्तु यह राज्य एवं व्यापारिक क्षेत्रों के साथ तथा कभी तनावपूर्ण सह-सम्बन्ध रखता है।

17.3.3 नागरिक समाज की विशेषताऐं

विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विचारों के आधार पर नागरिक समाज की निम्नवत विशेषताऐं होती हैं-

1. यह संगठित समाज को इंगित करता है।
2. इसके अन्तर्गत राज्य का एक बड़ा हिस्सा आता है।
3. यह राज्य से अलग होता है, लेकिन राज्य के साथ इसका सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह का सह-सम्बन्ध पाया जाता है।
4. यह नागरिक जीवन में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करता है।
5. समाज में राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक चेतना जागृत करता है।
6. सरकारी विभागों में कार्य संचालन को बेहद पारदर्शी बनाता है।
7. यह स्वतंत्र एंव उत्तरदायी संगठन होता है।
8. राज्य की मन मानी व जनविरोधी नीतियों पर प्रतिबन्ध लगाता है।
9. योजनाओं, प्रशासन और नीति निर्माण के क्रियावयन में जन सहभागिता सुनिश्चित करता है।
10. नागरिकों में देश के लिए कर्तव्य एवं निष्ठा का प्रसार एवं जागरण करता है।
11. इसके अन्तर्गत राज्य (राजनैतिक समाज) एवं परिवार (प्राकृतिक समाज) के बीच के समूह आते हैं।
12. यह जनमत का निर्माण करता है और जन सामान्य प्रकृति वाली मांगें तय करता है।
13. यह सरकार एवं बाजार दोनों पर लोकतांत्रिक जागरूकता के कारण नियंत्रण रखता है।
14. इसका लक्ष्य सार्वजनिक भलाई से ओत-प्रोत होता है।
15. यह राज्य के अधिपत्य को कम करने के लिए संस्थाओं के निर्माण का समर्थनकरता है।

16. यह बौद्धिक रूप से उन्नत एवं प्रगतिशील होता है।

17. यह सामुदायिक मूल्य प्रणाली में नैतिक सन्दर्भ के रूप में कार्य करता है।

18. यह स्वायत्त होते हुए भी राज्य की सत्ता के अधीन होता है।

17.3.4 नागरिक समाज के संघटक

नागरिक समाज की अवधारणा के अन्तर्गत निम्नलिखित संगठन, समूह एवं संस्थाऐं आती हैं- गैर-सरकारी संगठन, सामुदायिक संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन, महिला संगठन, धार्मिक संगठन, सहकारी संस्थाऐं, व्यवसायिक एसोसिएशन और अन्य संगठित समूह।

17.3.5 भारत में नागरिक समाज की भूमिका

भारत में नागरिक समाज का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्राचीन युग में इनका वर्णन पुंग श्रेणी संघ आदि नामों से मिलता रहा है। आधुनिक युग में जहाँ तक प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के दौरान अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संगठन ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज जैसे आदि कई संगठन अस्तित्व में रहे हैं। लेकिन 1970 के दशक के बाद इनकी संख्या में काफी तेजी आयी है। आज भी पश्चिमी समाजों की तुलना में नागरिक समाज का विकास नहीं हुआ है।

नागरिक समाज के बारे में प्रचलित सकारात्मक विचारों का सारांश प्रस्तुत करते हुए ब्रिटेन के साहित्यकार 'जार्ज किंग' कहते हैं कि ''इस बात पर पैदा हो रही आम सहमति कि नागरिक समाज स्वतंत्रता का क्षेत्र है, सही रूप में जनतंत्र की शर्त के रूप में इसके आधारभूत मूल्य पर बल देता है। जहाँ नागरिक समाज नहीं है, वहाँ एक राजनैतिक वैज्ञानिक ढाँचे के भीतर नागरिक अपनी पहचान, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को चुनने की क्षमता नहीं रख सकते हैं।''

नागरिक समाज की देश के विकास एवं कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी उपस्थिति सत्ता को नियंत्रित करती है। इसकी भूमिका के पहलू निम्नवत हैं-

1. ये गरीबों को सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए संगठित करते हैं।
2. समनता पर आधारित सार्वजनिक कल्याण को प्रेरित करते हैं।
3. प्रशासन में जन-सहभागिता को बढ़ावा देते हैं।
4. जनता को सरकारी योजनाओं का और सरकार को जन समाज की समस्याओं से अवगत कराते हैं।
5. प्रशासनिक मशीनरी पर जबावदेही प्रणाली लागू करके, प्रशासन में निरंकुशता एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हैं।
6. प्रशासन को हित ग्राही मूलक बनाते हैं।
7. ये स्थानीय विकास के लिए स्थानीय संसाधन विकसित करने में योगदान देते हैं।
8. ये स्थानीय शासन को सशक्त बनाने में योगदान देते हैं।
9. ये स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक पहरेदार होते हैं।
10. ये जनता को राजनैतिक चेतना हेतु जागरूक करते हैं।
11. ये जनता की मांगों को संगठित करते हैं।

17.4 नागरिक चार्टर

नौकरशाही मुख्यतः कुशलता, ज्ञान व विवेक आधारित प्रणाली है। इसलिए इसमें सदैव शक्तियों के दुरूपयोग की सम्भावना बनी रहती है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसी भी प्रशासन के उत्तरदायित्व की व्यवस्था की जाती है। आज के जटिल समाज में उत्तरदायित्व का निर्धारण करना बहुत कठिन कार्य है। उत्तरदायित्व का निर्धारण निभाने का तरीका आदि ऐसे प्रश्न हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। नागरिक चार्टर एक ऐसा उपकरण है जो प्रशासन के लोक उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर सकता है। जनता का समर्थन प्रशासन को तभी मिलता है, जब उसे विश्वास हो जाता है कि प्रशासन का कार्य कुल मिलाकर न्यायपूर्ण होता है। इस सन्दर्भ में प्रायः सरकारें जनता की चिन्ता के प्रति जागरूक नहीं हैं। नागरिकों की इसी चिन्ता का प्रतिफल नागरिक चार्टर है। इन चार्टरों में सेवा देने वाले कार्मिकों और कार्य की सम्भावित समय-सीमा का उल्लेख होता है। नागरिक चार्टर वस्तुतः जना ता के प्रति विशेष रूप सेवा, उपभोक्ता के प्रति प्रशानिक उत्तरदायित्व का ही एक रूप है। नागरिक चार्टर सेवा की विशिष्ट गुणवत्ता एवं वचनों का संग्रह होता है, जो सेवा देने वाली संस्थाओं द्वारा नागरिकों को दिया जाता है। नागरिक चार्टर का सम्बन्ध उन आधारात्मक उपायों से भी है, जिसकी घोषणा सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा अपने गलत कार्यों को ठीक करने हेतु की जाती है।

17.4.1नागरिक चार्टर का अर्थ एवं सिद्धान्त

प्रजातांत्रिक कल्याणकारी शासना की अपने देश के लोक सेवाओं के उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की पद्धति से सम्बन्धित अन्वेषण एवं खोज का परिणाम नागरिक चार्टर है। नागरिक चार्टर या नागरिक अधिकार-पत्र का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और सामर्थ्यवान बनाया जाना है। 20वीं शताब्दी के अन्त में नागरिक अधिकार-पत्र को प्रशासन में समाहित करने का प्रमुख उद्देश्य प्रशासन में आयी विभिन्न त्रुटियों को दूर करके उसे अधिक दक्ष, कार्यकुशल, सक्षम, विकसित एवं स्मार्ट बनाने हेतु किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1970 से 1980 के दशक में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गेट थैचर ने प्रशासनिक उत्तरदायित्व को सम्भव बनाने एवं राज्य की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने हेतु प्रयत्न किये। इन्हीं प्रयत्नों की आधाशिला पर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर के नेतृत्व में प्रशासन को जनता की जरूरतों और इच्छाओं के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए 22 जुलाई, 1991 को नागरिक चार्टर का जन्म हुआ। इस नागरिक चार्टर के प्रमुख चार मुद्दे थे- गुणवत्ता, विकल्प, मानकीकरण एवं मूल्य।

कालान्तर में इस चार्टर का और विकास हुआ तथा इसके बेहतर क्रिन्यावनय के 6 मुख्य सिद्धान्त बताये गये-

1. **मानकों का स्पष्ट निर्धारण-** नागरिकों द्वारा प्रशासन से सदैव यह अपेक्षा की जाती है कि अपने पैरामीटर (मानक) का प्रकाशन करें ताकि, प्रशासन द्वारा किये गये वास्तविक कार्य मानकों के अनुरूप हुए हैं कि नहीं, इसका अध्ययन सम्भव हो सके।
2. **सूचना व खुलापन-** प्रशासन द्वारा नागरिकों को इस तथ्य की सही, सम्पूर्ण एवं सरल भाषा में जानकारी उपलब्ध करायी जानी चाहिए कि किस कार्य अथवा विभाग का प्रभारी/प्रमुख कौन है तथा कार्य किस प्रक्रिया के अन्तर्गत संचालित हो रहा है?

3. **विकल्प एवं परामर्श-** प्रशासन द्वारा नागरिकों के समक्ष आवश्यकतानुसार व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत किये जाने चाहिए तथा सेवा प्राप्ति के आकांक्षी अथवा जिन नागरिकों को सेवा उपलब्ध करायी जानी है के साथ नियमित तौर पर परामर्श किया जाना चाहिए।
4. **उचित कार्यप्रणाली-** किसी कार्य के गलत हो जाने की दशा में प्रशासन को नागरिकों से क्षमा याचना करते हुए स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा तत्काल सुधारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए। जन-शिकायतों के समुचित निपटारे हेतु सुलभ एवं सुप्रचारित प्रक्रियाओं का उपभोग करना चाहिए।
5. **धन का उचित मूल्य-** प्रशासन को चाहिए कि वह इस तथ्य को सुनिश्चित करे कि नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों के साथ कुशल एवं कम खर्चीली सेवाऐं उपलब्ध करायी जाऐ। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि प्रशासन द्वारा न्यूनतम समय, न्यूनतम लागत एवं न्यूनतम प्रयास के अन्तर्गत मानक एवं गुणात्मक प्रदर्शन का समुचित निर्धारण करें।
6. **शिष्ट एवं सहयोगी व्यवहार-** अधिकारियों द्वारा नागरिकों के साथ सहयोग एवं शिष्ट व्यवहार का प्रयोग करते हुए सेवाऐं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

17.4.2 भारत में नागरिक चार्टर

भारत में जनता की सेवा करने वाली संस्थाओं की कार्य-क्षमता में निरन्तर गिरावट से सरकार का निराश एवं असंतुष्ट होना स्वभाविक है। भारतीय जनता लोक सेवा की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट नहीं है। साथ ही राजनीतिज्ञ, लोक सेवक एवं अपराधियों के अपवित्र गठबंधन चिन्ता का विषय बन गया है। प्रशासन के सभी स्तरों पर अक्षमता व अलोकप्रियता के मद्देनजर सन् 1996 में नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में ''प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन'' विषय पर गम्भीरता से विचार-विमर्श हुआ। एक वर्ष पश्चात 24 मई 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता में ''प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन'' विषय पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में जो कार्य योजना बनाई गई वो निम्नवत थी-

1. सेवा का विकेन्द्रीकरण।
2. लोक सेवकों हेतु आचार संहिता।
3. सरकारी कार्यों में लोक सूचना का अधिकार।
4. प्रभावी एवं त्वरित लोक सेवा निवारण।
5. प्रशासन में पारदर्शिता।
6. ग्रामीण एवं शहरी निकायों को अधिक अधिकार।
7. नागरिकों के लिए अधिकार-पत्र।
8. नागरिकों के लिए उत्तरदायी प्रशासन।

इसके पश्चात भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संगठनों ने ''नागरिक चार्टर निर्मित कर आम जनता के लिए जारी किए। वर्तमान में (2010) तक केन्द्र सरकार के 131 तथा अन्य सरकारों और संघशासित प्रशासन के 729 नागरिक अधिकार-पत्र सरकार के अभिकरणों द्वारा जारी हो चुके थे।''

भारतीय परिप्रेक्ष्य में नागरिक चार्टर के घटक, निम्नलिखित हैं-

- संगठन का दूरागामी मिशन एवं वक्तव्य।

- संगठन द्वारा किये जाने वाले व्यापार व कार्य का विस्तृत विवरण।
- नागरिकों या उपभोक्ताओं का विस्तृत विवरण।
- मानक, गुणवत्ता, समय सीमा सहित सेवाओं का वक्तव्य, जो कि प्रत्येक नागरिक व उपभोक्ता समूह को पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाता है और उसमें यह उल्लेख होता है कि सेवाओं की प्राप्ति कहाँ और कैसे करें।
- शिकायत, निवारण तंत्र का विस्तृत विवरण और उस तक पहुँचाने का तरीका।
- नागरिकों अथवा उपभोक्ताओं की अपेक्षाऐं।

17.4.3 नागरिक चार्टर की भूमिका

नागरिक चार्टरों की भूमिका निम्नवत है-

1. **प्रशासन की छवि ठीक करने में-** दसवीं योजना आयोग पैनल (2001) भी इस बात को स्वीकार करता है कि लगभग सभी राज्यों में नौकरशाही को भाव शून्य तथा लोक कल्याण का अनिच्छुक समझा जाता है। नागरिक चार्टर आने से नौकरशाही की इन आदतों में सुधार आयेगा।
2. **उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में-** आधुनिक लोक प्रशासन में प्रशासन का 'लोक उत्तरदायित्व' बहस का केन्द्र-बिन्दु रहा है। इसके तहत किसी निश्चित कार्य के लिए किसी निश्चित अधिकारी की जवाबदेही तय कर दी जाती है तथा मानकों के अनुसार कार्य ना करने पर उसमें हर्जाने वसूले जाते हैं और बेहतर कार्य करने पर पुरस्कृत किया जाता है।
3. **पारदर्शिता सुनिश्चित करने में-** प्रशासन के कार्यों हेतु भागीदारी बढ़ाने हेतु सबसे आवश्यक उपाय यह है कि इसकी कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। नागरिक चार्टरों में प्रशासनिक कार्यों की प्रक्रियाऐं उल्लेखित करके पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। इससे प्रशासन का जनता से अलगाव कम होगा और जनता से सीधे संवाद की गुंजाइस बढ़ेगी।
4. **जन-सहभागिता सुनिश्चित करने में-** नागरिक चार्टर, सेवाओं को लोगों की आवश्यकताओं की तरफ मोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं तथा जन-भागीदारों के माध्यम से उनका मूल्यांकन करते हैं। नागरिक स्वयं अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण नियोजन और सेवाओं के वित्त का प्रबन्धन करने में भूमिका निभाते हैं।

17.4.4 नागरिक चार्टर अभियान के सफलता हेतु सुझाव

नागरिक चार्टर की अवधारणा के अनुसार नागरिक, प्रशासन का केन्द्र बिन्दु है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाय तो अभी बहुत सारी ऐसी समस्याऐं हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

1. **समन्वय एवं निरन्तरता-** नागरिक चार्टर के निर्धारण में इसके मूलभूत सिद्धान्तों के साथ समन्वयन की आवश्यकता है। किसी भी नागरिक चार्टर का लक्ष्य न्यूनतम समय, लागत व असुविधा के बगैर जनता को अधिकतम संतुष्टि पर केन्द्रित होना चाहिए।

2. **मानकों को लागू करना-** किसी भी गतिविधि का मानक तय करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके लागू करना उतना ही कठिन होता है। संगठनों के चार्टरों में मानक तो तय किये जाते हैं, लेकिन व्यवहार में उन मानकों के अनुरूप कार्य नहीं होता है। आज इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि नागरिक चार्टर के मानकों के अनुरूप कार्यों का निष्पादन भी होना चाहिए।
3. **शिकायत निस्तारण प्रणाली को मजबूत बनाना-** किसी भी नागरिक चार्टर की सफलता के लिए उसकी शिकायत निस्तारण मशीनरी को ज्यादा सक्रिय करना पूर्वपेक्षा होती है। लेकिन अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि चार्टर उन अधिकारियों के नाम एवं टेलीफोन नम्बरों का उल्लेख नहीं करते हैं, जिनसे उत्पीड़न की दशा में सम्पर्क करना होता है।
4. **राजनीतिज्ञ एवं नौकरशाहों के प्रभाव से मुक्ति-** आज लोक सेवा के हर कार्य में राजनीति एवं नौकरशाही का बोलबाला है। नागरिक चार्टर की सफलता के लिए यह अति आवश्यक है कि इनके प्रभाव से वह दूर रहे।
5. **अच्छे कार्यों हेतु पुरस्कार की व्यवस्था-** नागरिक चार्टर की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि लोक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों में जो अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उन्हें दण्ड देना चाहिए। विदेशी चार्टरों में ऐसी व्यवस्था होती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में नागरिक चार्टर की सफलता के लिए इसकी प्रक्रियागत व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है, ताकि लोक सेवा से जुड़े प्रत्येक विभाग अपने आन्तरिक गतिविधियों का मूल्यांकन ही करके नागरिक चार्टर को सही तरह से लागू करने का प्रयास कर सकें।

17.5 स्वैच्छिक समूह

स्वैच्छिक समूह के सम्बन्ध में जानने के लिए निम्न बिन्दुओं का अध्ययन करते हैं-

17.5.1 स्वैच्छिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा

भारत में समाज सेवा और स्वैच्छिक सेवा की भावना की प्राचीन परम्परा रही है। धर्म की पारम्परिक भावना के अतिरिक्त दो शताब्दियों से भारत में गरीबों, दीन-हीन, अपंग एवं कमजोर वर्गों के सहायतार्थ असंख्य परोपकारी और सेवायुक्त संस्थाऐं अस्तित्व में आयी हैं। स्वयं महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्वतंत्रता सम्बन्धी आन्दोलन, प्रारम्भिक स्तर पर सामाजिक पुनर्निर्माण, स्वयं सेवा एवं गरीबों में सर्वाधिक निर्धनों के सेवा सम्बन्धी संदेश पर ही था। जिसका मुख्य आधार स्वैच्छिक कार्यवाही था।

स्वैच्छिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'Voluntarism' शब्द से हुई है। जिसका अर्थ है- इच्छा या स्वतंत्रता। हैराल्ड लास्की ने इसे समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता के सन्दर्भ में कहा है कि रूचिगत उद्देश्यों के संवर्धन के लिए व्यक्तियों के एकत्र होने की मान्यता प्राप्त कानूनी अधिकार का नाम ही संघ बनाने की स्वतंत्रता है। टी0 एन0 चतुर्वेदी के अनुसार, "स्वैच्छिक समूह एक ऐसा औपचारिक दल विहिन व निजी निकाय होता है जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास के माध्यम से अस्तित्व में आता है और जो व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयत्न के माध्यम से समाज के किसी विशेष तबके के जीवन को किसी भी मायने में बेहतर बनाने पर केन्द्रित होता है।"

रिग्स के अनुसार, "यह व्यक्तियों का ऐसा समूह है, जिसका आधार राज्य नियंत्रण से परे स्वैच्छिक सदस्यता पर टिका रहता है और जो सामान्य हित को अग्रसर करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है।"

स्वैच्छिक समूह वस्तुतः व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, जहाँ व्यक्तिगत हित का बलिदान कर सामूहिक हित को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। समूह की सदस्यता पूरी तरह स्वैच्छिक होती है। स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो किसी समूह अथवा संगठन के निर्माण हेतु कई बार कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। केवल समूहों को आधिकारिक निकायों के समक्ष कानूनी रूप से पंजीकृत कराना आवश्यक होता है कि इस प्रकार के जन-समूह विद्यमान हैं। ये अनिवार्य रूप से राजनैतिक नियंत्रण के उपकरण नहीं होते हैं, किन्तु इनमें से अधिकांशतः अर्थव्यवस्था को धोखे से बचाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। स्वैच्छिक समूह ऐसे अज्ञात, गैर-लाभकारी संगठन होते हैं, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित किये जाते हैं। जिन्हें समूह के संचालन हेतु सरकार की ओर से धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ये चैरिटी जैसे आन्तरिक स्रोतों से अपने राजस्व का इंतजाम करते हैं।

17.5.2 स्वैच्छिक समूह की विशेषताऐं

स्वैच्छिक समूह की निम्नलिखित विशेषताऐं हैं-

1. स्वैच्छिक समूह सरकारी संगठनों की कार्यशैली एवं संरचना से भिन्न होते हैं, इनके सदस्यों के बीच अनौपचारिक सम्बन्ध होता है। अनौपचारिक सम्बन्धों और कार्यप्रणाली में स्वायत्तता के कारण इन संगठनों की सामाजिक कल्याण में विशिष्ठ आवश्यकता है। नौकरशाही, लालफीताशाही एवं नियम-कानूनों से मुक्त ये संगठन अपनी कार्य-संस्कृति को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकते हैं।
2. स्वैच्छिक समूहों के निर्माण में सरकारी प्रयासों की अपेक्षा कुछ व्यक्तियों की इच्छा ही सबसे निर्णायक होती है। इसकी विशेषताओं के तहत इसका निर्माण अक्सर जन-कल्याण के लिए किया जाता है।
3. इस स्वैच्छिक समूहों का संचालन ''लाभ-हानि से परे'' के आधार पर किया जाता है। इन स्वैच्छिक संगठनों का कार्य-क्षेत्र भौगोलिक एवं सामाजिक क्षेत्र के एक सीमित दायरे में होता है।
4. इन समूहों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सामाजिक मान्यता तथा समुदायिक सहयोग मिलता है। इसकी वित्तीय व्यवस्था सरकार तथा जनता द्वारा पूरी होती है।
5. स्वैच्छिक समूहों का निर्माण स्वेच्छा से व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इनके निर्माण के पीछे सरकारी प्रयासों के बजाय व्यक्तियों की स्वप्रेरणा उत्तरदायी होती है।
6. इसका एक औपचारिक संगठन होता है। इन संगठनों में ''शीर्ष प्रशासनिक सत्ता'' के रूप में सामान्य सभा या आम सभा होती है, जिसमें उस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी दानदाता या महत्वपूर्ण व्यक्ति रखे जाते हैं, जो संगठन के नीति-निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

अभ्यास प्रश्न-

1. वैश्विक स्तर पर 'स्वयं सहायता समूह' का प्रारम्भ किस देश से माना जाता है?
2. 'स्वयं सहायता समूह' का सृजनकर्ता किसे माना जाता है?
3. भारत में 'माइक्रो-फाइनेन्स' की अवधारणा अहमदाबाद के 'सेवा संस्था' ने विकसित की। सत्य/असत्य
4. 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने नागरिक समाज को राजनैतिक समाज का समीपवर्ती माना। सत्य/असत्य

5. यह कथन किसका है कि "नागरिक समाज वह संगठित समाज है, जिस पर राज्य शासन करता है।"
6. स्वैच्छिक संगठन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'Voluntarism' शब्द से हुई है। सत्य/असत्य

17.6 सारांश

इस पूरी इकाई में आपको यह बताने एवं समझाने की कोशिश की गई है कि समाज में कार्यरत स्वयं सहायता समूह जैसे अनेक स्वैच्छिक संगठन भारत में अनेक प्रकार की गतिविधियां चलाते हैं, जिससे लोगों को लाभ होता है। क्योंकि मूलरूप से वे बिना किसी व्यवसायिक हित अथवा लाभ के कार्य करते हैं। इन संगठनों का उद्देश्य निर्धनता अथवा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कष्ट सह रहे लोगों की सेवा करना है। इस ईकाई में इन संगठनों का अर्थ, इसकी सार्थकता, आवश्यकता एवं प्रकार्य क्या हैं? को बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में इन संगठनों की भूमिका क्या होगी? यह भी बताया गया है। भारत में नागरिक चार्टर निर्माण की प्रक्रिया और उपयोगिता को भी इस इकाई में बताने का प्रयास किया गया है।

17.7 शब्दावली

प्रशस्तकर्ता- आगे बढ़ाने वाला या आगे की ओर ले जाने वाला, उत्प्रेरक एवं वर्धक- आगे बढ़ाना, उपार्जन- आजिविका, सृजनकर्ता- निर्माण करने वाला या बनाने वाला, समीपवर्ती- निकट या नजदीक, माइक्रो फाइनेन्सन- शूक्ष्म वित्त या कम धन, मार्जन- अन्तर या दूरी

17.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. बांग्लादेश, **2.** प्रोफेसर मोहम्मद युनूस, **3.** सत्य, **4.** सत्य, **5.** एस0 के0 दास, **6.** सत्य

17.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. लोक प्रशासन के तत्व, सुरेन्द्रे कटारिया, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर- 2010,
2. एनजीओ हैण्ड बुक, नाबी बोर्ड ऑफ एडिटर, लखनऊ, इस्टिन कम्पनी।
3. भारत में समाज कल्याण प्रशासन, डी0 आर0 सचदेवा, किताब महल, इलाहाबाद।

17.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. लोक प्रशासन के तत्व, सुरेन्द्र कटारिया, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर- 2010,
2. एनजीओ हैण्ड बुक, नाबी बोर्ड ऑफ एडिटर, लखनऊ, इस्टन कम्पनी।
3. भारत में समाज कल्याण प्रशासन, डी0 आर0 सचदेवा, किताब महल, इलाहाबाद।
4. समाजशास्त्र, एस0 एस0 पाण्डे, टाटा मैग्रा हिल्स कम्पनी।

17.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. भारत में स्वयं सहायता समूह किस प्रकार लाभकारी हैं? स्पष्ट कीजिए।
2. नागरिक समाज का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

3. नागरिक चार्टर क्या है? व्याख्या कीजिए।
4. भारत में स्वैच्छिक समूह की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।

इकाई- 18 गैर-सरकारी संगठनों की समाज कल्याण में भूमिका

इकाई की संरचना

18.0 प्रस्तावना
18.1 उद्देश्य
18.2 समाज कल्याण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका
18.3 गैर-सरकारी संगठनों के लिए सरकार की योजनाऐं
18.3.1 सांस्कृतिक मंत्रालय की योजनाऐं
18.3.2 जनजाति मंत्रालय की योजनाऐं
18.3.3 महिला एवं बाल विकास की योजनाऐं
18.3.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजनाऐं
18.3.5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाऐं
18.3.6 विद्यालयीय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की योजनाऐं
18.3.7 उच्च शिक्षा विभाग की योजनाऐं
18.4 गैर-सरकारी संगठनों की समस्याऐं
18.5 गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन
18.6 सारांश
18.7 शब्दावली
18.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
18.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
18.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
18.11 निबन्धात्मक प्रश्न

18.0 प्रस्तावना

भारत में दान एवं सेवा की धारणा पर आधारित नागरिक समाज का लम्बा इतिहास रहा है। स्वतंत्रता के समय से ही ये देश के विकास में सेवा के माध्यम से ही गैर-सरकारी संगठन अपनी भूमिका का निर्वाह करते आ रहे हैं। लेकिन इन्हें सरकार द्वारा विकास संस्थाओं के रूप में मान्यता 1980 के दशक में प्रदान की गई। गैर-सरकारी संगठन सरकारी नियंत्रण से बाहर रहकर सरकार द्वारा विकास के लिए चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। भारत सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों को कुछ विशिष्ठ उद्देश्यों की पूर्ति के स्वायत्त संगठन के रूप में मान्यता दी है। इस प्रकार के संगठनों को पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित का संसाधन माना गया है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में जना सहभागिता को बढ़ाने तथा जनता का विश्वास पाने में गैर-सरकारी संगठनों के प्रभाव में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जन-सहभागिता का यहाँ तात्पर्य इस बात से है कि जनता स्वयं पहल करने विकास कार्यक्रम बनाये और उसे क्रियान्वित करें। लाभ में बराबर हिस्सा ले, विकास गतिविधियों पर नजर रखे तथा निष्पक्ष मूल्यांकन में पूरी सहभागिता करे। प्रायः यह

देखा जाता है कि जो विकास कार्यक्रम जनता द्वारा निर्मित किये जाते हैं, वे कार्यक्रम ज्यादा सफल, लाभकारी एवं प्रभावी होते हैं। गैर-सरकारी संगठनों की समाज कल्याण के क्षेत्र में भूमिका, कार्यक्रम, लक्ष्य एवं उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इनका गठन इसलिए किया जाता है कि ये लोगों के सामजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर प्रभाव डाल सकें। पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार, विरोध, बाल श्रम उन्मूलन, शिक्षा, महिला एवं बच्चों के मानवाधिकारों का संरक्षण आदि क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठन सक्रीय हैं। इस प्रकार के संगठनों को संचालित करने के लिए कानूनी प्रावधान भी होते हैं। संगठनात्मक स्तर पर ये सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। ये लाभ की प्रवत्ति से काम नहीं करते हैं। प्रायः ये गैर-राजनैतिक तथा धर्म-निरपेक्ष होते हैं।

18.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- समाज कल्याण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में जान सकेंगे।
- गैर-सरकारी संगठनों को आगे बढ़ाने में सरकार की भूमिका के बारे में जान सकेंगे।
- गैर-सरकारी संगठनों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।
- गैर-सरकारी संगठन के कार्यों का आप मूल्यांकन कर सकेंगे।

18.2 समाज कल्याण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। संविधान की प्रस्तावना भारतीय लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है। समाज कल्याण के क्रिया-कलाप में गैर-सरकारी संगठन की भूमिका और उनकी भागीदारी को सरकार ने महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मान्यता देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि सामाजिक समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए समुदाय की भागीदारी आवश्यक होती है। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को जिम्मेदारी मिलकर सम्भालनी पड़ेगी और वे कार्य करने होंगे, जिन्हें करने के लिए वह उपयुक्त हैं। सरकार की यह नीति रही है कि गैर-सरकारी संगठनों को ना केवल मान्यता दी जाय बल्कि उन्हें बढ़ावा, प्रेरणा और विकास के अवसर प्रदान किये जायें तथा इन संगठनों को अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण करने के अवसर प्रदान किये जाऐं, ताकि समाज कल्याण के क्रियाकलाप में इन संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी करने से गैर-सरकारी संगठनों को उन राष्ट्रीय सरोकारों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है, जिनका उद्देश्य समाज के वंचित लोगों का कल्याण करना है।

स्वैछिक प्रयासों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के गठन (1953) से ही प्रारम्भ हो जाती है। बलवन्त राय मेहता समिति (1957) का कथन है कि आज समुदायिक विकास की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गैर-सरकारी अभिकरणों एवं कार्यकर्ताओं को स्वयं सम्पूर्ण कार्य करने चाहिए। इसी प्रकार ग्रामीण-नगरीय सम्बन्ध समिति (1966) ने विकास गतिविधियों हेतु समुदायिक समर्थन प्राप्त करने में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका पर बल दिया गया था। पंचायती राज संस्थाओं पर गठित एक अन्य अखिल

भारतीय समिति (अशोक मेहता समिति) ने स्वयंसेवी अभिकरणों की प्रसंशा इन शब्दों में की है ''अनेक स्वयं सेवी संगठन, जो ग्रामीण कल्याण में कार्यरत हैं, में कुछ ने व्यष्टि नियोजक कार्य में पंचायती राज संस्थाओं की सहायता की है। वे व्यापक क्षेत्रीय योजनाऐं तैयार करती हैं। सम्भावित अध्ययन एवं लागत का लाभ विश्लेषण करती हैं तथा नियोजन एवं क्रियान्वयन में स्थानीय सहभागिता को प्रेरित करने के साधनों की खोज करती हैं। अवार्ड (Association of Voluntary Agencies for Regal Development) भी परियोजना निर्माण में परामर्शीय सेवाऐं तथा अपने सदस्य अभिकरणों को तकनीकी समर्थन प्रदान करती है। गैर-सरकारी अभिकरण यदि उसके पास आवश्यक कौशल, प्रमाणित ख्याति एवं सुसज्जित संगठन है तो वे पंचायती राज संस्थाओं की नियोजन प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं। उन्हें विशेष परियोजनाओं के संचालन में सम्मिलित किया जा सकता है।'' चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) में कहा गया है कि गैर-सरकारी संगठन पिछड़े वर्गों के मध्य कल्याण कार्यक्रमों का प्रसार-प्रसार करने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इन्हें अश्पृश्यता को समाप्त करने के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने, छात्रावासों एवं शिक्षण संस्थाओं को चलाने, कल्याण एवं समुदायिक केन्द्रों को संगठित करने, सामाजिक शिक्षा देने तथा प्रशिक्षण एवं ओरियेन्टेशन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए सहायता दी जायेगी।

छठी पंचवर्षीय योजना काल से विकास कार्य में स्वयं गैर-सरकारी संगठनों को सम्मानित किये जाने के बारे में सरकार के दृष्टिकोण में दर्शनीय परिवर्तन आया है। अब इन संगठनों को महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे- बीस सुत्रीय कार्यक्रम में परामर्श की भूमिका निभाने के लिये जोड़ा गया है।

सातवी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को दूर करने एवं न्यूनतम आवश्यकताओं सम्बन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रधानता दी गई, क्योंकि ये परियोजनाऐं इतनी बड़ी थीं कि सरकार के लिए अकेले इनका निष्पादन करना आसान नहीं था। गैर-सरकारी संगठनों के लिए भी इन परियोजनाओं को संचालित करना आसान नहीं था। संचालन के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इन योजनाओं की परियोजनाओं के सफल संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की रणनीति एवं कौशल की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है। लक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों एवं अनुस्थापन वाले कार्मिकों को तैयार करना होता है।

सरकार के कल्याणकारी योजनाओं में गैर-सरकारी अभिकरणों को दीर्घकाल से शामिल किया जा रहा है। इनके सहयोग को अधिक व्यापक बनाने का विचार 80 के दशक से ही देखा जा रहा है। अक्टूबर 1982 में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी ने मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि गैर-सरकारी संगठनों के परामर्शीय समूहों को राज्य स्तर पर संस्थापित किया जाय। सातवीं पंचवर्षीय योजना में श्रीमती गाँधी के निश्चिय को उल्लेखित करते हुए स्पष्ट रूप में कहा गया कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों विशेषतः ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं नियोजन में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का विशेष प्रयास किया जायेगा।

गैर-सरकारी संगठन की शक्ति को स्वीकार करते हुए सातवीं योजना में कहा गया कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में उनकी भूमिका को अब तक कम मात्रा में मान्यता दी गयी है। जबकि गैर-सरकारी संगठनों के अभिकरणों ने नये प्रतिरूपों एवं उपागमों सहित, प्रतिसम्भरण सुनिश्चित करने एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे परिवारों से जुड़कर नवीन विकास के लिए आधार प्रदान किया है। इस योजना में कार्यक्रमों एवं सहयोग के क्षेत्रों, विशेषतया गरीबी दूर करने की नवीन योजनाओं की एक लम्बी सूची प्रस्तुत की गई। इसमें यह भी ध्यान दिया गया कि सातवीं योजना में गैर-सरकारी संगठन की व्यावसायिक योग्यता, प्रबन्ध,

कौशल, इनके अभिकरणों के साधन एवं सामर्थ्य में बढ़ोत्तरी हो। सातवीं योजना में गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ क्रियाशील समन्वय स्थापित करने हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सैक्टरों में 100 से 150 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान किया गया। योजना में यह भी उल्लेखित किया गया कि गैर-सरकारी संगठनों को एक आचार संहिता जो सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों पर लागू हो, का निर्माण करना चाहिए।

सातवीं योजना के बाद सभी योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों की ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका रही। दसवीं योजना में एक बार पुनः इनकी भूमिका को महत्व दिया गया। विकास एवं नियोजन के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका की अपेक्षा की गई। सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये भौतिक संसाधन, विकास का गरीब तबकों तक पहुँचाना, अधिकारी एवं जरूरतमन्द लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, विकास कार्यक्रमों को करना, विकास कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना, योजना के क्रियान्वयन में विकल्पों को प्रयोग करना, विकास कार्यक्रम में योगदान देने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना, उपलब्ध साधनों का बेहतर प्रयोग करना, सेवाओं में निरन्तर सुधार लाना, सामाजिक, आर्थिक संरचना में परिवर्तन की निरन्तरता को बनाये रखना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। इन भूमिकाओं का सम्पादन गैर-सरकारी संगठन 12वीं योजना तक निरन्तर करते आ रहे हैं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि गैर-सरकारी संगठनों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि स्थानीय लोगों से मिलकर कार्य करना है। जिस क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों ने कार्य किया, वहाँ की जनता को सामूहिक लाभ के लिए संगठित किया है। गरीब और सीमान्त समूह के लोग, जैसे- जनजातीय दलित महिलाऐं, भूमिहीन कृषक, अनुसूचित जाति, बंधुआ मजदूर आदि लोग इससे लाभान्वित हुये हैं। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किये गये प्रयास से लोगों के अन्दर अपनी समस्याओं के प्रति जागरूकता एवं संगठन का भाव जागृत हुआ है। लोग शोषण के खिलाफ बोलने लगे हैं। इनके प्रयास से ही विकास कार्यक्रमों का लाभ समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुँचने लगा है।

गैर-सरकारी संगठनों ने जल संसाधन की सुरक्षा, पर्यावरण सन्तुलन, नौकरशाही आदि अछूते पहलूओं को भी प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकारी नीतियों को जोरदार ढंग से प्रभावित किया है।

गैर-सरकारी संगठन के हस्तक्षेप के कारण योजना आयोग ने निम्नलिखित क्षेत्रों के कार्यक्रमों में इनकी भूमिका सुनिश्चित की है-

1. बधुआ मजदूरों की पहचाना व पुर्नवास।
2. भूमिहीन मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराना।
3. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं महिला विकास सम्बन्धी कार्यक्रम।
4. प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम।
5. समन्वित विकास कार्यक्रम।
6. विज्ञाना एवं आधुनिक कृषि तकनीकी को बढ़ावा देने से सम्बन्धित कार्यक्रम।
7. पीने का पानी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम।
8. सामाजिक नीति और वैकल्पिक उर्जा के स्रोतों के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम।
9. छोटे परिवार के महत्व से सम्बन्धित कार्यक्रम।

10. ग्रामीण महिलाओं, बच्चों एवं साक्षरता से सम्बन्धित कार्यक्रम।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रम।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि गैर-सरकारी संगठन, विकास को उन लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, जो बहुत अधिक जरूरतमन्द हैं। ये विकास का महत्वपूर्ण साधन है तथा जन सहभागिता का पर्याय बन चुके हैं।

18.3 गैर-सरकारी संगठनों के लिए सरकार की योजनाऐं

सरकारें यह मानने लगी हैं कि आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार अकेले नहीं कर सकती है। सरकारी कार्यक्रम तभी सफल होंगे, जब उसमें आम जन-सहभागिता बढ़ेगी। विकास कार्यक्रमों के लक्ष्यों को तभी पूरा किया जा सकता है, जब गैर-सरकारी संगठन सरकार से कदम मिलाकर साथ चलें। गैर-सरकारी संगठन ग्रामीण समुदाय की क्षमताओं का आकलन और विकास की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका कारण यह है कि इसके अभिकरण सदस्य सदैव जन-समुदाय के सम्पर्क में रहते हैं। वे समुदाय की समस्याओं से परिचित होते हैं, जिससे उन्हें समुदाय के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं कम लागत पर क्रियान्वयन करने तथा वितरण-प्रणाली को सम्पादित करने में सरल होते हैं। सरकारी नीतियों में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख इनके महत्व को दर्शाती है। ये विभिन्न मंत्रालयों की नीति निर्धारित करने के लिए गठित आयोग, समिति, अध्ययन दल आदि में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता बढ़ती जा रही है। भारत सरकार ग्रामीण विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देती है। अनुदान प्राप्त करने के लिये गैर-सरकारी संगठन का नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होता है।

आज गैर-सरकारी संगठनों के लिए भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाऐं निम्नवत हैं।

18.3.1 संस्कृति मंत्रालय की योजनाऐं

1. हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास हेतु सहायता।
2. बौद्ध, तिब्बती संस्कृति और कला के संरक्षण एवं विकास हेतु वित्तीय सहायता।
3. कला परियोजनाओं हेतु व्यवसायिक समूहों एवं व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता (वेतन अनुदान एवं निर्माण अनुदान)।
4. क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के लिए प्रोत्साहन एवं उनके सशक्तिकरण के लिए सहायता।
5. सांस्कृतिक संगठनों के निर्माण के लिए अनुदान योजना।
6. सांस्कृतिक क्रियाकलापों में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों को शोध हेतु वित्तीय अनुदान की योजना।

18.3.2 जनजाति मंत्रालय की योजनाऐं

1. आधारभूत ढ़ाँचे के समुन्नयन हेतु गैर-सरकारी संगठन के लिए 'अवार्ड ऑफ स्पेशल इन्सेटिव'(एएसआई)।
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग।
3. आदिम जनजाति समूहों का विकास।
4. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता।

5. पिछड़े जिलों में अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं में शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए योजना।

18.3.4 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाऐं

1. जेन्डर बजटिंग।
2. स्वयंसेवी संगठन की सहायता के लिए सामान्य अनुदान सहायता योजना।
3. शोध, प्रकाशन और पर्यवेक्षण हेतु अनुदान सहायता।
4. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले श्रमजीवी बच्चों के कल्याण की योजना।
5. कामकाजी महिलाओं के लिए दैनिक देखभाल केन्द्र युक्त हॉस्टल के निर्माण हेतु सहायता।
6. स्वाधार (Swadhar) योजना।
7. उज्जवला (Ujjawala) योजना।

18.3.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजनाऐं

1. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आवश्यक उपकरण खरीदने व लगाने हेतु सहायता।
2. अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के कल्याणार्थ स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।
3. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों की निःशुल्क कोचिंग के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक योजाना।
4. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजाना।
5. अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता।
6. वृद्धों के लिए समेकित कार्यक्रम।
7. शराब एवं मादक पदार्थ के दुरूपयोग को रोकने हेतु योजना।

18.3.5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाऐं

1. मातृ-एनजीओ (MNGO) योजना।
2. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम।
3. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम।
4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
5. अन्धत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम।
6. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम।

18.3.6 विद्यालयीय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की योजनाऐं

1. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए द्वितीयक स्तर पर अन्तर्वेशी शिक्षा।
2. सर्वशिक्षा अभियान एवं प्रायोगिक शिक्षा की योजना।
3. शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए समेकित शिक्षा(IEDC)।
4. व्यस्क शिक्षा एवं क्षमता विकास हेतु स्वयंसेवी एजेंसियों के लिए सहायता योजना।
5. व्यस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास योजना हेतु एनजीओ, संस्थानों व एस0आर0 सी0 की सहायता।

18.3.7 उच्च शिक्षा विभाग की योजनाऐं

1. मानव मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने हेतु एजेंसियों का सहायता।
2. लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट)।
3. ग्रामीण प्रौद्योगिकी के समुन्नयन की योजना(ARTS)।
4. अक्षमता।
5. ग्राम श्री मेला व खरीदार विक्रेता समागम (BSM)।
6. जन-सहयोग।
7. कार्यशालाऐं, संगोष्ठीयां व सम्मेलन।
8. वाईपी स्टार्टर पैकेज।
9. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO)।
10. सामुदायिक देखभाल केन्द्र।

18.4 गैर-सरकारी संगठन की समस्याऐं

महात्मा गांधी ने विकास में गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों की भूमिका को यह कहकर प्रोत्साहित किया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक दायित्व भी आवश्यक है। लेकिन इसे विडम्बना ही कहा जाय कि परोपकार के काम को भारतीय समाज में नैतिक जिम्मेदारी समझ कर करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को संगठित होने के बावजूद भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो निम्नवत हैं-

1. **धन या पूँजी की कमी-** भारत में गैर-सरकारी संगठन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान से ही कार्य करते हैं। सरकार शत-प्रतिशत अनुदान नहीं देती है। उन्हें अपनी परियोजनाओं के संचालन करने के लिए धनराशि इकट्ठा भी करनी पड़ती है। कभी नौकरशाही एवं लालफीताशाही के कारण उन्हें अनुदान समय पर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाई जा रही परियोजना के संचालन में काफी कठिनाई आती है। वैसे भी अब भारतीय समाज में बढ़ते व्यवसायीकरण की महत्ता के कारण दान-पूर्ण्य की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। जिससे गैर-सरकारी संगठनों को अपने लिए पूँजी इकट्ठा करने में काफी परेशानी होती है और उन्हें अपने सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों की निरन्तत्रता बनाये रखने में समस्या होती है।
2. **समर्पित नेतृत्व की कमी-** गैर-सरकारी संगठन में नेतृत्व की गुणवत्ता से परियोजनाओं के संचालन की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। विशेषकर समर्पित नेतृत्व के उद्देश्य के निश्चयीकरण का प्रमुख कारक होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दुर्भाग्यवश जिन नेताओं ने समाज सेवा के कार्य को समपर्ण के साथ किया था, वे देश की सक्रिय राजनीति में चले गये। वे देश की संसद, राज्यों की विधान सभाओं की शोभा बढ़ाने लगे और हमेशा के लिए गैर-सरकारी संगठनों में नेतृत्व का खाली स्थान छोड़ गये। कुछ उम्मीद के साथ इस नेतृत्व का खाली स्थान बुजुर्गों द्वारा भर तो गया, लेकिन उनका काम करने के अधिकारात्मक तरीके, नये विचार, नये तरीकों, नयी खोज के समर्थक, नवीनता के अवतार युवाओं के लिए परेशानी का कारण बनकर रह गया, क्योंकि पुराने ढर्रे पर काम करने वाले नवीन प्रयोगों को किसी प्रकार की अनुमति नहीं प्रदान करते।

3. **अयोग्य प्रशिक्षित कर्मचारी-** यह विश्वास किया जाता है कि गैर-सरकारी संगठनों के व्यक्ति का कार्य करने का तरीका उसके सामाजिक कार्य करने के समर्पण, प्रतिबद्धता एवं रूचि का आभास कराता है। पहले यह माना जाता था कि जो व्यक्ति बिना वेतन के समाज की सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनके अन्दर सेवा की इच्छा भरी होती है और उन्हें किसी प्रकार प्रशिक्षण एवं शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजकल व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त लोग गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करना नहीं चाहते हैं। उनकी रूचि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में काम करने से है। वे केवल बिना कष्ट वाले कार्यों को ही करना चाहते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठन के सदस्यों की पूर्ति के लिए गैर-सरकारी संगठन के सदस्यों की पूर्ति में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है।
4. **धन का दुरूपयोग-** आजकल गैर-सरकारी संगठनों के गठन से लेकर इनकी गतिविधियों एवं पूँजी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पूरी तस्वीर का अंदाजा किसी को नहीं है। प्रायः यह देखा जा रहा है बहुत सारे गैर-सरकारी संगठन अपनी पूँजी से जुड़े मामलों में पारदर्शिता कायम रखने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। वे आराम से प्राप्त अनुदान का समायोजन मनमाने तरीके से दिखाते हैं और धन का दुरूपयोग भी करते हैं। हालांकि कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने अपनी साफ-सुथरी छवि के लिए लेखा-जोखा प्रकाशित करते हैं। सरकार विदेशी संस्थाओं एवं स्वयं द्वारा एकत्रित धन का दुरूपयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठन के कारण, आज समर्पण-भाव से कार्य करने वाले संगठनों की छवि खराब हो रही है।
5. **नेतृत्व का अधिपत्य-** प्रायः देखा जा रहा है कि गैर-सरकारी संगठनों के उच्च स्तर के नेतृत्व में अधिपत्य एवं अन्तर-सम्बद्धता की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। उच्च स्तर पर नेतृत्व करने वाले लोग कई संगठनों से जुड़े रहते हैं। वे किसी एक संगठन में अध्यक्ष होते हैं तो दूसरे में सचिव, तीसरे में खजांची तो चौथे संगठन में कार्य समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार गैर-सरकारी संगठनों के महत्वपूर्ण पदों पर कुछ ही लोगों का अधिपत्य होता है। इस प्रकार नेतृत्व का अधिपत्य एवं एक-दूसरे संगठन से जुड़ाव समाज सेवा से जुड़ी परियोजनाओं में लाभकारी भी हो सकता है। नेतृत्व को अन्य संगठनों से जुड़े रहने के कारण परियोजना के संचालन हेतु आवश्यक नीतियों के निर्माण एवं निरूपण व तकनीकी के आदान-प्रदान में काफी सहायता मिलती है। लेकिन दूसरी ओर नेतृत्व पर कुछ ही लोगों का अधिपत्य का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि यह नेतृत्व नये लोगों को नेतृत्व के लिए मार्ग बन्द कर देता है और गैर-सरकारी संगठन में नये विचारों का संचार नहीं हो पाता है।
6. **जन सहभागिता का अभाव-** गैर-सरकारी संगठन लोगों के लिए प्रजातांत्रिक सहभागिता के अवसर प्रदान करने के लिए ही बने होते हैं, लेकिन इनके कार्य करने की रीति एवं विधि के कारण ये इस लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल ही रहे हैं। ये जन-निर्माण एवं जन-विकास के कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु जन-समुदाय में उत्साह भरने में असमर्थ रहे हैं। गैर-सरकारी संगठन के कार्यकताओं में पिछड़ापन एवं समर्पण का अभाव इस असफलता का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त इनका समयबद्ध कार्यक्रम, राजनैतिक हस्तक्षेप, रूचि का अभाव समुदाय के लिए मूल आवश्यकता एवं सुरक्षा हेतु योजना एवं मूल्यांकन का अभाव आदि कारक भी जन-समुदाय को गैर-सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों की और आकृर्षिक करने के लिए हतोत्साहित करने में सहायक रहे हैं।

7. **नगरीय क्षेत्रों में केन्द्रीयकरण-** ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठन ज्यादा सक्रिय हैं। देश के दूर-दराज इलाकों में इनकी उपस्थिति नगन्य है, जिससे सरकार विकास कार्यक्रम नहीं पहुँचा पायी है। दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों की निष्क्रियता के दो प्रमुख कारण हैं, पहला- इन क्षेत्रों में सुविधाओं के अभाव के कारण सामाजिक कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण में समर्पण का अभाव पाया जाता है। दूसरा- ग्रामीणों की पिछड़ी मानसिकता एवं इनके कार्यक्रमों की अनदेखी।
8. **समन्वयन व तालमेल का अभाव-** समान समस्याओं पर कार्य कर रहे स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के बीच तालमेल के अभाव में उनके द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति हो जाती है। कार्यक्रमों में बीच समन्वयन खराब हो जाता है। कार्यक्रम आपस में एक-दूसरे को आच्छादित कर देते हैं। जिससे जन-समुदाय कार्यक्रमों के प्रति भ्रमित हो जाता है। गैर-सरकारी संगठनों में एकीकरण एवं सामान्य मंच के अभाव के कारण, इन्हें सरकार के विरूद्ध कोई भी बात करने में कठनाई होती है। इनमें तालमेल के अभाव के कारण राजनेता, नौकरशाह इन्हें समय-समय पर प्रताणित करने से नहीं चुकते हैं। यहाँ तक की सरकारी तंत्र के लोग सूचनाओं के आदान-प्रदान, तथ्यों के एकत्रीकरण, प्रशिक्षण एवं प्रकाशन जैसी गतिविधियों में इन्हें सकारात्मक सहयोग नहीं देते हैं, जिसके कारण ये सरकार तक पहुँचाने में असफल रहते हैं।
9. **युवाओं के बीच स्वयं-सेवा का अभाव-** किसी भी गैर-सरकारी संगठन की मूल विशेषता है कि स्वेच्छा से अपनी सेवा को समर्पित कराना। पहले युवा स्वयं-सेवा को अपना कैरियर बनाते थे। लेकिन दिन प्रति-दिन सेवा का भाव युवकों के बीच कम होता जा रहा है और धीरे-धीरे यह भाव व्यवसायिकता का रूप लेता जा रहा है।
10. **आधुनिकीकरण-** आज आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण और नवीन प्रबन्ध के कारण अब परम्परागत गैर-सरकारी संगठनों के बुनयादी ढ़ाँचे एवं प्रशासनिक गतिविधियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन आज भी गैर-सरकारी संगठन पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। उन्हें परियोजना के संचालन में सरकार की अनुदान नियमावली के अनुसार प्रशासनिक मदों में किसी भी प्रकार की धनराशि खर्च करने की अनुमति नहीं है। अनुदान नियमावली के अनुसार उन्हें केवल आकस्मिक व्यय-मद में धनराशि खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी कारण से आज देश में सेवाभाव से महान नेताओं द्वारा प्रारम्भ किये परम्परागत गैर-सरकारी संगठन समाप्त होने के कगार पर खड़े हैं।
11. **लक्ष्य के अनुकूल, समयबद्ध कार्यक्रम-** आजकल देखा जा रहा है कि अनुदान देने वाली संस्थाऐं एवं सरकारें, गैर-सरकारी संगठनों को एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर लक्ष्य प्राप्त करने के कार्यक्रमों हेतु ही अनुदान प्रदान कर रही हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीमित समय के कारण कार्यों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। कार्य तो हो जाता है, लेकिन उसमें गुणवत्ता का जो स्तर होना होता है, वह नहीं होता है। यही करण है कि आज गैर-सरकारी संगठनों की सेवा गुणवत्ता में लगातार कमी देखी जा रही है।
12. **रूचि के क्षेत्र-** कभी-कभी गैर-सरकारी संगठनों को अपनी रूचि के विपरीत अनुदान प्रदान करने वाली संस्थाओं के इच्छित कार्यक्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है। तथा कभी उन्हें अपनी परियोजना के अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए भी कार्य करना पड़ता है। ऐसी दशा में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों की गुणवत्ता का स्तर घटता जाता है।

18.5 गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन

सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में लोगों की सहभागिता सम्बन्धी पक्ष है। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना एवं क्रियान्वयन में लोगों की साकारात्मक भूमिका पर जोर देने के बावजूद भी विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में जन-मानस की सहभागिता को इतनी महत्ता नहीं मिली जो की पूर्व में स्वयं पूर्ण रूप से ग्रामीण जीवन में विद्यमान थी। इस प्रवृत्ति के कुछ दुष्परिणाम सामने आये हैं। एक तरफ लोगों के मन में यह भावना घर कर गयी कि उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान हेतु सरकार उत्तरदायी है। इस समस्या का समाधान गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका के सन्दर्भ में देखा जा सकता है। गैर-सरकारी संगठन समुदाय स्तर पर अपनी पैठ, व्यवहार एवं तकनीकी दक्षता के माध्यम से जन-समुदाय को समाज कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सामान्य उपागम के अतिरिक्त समाज कल्याण के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को भूमिका का औचित्य के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। स्वयंसेवी भावना हमारे देश की काफी पुरानी एवं समृद्ध परम्परा रही है, जिसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाकलाप सामुहिक हित में होते थे। लोगों को पढ़ना-लिखना भी नहीं आता था और इस विचारधारा हेतु शब्द नहीं थे, फिर भी स्वयं-सेवा की विचारधारा विद्यमान थी। लोग बिना किसी अपेक्षा के अपनी क्षमता एवं आवश्यकतानुसार एक-दूसरे की सहायता करते थे, चाहे किसी विपदाग्रस्त व्यक्ति या किसी त्रासदी, अकाल, बाढ़, तुफान, भुकम्प आदि से उत्पन्न संकट का मामला हो।

समय के साथ आवश्यकताऐं बदली तो ग्रामीण परिवेश भी बदला और साथ भी बदला। इन आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम, विशेषकर स्वतंत्रता के बाद सरकार ने अपनी जो भूमिका रची उससे धीर-धीरे यह परिवेश पनपने लगा कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कार्य मुख्य रूप से सरकार का है। अपनी विकास योजनाओं के माध्यम से लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु सरकार ने इस सन्दर्भ में कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया, लेकिन यह कार्य सरकार के अकेले के बस की नहीं थी। सरकारें आवश्यकताओं को पहचानने एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समुदाय की उपयोगिता को पहचानने में असफल रहीं। योजनाऐं ऊपर से नीचे आती रही। इस प्रवृत्ति से पूर्व में विद्यमान ताना-बाना बिखर गया। विडम्बना सामने आयी कि हमारे देश की विविध भौगौलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण सरकारी स्तर की योजनाऐं लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकती। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों को विकास कार्यक्रम में सम्मिलित करना आवश्यक समझा और अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के सन्दर्भ में गैर-सरकारी संगठन की भूमिका को आवश्यक कहा।

स्वयंसेवी संगठन की महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका का सबसे बड़ा आधार यह है कि गैर-सरकारी संगठन नये प्रयोगों एवं आवश्यकतानुसार लचीले स्वरूप को आसानी से अपने कार्य में समाहित कर लेते हैं। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विकसित की गई कार्यविधि मॉडल एवं सामग्री कई बार इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इसे समाहित किया गया। इनमें प्रमुख है- जल संरक्षण हेतु वर्षा का जल संरक्षण, पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प का प्रयोग, साक्षरता एवं समुदायिक स्वास्थ्य। हालांकि गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय एवं प्रभावशाली भूमिका के कारण राष्ट्रीय विकास में इनकी भूमिका को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन संसाधनों एवं वित्त की उपलब्धता के बारे में लालफीताशाही के कारण गैर-सरकारी संगठनों एवं सरकार के बीच का सम्बन्ध

याचक और दाता के रूप में स्थापित हो जाता है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि यह सम्बन्ध साझेदारी एवं सहभागिता का हो। साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जिम्मेदारी का मानक तय करके उनके अनुसार कार्य करने एवं अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखनी होगी। यदि हमें ग्रामीण स्तर पर लोगों को लाभान्वित करना है, तो सरकारी विभाग को भी स्वयंसेवी संगठनों के साथ कार्य करने में पारदर्शिता बनाये रखनी होगी। किसी भी कार्य के लिए सरकार पर आत्मनिर्भरता एवं समुदायिक सहभागिता के अभाव के अनेक दुष्परिणाम सामने आये हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि सरकार जितना खर्च करती है, उसके अनुपात में समुदाय को लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसके कारण काफी हद तक राजनैतिक भी हैं, क्योंकि उन का ज्यादा समय अपने संगठन को बनाये एवं बचाये रखने एवं दूसरे दलों के संगठन के साथ संघर्ष में व्यतीत होता है, जिसके कारण वे संरचना यानि रचनात्मक कार्य में पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के स्थायित्व एवं कम लागत पर लोगों तक पहुँचाने का कार्य स्वयंसेवी संगठन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान देना होगा कि अनैतिक आचरण एवं भ्रष्टाचार में लिप्त स्वयंसेवी संगठनों पर भी लगाम करनी आवश्यक है।

अन्त में कहा जा सकता है कि गैर-सरकारी संगठन अपने क्षेत्र के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक चुनौतियों के प्रति स्थानीय समुदाय, विकासोन्मुख संस्थाओं एवं सरकारी निकायों में जागरूकता एवं सामुदायिक सोच को उजागर करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाकर विकास में योगदान दे सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न-

1. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। सत्य/असत्य
2. गैर-सरकारी संगठनों का उद्देश्य समाज के वंचित लोगों का कल्याण करना है। सत्य/असत्य
3. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया?

18.6 सारांश

चौथी पंचवर्षीय योजनाओं से ही गैर-सरकारी संगठनों की समाज कल्याण में भूमिका की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और बाद में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम गैर-सरकारी संगठनों को एक ऐसे विकास साधन के रूप में मान्यता दी गयी, जो विकासोन्मुख और लक्ष्योन्मुख एवं उनके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। गैर-सरकारी संगठन गैर-राजनैतिक, धर्म-निरपेक्ष तथा लाभ की प्रवृत्ति से परे होते हैं और वैधानिक रूप से गठित होते हैं। इन संगठनों का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, महिलाओं, बच्चों तथा प्राकृतिक आपदा पीड़ित आदि की सेवा तथा उत्थान के लिए कार्य करना है। 10वीं योजना से गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका अधिक व्यापक कर दी गयी। इनकी कुछ समस्याओं भी हैं, जिससे इनके क्रिया-कलाप प्रभावित होते हैं।

18.7 शब्दावली

गैर-राजनैतिक- राजनीति से अलग या बाहर, धर्मनिरपेक्ष- सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव, स्वैच्छिक प्रयास- स्वयं या खुद से किये गये प्रयास, पंच-वर्षीय योजनाऐं- सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए पांच वर्षों के लिए तय

की गयी योजनाओं की रूप-रेखा, समन्वित विकास- एकीकृत या संघटित विकास, अन्तर्वेशी शिक्षा- समावेशी शिक्षा,

18.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य, **2.** सत्य, **3.** 1953 में

18.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार- पंचवर्षीय योजनाऐं, योजना आयोग, भारत सरकार।
2. लोक प्रशासन- सिद्धान्त एवं व्यवहार, अनिल कुमार शर्मा, 2006,
3. समग्र लोक प्रशासन, मुकेश माहेश्वरी, टाटा मैग्रा हिल्स सीरीज।

18.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भारत सरकार- पंचवर्षीय योजनाऐं, योजना आयोग, भारत सरकार।
2. लोक प्रशासन- सिद्धान्त एवं व्यवहार, अनिल कुमार शर्मा, 2006,
3. समग्र लोक प्रशासन, मुकेश माहेश्वरी, टाटा मैग्रा हिल्स सीरीज।

18.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. समाज कल्याण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
2. गैर-सरकारी संगठनों की प्रमुख समस्याऐं क्या हैं?
3. गैर-सरकारी संगठन के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए।